खण्ड–519, अंक–04
गुरुवार, 31 भाद्रपद, शक संवत् 1944
(22 सितम्बर, 2022 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(अट्ठारहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2022)

(खण्ड 519 में 05 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2023

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

249 L.A. (22-09-2022) (1)

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1-8
नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग (जारी)	9
महिला सदस्यों के लिए आरक्षित विशेष उपवेशन पर सम्बोधन (जारी) ...	9-11
मा0 सदस्यों के लिए आज लंच की व्यवस्था की सूचना	11
महिला सदस्यों के लिए आरक्षित विशेष उपवेशन पर सम्बोधन (जारी) ...	11-18
नामित महिला अधिष्ठाता के अतिरिक्त नियमों को शिथिल करके अन्य महिला सदस्यों को पीठासीन करने के सम्बन्ध में...	18-19
महिला सदस्यों के लिए आरक्षित विशेष उपवेशन पर सम्बोधन (जारी) ...	19-24
प्रोफेसर के0एल0 जौहर की पुस्तक 'एमिनेंट वूमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ इण्डिया' को विधान पुस्तकालय में रखवाये जाने की सूचना ...	24-25
नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग ...	25-26
प्रश्नोत्तर	26-115
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	115-116
जनपद-बलिया की विधान सभा क्षेत्र बांसडीह के कतिपय ग्राम सभाओं को बाढ़ से बचाव हेतु ठोकर बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117
जनपद-इटावा की तहसील इटावा के ब्लाक बढ़पुरा में ग्राम रूरा एवं असवा के मध्य यमुना नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117
जनपद-हाथरस के ब्लाक सासनी में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	117-118
जनपद-आगरा के विधान सभा क्षेत्र बाह के अन्तर्गत विक्रमपुर से कछयार तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	118
प्रदेश में हो रही विद्युत कटौती के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना..	118-119

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद-कानपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के कोरों में कन्या इण्टर कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	119
जनपद-फर्रुखाबाद के अन्तर्गत कायमगंज विधान सभा क्षेत्र में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	119
जनपद-श्रावस्ती की विधान सभा क्षेत्र भिनगा में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	120
जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर में अण्डरपास बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	120
जनपद-गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर में रजवाहे पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	120-121
जनपद-लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद में महिला सशक्तीकरण को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	121
जनपद-सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज में राप्ती नदी से हो रही कटान को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	122
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (जारी)	122
पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-1425/33-2-2020-80जी-2000, दिनांक 14 जुलाई, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	123
लखनऊ, उत्तर प्रदेश में कन्हैया विश्वकर्मा उर्फ गिरधारी उर्फ डॉक्टर की कथित मुठभेड़ के सम्बन्ध में गठित एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी)... ...	123
उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 (01-04-2020 से 31-03-2021) (सदन के पटल पर रखा गया)	123
यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड (सिन-यू 15209 यू0पी0-1976 एस0जी0सी0/004285) की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 (सदन के पटल पर रखी गयी)	123
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (पच्चीसवां संशोधन) नियमावली, 2022 (सदन के पटल पर रखी गयी)	124

विषय	पृष्ठ संख्या
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	124
मा0 सदस्यों के प्रश्नों/सूचनाओं पर निर्मित आश्वासनों की सूचना सदस्यगण को न प्राप्त होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	124-125
श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	125-126
श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद-प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	126
श्रीमती पूजा पाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद-कौशाम्बी से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	126
डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-जौनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	127
श्रीमती नीलिमा कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)	127-128
उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022 (पुरःस्थापित)	128
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 (पुरःस्थापित) ...	128
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	128-142
महिला सदस्यों के लिए आरक्षित विशेष उपवेशन पर सम्बोधन... ...	142-144
महिला सदस्यों के लिए आरक्षित विशेष उपवेशन में महिला सशक्तीकरण पर निर्धारित चर्चा	144-233
महिला सदस्यों के लिए आरक्षित विशेष उपवेशन पर सदन के प्रति आभार (जारी)	233-236
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	236-238
महिला सदस्यों के लिए आरक्षित विशेष उपवेशन पर सदन के प्रति आभार ...	238-244
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	244-246
जनपद-फिरोजाबाद के राजकीय मेडिकल कालेज को पूर्ण क्षमता से संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य ...	246-251

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद-जौनपुर व जनपद-वाराणसी के सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 रागिनी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)	251
जनपद-लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र-सरोजनीनगर में जलभराव की समस्या के निदान हेतु नालों की सफाई एवं सीवेज पम्पों को संचालित कराने के सम्बन्ध में डॉ0 राजेश्वर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	251-253
जनपद-रायबरेली की नगर पालिका सीमा क्षेत्र में मार्ग की मरम्मत में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ...	253-255
जनपद-अमेठी के तहसील-गौरीगंज के ग्राम सभा चितई के आवासीय पट्टों में हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	255-258
जनपद-बलिया में मेडिकल कालेज न होने से हो रही जनसमस्या के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	258-260
जनपद-बलिया के ग्राम-ककरघट्टा, पोस्ट-मानिकपुर में पौराणिक स्थल का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती केतकी सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यटन मंत्री का केवल वक्तव्य	260-261
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भिटारा, बिहार, प्रतापगढ़ के निर्माणाधीन भवन को ध्वस्त कर पुनः निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद सरोज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर व्यावसायिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	261-263
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (पारित)	263
मा0 सदस्यों के लिए टैबलेट वितरण के सम्बन्ध में सूचना	263-264
नत्थियां	265-300

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठारहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 22 सितम्बर, 2022 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-379

1. अंकुर तिवारी, श्री — संतकबीरनगर
2. अखिलेश, श्री — आजमगढ़
3. अजय, श्री — गोण्डा
4. अजय कुमार, श्री — बागपत
5. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
6. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
7. अताउर रहमान, श्री — बरेली
8. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
9. अतुल प्रधान, श्री — मेरठ
10. अदिति सिंह, श्रीमती — रायबरेली
11. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
12. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
13. अनिल प्रधान, श्री — चित्रकूट
14. अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री — सन्तकबीरनगर
15. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
16. अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
17. अनिल कुमार सिंह, श्री — उन्नाव
18. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
19. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
20. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
21. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
22. अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्री — अलीगढ़
23. अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती — हाथरस
24. अभय सिंह, श्री — अयोध्या
25. अभिजीत सिंह साँगा, श्री — कानपुर नगर
26. अमरेश कुमार, श्री — लखनऊ
27. अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
28. अमित सिंह चौहान, डॉ0 — अयोध्या
29. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
30. अरमान खान, श्री — लखनऊ
31. अरुण कुमार, डॉ0 — बरेली
32. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
33. अलका सिंह, श्रीमती — हरदोई
34. अवधेश प्रसाद, श्री — अयोध्या
35. अवधेश सिंह, डॉ0 — वाराणसी
36. अविनाश चन्द्र द्विवेदी, श्री — चित्रकूट
37. अशरफ अली खान, श्री — शामली
38. अशोक कुमार, श्री — रायबरेली
39. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
40. असीम अरुण, श्री — कन्नौज
41. असीम कुमार, श्री — कुशीनगर
42. आदित्यनाथ योगी, श्री — गोरखपुर
43. आनन्द कुमार यादव, श्री — बहराइच
44. आर0के0 पटेल, डॉ0 — जौनपुर
45. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
46. आशा मौर्या, श्रीमती — सीतापुर
47. आशीष कुमार सिंह 'आशू', श्री — हरदोई
48. आशुतोष टण्डन "गोपाल जी", श्री — लखनऊ
49. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
50. आशुतोष शुक्ल, श्री — उन्नाव
51. आशु मलिक, श्री — सहारनपुर

52. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
53. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
54. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
55. उमर अली खान, श्री सहारनपुर
56. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
57. ऊषा मौर्या, श्रीमती फतेहपुर
58. ऋषि त्रिपाठी, श्री महराजगंज
59. एम0पी0 आर्य, डॉ0 बरेली
60. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
61. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
62. ओममणी वर्मा, श्रीमती बांदा
63. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
64. कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री, आजमगढ़
65. कमाल अख्तर, श्री मुरादाबाद
66. कविन्द्र चौधरी, श्री बस्ती
67. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
68. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
69. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
70. केतकी सिंह, श्रीमती बलिया
71. कैलाश, श्री चन्दौली
72. कैलाश नाथ, श्री बलरामपुर
73. कैलाश राजपूत, श्री कन्नौज
74. गणेश चन्द्र, श्री सन्तकबीरनगर
75. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
76. गीता शास्त्री (पासी), श्रीमती प्रयागराज
77. गुड़िया कठेरिया, श्रीमती औरैया
78. गुरु प्रसाद मौर्य, श्री प्रयागराज
79. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
80. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
81. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
82. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री जालौन
83. चन्दन चौहान, श्री मुजफ्फरनगर
84. चन्द्रपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
85. चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), श्री फतेहपुर
86. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
87. छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
88. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
89. जय कुमार सिंह जैकी, श्री फतेहपुर
90. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
91. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री पीलीभीत
92. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
93. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
94. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
95. जयमंगल, श्री महाराजगंज
96. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
97. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
98. जाहीद, श्री भदोही
99. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
100. जियाउर्रहमान, श्री मुरादाबाद
101. जी0एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
102. जीत लाल पटेल, श्री प्रतापगढ़
103. जै किशन साहू, श्री गाजीपुर
104. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
105. ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महाराजगंज
106. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
107. तूफानी सरोज, श्री जौनपुर
108. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्धनगर
109. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
110. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
111. दयाशंकर सिंह, श्री बलिया
112. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
113. दिनेश कुमार, श्री मेरठ
114. दिनेश रावत, श्री बाराबंकी

115. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
116. दीपक कुमार मिश्र 'शाका', श्री देवरिया
117. दुधराम, श्री बस्ती
118. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
119. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
120. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
121. देवेन्द्र सिंह, श्री कासगंज
122. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री बुलन्दशहर
123. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
124. धर्मपाल सिंह, डॉ0 आगरा
125. धर्मराज सिंह यादव, श्री बाराबंकी
126. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
127. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
128. नन्द किशोर, श्री गाजियाबाद
129. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री प्रयागराज
130. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
131. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
132. नसीर अहमद खां, श्री रामपुर
133. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
134. नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया, श्रीमती कासगंज
135. नासिर कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
136. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
137. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
138. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
139. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
140. नील रतन सिंह, श्री वाराणसी
141. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
142. पंकज, श्री जौनपुर
143. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
144. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
145. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
146. पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), श्री कुशीनगर
147. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
148. पीयूष रंजन निषाद, श्री प्रयागराज
149. पूजा, श्रीमती आजमगढ़
150. पूजा पाल, श्रीमती कौशाम्बी
151. पूनम शंखवार, श्रीमती कानपुर देहात
152. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
153. प्रकाश द्विवेदी, श्री बांदा
154. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
155. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
156. प्रदीप कुमार चौधरी, श्री बुलन्दशहर
157. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
158. प्रदीप कुमार सिंह, श्री हाथरस
159. प्रदीप शुक्ला, श्री गोरखपुर
160. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
161. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
162. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
163. प्रसन्न कुमार, श्री शामली
164. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
165. प्रेमपाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
166. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
167. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
168. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
169. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
170. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
171. बाबूराम, श्री पीलीभीत
172. बाबूलाल, श्री आगरा
173. बावन सिंह, श्री गोण्डा
174. विजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती देवरिया
175. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
176. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी

177. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
178. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
179. बेदी, श्री गाजीपुर
180. बृजभूषण राजपूत, श्री महोबा
181. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
182. ब्रजेश यादव, श्री बदायूं
183. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
184. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
185. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
186. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
187. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
188. मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री कुशीनगर
189. मनीष रावत, श्री सीतापुर
190. मनीषा, श्रीमती हमीरपुर
191. मनोज कुमार पाण्डेय , श्री रायबरेली
192. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
193. मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 हमीरपुर
194. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
195. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
196. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री अमेठी
197. महबूब अली, श्री अमरोहा
198. महाराजी प्रजापति, श्रीमती अमेठी
199. महेन्द्र, श्री अमरोहा
200. महेन्द्र नाथ यादव, श्री बस्ती
201. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
202. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
203. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
204. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरदोई
205. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहाँपुर
206. मीनाक्षी सिंह, श्रीमती बुलन्दशहर
207. मुकेश चौधरी, श्री सहारनपुर
208. मुकेश चन्द्र वर्मा, डॉ0 फिरोजाबाद
209. मुक्ता संजीव राजा, श्रीमती अलीगढ़
210. मूल चन्द्र सिंह, श्री जालौन
211. मेघश्याम, श्री मथुरा
212. मो0 ताहिर खान, श्री सुल्तानपुर
213. मोहन वर्मा, श्री कुशीनगर
214. मोहम्मद हसन 'रूमी', श्री कानपुर नगर
215. मोहित सोनकर
'राहुल बच्चा, श्री कानपुर नगर
216. मौ0 फहीम इरफान, श्री मुरादाबाद
217. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
218. योगेश धामा, श्री बागपत
219. योगेश वर्मा, श्री खीरी
220. योगेश शुक्ला, श्री लखनऊ
221. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
222. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
223. रत्नाकर मिश्रा, श्री मिर्जापुर
224. रफीक अंसारी, श्री मेरठ
225. रमाकान्त यादव, श्री आजमगढ़
226. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
227. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
228. रमेश, श्री जौनपुर
229. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
230. रमेश जायसवाल, श्री चन्दौली
231. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
232. रवि शर्मा, श्री झांसी
233. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
234. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
235. रश्मि आर्य, डॉ0 झांसी
236. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
237. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
238. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
239. राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर

240. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
241. राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
242. रागिनी, डॉ0 जौनपुर
243. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 बरेली
244. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री इटावा
245. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
246. राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
247. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री सुल्तानपुर
248. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
249. राजमणि, श्री प्रयागराज
250. राजीव कुमार, श्री अमरोहा
251. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
252. राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
253. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
254. राजेन्द्र कुमार, श्री प्रतापगढ़
255. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
256. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
257. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
258. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
259. राजेश चौधरी, श्री मथुरा
260. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
261. राजेश्वर सिंह, श्री लखनऊ
262. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आगरा
263. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
264. राम अवतार सिंह, श्री बिजनौर
265. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
266. रामकेश निषाद, श्री बांदा
267. रामखिलाड़ी सिंह, श्री सम्भल
268. राम चन्द्र यादव, श्री अयोध्या
269. रामदुलार, श्री सोनभद्र
270. रामनरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
271. राम निवास वर्मा, श्री बहराइच
272. राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
273. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
274. राम बिलाश चौहान, श्री मऊ
275. राम मूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
276. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
277. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
278. राहुल प्रकाश कोल, श्री मिर्जापुर
279. राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री रायबरेली
280. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
281. रेखा वर्मा, श्रीमती औरैया
282. लकी यादव, श्री जौनपुर
283. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
284. लक्ष्मी राज सिंह, श्री बुलन्दशहर
285. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
286. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
287. वाचस्पति, श्री प्रयागराज
288. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
289. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
290. विजमा यादव, श्रीमती प्रयागराज
291. विजय पाल (आढ़ती), श्री हापुड़
292. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
293. विनय प्रकाश गोंड, श्री कुशीनगर
294. विनय वर्मा, श्री सिद्धार्थनगर
295. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
296. विनोद कुमार बिन्द, डॉ0 मिर्जापुर
297. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
298. विनोद शंकर अवस्थी, श्री खीरी
299. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
300. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा

301. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
302. विपुल दुबे, श्री भदोही
303. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
304. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
305. विवेक कुमार वर्मा, श्री पीलीभीत
306. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री कुशीनगर
307. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
308. वीर विक्रम सिंह, श्री शाहजहांपुर
309. वीरेन्द्र चौधरी, श्री महराजगंज
310. वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री एटा
311. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री अयोध्या
312. शलभ मणि त्रिपाठी, श्री देवरिया
313. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
314. शशांक वर्मा, श्री खीरी
315. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
316. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
317. शिव प्रताप यादव, डॉ0 बलरामपुर
318. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
319. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
320. श्याम बिहारी लाल, प्रो0 बरेली
321. श्यामधनी राही, श्री सिद्धार्थनगर
322. श्याम सुन्दर, श्री रायबरेली
323. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
324. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
325. श्रीराम चौहान, श्री गोरखपुर
326. संग्राम सिंह, श्री बलिया
327. संजय कुमार शर्मा, श्री बुलन्दशहर
328. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
329. संजीव अग्रवाल, श्री बरेली
330. संजीव कुमार गोंड, श्री सोनभद्र
331. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
332. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
333. संदीप सिंह, श्री प्रयागराज
334. सचिन यादव, श्री फिरोजाबाद
335. सतीश चन्द्र शर्मा, डॉ0 बाराबंकी
336. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
337. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
338. सभाकुंवर, श्री देवरिया
339. समरपाल सिंह, श्री अमरोहा
340. सरवन कुमार निषाद, इंजी0 गोरखपुर
341. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
342. सरोज कुरील, श्रीमती कानपुर नगर
343. सर्वेश सिंह, श्री फिरोजाबाद
344. सलोना कुशवाहा, श्रीमती शाहजहांपुर
345. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
346. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री प्रयागराज
347. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
348. सुचि, श्रीमती बिजनौर
349. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
350. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
351. सुनील पटेल, डॉ0 वाराणसी
352. सुभाष त्रिपाठी, श्री बहराइच
353. सुरभी, डॉ0 फर्रुखाबाद
354. सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री कुशीनगर
355. सुरेन्द्र चौरसिया, श्री देवरिया
356. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
357. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
358. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
359. सुरेश राही, श्री सीतापुर
360. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
361. सुशांत सिंह, कुँवर बिजनौर
362. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
363. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
364. सुहेब उर्फ मन्नु अंसारी, श्री गाजीपुर

365. सैय्यदा खातून, श्रीमती	सिद्धार्थनगर	372. हरिओम, श्री	कासगंज
366. सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0	मेरठ	373. हरिप्रकाश वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
367. सौरभ श्रीवास्तव, श्री	वाराणसी	374. हरीश चन्द्र, श्री	बदायूं
368. सौरभ सिंह सोनू, श्री	खीरी	375. हरेन्द्र सिंह, श्री	हापुड़
369. स्वामी ओउमवेश, श्री	बिजनौर	376. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री	प्रयागराज
370. हंसु राम, श्री	बलिया	377. हाकिम लाल बिन्द, श्री	प्रयागराज
371. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	खीरी	378. हिमांशु यादव, श्री	बदायूं
		379. हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री	आजमगढ़

नोट :-उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह), लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद), नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा), प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री आशीष पटेल), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तीकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नरेन्द्र कश्यप), कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मवीर प्रजापति), सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर), संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (श्री जसवन्त सैनी) भी सदन में उपस्थित थे।

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें।

[11:01] नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

श्रीमती पूजा-

मा0 अध्यक्ष जी, मुझे नियम-311 में सुन लिया जाये। माननीय अध्यक्ष जी, यह जनहित का मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष-

अभी सुनेंगे। मैं अपनी बात रख लूं फिर सुनेंगे। आज आप लोगों का ही दिन है।

महिला सदस्यों के लिए आरक्षित विशेष उपवेशन पर सम्बोधन

श्री अध्यक्ष-

आज 22 सितम्बर, 2022 का यह दिन उत्तर प्रदेश की विधान सभा के द्वारा एक नई शुरुआत कर रहा है। मेरे द्वारा जिस समय विभिन्न ग्रुपों के साथ बैठकर माननीय सदस्यों से बातचीत हुई तो बहुत सारे ऐसे सुझाव आये, बहुत सारे ऐसे कन्सर्न्स आए, जिसने एक नई दिशा दी। मैंने जब भी बैठक की मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से हर बैठक के ब्यौरे के बारे में चर्चा की और जिस समय मैं महिला सदस्यों से मिला तो उनके द्वारा जब यह कहा गया कि हमको विधान सभा और अन्य स्थानों पर बोलने का अवसर कम मिलता है, तो मैंने उनको कहा कि आपको अवसर जरूर दिया जाएगा। मैंने नेता सदन आदरणीय मुख्य मंत्री जी से इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने डिटेल में मेरे से बातचीत की और कहा कि इस आधार पर आप इसको शुरू कर सकते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इस अवसर पर एक नई शुरुआत करने का मौका हम सबको दिया। जब मैं चर्चा कर रहा था तो कुछ हमारे मित्र, हमारे साथी माननीय विधायकों ने कहा कि आप 5 दिन में से एक दिन महिलाओं के लिए आरक्षित करने जा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं 5 दिन में से एक दिन महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं करने जा रहा हूँ, बल्कि मैं देश की आजादी के 75 साल बाद एक दिन महिलाओं के लिए आरक्षित करने जा रहा हूँ ...

(सदन में मेजों की थपथपाहट)

क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार यह कहीं पर भी नहीं हुआ और विशेष रूप से मैं यह बात यहां पर जरूर बताना चाहता हूँ कि यह महिलाओं के लिए सेशन नहीं है पूरी विधान सभा की कार्यवाही एजेण्डे के अनुसार चलेगी और आज एजेण्डे पर बोलने का अवसर इस सदन की महिला सदस्यों को दिया जायेगा।

एजेण्डा जिस समय पूरा हो जायेगा तब उस समय वह विशेष सेशन चलेगा, जिसमें महिला सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर होगा। प्रायः समाज में जिस समय हम लोग चर्चा करते हैं तो यह कहते हैं कि 'बिहाइण्ड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए सक्सेसफुल

वीमेन' बल्कि देयर इज सक्सेसफुल वीमेन तो जो सक्सेसफुल मैन के पीछे 'सक्सेसफुल वीमेन' होती है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वह बहुत दूर नजर आती है। सक्सेसफुल वीमेन तब होगी जब आपके साथ खड़ी नजर आएगी और आपके आगे चलती नजर आएगी वह सक्सेसफुल वीमेन होगी।

(मेजों की थपथपाहट)

उस वीमेन सशक्तीकरण के लिए यह हाउस आज उनके लिए समर्पित है। मैं फिर इस बात को कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने विभिन्न समयों पर जबसे मैंने यह तय किया बहुत गम्भीर कन्सर्न के साथ उन्होंने सरकार की योजनाएं भी बताईं। मैंने नेता प्रतिपक्ष से भी इसके बारे में चर्चा की। नेता प्रतिपक्ष ने भी बोला कि यह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं की अपनी समस्यायें हैं। मैंने कहा कि सदन विषयों पर चर्चा करने के लिए है, समस्याओं पर भी चर्चा करेगा तभी उसमें से समाधान निकलेगा। आज हम बहुत महत्वपूर्ण सेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि इस सेशन पर पूरे देश की निगाहें हैं। मैं जरूर विनम्र निवेदन करना चाहूंगा अपने सारे सम्मानित साथियों से कि यह जो आज का सेशन है इसमें हम इस बात को बता सकें कि उत्तर प्रदेश में विगत कुछ वर्षों से, इन साढ़े पांच वर्षों में नये-नये आयाम स्थापित किये गये हैं उसमें यह भी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जुड़े, यह मेरा आप सब लोगों से निवेदन है।

(मेजों की थपथपाहट)

मैं यहां पर खड़ा होकर इस समय देख रहा हूँ कि बहुत सारे सदस्य आज यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि सभी विधान मण्डलों के मुख्य सचेतक और सचेतक जो सदस्य यहां पर उपस्थित नहीं हैं, उनसे कहें कि यदि वह लखनऊ में हैं तो उनकी उपस्थिति जरूर आज इस विधान सभा में हो। यह मेरे मन की बात है। मैं क्षमा सहित कहना चाहता हूँ कि मुझे जो जिम्मेदारी सब लोगों ने दी है, उस जिम्मेदारी के नाते से मैं यह निवेदन जरूर करना चाहता हूँ। मैं कहूंगा कि यह एक दिन सिर्फ हमारी महिला सदस्यों के लिए समर्पित नहीं है, यह एक शुरुआत है। आगे भी आने वाले समय में आप अपनी योग्यता के हिसाब से कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे अपनी बात कह सकते हैं, यह एक अवसर है, एक शुरुआत है। यू0पी0 विधान सभा ने देश में इसके लिए लीड ली है, इसके लिए मा0 मुख्य मंत्री जी और सभी मा0 सदस्यों को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। हम यहां से कहीं भी बाहर जाते हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से सम्बन्धित हों, जब हम उत्तर प्रदेश के बाहर खड़े होते हैं तो हमें गर्व होता है कि हम उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं, जिसने रोज नयी-नयी बातें शुरू की हैं। मैं यह कॉफी मशीन लगाना या 'हाँ' और 'ना' लॉबी को ठीक करने को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ, हमने नये-नये प्रकार की जो चीजें यहां पर इंट्रोड्यूस की हैं, यह पार्ट होना ही चाहिए था, लेकिन विधान सभा की जो कार्यवाही है, जो हम विधान सभा से पूरे देश और दुनिया में सन्देश देना चाहते हैं, वह सन्देश यहां पर आज पूरी दुनिया को सुनाई पड़े। इस

निवेदन के साथ मैं दो सेशन्स में सदन को चलाऊँगा, जिसमें पहले सेशन में हम पूरी कार्यवाही लेंगे और सेकेण्ड सेशन में मैं कुछ टॉपिक दूंगा, उनके आधार पर मैं महिला सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह अपनी बात कहें। मैं आज इसके लिए सभी मा0 सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि सब लोगों ने साथ दिया। कुछ एक-दो लोगों को लगा कि यह बहुत गलत काम कर रहे हैं आप, लेकिन कभी-कभी गलत काम भी करना है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि मेरे लिए सारे सदस्य सम्मानित हैं, मैं उनकी तरफ इस समय देखूंगा भी नहीं।

मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने आज बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए पण्डित दीन दयाल उपाध्याय, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, मार्गदर्शक हैं, जिनकी नीतियों के हिसाब से हम सब काम करते हैं, वहां पर जाना था, लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्वयं इस बात को कहा कि नहीं, मैं यहां पर अपनी बात कह कर जाऊँगा। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा और फिर मा0 नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करूंगा, उसके बाद हम विधान सभा की कार्यवाही लेंगे।

मा0 सदस्यों के लिए आज लंच की व्यवस्था की सूचना

श्री अध्यक्ष-

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि मा0 मुख्य मंत्री जी की तरफ से मुझे अभी-अभी एक सूचना प्राप्त हुई है कि आज सभी सदस्यों का लंच, मैंने तो महिला सदस्यों के लंच के लिए कहा था, लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी की यह सहनशीलता है कि उन्होंने कहा है कि आज सभी सदस्यों के लिए लंच विधान सभा के द्वारा और मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा दिया जायेगा। इसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।

[11:07] महिला सदस्यों के लिए आरक्षित विशेष उपवेशन पर सम्बोधन (क्रमागत)

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

अध्यक्ष जी, हम सब आपके आभारी हैं कि आज देश का यह सबसे बड़ा विधान मण्डल एक नये इतिहास को बनाने की ओर अग्रसर हो रहा है। आजादी के 75 वर्ष के बाद आधी आबादी अपनी आवाज को इस सदन के माध्यम से प्रदेश की 25 करोड़ जनता तक तो पहुंचाएगी ही, साथ ही साथ प्रदेश की समस्याओं को लेकर, उपलब्धियों को लेकर और अन्य समसामयिक महत्वपूर्ण मुद्दों को इस सदन में उन्हें रखने का एक अवसर प्राप्त होगा, मैं इसके लिए सभी बहनों को हृदय से बधाई देता हूँ, उनका अभिनन्दन करता हूँ। वास्तव में यह कार्य बहुत पहले होना चाहिए था और इसलिए होना चाहिए था चूंकि आज का पूरा दिन आपने मा0 महिला सदस्यों के लिए आरक्षित किया है। वे अपनी बात को यहां पर रखेंगी भी। लेकिन

शुरुआत में केवल एक प्रारम्भिक व्यवस्था की दृष्टि से प्रस्तावना रखने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूँ।

मुझे महर्षि वेदव्यास की पंक्तियां याद आती हैं, जिन्होंने नारी शक्ति के बारे में कहा है खास तौर पर मातृ शक्ति के बारे में कि 'नास्ति मातृसमा छाया, नास्ति मातृसमा गतिः। नास्ति मातृसमं त्रणं, नास्ति मातृसमा प्रिया।' यानि माँ के समान कोई छाया नहीं है और माँ के समान कोई सहारा भी नहीं है, माँ के समान कोई रक्षक नहीं है और माँ के समान कोई प्रिय भी नहीं होता है और मुझे लगता है कि मातृ शक्ति के प्रति अगर ये भाव हर नागरिक के मन में आ जाय तो कुछ भी असम्भव नहीं है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, आजादी के बाद इस दिशा में बहुत अच्छे प्रयास हुए और काफी प्रगति भी हुई। उन मुद्दों पर आज यहां पर चर्चा भी होगी। लेकिन भारत जैसे देश में हम दुनियां के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। भारत के अन्दर बिना भेदभाव के महिला हो या पुरुष, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के प्रत्येक नागरिक को, वयस्क मताधिकार का जो अधिकार दिया था, उसमें महिला और पुरुष के बीच में कोई अन्तर नहीं था और हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि महिला और पुरुष दोनों को भारत के अन्दर पहले सामान्य निर्वाचन से अपना मत देने का पूरा अधिकार भारत ने लोकतंत्र अपनाने के बाद से देना प्रारम्भ किया है। यही नहीं इंग्लैण्ड में और दुनिया के तमाम अन्य देशों में महिलाओं को ये अधिकार भारत से बाद में मिला है। भले ही वहां लोकतंत्र पहले रहा हो। यह भारत की ताकत का अहसास दुनिया को कराता है जिसमें हमेशा से, आज से नहीं वैदिक काल में आप देखें वैदिक ऋषियों के साथ-साथ वैदिक ऋचाओं को रचने वाली उन ब्रह्मवादिनी ऋषि पुत्री या ऋषि पत्नियों के बारे में हम सब अक्सर चर्चा सुनते हैं जिन्होंने वेदों की अनेक ऋचायें रचीं, अनेक सूक्तों की रचना की।

भारत आज जिस वैवाहिक परम्परा को अपनाता है, उसका जो विवाह सूक्त है, वह सूर्या सावित्री नाम की एक विदुषी महिला के द्वारा रचा गया है। आप याद करिये उसके बगैर भारत की वैवाहिक परम्परा बिना उन सूक्तों के गायन से आगे बढ़ ही नहीं सकती। ऐसे ही अगर हम देखते हैं चाहे वह ब्रह्मवादिनी घोषा हो, लोपामुद्रा हो, विश्ववारा हो, अपाला हो या फिर अनेक उन ब्रह्मवादिनी और वेदों की अनेक रचनाओं को रचने वाली वे सभी महिलायें जिन्होंने इस देश को एक दिशा दी, एक नया संस्कार दिया, एक नई गति दी, यही नहीं शकुन्तला के बारे में, माता अनुसुइया के बारे में, दमयन्ती के बारे में, सती सावित्री के बारे में, गार्गी, मैत्री, अहिल्या, सीता, द्रोपदी, रुकमणी अन्य अनेक ऐसी परम्पराएं हमें वैदिक रामायण और उसके उपरान्त के कालखण्ड में भी देखने-सुनने को मिलती हैं जिन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता से समाज को एक नई दिशा दी थी। आजादी की लड़ाई में भी और हम बहुत पीछे न भी जायें, अगर हम केवल 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का हर वासी इस बात पर गौरव की अनुभूति करता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने उस

कालखण्ड में उद्घोष किया था कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी और उसके लिए उन्होंने युद्ध लड़ा, ब्रिटिश हुकूमत को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। अनेक ऐसे उद्धरण हैं। उनके साथ जो अन्य अनेक वीरांगनायें इस युद्ध में लड़ी थीं, प्रथम स्वातंत्र्य समर का नेतृत्व की थीं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है और इसलिए आज जब हम इन सभी मुद्दों पर इस सदन में चर्चा करेंगे और सभी बहनें अपनी-अपनी बातों को यहां पर रखेंगी। इस सम्बन्ध में कुछ चीजें हैं जिन पर सरकार ने अपने स्तर पर कदम बढ़ाये हैं।

मैंने एक पत्रक भी दोनों माननीय सदनों के सभी माननीय महिला सदस्यों के पास मिशन शक्ति के रूप में भेजा है। एक नया कार्यक्रम जो राज्य सरकार के स्तर पर हम लोग संचालित कर रहे हैं, यह कुशलतापूर्वक संचालित हो रहा है और इसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं कि केन्द्र और राज्य सरकार के द्वारा महिला सशक्तीकरण के लिए जैसे महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलम्बन से सम्बन्धित जो मुद्दे हैं, उन पर क्या-क्या कदम उठाये गये हैं। चाहे वह बेटी के जन्म लेने से ले करके और बेटी के विवाह होने तक मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना हो, मुख्य मंत्री जी सामूहिक विवाह की योजना, निराश्रित महिला पेंशन की योजना में वृद्धि करते हुए उसके दायरे को बढ़ाने का कार्यक्रम हो। उत्तर प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसको हमने काफी सशक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाये हैं, जिसमें पोषण मिशन के साथ ग्रामीण आजीविका मिशन की बहनों को जोड़ना, अगर गांव में कोटे का विवाद होता है तो अनावश्यक इस मामले को आगे बढ़ाने के बजाय गांव की महिला स्वयंसेवी समूह को ही वहां का राशन कोटा का संचालन करने का अधिकार दे देना। बैंकिंग करेस्पांडेंट सखी में प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में एक महिला गांव के बैंक के लेन-देन के पूरे कार्य को संचालित करेगी और 33 हजार से अधिक बहनें इस कार्य के साथ जुटी हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सुल्तानपुर की तो एक बहन ऐसी है जो इस समय 3 लाख रुपये सालाना कमा भी रही है, स्वयं की 3 लाख रुपए सालाना की इनकम कर रही है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

यह महिला स्वावलम्बन का एक आदर्श उदाहरण है। हमारे सामने ऐसे अनेक उद्धरण हैं। मैं एक उद्धरण आपको बताना चाहता हूँ, वह बुन्देलखण्ड में झांसी के अन्दर बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर का है, हमने इसे 2019 में बुन्देलखण्ड में प्रारम्भ किया था। झांसी में मुझे स्वयं जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। गांव की सामान्य महिलायें हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आया हो, लेकिन गांव की सामान्य महिलाओं ने जब अपनी क्षमता का परिचय दिया। आज इनकी संख्या 41 हजार है, इन्होंने गांव जोड़े हैं 795 जो दुग्ध उपार्जन करते हैं, दुग्ध समितियां हैं वह प्रतिदिन गांव-गांव में गाय या भैंस का दूध कलेक्ट करती हैं, 1 लाख 35 हजार लीटर दूध और

इनका जो वार्षिक टर्न ओवर होता है, वह लगभग 149 करोड़ और इनका जो नेट प्रॉफिट होता है वह साढ़े 13 करोड़ का होता है। यह महिला सशक्तीकरण की दिशा में बढ़ाये गये कदम का एक उदाहरण है। ऐसे ही राष्ट्रीय पोषण मिशन के अन्तर्गत जो कार्यक्रम प्रदेश के अन्दर चल रहे हैं, प्रदेश के अन्दर भारत सरकार की स्कीम के अन्तर्गत जो कार्यक्रम चल रहे हैं, मातृ वन्दना योजना मिशन शक्ति के अन्तर्गत हर थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हर ग्राम पंचायत के लिए महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती।

वर्ष 2017 के बाद जब नई सरकार बनी थी। वर्ष 1947 से ले करके वर्ष 2017 तक 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जो देश का सबसे बड़ा पुलिस बल है, इस पुलिस बल में मात्र 10 हजार महिला पुलिस कार्मिक थीं, इसमें अधिकारी और महिला कांस्टेबिल सबको ले करके, आज इनकी संख्या 35 हजार से अधिक है। अतिरिक्त महिला पुलिस कार्मिकों की भर्ती की कार्रवाई को इस दौरान राज्य सरकार ने एक अभियान चला करके उन्हें भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम किया है और उन्हें महिला बीट पुलिस अधिकारी के रूप में हर ग्राम पंचायत के लिए भी तैनात किया है। जहां पर यह कार्य कुछ जगह प्रारम्भ हो चुका है, कुछ जगह हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी और परामर्श केन्द्र की हर एक जनपद में अलग से व्यवस्था बनाई गई है, कहीं महिला पुलिस थाना जो स्पेशली महिला सम्बन्धी अभियान और उन्हें परामर्श देने के लिए गठित किया गया है और कुछ जगह पुलिस चौकियों की अतिरिक्त व्यवस्था भी की गई है और इसके साथ ही प्रदेश के अन्दर जो कार्य हुये हैं वह इसका परिणाम है और यह चीजें हमें दिखाती हैं और इसके परिणाम भी हम सबके सामने आये हैं, जिसमें प्रदेश के अन्दर अभी जो 1537 सिविल पुलिस के थाने हैं, शेष अन्य मिला करके कुल 1584 थाने हैं, जिसमें जी0आर0पी0 के भी थाने आते हैं। इन सभी में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है। सरकार में आने के तत्काल बाद प्रदेश के अन्दर 3195 एन्टी रोमियो स्क्वॉयड का गठन किया था। एन्टी रोमियो स्क्वॉयड जिसके द्वारा 6 लाख 75 हजार 143 स्थानों पर चेकिंग करते हुए, 28 लाख 33 हजार 893 ऐसे लोगों की चेकिंग की गई जिन पर किसी प्रकार का कोई सन्देह था और उसमें आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई भी की गई है। इसके अलावा प्रदेश के अन्दर 10417 महिला बीट अधिकारियों के लिए ऐसे बीट बनाये गये हैं जहां पर केवल महिला कार्मिक ही सबको संचालित करती हैं और प्रदेश के अन्दर परिणाम साफ है कि महिला और बाल अपराधों में प्रभावी अभियोजन के फलस्वरूप 32 मामलों में जो महिला सम्बन्धी अपराध या पास्को से सम्बन्धित अपराध थे, इन सब में 32 अपराधियों को मौत की सजा दिलाई गई, 10 वर्ष से अधिक सजा पाने वाले 1191 हैं, अर्थदण्ड पाने वाले 1431 हैं, आजीवन कारावास की सजा इस दौरान बेहतर प्रॉसिक्यूशन के माध्यम से जिन्हें दिलाया गया 1323 हैं और 10 वर्ष से कम सजा पाने वाले 3420 हैं। यह भी इसमें किया गया

है। महिला अपराध में 4751 अपराधियों को जिलाबदर और यह सभी कार्रवाई इसमें की गई है और एन0सी0आर0बी0 का जो डाटा है उसके अन्तर्गत अगर हम देखेंगे तो विगत 5 वर्ष के अन्दर महिला सम्बन्धी अपराधों में व्यापक कमी देखने को मिली है। बलात्कार में 33 फीसदी, अपहरण में 29 फीसदी, शीलभंग में 25 फीसदी, दहेज मृत्यु में 12 फीसदी की कमी भी इस दौरान देखने को मिली है। ये चीजें दिखाती हैं कि अगर हम सब मिल करके इस दिशा में ठोस प्रयास प्रारम्भ कर देंगे और महिला सम्बन्धी या बेटियों से सम्बन्धित जो शासन की योजनाएं हैं यदि इन योजनाओं का उचित प्रचार-प्रसार हो जाय तो महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, महिला सशक्तीकरण की दिशा में बेहतर प्रयास हो सकते हैं।

हम सब जानते हैं कि केन्द्र और राज्य सरकारों ने मिल करके इस सम्बन्ध में बेहतर प्रयास किया है, इसमें बहुत सारे कदम उठाये गये हैं। कन्या सुमंगला योजना में मैं बोल रहा था, इसमें अक्सर एक चर्चा आती थी कि भ्रूण हत्या होती है, हमने मुखबिर योजना के माध्यम से उसको नियन्त्रित करने के साथ ही कन्या सुमंगला योजना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। आज उसका परिणाम है कि लगभग 13 लाख 67 हजार बेटियों को इस योजना का लाभ प्रदेश के अन्दर प्राप्त हो रहा है, जिसको अलग-अलग चरणों में उपलब्ध कराया जाता है। निराश्रित महिला पेंशन योजना में उनकी पेंशन को 1 हजार रुपए किया गया और इस समय 31 लाख 50 हजार बहनों को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से राज्य आजीविका मिशन के अन्तर्गत 66 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। प्रदेश के अन्दर मातृ वन्दना योजना के अन्तर्गत 52 लाख 55 हजार 129 माताएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत अब तक 1 लाख 91 हजार 686 जोड़ों की शादी-विवाह के लिए सरकार के स्तर पर उन्हें सहयोग प्रदान किया गया है। प्रदेश के अन्दर ऐसे ही अनेक कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, सभी महिला सदस्यों के पास मैंने एक पत्रक भेजा भी था, मैं अनुरोध करूंगा कि उसको जरूर एक बार देखें। खास तौर से जब हम 'हर घर नल' की बात करते हैं तो यह हर घर जल पहुंचाने की कार्रवाई का हिस्सा है। अगर दूर-दराज में जाना होता था तो हम बहुत जगह देखते थे कि महिलाएं अपने सिर पर पानी लेकर आती थीं, आज उनके घर तक पानी पहुंच रहा है। हर घर शौचालय 'स्वच्छ भारत मिशन' के अन्तर्गत प्रदेश के 2 करोड़ 61 लाख परिवारों के पास बने। यह स्वच्छता का अभियान तो था ही, लेकिन नारी गरिमा का भी यह एक अभियान था और इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं कि उन्होंने इसे एक मिशन-मोड के साथ जोड़ करके इसे सफलता की नई ऊँचाइयों तक पहुंचाया है। 1 करोड़ 67 लाख से अधिक परिवारों को प्रदेश में उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत रसोई गैस के सिलेण्डर उपलब्ध कराये गये, यह भी महिला सशक्तीकरण की दिशा में उठाये गये कदम का हिस्सा है। अभी तक क्या होता था कि बरसात होती थी लकड़ी भीगी होती थी तो घर में भोजन नहीं बन पाता था। 45 लाख से अधिक

परिवारों को जो एक-एक घर मिला है यह भी महिला सशक्तीकरण की दिशा में उठाया गया एक कदम है, क्योंकि एक महिला किन स्थितियों में अपने बच्चों को टपकती हुई झोपड़ी के नीचे रखने के लिए मजबूर होती थी, आज जब उसे पक्का मकान मिला है तो उसके चेहरे की खुशी देखने लायक बनती है।

ऐसे ही परम्परागत रूप से व्यक्ति ने जहां पर अपनी झोपड़ी या मकान बनाया हुआ है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक दिलाने की कार्रवाई पी0एम0 स्वामित्व योजना के माध्यम से की जा रही है। अभी तक हम लोग 40 लाख से अधिक ऐसे परिवारों को इस सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश के अन्दर उपलब्ध करा चुके हैं और ड्रोन लगा करके हर एक ग्राम पंचायत का सर्वे करके और ग्राम पंचायत की खुली बैठक के माध्यम से लोगों को इस अभियान का हिस्सा बनाने की कार्रवाई चल रही है। पी0एम0 स्वनिधि के अन्तर्गत भी स्ट्रीट वेण्डर, ठेला, खोमचा, रेहड़ी रखने वाली ऐसी 2 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ दे करके आर्थिक स्वावलम्बन की ओर अग्रसर करने का कार्य हुआ है। मान्यवर, अन्य अनेक ऐसी योजनाएं हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करें। मेरी अपील होगी उन सभी बहनों से, यहां पर जो महिला सदस्यगण हैं कि इस पर वे अच्छी चर्चा करें। उनके जो सुझाव होंगे, वे नोट होंगे। सरकार उसके बारे में कदम उठाएगी। आज यहां पर जो चर्चा होगी, उस पर पूरे देश का ध्यानाकर्षण होगा कि आखिर महिला सदस्य क्या बोलना चाहती हैं ? उनकी जिज्ञासा क्या है ? प्रदेश के विकास के बारे में, प्रदेश के सम्मान/स्वावलम्बन के बारे में, प्रदेश के वर्तमान/भविष्य के बारे में, अगर इन सभी मुद्दों की ओर उनका सकारात्मक सुझाव आता है, उस पर सरकार को भी कदम उठाने में मदद मिलेगी और सकारात्मक भाव के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरी आपसे भी अपील होगी कि कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन पीठासीन अधिकारी के रूप में कोई बहन वहां बैठ करके सदन का संचालन थोड़ी देर के लिए ही सही, कर सके, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा माहौल बनेगा। मुझे लगता है कि उनको आज नियमों के बन्धन से मुक्त करके केवल इस विषय पर बोलने दिया जाए। जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर, जो अन्य उनके क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं होंगी, उन समस्याओं पर और समय की भी बाध्यता न हो। वह जितना बोलना चाहेंगी, बोलें। दिन भर इसी पर चर्चा चले।

मैंने खन्ना जी से पूछा कि इन लोगों के भोजन के लिए कोई व्यवस्था है, तो इन्होंने कहा कर देंगे। मैंने कहा कि आप तो अपनी जेब में भोजन लेकर चल लेते हैं, लेकिन जिनको दिन भर बोलना होगा, उनका क्या होगा ? मैंने कहा कि यहां पर भोजन की व्यवस्था करा दें, लोग बोलें भी, यहां भोजन भी लें तो अच्छा होगा। आपने इसके लिए अनुमति भी दी है। आज

इस पर दिन भर चर्चा हो और उसका जो निष्कर्ष होगा, मैं चाहूंगा कि अच्छे सुझाव आयें, सकारात्मक चर्चा हो।

देखिए, आरोप-प्रत्यारोप हमेशा लगते हैं, आज उससे ऊपर उठ कर एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चर्चा हो, क्योंकि ये जब प्रकाशन हो, तो उस प्रकाशन में आपका नाम जाए। विधान सभा कार्यवाही में हम जो कुछ बोलते हैं, वह यहां का एक दस्तावेज बनेगा। 5, 10, 15, 50 व 100 साल के बाद भी जिन्हें कभी देखना होगा, तो वे इन दस्तावेजों को देख सकें, पलट सकें कि आपके द्वारा कभी क्या बोला गया है और उससे वे कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकें ? इसलिए एक अच्छी बहस को हम आगे बढ़ा सकेंगे।

इस विश्वास के साथ मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि आपने आज का ये दिन केवल प्रदेश की चुनी हुई महिला सदस्यों के लिए आरक्षित किया है, उन्हें दिया है और उनसे जुड़ी हुई समस्या और प्रदेश से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वे लोग आज अपनी बात को यहां पर रख पाएंगी, बहुत सारी चीजें हैं, जिन पर वे चर्चा भी करेंगी, अपनी बात को मजबूती के साथ रखेंगी। मैं सभी पुरुष सदस्यों से भी कहूंगा कि सामान्य दिनों में आपके शोर-गुल के नीचे महिलाओं की बात दब जाती थी। आज कम से कम आप उनकी बातों को सुनने के लिए यहां पर बैठेंगे और आपके लायक जो भी होगा, उसको स्वीकार करेंगे और आपके लायक नहीं होगा, तो घर में जा करके अगर कहीं गलती आपके माध्यम से हुई है, तो घर में जा करके दोनों कान पकड़ करके घर में माफी मांग करके आगे से उसमें सुधार लायेंगे, जिससे सदन की कार्यवाही को बेहतर तरीके से संचालन करने में आगे मदद मिल सके (सदन में हंसी का माहौल)। ये कार्य जरूर हो।

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

मा0 अध्यक्ष जी, नेता सदन ये सब बातें कैसे जानते हैं (सदन में हंसी का माहौल)। नेता सदन के बगल में बैठे मा0 सदस्य खन्ना जी ने नहीं बताया होगा।

श्री योगी आदित्यनाथ-

लगता है खन्ना जी आपको आमंत्रण करने में भूल गए हैं। खन्ना जी ने पिछले दिनों एक रिसेप्शन दिया था, आपको नहीं बुलाया था क्या (सदन में हंसी का माहौल)।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, मा0 जितिन प्रसाद जी भी उसी जगह के हैं, कभी आपने ये बात बताया नहीं (सदन में पुनः हंसी का माहौल)।

श्री योगी आदित्यनाथ-

अध्यक्ष जी मैं चाहूंगा कि इस बहस को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा कर हम रोचक भी बनायें और क्योंकि लोगों की इस ओर आज बहुत जिज्ञासा होगी और उस सकारात्मक दिशा को हम आगे बढ़ा सकेंगे तो अच्छा होगा। अभिनन्दनीय होगा, समाज के लिए प्रेरणादायी हो पायेगा और सदन की कार्यवाही को फिर कुछ इसी प्रकार अच्छे महत्वपूर्ण मुद्दों को ले करके देश के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के सुरक्षा, उनके सम्मान व उनके स्वावलम्बन से जुड़े मुद्दों को हम आगे बढ़ा पायेंगे। तब यह प्रदेश के हित में भी होगा, विधायिका के भी हित में होगा और साथ-साथ उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान इस प्रकार की चर्चा-परिचर्चा से मिलेगी। मैं एक बार फिर से सभी बहनों का आज जो इस चर्चा का हिस्सा बनने जा रही हैं मुझे लगता है उनको अपनी बात को अपनी भाषा में बोलना चाहिए और जिस भी रूप में आप बोल सकती हैं उतने में बोलेंगी तो उसकी चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमें संकोच नहीं करना होगा दिन भर अपनी बात को बोलें। नियमों को आज शिथिल करके और पूरा प्रकाशन भी हो। प्रकाशन करने के बाद फिर हम इसे देश की पार्लियामेण्ट की लाइब्रेरी में भी भेजें और देश की हर विधान सभा में भेजें कि यह उत्तर प्रदेश की विधान सभा में चर्चा हुई थी और इस-इस प्रकार के सुझाव आए हैं। उन सब पर हम चर्चा को आगे बढ़ा पायेंगे तो अच्छा होगा। मैं एक बार फिर मा0 सदस्यों को जिन्होंने इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए आज अपनी उपस्थिति के माध्यम से इसको मजबूत करने में अपना योगदान दे रहे हैं, मैं उन सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और महिला सदस्यों का अभिनन्दन करता हूँ। धन्यवाद।

नामित महिला अधिष्ठाता के अतिरिक्त नियमों को शिथिल करके अन्य महिला सदस्यों को पीठासीन कराने के सम्बन्ध में

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता सदन ने जो बातें कही हैं कि अधिष्ठाता के रूप में हमारी एक बहन पहले से नामित हैं, लेकिन आज जैसे मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि नियमों को शिथिल करके, तो मैंने एक नाम नेता प्रतिपक्ष से मांगा है वह नाम मुझे दे देंगे तो मैं उनको भी अवसर जरूर दूंगा। मुख्य मंत्री जी ने जो बातें कही हैं वह बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनका अनुपालन विधान सभा सत्र के दौरान किया जायेगा। आज एक और महत्वपूर्ण बात है कि यहां पर मा0 सदस्य बोलते हैं और जैसा कि वह प्रायः हमारे स्वभाव में भी है कि महिला विधायक को हम विधायिका बोलते हैं। विधायिका इज इन्स्टीट्यूशन तो महिला विधायक है, विधायिका नहीं है। प्रायः हम इस बात को बोलते हैं सभी लोग इस बात का ध्यान रखें। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो मा0 मुख्य मंत्री

जी ने कही है कि यहां पर सब लोग शाम तक बैठें, तो शाम तक बैठने के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गयी है और शाम को जब यह सत्र समाप्त होगा तब सारे मा0 सदस्यों को विधान सभा की तरफ से एक-एक टैबलेट भी दिया जायेगा और वह विधान सभा सत्र के बाद दिया जायेगा पहले नहीं। कोई आदमी उसके लिए प्रयास भी ना करे और जो लोग आज टैबलेट नहीं ले पायेंगे उनको बजट सत्र में दिया जायेगा।

[01:38] महिला सदस्यों के लिए आरक्षित विशेष उपवेशन पर सम्बोधन (क्रमागत)

*** नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-**

सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके और सरकार के प्रयास से आज यह हमारा विशेष सत्र है और आज के दिन हम केवल महिला सदस्यों को ही बोलने का अवसर दे रहे हैं। जहां आपने नेता सदन और मुझे बोलने का मौका दिया है, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालांकि अध्यक्ष जी लगातार इस प्रयास में हैं कि नई-नई चीजें आयें और जब से आप अध्यक्ष बने हैं बहुत सी चीजों को हम बदलते हुए देख रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि बिना सरकार के सहयोग के, बिना सरकार के बजट के बहुत सारे काम नहीं हो सकते जैसे गैलेरी का सौन्दर्यीकरण हो और अब टैबलेट भी हमारे सामने आ गयी है। केवल एक टैबलेट नहीं दे रहे अध्यक्ष जी, दूसरी भी टैबलेट दे रहे हैं आपको, अब दो-दो टैबलेट हमारे पास हो जायेंगी। जब कभी हम चाय और कॉफी पीने के लिए बाहर जाते थे तब कैसी चाय मिलती थी और कैसी कॉफी मिलती थी। अक्सर हमारे सदस्यों को शिकायत रहती थी। लेकिन उस शिकायत को भी आपने दूर कर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। कल तो हमारे एक सदस्य चाय पीते-पीते यह भूल गये कि सदन में उन्हें रहना है (सदन में हंसी) कभी-कभी अच्छे काम की वजह से यह भी हो जाता है। जैसे आपने आज महिलाओं के लिए बोलने का अवसर दिया, आज हमें जानकारी मिली कि नेता सदन बहुत सी चीजें जानते हैं। स्वाभाविक है कि वह मुख्य मंत्री हैं तो सब चीजें जानेंगे। मैं उनके भाषण से अपने भाषण को सम्बद्ध करता हूँ।

जहां उन्होंने महिलाओं की भूमिका बतायी, न केवल आजादी की लड़ाई में बल्कि समाज में जगह-जगह पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर्वप्रथम अगर हम आजादी की लड़ाई को देखें और जो भूमिका महिलाओं की रही और हमारी नारी शक्ति ने जो योगदान दिया उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हम लोग भूल नहीं सकते। उनके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कभी-कभी हम लोग भूल जाते हैं। बेगम हजरत महल, महारानी अवन्तीबाई लोधी, चांद बीबी, दुर्गा भाभी, कस्तूरबा गांधी, अहिल्याबाई होल्कर, सरोजनी नायडू जो इस उत्तर प्रदेश की सबसे पहली गवर्नर भी थीं। स्पीकर महोदय, अच्छा होता अगर हमारी महिला

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गवर्नर भी इस कार्यक्रम में किसी न किसी रूप में शामिल हो जातीं। अरुणा आसिफ अली, भीखाजी कामा, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, वीरांगना ऊदा देवी पासी, झलकारी बाई आदि ऐसे अनेक नाम हैं जिनके योगदान, जिनके प्रयासों से हमें आजादी की लड़ाई में और मजबूती मिली। वहीं जब हम अपने उत्तर प्रदेश का इतिहास देखते हैं तो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि देश की पहली महिला मुख्य मंत्री अगर किसी प्रदेश में थीं तो उत्तर प्रदेश में थीं। श्रीमती सुचेता कृपलानी जी न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि देश की पहली मुख्य मंत्री बनीं। इसी के साथ-साथ गर्वनर भी, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ रह करके उन्होंने अपनी अलग पहचान बनायी। सरोजनी नायडू जी को 'नाइटिंगल ऑफ इण्डिया' कहा जाता है जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर थीं। इस सदन में हम अपनी गिनती देखते हैं तो जो पहला सदन रहा होगा उसमें संख्या कम थी, लेकिन लगातार महिलाओं की उपस्थिति और संख्या बढ़ती चली जा रही है और आज जिस सदन में हम लोग बैठे हैं उसमें सभी दलों को मिलाकर 47 महिलायें सदस्य हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में सभी दल यह प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा महिलायें इस सदन में कैसे पहुंचें ?

(प्रतिपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं)

यहां कोई कैबिनेट ऐसी नहीं रही होगी जहां पर महिलाओं को मौका न दिया गया हो और लगातार कैबिनेट में किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण पद पर महिलायें रही हैं।

आज जब हम महिलाओं पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें अपने नेता डॉ0 राम मनोहर लोहिया जो नर-नारी समानता की बात करते थे, उनके कोट याद आते हैं और मैं उनका पहला कोट पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा था कि 'नारी को गठरी के समान नहीं, बल्कि इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि वक्त पर पुरुष को गठरी बनाकर अपने साथ ले चले।'

(प्रतिपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं)

ये किसके विचार हो सकते हैं ? इस समाज में अगर हम इतना सम्मान दे दें और इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दें तो हमारे समाज और देश की तरक्की व दुनिया में पहचान आ जायेगी। न केवल उन्होंने यह कहा बल्कि एक जगह पर मैं उनकी दूसरी बात कोट करता हूँ कि 'इस देश की औरतों के लिए आदर्श सावित्री नहीं, द्रौपदी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम सावित्री को आदर्श मान लेते हैं, क्योंकि वह पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित थीं।' डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि इस देश की औरतों के लिए अगर कोई आदर्श हो सकता है तो वह द्रौपदी है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने महिलाओं के बारे में सोच-विचार करके इस सदन को बुलाकर एक दिन का अवसर दिया है। मैं यह कह सकता हूँ कि आज महिलाओं के इतने मुद्दे हैं कि हमारा एक दिन काफी नहीं है। अगर हम पूरे सत्र में भी बहस करें तो शायद वह मुद्दे समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि जो तस्वीरें हमें देखने को मिलती

हैं, मैं यह कह दूं कि यह जिम्मेदारी केवल समाज की या सरकार की है मैं आज इस मौके पर दलगत राजनीति से ऊपर यह कहना चाहता हूँ कि जब हम अखबार पढ़ते हैं और तस्वीरें देखते हैं कि आज क्या-क्या घटनायें हो रही हैं। दिल्ली से या पार्लियामेण्ट से कठोर से कठोर कानून पास हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं के ऊपर जो घटनायें देखने को मिल रही हैं, वह कम नहीं हो रही हैं।

अगर हम एन0सी0आर0बी0 का आंकड़ा देखें तो उत्तर प्रदेश की जहां आबादी ज्यादा है, वहीं इस सदन की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। महिलाओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है, इस सभ्य समाज में महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और जो घटनायें कई बार सुनने को मिलती हैं, वह नहीं होनी चाहिए। कई बार हम केवल शहर का नाम ले लें तो हमें वह घटना याद आ जाती है। हम हाथरस की घटना देखें या लखीमपुर में अभी हाल ही की घटना को देखें। मैं आज सरकार का विरोध करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। कई घटनायें हमारी सरकार में भी हुई हैं, लेकिन जब सरकार, समाज और विपक्ष मिलकर काम करता है तो इन समस्याओं को रोका जा सकता है और भविष्य में ऐसी घटनायें रिपीट नहीं हो सकती हैं। इस सदन में हम आज महिलाओं के सवालों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मुझे याद है इसी सदन ने दिन-रात जग करके सस्टेनेबल गोल्स पर भी चर्चा की थी। यह केवल चर्चा न रह जाए, इसलिए जहां विपक्ष की जिम्मेदारी है वहीं विपक्ष से ज्यादा सरकार की भी जिम्मेदारी है कि अगर चर्चा में जो बातें आ रही हैं, उन पर हम ठोस कदम कैसे उठायें।

आज हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं कि महिलायें लगातार अपनी मेहनत से समाज के और अपने प्रयासों से लगातार ऊंचाइयों तक पहुंच रही हैं। हम लोगों ने बड़े-बड़े पदों पर महिलाओं को देखा है। हम वह बातें नहीं भूल सकते। इस समाज में और भारत के हिस्से में ऐसा भी समय था, अगर हमें बहुत सारी चीजों पर गर्व होता है तो हम वह चीजें भी याद करें कि हमारा समाज किन चीजों से निकलकर आया है। एक समय ऐसा था जब महिलायें पूरे कपड़े नहीं पहन सकती थीं। उन्हें आधे कपड़े पहन करके रहना पड़ता था। वहां की हुकूमत उनसे टैक्स लिया करती थी, लेकिन जैसे-जैसे चीजें बदली हैं, समाज में सुधार आया है। आज जहां हम पहुंचे हैं हो सकता है अगर समाज, सरकार और हम सब लोग मिल करके कोशिश करेंगे तो समाज को आगे कहां तक पहुंचा दें, इसलिए ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को हम नहीं भूल सकते, जिन्होंने इस देश में महिलाओं और बच्चियों की पढ़ाई के लिए और समाज को सुधारने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। आज का दिन ऐसा है कि सरकार को नाराज नहीं करना है, क्योंकि घटनाओं का यदि हम जिक्र करेंगे तो कम नहीं होंगी। जितने मा0 सदस्य बैठे हैं, सभी जानते हैं। जब आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो अखबारों में किस शहर की कितनी बड़ी घटना निकली है। घटना कैसे हुई वह अलग बात है, लेकिन अगर वह घटना अखबारों में छप जाए, टी0वी0 पर आ जाए तो सोचो आज सभ्य समाज में हमें कितना

शर्मिन्दा होना पड़ रहा है। मुरादाबाद जैसी घटना जहां पर एक बेटी रास्ते पर अपने आपको बचाने के लिए भागती चली गयी, उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था तो सोचो हमारी और आपकी कितनी जिम्मेदारी बनती है। सरकार ने बड़ी-बड़ी बातें कही थीं कि सशक्त नारी बनाने के लिए हम क्या-क्या फैसला लेंगे। आज मैं उन बातों को याद नहीं दिलाना चाहता हूँ। महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पर क्या काम करें। उनको हम किस तरीके से सरकार की योजनाओं से जोड़ें ? महिला सशक्तीकरण और कल्याण के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं ?

माननीय अध्यक्ष जी, सुझाव के रूप में मैं जरूर कहना चाहूँगा कि सरकार के घोषणा-पत्र में तो बहुत सारी बातें रखी गयी थीं। मैं वही कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के घोषणा-पत्र में हम लोगों ने कुछ बातें लिखी थीं, क्योंकि हम सरकार में नहीं आये हैं, इसे हम सुझाव के रूप में सरकार को बता सकते हैं, हालांकि उन्होंने भी बहुत सारी बातें लिखीं कि सशक्त नारी के लिए क्या-क्या होना चाहिए ? वहीं हम भी सुझाव देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी महिलाओं, अल्पसंख्यक और दलित सहित प्रत्येक नागरिक के लिए हेट ग्रांट के खिलाफ जीरो टॉलरेन्स की नीति के लिए संकल्पबद्ध है और सरकार से मांग करते हैं कि वह जीरो टॉलरेन्स नीति को अपनाएं। हालांकि जीरो टॉलरेन्स की नीति के बारे में सरकार कहती है, लेकिन कैसे इसको हम लागू कर सकें उस दिशा में मैं समझता हूँ कि सरकार जरूर काम करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये। यह आरक्षण सभी श्रेणी जैसे सामान्य, ई0डब्लू0एस0, ओ0बी0सी0, एस0सी0 और एस0टी0 के लिए भी लागू किया जाये। लड़कियों की के0जी0 से पी0जी0 तक की शिक्षा मुफ्त की जाये। क्योंकि जिस समय नेता जी की सरकार थी, उस समय पढ़ाई को बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया था। हमें उम्मीद है कि आज जब हम महिलाओं के सवालों पर चर्चा कर रहे हैं तो यह पढ़ाई भी पूरी की पूरी मुफ्त होनी चाहिए और मुझे याद है कि एक बार मैं यहां पर एक अखबार के कार्यक्रम में जब मैं गया तो मैं जिन लोगों का सम्मान कर रहा था उसमें जो नौजवान था वह टॉपर था। 12 क्लास के टॉपर का मैं सम्मान कर रहा था।

अध्यक्ष जी, जब मैं उसको सम्मान देने गया तो उसने कहा कि आज तो आप मुझे यहाँ लैपटॉप दे रहे हैं। आज ही के दिन आप झांसी में भी मेरी बहन को लैपटॉप देंगे। मुझे यह भी याद है कि मैंने बच्चे से पूछा कि कभी तुम हेलीकॉप्टर में बैठे थे तो उस बच्चे ने कहा कि मैं हेलीकॉप्टर में कभी नहीं बैठा। मैं जब अपने घर लौट करके आया तो अचानक मुझे एक ख्याल आया कि क्यों नहीं इस बच्चे को ले करके संग जाऊँ और उस 12वीं के टॉपर बच्चे को मैं अपने साथ ले करके गया उसकी बहन को जहां हम लोग लैपटॉप दे रहे थे। उसकी बहन को भी लैपटॉप दिया और जब मैंने सूची देखी कि आखिरकार किन लोगों को मैं लैपटॉप दे रहा

हूँ तो सबसे ज्यादा अगर किसी को भी लैपटॉप मिला था समाजवादी सरकार में तो वह बेटियां थीं जिनको लैपटॉप मिला था। इधर जब कुछ सालों बाद मैं झांसी गया क्योंकि वह टॉपर था उसकी बहन भी टॉपर थी तो मैंने सोचा कि जिनको मैंने लैपटॉप दिया है आखिरकार वह क्या कर रहे होंगे मैंने जानकारी हासिल की तो पता चला कि जिस नौजवान को जिस बच्चे को मैंने लैपटॉप दिया था वह बच्चा एम0टेक0 कर रहा था दिल्ली आई0आई0टी0 से। मैंने उससे फोन पर पूछा क्योंकि वह आ नहीं सकता था उस दिन कि क्या कर रहे हो तो उसने कहा कि मैं एम0टेक0 कर रहा हूँ और आज भी आपका लैपटॉप चल रहा है बन्द नहीं हुआ है। मुझे लगा कि केवल मैंने एक बेटी एक बहन को लैपटॉप दिया होगा जब मैं उसके घर-परिवार से मिला तो उन्होंने कहा कि यह छोटी सी टाउन एरिया बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसी में समाजवादी सरकार में कम से कम चार सौ बच्चों को लैपटॉप मिल गया। यह बात मैं बहुत पुरानी बता रहा हूँ उस समय जब मैं उन बच्चों से मिला उन बच्चों ने कहा कि हमें लैपटॉप तो मिल गया हम पढ़ाई-लिखाई तो पूरी कर लिए हैं, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हमें उम्मीद है कि इस सरकार को जहां पर मौका मिला है डबल इंजन की सरकार को काम करने का तो जहां पढ़ाई अच्छी होगी बेटियों की, जहां उन्हें और पढ़ने का मौका दिया जायेगा आने वाले समय में उन्हें रोजगार भी देने का काम सरकार करेगी।

जहां सुरक्षा के लिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि पुलिस बल में महिलाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाये ताकि एक स्वतंत्र महिला पुलिस इकाई का निर्माण हो सके। क्योंकि हम सरकार में नहीं हैं हमारे मेनीफेस्टो में था तो आज सुझाव के रूप में मैं सरकार से कह रहा हूँ कि पुलिस बल में महिलाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाये ताकि एक स्वतंत्र महिला पुलिस इकाई का निर्माण हो सके। यू0पी0 पुलिस बल में महिलाओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाये। आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम तहसील स्तर पर सभी स्कूल और संस्थाओं में नियमित अंतराल पर आयोजित किया जाये।

सभी गांवों में खैर सी0सी0टी0वी0, डायल-100 तथा डायल-112 तो है ही, लेकिन उसका समय कैसे कम हो, क्योंकि रिस्पांस टाइम जितना कम हो जायेगा उतनी ही जल्दी पुलिस एक्शन में आ जायेगी और जो पीड़ित है उसकी मदद हो सकेगी। मुझे याद है कि जैसे यह सरकार कहती है कि हमने महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए एन्टी रोमियो स्क्वायड बनाया है। उस समय समाजवादी सरकार में वूमेन पॉवरलाइन-1090 बनायी गयी थी। मैं सरकार से चाहूंगा कि वूमेन पॉवरलाइन-1090 को मजबूत किया जाये तथा ई-मेल तथा वाट्सएप द्वारा शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान की जाये और साथ ही साथ 1090 ऐप से लेकर जो ट्रैकिंग का सिस्टम है वह भी विकसित किया जाये जिससे टेक्नोलॉजी को शामिल करके हम अपनी बेटियों की सुरक्षा का इन्तजाम कर सकें। महिलाओं के खिलाफ होने वाले

अपराधों की निगरानी एवं रोकथाम के लिए डी0जी0पी0 की अगुवाई में स्पेशल वूमेन सेल गठित की जाये। सभी पुलिस अधिकारियों के ए0सी0आर0 में जेण्डर सेन्सिटिविटी का प्रावधान कर दिया जाये, क्योंकि जेण्डर सेन्सिटिविटी अगर नहीं होगी तो हम न्याय नहीं दिला पायेंगे। इसलिए जेण्डर सेन्सिटिविटी का पता लगाने के लिए एक इण्डेक्स बनाया जाये।

समाजवादी सरकार द्वारा स्थापित आशा ज्योति केन्द्र महिलाओं से सम्बन्धित सभी मुद्दों के वन स्टॉप सोल्यूशन के रूप में सभी जिलों में स्थापित किया जाये। मुझे याद है कि महिलाओं को सम्मान देने के लिए समाजवादी सरकार में समाजवादी पेंशन शुरू की गयी थी। हालांकि यह सरकार दूसरे रूप में दूसरी मदद कर रही है, लेकिन समाजवादी पेंशन रोक दी गयी। समाजवादी पेंशन उन गरीब महिलाओं के लिए थी जिनको किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं दी जाती थी और उन तक कोई मदद नहीं पहुंच पा रही थी। 50 लाख के लगभग गरीब परिवार की महिलाओं को समाजवादी पेंशन से मदद देने का काम समाजवादी सरकार में हो रहा था और मुझे याद है कि जिस समय मा0 नेता जी की सरकार थी उस समय कन्या विद्या धन योजना शुरू की गयी थी। बहुत बड़े पैमाने पर ड्रॉपआउट के कारण बेटियां पढ़ने नहीं जाती थीं। वह पढ़ाई छोड़कर चली जाती थीं, लेकिन जिस समय समाजवादी पेंशन शुरू हुई थी, जिस तरीके से इनरोलमेंट बढ़ा था और इनरोलमेंट के बाद जिन-जिन बेटियों की मदद हो गयी थी उन सभी बेटियों ने आगे की पढ़ाई पूरी की थी। वह समाजवादी सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला था जिसके तहत समाजवादी सरकार द्वारा कन्या विद्या धन देकर उनको पढ़ाई में आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। इसलिए मैं एक बार पुनः मा0 अध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज महिलाओं के लिए विशेष सदन रखा है जिससे कि महिलाएं सदन में बोलकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें और सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकें। मान्यवर, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

प्रोफेसर के0एल0 जौहर की पुस्तक 'एमिनेन्ट वूमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इण्डिया' को विधान पुस्तकालय में रखवाये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष, धन्यवाद। प्रोफेसर के0एल0 जौहर जो कई यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर रहे हैं। उनकी एक पुस्तक 'एमिनेन्ट वूमन फ्रीडम फाईटर्स ऑफ इण्डिया' का मैंने लोकार्पण किया था। उन्होंने यह पुस्तक मुझे दी थी तो इस पुस्तक को मैं विधान सभा की लाइब्रेरी में रखवाऊंगा तथा सभी मा0 सदस्यों को भी वह पुस्तक दी जायेगी। अब हम विधान सभा की कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं।

(इस मध्य समाजवादी पार्टी के सदस्य श्री अवधेश प्रसाद द्वारा अपने स्थान पर बैठे-बैठे कुछ बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

मा0 अवधेश जी, आज आपको कोई अवसर नहीं मिलेगा।

(इस मध्य समाजवादी पार्टी की सदस्या श्रीमती पूजा के अपने स्थान पर खड़ी होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्या, आप क्या कहना चाहती हैं ?

नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सुने जाने की मांग (क्रमागत)

श्रीमती पूजा-

मान्यवर, मैं सदन को सादर अवगत कराना चाहती हूँ कि बेरोजगारी की स्थिति चरम सीमा पर है।

श्री अध्यक्ष-

विधान सभा की कार्यवाही अब शुरू होगी। आप पहले यह बताइये कि आप किस नियम के अन्तर्गत बोलना चाहती हैं ?

श्रीमती पूजा-

मान्यवर, मैं नियम-311 के अन्तर्गत अपनी बात रखना चाहती हूँ।

श्री अध्यक्ष-

नियम-311 में क्या है ?

श्रीमती पूजा-

मान्यवर, जब जनता बहुत परेशान होती है, सरकार से आक्रोशित होती है, तो वह मुद्दे नियम-311 में सुने जाते हैं। बेरोजगारी ऐसा ही एक मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्या, नियम-311 में ऐसा प्राविधानित है कि तात्कालिक इस समय ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिसके ऊपर सदन की सारी कार्यवाही स्थगित करके चर्चा करायी जानी आवश्यक हो।

श्रीमती पूजा-

मान्यवर, यह ऐसी ही समस्या है, क्योंकि छात्र विरोध कर रहे हैं और बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

वह अभी नियम में आयेगा। आपने नियम-56 में इसे दिया है, तो आगे मैं नियम-56 में इसको सुनूंगा।

श्रीमती पूजा-

मान्यवर, आप हमें सुन लीजिये। आज छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। अभी मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आज कोई नियम नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

नियम नहीं चलेगा, लेकिन व्यवस्था चलेगी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो आप लोगों को सारा दिन बोलना है।

(इस मध्य समाजवादी पार्टी की कई अन्य सदस्या भी अपने-अपने स्थान पर खड़ी होकर एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने लगीं जिस कारण सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

नियम यह है कि जब अध्यक्ष खड़े होते हैं तो सब बैठ जाते हैं। इस नियम को स्थगित नहीं किया जा सकता है। जब भी अध्यक्ष खड़े होते हैं तो सब लोग बैठ जाते हैं। आपकी जो सूचना है उसको मैं ध्यान में रखूंगा, अच्छी बात है कि आपने ये बात उठायी है, जानकारी होनी चाहिए। एक पॉजिटिव सेंस में मैं इसको ले रहा हूँ, निगेटिव सेंस में नहीं ले रहा हूँ कि उन्होंने बोला है, तो मैं अग्राह्य नहीं करता, उनको जानकारी होनी चाहिए। इसमें आपने बहुत मेहनत करी है, लेकिन पूरे तौर पर थोड़ी और मेहनत करिएगा। अगली बार हम उसको सुनेंगे भी और उसको लेंगे भी।

[12:01] प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष-

हमारा प्रश्नकाल 11:00 बजे से प्रारम्भ होता है, 20 तारांकित प्रश्न आज की कार्य-सूची में सम्मिलित थे जिसमें से एक महिला सदस्य आदरणीया पिंकी सिंह यादव जी का 13 नम्बर पर प्रश्न था, मैं इसकी सूचना दे दूं कि आज जितने भी तारांकित प्रश्न हैं वह सभी

उत्तरित माने जायेंगे। मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन किया था और चर्चा करी थी। जिन मा0 सदस्यों का आज प्रश्न उत्तरित माना जायेगा वह यदि दो अनुपूरक करना चाहते हैं, तो वह लिखकर दे देंगे, कल हम उनको लिखित जवाब दिलवा देंगे, ताकि सारे सदस्यों को इस बात का अवसर मिल जाये। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है ऐसा कभी नहीं हुआ है, हम नई-नई परम्परायें डाल रहे हैं। एक सदस्य, जो मा0 पिंकी जी हैं उनको मैं इनवाइट करता हूँ कि यदि वह हैं तो अपना प्रश्न पूछ सकती हैं।

(विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा कहा गया कि मान्यवर पिंकी यादव जी अस्वस्थ हैं इस कारण वह उपस्थित नहीं हैं।)

श्री अध्यक्ष-

आई0एम0 सॉरी, मुझे नहीं मालूम था, वह जल्दी स्वस्थ हों। उसके अलावा कोई महिला सदस्य अगर उस प्रश्न को पूछना चाहती है, तो पूछ सकती है।

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

***1-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-**

[03-गुरुवार हेतु स्थगित]

प्रदेश में विद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं को शैक्षिक सत्र, 2020-21 व 2021-22 की छात्रवृत्ति के संबंध में

***2-श्री पंकज कुमार मलिक-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्यालयों/महाविद्यालयों के अधिकांश छात्र/छात्राओं को शैक्षिक सत्र, 2020-21 व 2021-22 की छात्रवृत्तियां शैक्षिक सत्रावसान व मध्य सत्र बीत जाने के पश्चात् भी उन्हें नहीं प्राप्त होने से पठन-पाठन में व्यवधान हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सत्रों की अवशेष छात्रवृत्ति उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री असीम अरुण)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :-तारांकित प्रश्न सं0-13 के अतिरिक्त अन्य प्रश्न उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

शैक्षिक वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग हेतु संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की कोई देयता लम्बित नहीं है।

वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग हेतु संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की कोई देयता लम्बित नहीं है।

अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं को 40 प्रतिशत धनराशि राज्यांश के रूप में राज्य सरकार द्वारा तथा 60 प्रतिशत धनराशि केन्द्रांश के रूप में भारत सरकार द्वारा भुगतान की जाती है। योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति वर्ग के कुल 1235339 पात्र छात्रों के सापेक्ष 1202048 छात्रों को केन्द्रांश की धनराशि 1168482 छात्रों को राज्यांश की धनराशि के रूप में कुल 1341.69 करोड़ धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। 33291 छात्रों को केन्द्रांश की धनराशि एवं 66857 छात्रों को राज्यांश की धनराशि का भुगतान किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 392511 छात्रों की देयता सम्बन्धित वर्ष में धनाभाव के कारण भुगतान नहीं हो सका। फण्ड एण्डेड योजना होने के कारण देयता को अग्रेनीत नहीं की जाती है।

***3-श्री मो0 फहीम इरफान-**

[03-गुरुवार हेतु स्थगित]

***4-श्री विनोद चतुर्वेदी-**

[03-गुरुवार हेतु स्थगित]

***5-डॉ0 संग्राम यादव-**

[03-गुरुवार हेतु स्थगित]

पेट्रोल में इथेनाल मिश्रण को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में

***6-श्री अजय कुमार-**

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के फलस्वरूप पेट्रोल में इथेनाल मिश्रण को बढ़ावा देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वर्तमान में चालू गन्ना पेराई सीजन में कितनी यूनिटों से कितने करोड़ लीटर इथेनाल का उत्पादन किया गया है ? क्या सरकार उक्त उत्पादन को बढ़ाने की कोई कार्य योजना बनाएगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नितिन अग्रवाल)-

पेट्रोलियम में इथेनाल मिश्रण किये जाने के प्रतिशत का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में निर्गत अधिसूचना के क्रम में पेट्रोल में दस प्रतिशत तक इथेनाल का मिश्रण किया जा रहा है, जिसे भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 02-06-2021 द्वारा दिनांक 01-04-2023 से 20 प्रतिशत इथेनाल मिश्रण किये जाने हेतु अधिसूचित किया गया है।

वर्तमान चालू गन्ना पेराई सीजन वर्ष 2021-22 में माह दिसम्बर, 2021 से माह जुलाई, 2022 तक (8 माह में) 59 आसवनियों द्वारा 99.96 करोड़ लीटर इथेनाल का उत्पादन किया गया है।

हां।

राज्य सरकार के शासनादेश संख्या-311ई-2/तेरह-2021-97/2015, दिनांक 01-02-2021 द्वारा बी-हैवी शीरे से 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त इथेनाल का उत्पादन किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

शासनादेश संख्या-18/2021/524 ई-2/तेरह-2021-23/2009, दिनांक 23-02-2021 द्वारा गन्ने के रस एवं शुगर सीरप से इथेनाल का उत्पादन किये जाने की नीति निर्धारित की गयी है।

शासनादेश संख्या-33/2021-810 ई-2/तेरह-2021-107/2013, दिनांक 26-03-2021 द्वारा गैर शीरा पदार्थों (अनाज/आलू/चुकन्दर/स्वीट सोरगम/सोरगम स्टेम आदि अन्य रॉ-मैटीरियल) से इथेनाल उत्पादन की अनुमति प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में छोटे एवं लघु उद्योगों को शुरू करने एवं प्रोत्साहित करने हेतु बेरोजगार युवकों को आसान किस्तों पर ब्याज मुक्त ऋण देने के सम्बन्ध में

***7-श्री रविदास मेहरोत्रा-**

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगार युवकों द्वारा छोटे एवं लघु उद्योगों को शुरू करने एवं प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत उन्हें आसान किस्तों पर ब्याज मुक्त ऋण देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री (श्री राकेश सचान)-

प्रदेश में बेरोजगार युवकों को छोटे एवं लघु उद्योग शुरू एवं प्रोत्साहित करने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं एक जनपद एक उत्पाद ऋण योजना के माध्यम से मार्जिन

मनी अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में रु0 50 लाख तक की परियोजनाओं में 15 से 35 प्रतिशत, मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना में रु0 25 लाख तक की परियोजना हेतु 25 प्रतिशत तथा एक जनपद एक उत्पाद ऋण योजनान्तर्गत परियोजना हेतु 10 से 25 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जाता है। छोटे एवं लघु उद्योगों को शुरू एवं उन्हें प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत उन्हें आसान किस्तों पर ब्याज मुक्त ऋण देने की कोई कार्य योजना सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

उपुर्यक्तानुसार।

प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिये सरकार द्वारा किये गये प्रयास के सम्बन्ध में

***8-श्री अभय सिंह-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ? क्या सरकार वर्ष 2018 से 20 जून, 2022 तक प्रदेश में लगाये गये नये औद्योगिक विकास क्षेत्रों/उद्योगों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी')-

जी हां।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने एवं निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 प्रख्यापित की गयी है। इसके साथ ही विभिन्न 20 सेक्टोरल नीतियां भी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रख्यापित की गयी हैं।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन तथा निवेश को सुगमता पूर्वक कराने के उद्देश्य से 'इनवेस्ट यू0पी0' संस्था का गठन किया गया है, जिसके द्वारा निवेश प्रोत्साहन के संबंध में समुचित कार्य किया जा रहा है, प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से 2018 में 'इनवेस्टर्स समिट-2018' आयोजित की गई थी। जिसमें राज्य सरकार द्वारा कुल रु0 4.28 लाख करोड़ की 1045 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किए गए थे। उक्त इनवेस्टर्स समिट के क्रम में अब तक 03 ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह क्रमशः 2018, वर्ष 2019 तथा 03 जून, 2022 को आयोजित किए गए हैं। दिनांक 03 जून, 2022 को आयोजित तृतीय ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह में लगभग रुपये 80,000 करोड़ के 1400 प्रोजेक्टों का शिलान्यास किया गया।

प्रदेश के जनपदों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु उनको सतत् हैण्ड-होल्डिंग सपोर्ट प्रदान किया जा रहा है। सरकार द्वारा उद्योगों की

स्थापना के क्रम में वांछित समस्त प्रकार के लाइसेंस/अनापत्तियों को प्रदान करने की ऑनलाइन व्यवस्था, निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है।

निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से उद्यमी समयबद्ध रूप से समस्त स्वीकृतियां ऑनलाइन रूप से प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम, 2020 लागू किया गया है, जिसके माध्यम से 72 घण्टे के भीतर उद्यमी को अभिस्वीकृति प्रदान की जाती है। जिसके फलस्वरूप इकाई को 1000 दिनों तक किसी भी विभाग के निरीक्षण से छूट मिल जाती है। उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिए जाने हेतु विभागीय रोजगारपरक् योजनाएं/नीतियां तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2017 तथा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं एक जनपद एक उत्पाद योजना आदि लागू की गयी है।

भारत सरकार यू0ए0एम0 पोर्टल (www.udyogaadhar.gov.in) पर उपलब्ध विवरण के अनुसार वर्ष 2018-19 से 30 जून तक कुल 400749 आधार मेमोरेण्डम फाइल किये गये। तदोपरान्त भारत सरकार द्वारा दिनांक 26-06-2020 द्वारा दिनांक 01-07-2020 से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से सुगमतापूर्वक पंजीकरण हेतु उद्यम रजिस्ट्रेशन फाइल करने की प्रक्रिया लागू कर दी गयी है। (www.udyamregistration.gov.in) /उद्यम रजिस्ट्रेशन के विवरणों के अनुसार दिनांक 01-07-2020 से जुलाई, 2022 तक कुल 799871 उद्यम रजिस्ट्रेशन हुए हैं।

उपरोक्तानुसार।

***9-श्री लालजी वर्मा-**

[03-गुरुवार हेतु स्थगित]

***10-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

[03-गुरुवार हेतु स्थगित]

उ0प्र0 एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में नए एक्सप्रेस-वे निर्माण की योजनाओं के सम्बन्ध में

***11-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उ0प्र0 एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में नए एक्सप्रेस-वे निर्माण की योजनाएं प्रस्तावित हैं ? यदि हां, तो कौन सी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जी हां।

उ0प्र0 एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा)-

1-गंगा एक्सप्रेस-वे

2-बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

1-ग्रीन फील्ड 6-लेन दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून

2-कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे 6-लेनिंग

3-गोरखपुर-सिलीगुड़ी

4-शामली-गोरखपुर एक्सप्रेस-वे

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में नये उद्यमियों के सम्बन्ध में प्रचलित योजनाओं की जानकारी

***12-श्री रवि शर्मा-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में नये उद्यमियों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं प्रचलन में हैं तथा उक्त योजनाओं से अब तक कितने उद्यमी लाभान्वित हुए हैं ? क्या सरकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष छूट दे रही है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

(क) राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन तथा रोजगार सृजन के उद्देश्य से उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 का प्रख्यापन किया गया है साथ ही 20 सेक्टोरल नीतियों को भी प्रख्यापित किया गया है, जिसमें बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से कतिपय रियायतें प्रदान की गयी हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा औद्योगिक पार्कों/औद्योगिक आस्थानों को बनाये जाने के लिए निम्नवत् प्रोत्साहन की व्यवस्था की गयी हैं।

निजी क्षेत्र द्वारा विकसित बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल में 100 एकड़ तथा मध्यांचल में 150 एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित औद्योगिक पार्कों/एस्टेटों तथा बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल एवं मध्यांचल में 50 एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित एग्रो पार्कों के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किये जायेंगे :-

1-भूमि क्रय करने हेतु लिये गये ऋण पर भूमि की प्रचलित सर्किल रेट के समतुल्य धनराशि पर आंगणित देय ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में 7 वर्षों के लिए वार्षिक ब्याज का

50 प्रतिशत तक रु0 50 लाख प्रति वर्ष प्रति औद्योगिक एस्टेट/एग्रो पार्क की अधिकतम सीमा तक ब्याज सब्सिडी प्रदान की जायेगी।

2-अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लिये गये ऋण पर भूमि देय ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में 7 वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज का 60 प्रतिशत तक रु0 10 करोड़ प्रति वर्ष प्रति औद्योगिक एस्टेट/एग्रो पार्क तथा रु0 50 करोड़ की कुल अधिकतम सीमा तक ब्याज सब्सिडी प्रदान की जायेगी।

3-श्रमिकों के लिए हॉस्टल/डारमेट्री आवास के निर्माण हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में 7 वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज का 60 प्रतिशत तक अधिकतम रु0 5 करोड़ प्रति वर्ष प्रति औद्योगिक एस्टेट/एग्रो पार्क तथा रु0 30 करोड़ की कुल अधिकतम सीमा तक ब्याज सब्सिडी प्रदान की जायेगी।

4-विकासकर्ता द्वारा भूमि की खरीद पर एवं इनमें स्थापित किये जाने वाली इकाइयों के प्रत्येक प्रथम खरीददार को स्टैम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान की जायेगी। विकासकर्ता को 100 प्रतिशत छूट एवं प्रत्येक प्रथम खरीददार को स्टाम्प शुल्क पर 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन-

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 100 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क पर छूट।

100 अथवा उससे अधिक अकुशल श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने वाली सभी नई औद्योगिक इकाइयों को नियोक्ता के अंश के 50 प्रतिशत की दर से ईपीएफ प्रतिपूर्ति की सुविधा।

नेट वैट एवं सीएसटी की कुल राशि अथवा नेट जीएसटी के अन्तर्गत राज्य के अंश की सीमा तक जमा करायी गयी धनराशि के समतुल्य धनराशि की कतिपय शर्तों के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति।

राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र-

राज्य की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को अधिकतम करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन का ध्येय, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के प्राविधान के अन्तर्गत, झांसी एवं औरैया में दो राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्र (एनआईएमजेड) का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

इन एनआईएमजेड में स्थापित विनिर्माण उद्योगों को भारत सरकार की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में उल्लिखित सुविधायें प्रदान की जायेंगी जैसे-सरलीकृत व्यापार विनियमन, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, मशीनों, उपकरणों, उत्पादन अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहन, निजी क्षेत्र द्वारा कौशल विकास पहलों के लिए प्रोत्साहन छोटे तथा मध्यम उद्यमों के लिए वित्त पोषण।

प्रदेश के समस्त जनपदों के साथ-साथ बुन्देलखण्ड क्षेत्र में नये उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा विभिन्न प्रोत्साहनपरक् योजनाएं संचालित की जा रही हैं। परियोजना स्थापना पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 15 से 35 प्रतिशत तक का अनुदान एवं एक जनपद एक उत्पाद ऋण योजना में 10 से 25 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार प्रशिक्षण योजनान्तर्गत विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना एवं एक जनपद एक उत्पाद टूलकिट एवं प्रशिक्षण योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान कर उन्नत किस्म की टूलकिट प्रदान की जाती है।

उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित कराये गये लाभार्थियों की कुल संख्या-24343 (सूची संलग्न)।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) संलग्न† है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषिगत फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में

***13-श्रीमती पिंकी सिंह यादव-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न कृषिगत फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित अथवा निर्धारित करने का आधार क्या है तथा किन सूचकांकों अथवा नियमों के आधार पर फसलों की कीमत निर्धारित की जाती है ? क्या सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए लागत पर आधारित फार्मूले को लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार द्वारा भारत सरकार स्तर पर गठित कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति के आधार पर किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा सहाय्य मूल्यों का आंकलन लागत मदों यथा मानव श्रम, पशु श्रम, बीज का मूल्य, सिंचाई का मूल्य, उर्वरक का मूल्य, कीटनाशक का मूल्य, फसल बीमा का प्रीमियम, फसली ऋण हेतु ब्याज की धनराशि, भूमि के किराये पर हुए व्यय आदि के सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है।

ऊपर वर्णित फार्मूला लागत मदों के आधार पर ही है। उक्त विषयगत कार्यवाही भारत सरकार द्वारा की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† छापी नहीं गई।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया, इसके ऊपर कोई अनुपूरक पूछना चाहती हैं, तो पूछ लीजिए।

डॉ0 रागिनी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार हमारे किसानों को कीटनाशक दवाइयां मुफ्त में उपलब्ध करायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

जो मूल प्रश्न है उसमें यह बात नहीं है तो आप प्रश्न से संबंधित जो बात है वही पूछिए। पिंकी यादव जी का प्रश्न है कि मा0 कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करें कि प्रदेश में विभिन्न कृषिगत फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित अथवा निर्धारित करने का आधार क्या है ? आप प्रश्न से संबंधित बात करिए।

डॉ0 रागिनी-

मान्यवर, मेरा दूसरा अनुपूरक यह है कि किसानों की जो आमदनी है वह दुगुनी कब तक हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी कुछ बताना चाहते हैं तो बता दीजिए, क्योंकि मूल प्रश्न में यह बात नहीं है। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आपके पहले प्रश्न का उत्तर है कि उत्तर प्रदेश सरकार कीटनाशक दवाओं में सब्सिडी देती है। हालांकि यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, चूंकि मा0 सदस्या ने पूछा है, इसलिए हमने बता दिया है।

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि जो भी हमारे पास कमीशन की रिपोर्ट आयी और भारत सरकार ने उसको लागू किया। उसके आधार पर आप अगर देख लें तो जो लागत मूल्य है उससे ज्यादा तो हम आज दे रहे हैं, जो आपने पूछा है उसी के संदर्भ में वर्ष 2022-23 में धान का लागत मूल्य 1360 रुपये है और सरकार का घोषित मूल्य 2040 रुपये है तो आप यह समझ सकते हैं। इसमें जो कमीशन है इन सभी चीजों को ट्रेस आउट करके लागत मूल्य निकाला जाता है, जो फसल के बोने में इनपुट एवं मजदूरी के रूप में खर्च होते हैं। इसमें हमने

पैडी कॉमन का 2040 रुपये और पैडी ग्रेड वन का 2060 रुपये का दाम दिया है। साथ ही साथ गेहूं की बात भी कर लें हमने वर्ष 2022-23 में गेहूं का लागत मूल्य 1008 रुपये था और हमने 2015 रुपये इसका एम0एस0पी0 डिक्लेयर किया है तो यह अपने आप में डबल है, इसी से सरकार की मंशा भी साबित होती है, जो सरकार ने कहा है वह करके दिखाया है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ कि आज किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है कि उनका जो लागत मूल्य है वह प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उर्वरक के दाम, बिजली के दाम, खाद के दाम और डीजल के दाम तो 100 रुपये के पार चले गये हैं। मेरा सीधा सा एक सवाल है कि जो लागत मूल्य के बारे में मा0 मंत्री जी ने बताया है कि यह केन्द्र सरकार निर्धारित करती है, जो उत्तर में आया है, तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या प्रदेश सरकार किसानों की समस्या को देखते हुए, जो उनकी लागत बढ़ रही है क्या राज्य सरकार केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी कि यह दाम अपर्याप्त है, इनको बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, एक सवाल इधर से और आ रहा है इसको भी ले लिया जाये।

श्रीमती पूजा-

मान्यवर, जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं सूखा व बाढ़ की वजह से, क्या उन किसानों को राज्य सरकार मुआवजा व राहत देगी ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, डीजल के मूल्य बढ़ाने की बात सदन में उठी है, तो हम आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहते हैं कि 1 सितम्बर, 2022 का डीजल का लखनऊ में मूल्य 89 रुपये 74 पैसे है और हम एक लीटर पर डीजल पर 12 रुपए 76 पैसे वैट ले रहे हैं। मान्यवर, उन राज्यों का भी देख लिया जाए जहां पर कांग्रेस व बाकी दलों की सरकार है। इसमें पूरे सदन को जानकारी होनी चाहिए जब विपक्ष के साथियों ने आवाज उठाई हो, तो उसका जवाब देना भी जरूरी है। इस समय राजस्थान, जयपुर में एक लीटर पर 16 रुपये 63 पैसे वैट लिया जा रहा है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

हम यहां उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं। कृपया आप उसी पर जवाब दे दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हम सवाल का जवाब दे रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश में 21.66 रुपये, तेलंगाना में 20.31 रुपये, तमिलनाडु में 17.78 रुपये, उड़ीसा में 17.90 रुपये, पश्चिम बंगाल में

15.33 रुपये, महाराष्ट्र में 17.41 रुपये, झारखण्ड में 17.48 रुपये, छत्तीसगढ़ में 18.24 रुपये, दिल्ली में 13.08 रुपये टैक्स के रूप में लिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आज भी माननीय योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में डीजल के ऊपर सबसे कम वैट है। आप यहां पर 100 रुपये की बात कर रही हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया यह उन राज्यों की स्थिति है जहां पर दूसरे लोगों की सरकार है और जहां पर इत्तिफाक से आपका समर्थन भी है। वहां पर हमसे ज्यादा वैट लिया जाता है। आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा बड़ा सीधा सा प्रश्न था कि किसानों की लागत दोगुनी हो गई है क्या सरकार उसके सापेक्ष एम0एस0पी0 को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव करेगी ? लेकिन माननीय मंत्री जी ने डीजल पर टैक्स की बड़ी लम्बी-चौड़ी फेहरिस्त दी है।

श्री अध्यक्ष-

आपने डीजल के संबंध में पूछा होगा, इसलिए माननीय मंत्री जी ने इसका जवाब दिया होगा। यदि आप यह प्रश्न न करतीं तो वह न बताते।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो खाद और बीज के बारे में भी सवाल पूछा था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। मैंने तो बिजली के बारे में भी पूछा था, उस पर भी जवाब नहीं आया। आपने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में एलान किया था कि आप किसानों को मुफ्त में बिजली देंगे, लेकिन कल ही माननीय ऊर्जा मंत्री जी का जवाब आया है कि हम यह नहीं करेंगे। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि यह सरकार किसानों के प्रति कितनी संवेदनशील है। मेरा सीधा सा सवाल है, उसका जवाब आ जाये। यह तो डबल इंजन की सरकार है। यहां भी इनकी सरकार है और वहां भी इनकी सरकार है। तो क्या सरकार इसमें प्रस्ताव भेजेगी।

श्री योगी आदित्यनाथ-

माननीय अध्यक्ष जी, दोनों माननीय सदस्यों ने यहां पर जो बात रखी है वह अन्नदाता किसानों से संबंधित है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बात रखी थी वह उसी के परिप्रेक्ष्य में थी।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न का जवाब किसी महिला मंत्री से दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, आप कल से बहुत परेशान हैं।

श्री योगी आदित्यनाथ-

क्या महिला मंत्री ही प्रश्न का उत्तर दे सकती हैं ? क्या खन्ना जी महिला लगते हैं ?

(सदन में हंसी)

दो माननीय महिला सदस्यों ने यह प्रश्न किये थे। एक वरिष्ठ सदस्य हैं श्रीमती आराधना मिश्रा जी और दूसरी महिला सदस्य पूजा जी मेंहनगर से हैं। बहुत सामयिक प्रश्न है। किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जिस कार्यक्रम को देश के अन्दर प्रारम्भ किया है उसमें खेती की लागत को कम करना और आमदनी को बढ़ाना सम्मिलित है। इस दिशा में प्रयास भी किये गये हैं। इसीलिये कोरोना कालखण्ड में केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टीसाइड की लागत भले ही ज्यादा बढ़ी हो, लेकिन भारत सरकार ने अपनी सब्सिडी में और बढ़ोत्तरी करते हुए अन्नदाता किसानों को राहत दी है। आपने देखा होगा कि डीजल और पेट्रोल के दाम में दो बार एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया है और काफी कम किया गया। एक समय डीजल के दाम सौ रुपए से भी ज्यादा पहुंच चुके थे लेकिन वह आज 89 रुपये हैं। पिछली बार उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने मिलकर दीपावली के एक दिन पहले इनमें बारह-बारह रुपए की कमी की थी। हम लगातार इसके बारे में प्रयास कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने इस बात को भी देखा होगा कि किसानों की बिजली के दाम में पहली बार कमी हुई है। अक्सर होता था कि बिजली के दाम तो बढ़ते थे लेकिन किसानों को दी जाने वाली बिजली की कीमत कम हो जाये ऐसा नहीं होता था, तो इसमें भी इस सरकार ने कार्यवाही शुरू की और पहली बार विद्युत नियामक आयोग के साथ मिलकर व्यवस्था की है कि किसानों को कम पैसा देना पड़े। उसके लिए एक व्यवस्था भी प्रदेश के अन्दर लागू की गई।

यही नहीं, पी0एम0 कुसुम योजना के अन्तर्गत आने वाले समय में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 30 हजार सोलर पैनल उपलब्ध कराकर फ्री में उन्हें सोलर पैनल या सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराकर किसान को फ्री में विद्युत उपलब्ध हो सके, सोलर पैनल के माध्यम से सरकार इस दिशा में कदम आगे बढ़ा चुकी है। अभी तक (वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक) हम लोग 26408 किसानों को यह सुविधा उपलब्ध करा चुके हैं। 30 हजार का हमारा नया प्रस्ताव है जिस पर कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने का एक जरिया सरकार का है। अभी मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो बात यहाँ पर पढ़ी है कि लागत से एम0एस0पी0 कितना बढ़ाया गया है इसके भी आंकड़े आपके सामने स्पष्ट किये हैं जो बताता है कि किसान की आमदनी को बेहतर करने की दिशा में अच्छा प्रयास हुआ है। जहां तक मा0 सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह सूखा और बाढ़ से पीड़ित किसानों के बारे में है। प्रदेश के अन्दर यद्यपि 62 जनपद ऐसे हैं जहां पर बरसात औसत से कम हुई थी। अभी पिछले एक सप्ताह की बारिश को छोड़ दें तो शेष 62 जनपदों में औसत से कम बरसात हुई

है। लेकिन यमुना और गंगा के कुछ तटवर्ती क्षेत्रों में कुछ जनपदों में जो बाढ़ आयी थी। ऐसे लगभग 12 जनपदों में 887 करोड़ रुपए का जो फसल को नुकसान हुआ है वह बटना शुरू भी हो चुका है। अभी पिछले एक महीने के अन्दर की यह कार्रवाई है और सभी अन्नदाता किसानों को कम्पनसेशन फसल को हुए नुकसान के लिए सरकार ने वितरण शुरू कर दिया है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे की टीम तीन बार सर्वे कर चुकी है और फसल तैयार होने के साथ ही जहां पर जो नुकसान होगा सरकार उन सभी किसानों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और उन सभी किसानों को जिनका भी नुकसान होगा सरकार पूरी सहानुभूति के साथ उनका सहयोग करेगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।†

प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु कार्य योजना के सम्बन्ध में

***14-श्री राजपाल सिंह बालियान-**

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ठोस कार्य योजना बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

वर्तमान में प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा विभिन्न प्रोत्साहनपरक योजनायें संचालित की जा रही हैं। परियोजना स्थापना पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना एवं मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 15 से 35 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक जनपद एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत 10 से 25 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार नये उद्योगों द्वारा उद्योग स्थापना हेतु भूमि क्रय किये जाने पर 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक स्टाम्प शुल्क से छूट की व्यवस्था है। इस प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा अपनी नीतियों के माध्यम से प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मऊ में समाज कल्याण द्वारा अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की फर्जी नियुक्ति की जांच के सम्बन्ध में

***15-श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ में समाज कल्याण द्वारा अनुदान सूची में लिये जाने के समय से संचालित कितने प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापकों

नोट :-† नत्थी 'क' के तारांकित प्रश्न संख्या-13 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा/घोटाला किये जाने के विरुद्ध वर्तमान में जांच प्रचलित है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त फर्जी नियुक्ति घोटाले में जनपद के कौन-कौन से अधिकारियों की संलिप्तता है ? क्या उक्त की जांच पूर्ण कर ली गयी है ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हां। वर्तमान में जनपद मऊ में समाज कल्याण द्वारा संचालित 28 विद्यालयों में वर्ष 2015 से अब तक की गई अध्यापकों की नियुक्ति, वेतन, छात्रों के पंजीकरण इत्यादि बिन्दुओं के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-620/26-2-2022-1(2)/2022, दिनांक 27-05-2022 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण को प्रकरण में जांच कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। वर्तमान में जांच प्रचलित है।

वर्तमान में की जा रही जांच पूर्ण होने के उपरान्त ही अधिकारियों की संलिप्तता का पता चलेगा।

सम्प्रति जांच प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

युवाओं और नाबालिग बच्चों में बढ़ते नशे की रोकथाम विषयक कार्य योजना के सम्बन्ध में

***16-श्री प्रसन्न कुमार-**

क्या मद्यनिषेध मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रतिदिन युवाओं एवं नाबालिग बच्चों में बढ़ते नशे की रोकथाम हेतु कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल-

जी हां।

मद्यनिषेध विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश में दिन-प्रतिदिन युवाओं एवं नाबालिग बच्चों में बढ़ते नशे की रोकथाम हेतु 01 वर्ष, 02 वर्ष एवं 05 वर्ष की कार्य योजना बनाई गई है। विवरण संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता।

यू0पी0 लघु उद्योग निगम लिमिटेड में प्रबन्ध निदेशक कार्यालय से कोयला घोटाले की जांच विषयक

***17-श्री अमिताभ बाजपेयी-**

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0 लघु उद्योग निगम लिमिटेड में प्रबन्ध निदेशक के कार्यालय से कोयला घोटाले की जांच के सम्बन्ध में जारी पत्र संख्या 38/उपसिक/प्र0नि0शि0/2019-20, दिनांक 03 मई, 2019 पर अब तक क्या

नोट :-† देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या-265-268 पर।

कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी हां। प्रबन्ध निदेशक के कार्यालय से जारी पत्र संख्या 38/उपसिक/प्र0नि0शि0/2019-20, दिनांक 03 मई, 2019 पर कार्यवाही करते हुए मे0 ए0के0ए0 लॉजिस्टिक्स प्रा0लि0 से विभिन्न भण्डारों में उपलब्ध अवशेष मात्रा 20879.410 मै0टन विक्रय मूल्य पर रु0 83317834.56 की वसूली की जा चुकी है।

तदोपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा वर्ष 2019-20 में कोयला समन्वयक नियुक्ति हेतु आर0एफ0पी0 (REP) के प्राविधान सं0 3.25 पेनाल्टी फॉर शार्टेज के अनुसार पेनाल्टी के रूप में रु0 19268746.44 की धनराशि की वसूली की जा चुकी है।

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0सी0 सब प्लान के अन्तर्गत 25 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले गांवों में अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास के लिए संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में

***18-श्री बेचई सरोज-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017 से 2022 तक एस0सी0 (अनुसूचित जाति) के सर्वांगीण विकास हेतु एस0सी0 सब प्लान के अन्तर्गत एस0सी0 की 25 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले ऐसे कितने ग्रामों में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं ? क्या सरकार उक्त का जनपदवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

वर्ष 2017 से 2022 तक एस0सी0 (अनुसूचित जाति) के सर्वांगीण विकास हेतु एस0सी0 सब प्लान के अन्तर्गत एस0सी0 की 25 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले कुल 152 ग्रामों में 'अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास' योजनान्तर्गत सी0सी0 रोड, इन्टरलॉकिंग, के0सी0 ड्रेन, सामुदायिक केन्द्र निर्माण, सोलर लाईट एवं पिच रोड, आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण, इन्डिया मार्का हैण्डपम्प-2 एवं लेपन का कार्य कराया जा रहा है। (विवरण संलग्नक-1)

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत अथवा अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले ग्रामों हेतु

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश के कुल 6171 ग्रामों को भारत सरकार द्वारा चयनित किया गया है। (जनपदवार विवरण संलग्नक-2)†

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

***19-श्री महबूब अली-**

[03-गुरुवार हेतु स्थगित]

प्रदेश में कमजोर वर्गों के शैक्षणिक व सामाजिक स्तर को सुधारने हेतु अलग से बजटीय प्राविधान के सम्बन्ध में

***20-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कमजोर वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक स्तर को सुधारने हेतु अलग से बजट निधि का प्राविधान करने की सरकार कोई नीतिगत योजना बनाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

समाज कल्याण एवं जनजाति विकास विभाग द्वारा कमजोर वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक स्तर को सुधारने हेतु पूर्व से ही राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार कल्याणकारी योजनायें संचालित हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद-शामली में स्वीकृत खेल स्टेडियम हेतु भूमि आवंटन के सम्बन्ध में

1-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शामली में स्वीकृत खेल स्टेडियम हेतु भूमि आवंटित कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री गिरीश चन्द्र यादव)-

जी हां।

---

† छापा नहीं गया।

जनपद-शामली में स्टेडियम के निर्माण हेतु जिला प्रशासन द्वारा भैसवाल में 4.5100 हे0 भूमि खेल विभाग के नाम उपलब्ध करायी गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-मथुरा की विधान सभा क्षेत्र मांट के नौहझील में मण्डी स्थापना के सम्बन्ध में

2-श्री राजेश चौधरी-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मथुरा की विधान सभा क्षेत्र मांट के नौहझील में मण्डी ना होने के कारण किसानों को अपनी फसल बेचने हेतु अलीगढ़ जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में मण्डी समिति स्थापित करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दिनेश प्रताप सिंह)-

जी नहीं।

जनपद मथुरा की विधान सभा क्षेत्र मांट के नौहझील क्षेत्र कृषि उत्पादन मण्डी समिति, मथुरा के क्षेत्रान्तर्गत न होकर कृषि उत्पादन मण्डी समिति, खैर (अलीगढ़) के क्षेत्रान्तर्गत आता है तथा मण्डी समिति, खैर का नौहझील/बाजना के नाम से अनिर्मित उपमण्डी स्थल घोषित है, जिसकी मण्डी समिति, खैर से दूरी लगभग 25 कि0मी0 है, जिसके कारण नौहझील एवं बाजना क्षेत्र के कृषक अपने उत्पाद को अलीगढ़ न बेचकर मण्डी समिति, खैर में बिक्री कर सकते हैं।

उपमण्डी नौहझील में मात्र 01 थोक व्यापारी/आढ़ती तथा 01 थोक व्यापारी एवं 01 कोल्ड स्टोरेज कुल 03 लाइसेंस पंजीकृत हैं। विधान सभा क्षेत्र मांट में नगर पंचायत बाजना है, जो नौहझील उपमण्डी से मात्र 05 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां 10 थोक व्यापारी, 20 थोक व्यापारी/आढ़ती, 01 मिल, 01 कारखाना, 01 निष्काषक, 19 फुटकर तथा 02 आरा मशीन कुल 54 पंजीकृत लाइसेंस धारक व्यापारी हैं, वहां किसान अपनी फसल विक्रय करते हैं। उक्त स्थल से व्यापारियों द्वारा कारोबार करने पर मण्डी समिति को एक वर्ष में रु0 8.17 लाख औसत आय प्राप्त होती है। उक्त के अतिरिक्त नौहझील एवं बाजना क्षेत्र के किसान अपनी फसल प्रधान मण्डी स्थल खैर में भी विक्रय करते हैं।

अधिसूचना दिनांक 14-02-1969 द्वारा अधिसूचित है, इसके नौहझील उपमण्डी क्षेत्रान्तर्गत कारोबार में वृद्धि तथा पर्याप्त मण्डी शुल्क प्राप्त होने, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने पर उपमण्डी स्थल का निर्माण कराने का औचित्य सार्थक हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में स्थानीय युवाओं व युवतियों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में

3-श्री तेजपाल सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण व यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण में स्थानीय युवाओं एवं युवतियों के लिए 40 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद गौतमबुद्धनगर के ही नोएडा विकास प्राधिकरण में भी यमुना एवं ग्रेटर नोएडा की तरह उक्त आरक्षण सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जी नहीं।

वर्तमान में नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) में औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन ई-आक्शन पद्धति से निर्धारित है। ग्रेटर नोएडा तथा यीडा में ई-निविदा हेतु अर्ह कम्पनियों की अर्हता निर्धारण के समय ऐसी कम्पनियों को अतिरिक्त अंक प्रदान किये जाने की व्यवस्था है, जो स्थानीय युवाओं व युवतियों को अधिक रोजगार प्रदान करे।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-गौतमबुद्धनगर में क्रेता के फ्लैटों की रजिस्ट्री के सम्बन्ध में

4-श्री तेजपाल सिंह नगर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गौतमबुद्धनगर में बायर्स (क्रेता) के फ्लैटों की रजिस्ट्री बिल्डर्स तथा ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के मध्य धनराशि देनदारी के कारण रजिस्ट्री नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का समाधान कराकर उक्त रजिस्ट्री करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

ग्रेटर नोएडा द्वारा बिल्डर्स परियोजनाओं के अन्तर्गत कतिपय बिल्डर्स कम्पनियों को भूखण्डों का आवंटन किया गया है। आवंटन के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा ऐसी परियोजनाओं

जिनके अन्तर्गत बिल्डर्स कम्पनी द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र/पार्ट कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र प्राधिकरण के नियोजन विभाग से प्राप्त किया जा चुका है, उनकी त्रिपक्षीय सब-लीजडीड निष्पादन की कार्यवाही की जाती है। प्राधिकरण द्वारा बॉयर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था भी की गयी है कि परियोजना के सापेक्ष जितनी धनराशि बिल्डर कम्पनी द्वारा प्राधिकरण के पक्ष में जमा कराई गयी है, उसकी 10 प्रतिशत धनराशि की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि के अनुपात में कम्पनी को कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाए ताकि अधिक से अधिक बॉयर्स की सब-लीजडीड का निष्पादन हो सके, परन्तु बिल्डर्स द्वारा ब्याज की दरों हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिकाओं में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-06-2020 एवं 10-07-2020 के दृष्टिगत बिल्डर्स द्वारा प्राधिकरण की समस्त देनदारियों की प्रतिपूर्ति नहीं की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद-गौतमबुद्धनगर के ग्राम-वैदपुरा माजरा में अवैध निर्माण को रोके जाने के सम्बन्ध में

5-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गौतमबुद्धनगर के ग्राम-वैदपुरा माजरा में खसरा सं0-216 व 217 पर नोटिफाइड एरिया में ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के कर्मचारी व अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण को हटवाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जनपद-गौतमबुद्धनगर के ग्राम-वैदपुरा माजरा में खसरा सं0-216 व 217 पर नोटिफाइड एरिया में ग्रेटर नोएडा के किसी कर्मचारी/अधिकारी की संलिप्तता नहीं मिली है, परन्तु वहां पर जिन व्यक्तियों ने अवैध निर्माण करवाया है, उनके विरुद्ध सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है। वर्तमान में अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण हेतु पुलिस बल की मांग की गयी है। पुलिस बल प्राप्त होते ही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के भलुआ गांव में स्थापित आई0टी0आई0 कालेज को पडरौना आई0टी0आई0 से सम्बद्ध करने की मांग विषयक

6-श्री मोहन वर्मा-

क्या व्यावसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के भलुआ गांव में दस करोड़ रुपए की लागत से स्थापित आई0टी0आई0 कालेज पडरौना (आई0टी0आई0) कालेज से सम्बद्ध कर दिए जाने से छात्रों को पठन-पाठन के लिए 40 कि0मी0 दूर स्थित पडरौना शहर के आई0टी0आई0 कॉलेज में जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार छात्रों के भविष्य को देखते हुए नए सत्र में दाखिला ले रहे छात्रों को उसी कालेज में पठन-पाठन कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), (श्री कपिल देव अग्रवाल)-

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के भलुआ गांव में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हाटा कुशीनगर की स्थापना हेतु भवन निर्माण के लिए रुपया 607.76 लाख उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया जा चुका है। वर्तमान में भवन का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। भवन हस्तगत नहीं होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पडरौना, कुशीनगर में प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद श्रावस्ती के कस्बा इकौना में स्थापित सब्जी मण्डी को अन्यत्र स्थापित करने की मांग सम्बन्धी

7-श्री राम फेरन पाण्डेय-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र श्रावस्ती में कस्बा इकौना में सब्जी मण्डी बीच बाजार में स्थापित होने से प्रतिदिन घण्टों-घण्टों जाम की स्थिति बनी रहती है जिससे आने-जाने वाले यात्रियों को काफी कठिनाई होती है ? क्या सरकार उक्त सब्जी मण्डी को बाजार से अन्यत्र स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

इकौना मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। यह स्थानीय बाजार है। ट्रैफिक जाम हटाने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला प्रशासन की है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में मिनी स्टेडियम बनवाये जाने की मांग सम्बन्धी

8-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में विधान सभा क्षेत्र बैरिया में मिनी स्टेडियम बनाये जाने हेतु सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

वर्तमान में युवा कल्याण विभाग में मात्र मा0 मुख्य मंत्री घोषणा तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत खेल परियोजनाओं में निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये कार्य योजना के सम्बन्ध में

9-श्री मनीष असीजा-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये जैविक फल/सब्जियों की पैदावार करने वाले किसानों को जनपदवार चिन्हित/सूचीबद्ध करते हुये उनके जनपद, तहसील एवं ब्लाक स्तर पर बिक्री (विपणन) केन्द्रों की स्थापना करने एवं प्रचार-प्रसार करते हुये जैविक सब्जियों के उत्पादों एवं खरीददारों के मध्य बाजार निर्मित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश के 16 जनपदों में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एकीकृत बागवानी विकास मिशन संचालित है, जिसमें भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के क्रम में जैविक खेती करने वाले कृषकों को प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान की सुविधा प्रदान की जाती है।

जिले स्तर के मण्डी स्थलों में जैविक कृषि उत्पादों के विपणन हेतु बाजार संचालित कराये जाने की योजना के अन्तर्गत सभी मण्डी समितियों के माध्यम से बाजार संचालन की कार्यवाही प्रगति में है।

जैविक उत्पादों के विपणन के प्रचार-प्रसार हेतु प्रथम चरण में 18 मण्डी स्थलों में लगने वाले जैविक बाजार के प्रचार-प्रसार के लिये (रु0 1.00 लाख प्रति बाजार) स्वीकृत किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध हत्या के अपराध में पीड़ित को 5000 रु0 प्रतिमाह की पेंशन दिलाए जाने के सम्बन्ध में

10-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध हत्या के अपराध में पीड़ित को 5000 रु0 प्रतिमाह दिलाये जाने हेतु केन्द्र सरकार की नियमावली में प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राविधान के अन्तर्गत प्रदेश में पीड़ितों को 5000 रु0 प्रतिमाह दिलाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हां।

इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-118/2016/1405/26-3-2016-4(256)/1994, दिनांक 14 जून, 2016 के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-46 में स्पष्ट व्यवस्था है कि अनुसचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्ध रखने वाले हत्या एवं अन्य जघन्य अपराधों से पीड़ित व्यक्ति के आश्रितों को प्रति मास रु0 5000/- की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय महंगाई भत्ता, जैसा सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों को लागू है, का प्राविधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

गेहूं के उत्पादन एवं गुणवत्ता की कमी के दृष्टिगत मिलावटी बीज की रोकथाम के सम्बन्ध में

11-श्री राजपाल सिंह बालियान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उ0प्र0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान द्वारा गेहूं के बीज में मिश्रित प्रजातियों के बीज की मिलावट कर किसानों को विक्रय किये जाने से गेहूं के उत्पादन तथा गुणवत्ता में कमी आ रही है ? क्या सरकार उक्त के रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

उ0प्र0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान द्वारा बीजों का विक्रय नहीं किया जाता है अपितु उ0प्र0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा बीज उत्पादक संस्थाओं यथा राजकीय प्रक्षेत्रों/गैर राजकीय प्रक्षेत्रों/कृषकों द्वारा उत्पादित फसलों/बीजों का प्रमाणीकरण किया जाता है जिससे कृषकों को गुणवत्तायुक्त मानक बीज प्राप्त हो सकें।

कृषि विभाग द्वारा बीज नियंत्रण आदेश, 1983 एवं अधिनियम, 1966 के प्राविधानों के अन्तर्गत मिलावटी बीजों की रोकथाम के लिए बीज नमूने लिये जाने हेतु लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है।

वर्ष 2021-22 में निर्धारित लक्ष्य 18000 के सापेक्ष 18857 बीज नमूने ग्रहित किए गए। कुल 15562 विक्रेताओं के यहां छापे डाले गये, जिसमें 387 नमूने अमानक पाए गए। 473 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस दी गई, 174 के लाइसेंस निलंबित, 138 के लाइसेंस निरस्त किए गए। 544 को चेतावनी निर्गत की गई तथा 74 बीज विक्रेताओं की बिक्री प्रतिबंधित व 03 की दुकान सील की गई एवं 03 के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई।

रबी 2022-23 के लिए 10798 बीज नमूने ग्रहित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वर्ष 2022-23 में खरीफ में 5406 बीज नमूनों के लक्ष्य के सापेक्ष 7511 नमूने ग्रहित किए गए। कुल 5794 विक्रेताओं के यहां छापे डाले गए, जिसमें 189 नमूने अमानक पाए गए, 275 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस दी गई, 119 के लाइसेंस निलंबित किए गए, 39 के लाइसेंस निरस्त किए गए। 284 को चेतावनी दी गई।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

12-श्री जवाहर लाल राजपूत-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया।]

जनपद उन्नाव की ब्लाक-असोहा के ग्राम-सैदपुर में लोगों की रोकी गयी वृद्धावस्था पेंशन के सम्बन्ध में

13-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की असोहा ब्लाक की ग्राम पंचायत-अभूषा के ग्राम-सैदपुर में कतिपय लोगों की रोकी गयी वृद्धावस्था पेंशन को बहाल करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र ख-6 सं0-833497, दिनांक 31 मई, 2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हां।

जनपद उन्नाव की विकास खण्ड-असोहा की ग्राम पंचायत-अभूषा के ग्राम-सैदपुर के वृद्धावस्था पेंशनर श्री पंचम पुत्र श्री मोहन की पेंशन धनराशि प्रेषित की जा चुकी है। ग्राम पंचायत-अभूषा में किसी भी लाभार्थी की पेंशन नहीं रोकी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बनाए गए डिफेंस कारीडोर के सम्बन्ध में

14-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डिफेंस कारीडोर बनाए गए हैं ? यदि हां, तो वर्तमान में किन जिलों में रक्षा से संबंधित कितने नए प्रोजेक्ट कितनी लागत से लगाये गये हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (श्री जसवन्त सिंह सैनी)-

जी हां।

वर्तमान में अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, लखनऊ एवं चित्रकूट जिलों में कुल छः नोड्स स्थापित किये गये हैं। इनमें रक्षा से सम्बन्धित नये प्रोजेक्ट लगाये जाने हेतु कुल 35 कम्पनियों द्वारा विभिन्न नोड्स (जिलों) में निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

नोड (जिला)	कम्पनियों की संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये में)
अलीगढ़	22	1760.25
कानपुर	05	1723.58
लखनऊ	05	632.55
झांसी	03	418.5
कुल योग	**35**	**4534.88**

कम्पनियों द्वारा कार्य प्रारम्भ किये जाने पर वास्तविक निवेश की सूचना प्राप्त होगी, जिसके फलस्वरूप सम्बन्धित प्रोजेक्ट की लागत ज्ञात होगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018 से 01 अप्रैल, 2022 तक जनपद मैनपुरी में लाभान्वित लोगों के सम्बन्ध में

15-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018 से 01 अप्रैल, 2022 तक कुल कितने लोगों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जनपद मैनपुरी में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018 से 01 अप्रैल, 2022 तक कुल 7387 लोगों को लाभान्वित किया गया है।

जी हां। विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	व्यय धनराशि (रुपये लाख में)
1	2018-19	1889	566.70
2	2019-20	2273	681.90
3	2020-21	2074	622.20
4	2021-22	1151	345.30
	कुल योग	**7387**	**2216.10**

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खेल व खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में स्टेडियम निर्माण कराने के सम्बन्ध में

16-श्री प्रभुनारायण सिंह यादव-

क्या युवा कल्याण खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खेल व खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में स्टेडियम का निर्माण कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

वर्तमान में युवा कल्याण विभाग में मात्र मा0 मुख्य मंत्री घोषणा तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत खेल परियोजनाओं में निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

प्रदेश में पात्र वृद्धावस्था पेंशन धारकों को पेंशन धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में

17-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पात्र वृद्धावस्था पेंशन धारकों को अप्रैल, 2022 से पेंशन अनुदान राशि प्रदान नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पात्र वृद्धावस्था पेंशन धारकों को पेंशन धनराशि का भुगतान कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

प्रदेश में पात्र वृद्धावस्था पेंशन धारकों को प्रथम त्रैमास-2022 (माह अप्रैल, मई, जून) की पेंशन धनराशि प्रदान की जा चुकी है तथा आधार प्रमाणीकरण के उपरान्त क्रमशः वृद्धजनों को धनराशि अन्तरण की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

दिव्यांगजनों से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के लिए अन्य योजना में शादी अनुदान हेतु सब रजिस्ट्रार कार्यालय में शादी रजिस्टर्ड कराये जाने की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग

18-श्री मनीष असीजा -

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिव्यांगजनों से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर्ड करना अनिवार्य है जबकि मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागों द्वारा संचालित शादी अनुदान योजनाओं में शादी रजिस्टर्ड होना अनिवार्य नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार दिव्यांगजनों से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के लिए अन्य विवाह योजना में शादी अनुदान हेतु सब रजिस्ट्रार कार्यालय में शादी रजिस्टर्ड कराये जाने की अनिवार्यता समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नरेन्द्र कश्यप)-

दिव्यांगजन व्यक्तियों से विवाह करने पर दिये जा रहे अनुदान हेतु प्रोत्साहन नियमावली-1997 यथासंशोधित 2018 द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन की गयी है। उक्त योजना में आवेदक दम्पत्ति को अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ-साथ पंजीकरण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर अपलोड करने का प्राविधान है।

सामूहिक विवाह योजना व अन्य विभागों द्वारा संचालित समरूप योजनाओं के अन्तर्गत शादी/विवाह सम्पन्न होने के पूर्व अनुदान की धनराशि प्रदान किये जाने का प्राविधान है, जबकि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांग व्यक्ति से विवाह को प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार स्वरूप अनुदान की धनराशि प्रदान की जाती है।

दिव्यांग नवयुवक एवं नवयुवतियों को विवाह हेतु प्रोत्साहित किये जाने के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र की आवश्यकता उक्त नियमावली के अनुसार अपेक्षित है, जिसके उक्त प्राविधान को समाप्त किया जाना विचाराधीन नहीं है।

उक्तानुसार।

जनपद-फिरोजाबाद में माटीकला की परम्परागत कला एवं कारीगरों को चिन्हित कराकर मिट्टी खनन के पट्टे प्रदान करने के सम्बन्ध में

19-श्री मनीष असीजा-

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फिरोजाबाद में माटीकला की परम्परागत कला एवं कारीगरों को चिन्हित कराकर सरकार उन्हें मिट्टी खनन के पट्टे प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी हां।

जनपद-फिरोजाबाद में कुम्हार परिवार वाले कुल 171 गांवों का चिन्हांकन किया गया, जिसमें परम्परागत कुम्हार परिवारों की कुल संख्या-1376 एवं माटीकला का कार्य कर रहे कारीगर परिवारों की संख्या-580 है। उक्त परिवारों में से कुल 138 परिवारों को पट्टा प्रदान कर दिया गया है। उक्त पट्टे वर्षानुवर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में क्रमशः 24, 33, 42 एवं 39 अर्थात् कुल 138 पट्टे राजस्व विभाग द्वारा आवंटित किये गये। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व विभाग द्वारा 09 स्थलों को पट्टे के रूप में आवंटित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह एक सतत् प्रक्रिया है जो निरन्तर गतिमान रहेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्त विहीन शिक्षण संस्थानों में पूर्व की भांति निःशुल्क प्रवेश की सुविधा को बहाल करने की मांग

20-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की संख्या के सापेक्ष प्रदेश में संचालित राजकीय/सहायता प्राप्त संस्थानों में स्वीकृत सीटों की संख्या कम होने से व्यवसायिक पाठ्यक्रमों/अन्य पाठ्यक्रमों में पढ़ने के इच्छुक एससी/एसटी वर्ग के गरीब मेधावी छात्र/छात्राएं वित्तहीन संस्थानों में अत्यधिक बड़ी धनराशि का अग्रिम शुल्क नहीं भर पाने के कारण अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने से वंचित रह जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वित्तहीन संस्थानों में पूर्व की भांति निःशुल्क प्रवेश की सुविधा प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षणिक उत्थान हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना संचालित की जाती है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों से सम्बन्धित योजना जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है।

अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अनुमोदित पाठ्यक्रम में पात्र एवं सही डाटा वाले छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुमन्य है। निःशुल्क प्रवेश की सुविधा निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं में अनुमन्य नहीं है।

वर्ष 2008-09 से प्रदेश में अत्यधिक संख्या में निजी क्षेत्र के अभियंत्रण, व्यवसायिक, पालीटेक्निक एवं अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं के खुलने के कारण शिक्षण संस्थानों द्वारा निःशुल्क प्रवेश की सुविधा का दुरुपयोग करते हुए संस्थानों में 80 प्रतिशत से लेकर शत-प्रतिशत तक केवल अनुसूचित जाति छात्रों को ही प्रवेश दिया गया तथा शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त की गयी। विभिन्न जांचों में यह परिलक्षित हुआ कि निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में काउन्सिलिंग के माध्यम से छात्रों के प्रवेश न लेने पर भी सीधे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के विभिन्न प्रमाण-पत्रों को प्राप्त कर संस्थानों में प्रवेश दिखाकर शुल्क प्रतिपूर्ति का दावा किया गया। अत्यधिक संख्या में अर्थात शत-प्रतिशत अनुसूचित जाति छात्रों को प्रवेश दिलाने एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की मांग करने के कारण प्रदेश की देयता में भी अत्यधिक वृद्धि हुई एवं शासकीय धनराशि का दुरुपयोग भी परिलक्षित हुआ।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क प्रवेश के प्राविधान को वापस ले लिया गया था जिसके क्रम में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेश के सम्बन्ध में विचारोपरान्त निर्णय लेते हुए शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा को 40 प्रतिशत की सीमा से बढ़ाकर शत-प्रतिशत अनुमन्य किया गया तथा निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में तत्समय लागू निःशुल्क प्रवेश की 40 प्रतिशत की सीमा को समाप्त कर दिया गया है।

जनपद फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत पात्र किसानों के सम्बन्ध में

21-श्री मनीष असीजा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में कुल कितने पात्र किसानों को चिन्हित किया गया है तथा इनमें से कितने किसानों को वर्तमान तक सम्मान निधि प्राप्त नहीं हुई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु कृषकगण जन सेवा केन्द्र के माध्यम से अथवा स्वयं से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। यह योजना सतत् रूप से चलने वाली योजना है, जिसमें पंजीकरण खुला हुआ है। अब तक जनपद फिरोजाबाद में कुल 262531 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्राप्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से 9609 कृषकों ने पंजीकरण कराया है, जिनका तहसील सत्यापन कार्य क्रमिक है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 2014 से 2022 के मध्य अवैध शराब व केमिकल्स की बरामदगी व शराब माफियाओं पर कृत कार्रवाई की जानकारी

22-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 2014 से दिनांक 22-04-22 तक कितनी मात्रा में अवैध शराब व केमिकल्स की बरामदगी हुई है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त प्रकरणों से सम्बन्धित शराब माफियाओं पर कोई कार्रवाई की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल-

जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 2014 से दिनांक 22-04-2022 तक की अवधि के अन्तर्गत 2,04,050.26 ब0ली0 अवैध शराब व 42,455 ब0ली0 अवैध स्प्रिट की बरामदगी हुई।

अवैध शराब के निर्माण, अनियमित व्यापार व परिवहन में संलिप्त पाये गये बड़े माफियाओं पर आबकारी अधिनियम व आई0पी0सी0 की धाराओं के अतिरिक्त गैंगस्टर अधिनियम सहित गुण्डा एक्ट तथा आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में पूर्वनिर्मित बनपुरवा स्टेडियम जलालपुर तथा ब्लाक-धर्मापुर में प्रस्तावित स्थल पर स्टेडियम निर्माण की मांग विषयक

23-श्री जगदीश नरायण-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में पूर्वनिर्मित बनपुरवा स्टेडियम जलालपुर तथा ब्लाक-धर्मापुर में प्रस्तावित स्थल पर स्टेडियम निर्माण कराने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अयोध्या के हैरिंगटनगंज के सिधौरा गांव के आई0टी0आई0 कालेज के सम्बन्ध में सूचना

24-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या व्यवसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अयोध्या में हरेन्टिन विभाग स्थिति सिधौरा गांव में आई0टी0आई0 कालेज खोलने की स्वीकृति कब हुई थी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त कालेज में पठन-पाठन का काम प्रारम्भ हो गया है ? यदि हां, तो अब तक कितने बच्चों का प्रवेश हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

जनपद अयोध्या के विकास खण्ड हैरिंगटनगंज के ग्राम सिधौरा में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मिल्कीपुर को स्थापित करने की स्वीकृति दिनांक 09-03-2016 को प्रदान की गयी है। सिन्धौरा स्थित राजकीय आई0टी0आई0 का स्थापना/निर्माण का कार्य प्रचलन में है।

लोक हित में पठन-पाठन के दृष्टिगत प्रश्नगत आई0टी0आई0 का संचालन जनपद स्थित नोडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेनीगंज, अयोध्या में हो रहा है।

वर्ष 2018 से अब तक प्रवेश सत्रों में प्रवेशित बच्चों की स्थिति निम्नवत है :-

वर्ष 2018-19

वर्ष 2019-20

वर्ष 2020-21

वर्ष 2021-22

वर्ष 2022-23

कुल प्रवेशित बच्चों की संख्या-1096, वर्तमान प्रवेश सत्र-2022 की प्रवेश प्रक्रिया प्रचलन में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर के ग्राम मुंगीसपुर में वर्ष 2017 में तैयार राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का संचालन कराने के सम्बन्ध में

25-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अयोध्या विकास क्षेत्र मिल्कीपुर में ग्राम मुंगीसपुर में वर्ष 2017 में तैयार राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का संचालन सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हां।

जनपद-अयोध्या स्थित तहसील मिल्कीपुर के ग्राम मुंगीसपुर में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। विद्यालय संचालन के सम्बन्ध में अग्रतर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद-झांसी में खेलो इण्डिया सेण्टर की स्थापना कराने विषयक

26-श्री रवि शर्मा-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की खेलो इण्डिया एक जनपद एक खेल योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलो इण्डिया सेन्टर्स की स्थापना कराने जाने की योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में झांसी महानगर में खेलो इण्डिया सेन्टर्स की स्थापना कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हां। प्रदेश के 75 जनपदों में खेलो इण्डिया सेन्टर स्थापित किये जाने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है।

झांसी महानगर में खेलो इण्डिया सेन्टर के अन्तर्गत एथलेटिक्स खेल का सेन्टर संचालित कराये जाने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। तद्क्रम में प्रशिक्षण संचालन की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-जालौन के कोंच औद्योगिक क्षेत्र की ध्वस्त सड़कें एवं नालियों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में

27-श्री मूलचन्द्र सिंह-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जालौन के अन्तर्गत कोंच औद्योगिक क्षेत्र की ध्वस्त सड़कें एवं नालियों का पुनर्निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

औद्योगिक स्थान, कोंच, जनपद जालौन, स्थान उरई की ध्वस्त सड़कों एवं नालियों के पुनर्निर्माण/उच्चीकरण हेतु उ0प्र0 लघु उद्योग निगम द्वारा तैयार की गयी परियोजना भारत

सरकार की क्लस्टर विकास योजनान्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है। भारत सरकार के निर्णय के अनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जाति प्रमाण-पत्र सम्बन्धी प्रकरणों में मण्डलीय अपीलीय फोरम के निर्णय के विरुद्ध शासन स्तर पर अपील करने के सम्बन्ध में

28-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जाति प्रमाण-पत्र सम्बन्धी प्रकरणों में शासनादेश संख्या-428/26-03-2011, दिनांक 27-1-2011 द्वारा मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित मण्डलीय अपीलीय फोरम के निर्णय के विरुद्ध शासन स्तर पर कहीं अपील करने का पीड़ित को अधिकार है ? यदि हां, तो क्या सरकार अपील का स्थान तथा प्रक्रिया का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हां।

कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-22/16/92-का-2/1996-टी0सी0-III, दिनांक 05-01-1996 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी का गठन किया गया है। इस राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी में याची को मण्डलीय अपीलीय फोरम के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है।

शासनादेश संख्या-22/16/92-का-2/1996-टी0सी0-III, दिनांक 05-01-1996 में स्थान एवं प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। शासनादेश दिनांक 05-01-1996 की प्रति संलग्न है।[†]

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद श्रावस्ती के इकौना कस्बे में मण्डी समिति बनाने की मांग

29-श्री राम फेरन पाण्डेय-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र श्रावस्ती में बौद्ध परिपथ पर स्थित इकौना कस्बा में कोई मण्डी समिति नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इकौना अथवा गिलौला में मण्डी समिति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†] देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या-269-272 पर।

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी नहीं।

इकौना पयागपुर मण्डी के क्षेत्रान्तर्गत है, जो जनपद श्रावस्ती का तहसील मुख्यालय भी है।

प्रदेश में स्वतंत्र मण्डी घोषित करने हेतु न्यूनतम 50 लाइसेंसी व्यापारी तथा रु0 1.50 करोड़ की वार्षिक आय एवं उप मण्डी स्थल घोषित करने हेतु न्यूनतम 25 लाइसेंसी व्यापारी तथा रु0 50.00 लाख की वार्षिक आय होना आवश्यक है।

अतः इकौना/गिलौला कस्बे में मानक पूरा न करने के कारण उप मण्डी स्थल घोषित किया जाना उपयुक्त नहीं है।

यूपीडा द्वारा लखनऊ-उन्नाव में उद्यम लगाने के लिए प्रस्ताव तथा लॉजिस्टिक पार्क के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में

30-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यूपीडा द्वारा लखनऊ-उन्नाव में उद्यम लगाने के लिए प्रस्ताव तथा लॉजिस्टिक पार्क के लिए कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, कितनों के आवेदन स्वीकृत, निरस्त अथवा लम्बित हैं ? क्या सरकार लम्बित आवेदनों का निस्तारण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

यूपीडा द्वारा लखनऊ-उन्नाव में वर्तमान में कोई औद्योगिक परियोजना प्रचलन में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-कुशीनगर के पडरौना में कतिपय सड़कों की मरम्मत/निर्माण के सम्बन्ध में

31-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना में बाऊली रेलवे क्रासिंग से सेवक छपरा बलचुहा ब्रह्म स्थान तक 1.50 कि0मी0 पिच रोड का निर्माण लम्बाई 1.50 कि0मी0, पडरौना कुबेर स्थान रोड से सरया मन्दिर तक लम्बाई 1.50 कि0मी0, बसडीला चौराहे से कुकराहा नहर तक मार्ग लम्बाई 1.00 कि0मी0,

रोआरी रेगुलेटर भुईसोहरा गांव तक मार्ग लम्बाई 1.00 कि0मी0 मार्ग का मरम्मत कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

1-बाऊली रेलवे क्रासिंग से सेवक छपरा बलचुहा ब्रह्म स्थान तक लम्बाई 1.50 कि0मी0 नवनिर्माण श्रेणी का मार्ग है। कृषि उत्पादों का मण्डी स्थल तक सुगम परिवहन एवं धन की उपलब्धता के दृष्टिगत सम्पूर्ण राज्य स्तर पर नवीन मार्गों की आवश्यकता एवं उपयोगिता के आंकलन के बाद वरीयता के आधार पर निर्माण कार्य कराया जाना लक्षित होता है।

2-सम्पर्क मार्ग रोआरी रेगुलेटर भुईसोहरा गांव तक मार्ग लम्बाई 1.00 कि0मी0, पडरौना कुबेर स्थान रोड से सरया मन्दिर तक लम्बाई 1.50 कि0मी0 एवं बसडीला चौराहे से कुकराहा नहर तक मार्ग लम्बाई 1.00 कि0मी0 मण्डी परिषद के स्वामित्व में नहीं है। इन सम्पर्क मार्गों का मण्डी परिषद द्वारा मरम्मत कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के जिला मुख्यालय में मण्डी समिति द्वारा मण्डी में दुकान व गोदाम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

32-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के अन्तर्गत जिला मुख्यालय रवीन्द्र नगर धूष में मण्डी समिति की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराया गया है ? परन्तु व्यापारियों की सुविधा हेतु दुकान व गोदाम का निर्माण नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मण्डी समिति में दुकान व गोदाम का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हां।

मण्डी परिषद की वित्तीय स्थिति, स्थानीय आवश्यकता एवं कार्य योजना की स्वीकृति उपरान्त निर्माण कार्य कराये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखनऊ के महानगर स्थित सचिवालय कालोनी के श्रेणी-4 के आवासों का पुनर्निर्माण विषयक

33-श्री महेन्द्र नाथ यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ के महानगर स्थित सचिवालय कालोनी में पूर्व के निर्मित टाइप-4 के पुराने भवनों को ध्वस्त कर बहु मंजिला आवास में श्रेणी-2 और टाइप-3 के ही आवासों का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी में श्रेणी-4 के आवासों का भी निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

श्रेणी-4 के आवासों के निर्माण का प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-शामली में खेल स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में

34-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली में खेल स्टेडियम बनाये जाने की सरकार की कोई योजना है? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-आगरा के किरावली में निर्मित अधूरे मिनी स्टेडियम को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

35-श्री बाबूलाल-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आगरा के किरावली कस्बा में निर्मित अधूरे मिनी स्टेडियम को समय-सीमा निर्धारित कर सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही ंतो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जनपद-आगरा के किरावली कस्बा स्थित मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्ण कराकर दिनांक 24 जून, 2020 को विभाग को हस्तान्तरित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों के के0सी0सी0 कार्ड पर कोरोना काल में लिये गये ऋण को माफ करने अथवा ब्याज की प्रतिपूर्ति करने पर विचार करने की मांग

36-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को जो सहकारी/सरकारी बैंकों के के0सी0सी0 कार्ड पर कोरोना काल के ऋण तथा सरकारी बैंकों का ब्याज को माफ करने अथवा ब्याज की प्रतिपूर्ति करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन सहित कृषि के लिए अल्प अवधि ऋणों पर अधिकतम रु0 3.00 लाख तक के लिए समय से अदायगी पर 02 प्रतिशत ब्याज सब्वेंशन (आई0एस0) और 03 प्रतिशत का त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पी0आर0आई0) अनुमन्य है।

कोविड-19 के कारण अल्प अवधि के उक्त ऋणों की समय से अदायगी की सीमा बढ़ाकर दिनांक 31 अगस्त, 2020 कर दी गयी अर्थात् इस अवधि तक उन्हें ब्याज सब्वेंशन व त्वरित चुकौती प्रोत्साहन का लाभ अनुमन्य किया गया।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बिजनौर, बुलन्दशहर में किसानों को मानक रहित मिश्रित कीटनाशक बेचे जाने की जांच के सम्बन्ध में

37-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर में कितनी इकाईयां उर्वरक तथा कीटनाशक का उत्पादन कर रही हैं ? उक्त उर्वरक इकाइयों का निरीक्षण गुणवत्ता की जांच कब की गई तथा नतीजा क्या रहा ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद-मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बिजनौर, बुलन्दशहर में किसानों को मानक रहित मिश्रित कीटनाशक बेचे जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद-मुजफ्फरनगर में 21 इकाईयां उर्वरक का उत्पादन कर रही हैं एवं 26 इकाईयां कीटनाशक का उत्पादन कर रही हैं।

वर्ष 2022-23 में समय-समय पर उर्वरक इकाइयों का निरीक्षण जनपदीय अधिकारियों द्वारा किया गया तथा गुणवत्ता की जांच कर उर्वरक नमूने ग्रहीत किये गये हैं।

वर्ष 2022-23 में समय-समय पर उर्वरक निरीक्षकों द्वारा इकाईयों का निरीक्षण कर 13 उर्वरक नमूने ग्रहीत कर प्रयोगशालाओं को प्रेषित किये गये हैं, वे नमूने मानक पाए गए हैं।

कृषकों को गुणवत्तायुक्त कीटनाशक उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार कटिबद्ध है जिसके लिए कृषि विभाग द्वारा कीटनाशी अधिनियम-1968 के प्राविधानों के अन्तर्गत कीटनाशी गुणवत्ता नियंत्रण हेतु प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है।

वर्ष 2022-23 में जनपद-मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बिजनौर, बुलन्दशहर में कुल 1470 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया तथा 303 कीटनाशी नमूने ग्रहित किये गये, जिसमें 05 कीटनाशी नमूने अधोमानक पाये गये। 01 विक्रेता पर एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी तथा 04 विक्रेताओं के विरुद्ध मा0 न्यायालय में वाद दायर किये गये।

अधोमानक पाये गये नमूनों से सम्बन्धित 01 विक्रेता पर एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी तथा 04 विक्रेताओं के विरुद्ध मा0 न्यायालय में वाद दायर किये गये।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखनऊ के अलीगंज स्थित राजकीय उद्यान विभाग में स्थायी मालियों को सातवां वेतनमान का बकाया वेतन का भुगतान के सम्बन्ध में

38-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ के अलीगंज स्थित राजकीय उद्यान विभाग में स्थायी मालियों को सातवां वेतनमान का जनवरी, 2016 से जून, 2017 तक का बकाया वेतन का भुगतान किये जाने सम्बन्धी श्री यमुना प्रसाद गुप्ता एवं अन्य अलीगंज, लखनऊ का पत्र दिनांक 03 नवम्बर, 2018 जिला उद्यान अधिकारी, अलीगंज, लखनऊ कार्यालय में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हां।

श्री यमुना प्रसाद गुप्ता व अन्य प्रार्थीगण अपने विनियमितीकरण तिथि 30-06-2017 के पूर्व अकुशल दैनिक श्रमिक के रूप में कार्यरत थे, अतः वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22-12-2016 के

अनुसार प्रार्थीगण को उनकी अकुशल दैनिक श्रमिक की कार्यावधि का जनवरी, 2016 से जून, 2017 तक पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन एरियर का भुगतान अनुमन्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में आयोजित होने वाली शादी व अन्य समारोह में खाना बर्बाद करने को संज्ञेय अपराध बनाने की मांग

39-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आयोजित होने वाले शादी व अन्य समारोहों में खाना बर्बाद करने को संज्ञेय अपराध बनाने की योजना सरकार बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

उक्त विषय सामाजिक जागरूकता से सम्बन्धित है। खाना बर्बाद करने की प्रवृत्ति जनसामान्य को जागरूक कर एवं नैतिक शिक्षा के प्रसार द्वारा समाप्त की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-सम्भल के चन्दौसी में गड़रिया समुदाय की उप-जाति धनगर को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में

40-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-207 सी0एम0/26-3-2018 समाज कल्याण अनुभाग-3, लखनऊ, दिनांक 24 जनवरी, 2019 के अनुपालन में तहसील-चन्दौसी, जिला-सम्भल से गड़रिया समुदाय की उप-जाति धनगर के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र जारी हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बताएगी कि उक्त के उपरांत शासनादेश दिनांक 22-04-2022 तक कितने अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र उक्त शासनादेश के क्रम में जारी हुए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

तहसील-चन्दौसी, जनपद-सम्भल से गडरिया समुदाय की उप-जाति धनगर के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र जारी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि तहसील-चन्दौसी क्षेत्र के अन्तर्गत धनगर उप-जाति के व्यक्ति निवास नहीं कर रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तानुसार।

जनपद-मुरादाबाद के बिलारी व रुस्तमनगर सहसपुर में हैण्डलूम के कारोबार में लगे लोगों को रियायती दर पर विद्युत कनेक्शन व अन्य सुविधाएं देने के सम्बन्ध में

41-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुरादाबाद के अन्तर्गत नगर बिलारी एवं उसके निकटवर्ती कस्बा रुस्तमनगर सहसपुर में हैण्डलूम के कारोबार में लगे लोगों को रियायती दर पर विद्युत कनेक्शन, सरकारी सूत डिपो व विशेष स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी हां।

हैण्डलूम बुनकरों को रियायती दर पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, परन्तु सरकार द्वारा प्रत्येक हथकरघा बुनकरों के बिजली कनेक्शन पर प्रतिमाह रु0 328/-, वार्षिक रु0 3,936/- की विद्युत सहायता दी जा रही है। मुरादाबाद के अन्तर्गत नगर बिलारी एवं कस्बा रुस्तमनगर सहसपुर क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 158 हथकरघा बुनकरों को वार्षिक रु0 3,936/- प्रति बुनकर की दर से डी0बी0टी0 के माध्यम से विद्युत अनुदान का लाभ दिया गया है। हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों/हथकरघा बुनकरों को एन0एच0डी0सी0 (नेशनल हैण्डलूम डेवलपमेन्ट कारपोरेशन) के माध्यम से सूती धागा, भारतीय रेशमी धागा, लीनेन धागा एवं वूलेन धागा 15 प्रतिशत छूट पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इच्छुक बुनकर या उनकी संस्था रियायती दर पर धागा एन0एच0डी0सी0 से प्राप्त कर सकता है। वर्तमान में राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा बुनकरों के लिए कोई विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित नहीं है। गरीब लोगों के लिए भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

42-श्री वीर विक्रम सिंह -

[2-बुद्धवार के अतारांकित प्रश्न सं0-200 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-बलिया, मऊ व देवरिया में खरवार जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी कराने विषयक

43-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलिया व मऊ और देवरिया में खरवार जाति अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आती है परन्तु तहसील द्वारा खरवार जाति का प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच

कराकर खरवार जाति का अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

अनुसूचित जातियां, एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा खरवार, खैरवार जातियों को उत्तर प्रदेश के जनपद-देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी तथा सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। उक्त वर्णित अधिनियम में 'मऊ' जनपद का अंकन नहीं है। उक्त अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अनुसार बलिया एवं देवरिया जनपद में खरवार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है।

उक्तानुसार।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सम्पत्ति के अधीन विष्णुपुरी कालोनी, अलीगंज, लखनऊ में बन्द पड़े जीर्ण-शीर्ण भवनों को किराये पर दिये जाने की जांच विषयक

44-श्री अनिल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन विष्णुपुरी कालोनी, अलीगंज, लखनऊ में जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत, कई वर्षों से बन्द पड़े आवास व रिक्त आवासों को किराये पर दिये जाने की जांच कराए जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क-6, नं0-683849, दिनांक 26 जुलाई, 2022 को राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन विष्णुपुरी कालोनी, अलीगंज, लखनऊ में कुल आवासों की संख्या-456 है, जिसमें से आवंटित आवासों की संख्या-113 हैं रिक्त आवासों में कोई भी आवास किराये पर नहीं दिया गया है। उक्त कालोनी में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 16 आवासों में छतों के बदलाव का कार्य कराया जा चुका है। अध्यासियों द्वारा आवास में अनुरक्षण सम्बन्धी जो कमियां संज्ञान में लाई जाती हैं, उनका नियमित रूप से प्राथमिकता पर निराकरण कर दिया जाता है।

उक्त कालोनी के कुल 55 आवास ऑनलाईन रिक्त प्रदर्शित हो रहे हैं। चूंकि राजकीय कालोनी, इन्दिरा नगर, सेक्टर-16 के 360 आवास जर्जर होने के कारण तोड़े जाने की

कार्यवाही विचाराधीन है, इन आवासों में निवास कर रहे अध्यासियों को विष्णुपुरी कालोनी में शिफ्ट किया जाना है, इस कारण अन्य आवास ऑनलाइन रिक्त नहीं दर्शाए जा रहे हैं।

उक्त कालोनी के दोनों पार्कों में लगी हुई हाईमास्क लाईट एवं कालोनी के अन्दर लगी हुई सभी 28 पथ प्रकाश बिन्दु वर्तमान में जल रहे हैं। पार्क के अनुरक्षण व सौन्दर्यीकरण की नियमानुसार यथोचित व्यवस्था करने हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को निर्देशित कर दिया गया है।

नोएडा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अन्य आवासीय स्कीम लागू करने के सम्बन्ध में

45-श्री पंकज सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्य मंत्री आवास योजना का लाभ नोएडा में निवास करने वाले जरूरतमंद लोगों को नहीं मिलता है ? यदि हां, तो उक्त योजना के स्थान पर प्राधिकरण द्वारा कोई आवासीय स्कीम लागू करने पर सरकार विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्य मंत्री आवास योजना सम्बन्धी परियोजनाओं का कार्य प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जाता है।

नोएडा प्राधिकरण द्वारा देश के सभी वर्गों के लिए समय-समय पर यथावश्यकतानुसार राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में अपनी योजनाएं प्रकाशित करायी जाती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

नोएडा में चीला रेगुलेटर से महामाया फ्लाईओवर तक निर्माणाधीन एलीवेटेड रोड को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

46-श्री पंकज सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा में चीला रेगुलेटर से महामाया फ्लाईओवर तक निर्माणाधीन एलीवेटेड रोड का कार्य सरकार समय-सीमा निर्धारित कर पूर्ण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जी हां।

उक्त परियोजना दिनांक 31-12-2019 को प्रारम्भ की गयी। वर्तमान में विषयगत परियोजना का निर्माण कार्य की प्रगति लगभग 13 प्रतिशत है। परियोजना हेतु धनराशि उपलब्ध

न होने के कारण कार्य वर्तमान में बन्द है। उक्त परियोजना हेतु अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था हेतु अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09-09-2022 को एक बैठक आयोजित की गयी। परियोजना को पुनः प्रारम्भ कर पूर्ण किए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोएडा के सभी सेक्टरों और गांवों में विद्युत तारों को भूमिगत कराने के सम्बन्ध में

47-श्री पंकज सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा के सभी सेक्टरों और गांवों में विद्युत तारों को भूमिगत करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में विकसित किये जाने वाले नये सेक्टरों में भूमिगत केबिल डालकर विद्युतीकरण किया जाता है। पूर्व में विकसित किये गये सेक्टरों में ओवरहेड विद्युत लाईन डाली गई थी, जिनको भूमिगत किये जाने की नोएडा प्राधिकरण में वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्राधिकरण द्वारा सेक्टरों के आवंटियों एवं ग्रामवासियों को विद्युत आपूर्ति करने हेतु विकसित सेक्टरों में ओवरहेड प्रणाली से विद्युत लाईनों का निर्माण करने के पश्चात् यू0पी0पी0सी0एल0 को हस्तगत कर दिया जाता है। तदोपरान्त यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा ही लाईनों का अनुरक्षण एवं संचालन किया जाता है अर्थात् प्राधिकरण क्षेत्र में स्थापित समस्त अवस्थापनायें (ओवरहेड/भूमिगत लाईन) यू0पी0पी0सी0एल0 के अधीन हैं तथा यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा अपने संसाधनों से ओवरहेड लाईनों को भूमिगत किया जा सकता है।

श्रीमती संगीता पत्नी स्व0 सूबेदार, निवासी-बेलऊ, जनपद-आजमगढ़ को राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ दिलाये जाने विषयक

48-श्री बेचई सरोज-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री परवेज अली, सदस्य, विधान परिषद का पत्र संख्या क-नं0-033455, दिनांक 10-11-2021 का पत्र जो कि श्रीमती संगीता पत्नी स्व0 सूबेदार, निवासी-बेलऊ, जनपद-आजमगढ़ को राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ दिलाये जाने विषयक पत्र है जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हां।

राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ योजनान्तर्गत श्रीमती संगीता पत्नी स्व0 सूबेदार, ग्राम-बेलऊ, विकास खण्ड-ठेकमा, तहसील-मार्टिनगंज, आजमगढ़ का आवेदन पत्र (रजि0 नं0 3157118680) उप जिलाधिकारी के लॉगिन पर अग्रसारित किये जाने हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी, आजमगढ़ के पत्रांक 1989-91, दिनांक 04-12-2021 एवं पत्रांक 1172-73, दिनांक 20-07-2022 एवं 1812-14, दिनांक 14-09-2022 द्वारा उप जिलाधिकारी से पत्राचार किया गया है। संबंधित उप जिलाधिकारी के स्तर से आवेदन पत्र अग्रसारित किये जाने के उपरान्त जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

यू0पी0 लघु उद्योग निगम लिमिटेड में वर्ष 2008 से अप्रैल, 22 तक खरीदे एवं बिक्री किये गये कोयले के सम्बन्ध में

49-श्री अमिताभ बाजपेयी-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, उद्यम उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0 लघु उद्योग निगम लिमिटेड में वर्ष 2008 से दिनांक 29-04-2022 तक कितने कोयले की खरीद एवं बिक्री की गयी है, तथा कितना कोयला डिपो में शेष है तथा उक्त कोयला स्टॉक का भौतिक सत्यापन कब किया गया था ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी हां। उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 2008 से दिनांक 29-04-2022 तक कोयले की खरीद एवं कोयले की बिक्री का विवरण मैट्रिक टन में वर्षवार निम्नवत है :-

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	क्रय मात्रा	विक्रय मात्रा	अन्तिम अवशेष
1	2	3	4	5	6
1	2008-09	15552.360	577542.380	591396.965	1697.775
2	2009-10	1697.775	705833.970	700003.180	7528.565
3	2010-11	7528.565	909149.430	912437.270	4240.725
4	2011-12	4240.725	765585.440	769502.555	323.610
5	2012-13	323.610	782553.165	777541.065	5335.710

1	2	3	4	5	6
6	2013-14	5335.710	254407.000	256303.410	3439.300
7	2014-15	3439.300	305739.955	248409.400	60769.855
8	2015-16	60769.855	39165.980	54373.820	45562.015
9	2016-17	45562.015	शून्य	22682.140	22879.875
10	2017-18	22879.875	शून्य	2000.465	20879.410
11	2018-19	20879.410	शून्य	शून्य	उपरोक्त प्रारम्भिक अवशेष की वसूली कर अन्तिम अवशेष शून्य कर दिया गया है।
12	2019-20	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13	2020-21	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14	2021-22	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15	2022-23	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

कोयले के स्टॉक का भौतिक सत्यापन हेतु निगम द्वारा तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक के पत्र संख्या 06-09 दिनांक 25-07-2018 के माध्यम से समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धकों से कोयले की अवशेष मात्रा का विवरण मांगा गया था जिसके क्रम में विभिन्न भण्डारों में उनके द्वारा भण्डार प्रबन्धक के माध्यम से कोयले का भौतिक सत्यापन कर रेलवे रैक वेट के आधार पर कोयले की अवशेष मात्रा की सूचना उपलब्ध करायी गयी, जिसका विवरण निम्नवत है :-

1	क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ द्वारा पत्र दिनांक 28-07-2018 के माध्यम से 7,197.215 मी0टन
2	क्षेत्रीय प्रबन्धक, कानपुर द्वारा पत्र दिनांक 31-07-2018 के माध्यम से 310.915 मी0टन
3	क्षेत्रीय प्रबन्धक, इलाहाबाद द्वारा पत्र दिनांक 28-07-2018 के माध्यम से 13,371.375 मी0टन
4	शेष भण्डारों में कोयले की अवशेष मात्रा शून्य थी।

निगम व कोयला समन्वयक के मध्य निष्पादित अनुबन्ध में कोयले की मात्रा रेलवे रैक वेट से ली जाती है तथा रेलवे रैक वेट से वास्तविक मात्रा में यदि कमी भी हो तो भी रेलवे रैक वेट के आधार पर ही अवशेष मात्रा मानी जाती है। उपरोक्त मात्रा रेलवे रैक वेट एवं विक्रय मात्रा के अनुसार ही निकाली जाती है।

मेसर्स ए0के0ए0 लॉजिस्टिक्स प्रा0लि0 से निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार अवशेष मात्रा 20879.40 मी0टन की विक्रय मूल्य पर रु0 83317834.56 की वसूली की जा चुकी है।

तदोपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा वर्ष 2019-20 में कोयला समन्वयक नियुक्ति हेतु आर0एफ0पी0 के प्राविधान सं0 3.25 पेनॉल्टी फॉर शार्टेज के अनुसार पेनाल्टी के रूप में रु0 19268746.44 की धनराशि की भी वसूली की जा चुकी है।

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ब्लाक-पुरवा की ग्राम पंचायत-त्रिपुरारपुर में मिनी स्टेडियम बनवाये जाने की मांग

50-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के दृष्टिगत जनपद उन्नाव के ब्लाक-पुरवा की ग्राम पंचायत-त्रिपुरापुर में एक मिनी स्टेडियम बनवाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

वर्तमान में युवा कल्याण विभाग में मात्र मा0 मुख्य मंत्री घोषणा तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत खेल परियोजनाओं में निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

जनपद-शाहजहांपुर में दिनांक 01-04-2021 से 30-06-2022 तक सम्पन्न हुए सामूहिक विवाह के सम्बन्ध में

51-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में दिनांक 01-04-2021 से 30-06-2022 तक कितने सामूहिक विवाह के आयोजन किन-किन तिथियों में कहां-कहां सम्पन्न कराये गये तथा विवाहित जोड़ों को क्या-क्या सामान तथा कितनी-कितनी धनराशि के चेक वितरण किये गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि जो सामान क्रय किया गया उसमें क्या-क्या नियम अपनाये तथा खाना में कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या सरकार को जानकारी है कि खाना तथा सामान की गुणवत्ता खराब थी ? क्या सरकार क्रय किये गये सामान तथा खाने की क्वालिटी की जांच कराकर प्रश्नकर्ता से साक्ष्य लेकर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत दिनांक 01-04-2021 से 30-06-2022 तक आयोजित सामूहिक विवाह समारोह का विवरण निम्नवत है :-

क्र0सं0	जनपद का नाम	आयोजन स्थल का नाम	आयोजन की तिथि	लाभान्वित जोड़ों की संख्या
1	2	3	4	5
1	शाहजहांपुर	तहसील के ब्लाक मुख्यालयों के परिसर	19-06-2021	100
2	शाहजहांपुर	जनपद मुख्यालय स्तर पर रामलीला मैदान खिरनीबाग	16-07-2021	125
3	शाहजहांपुर	जनपद मुख्यालय स्तर पर ओ0सी0एफ0 रामलीला मैदान।	11-12-2021	562
4	शाहजहांपुर	मुख्यालय स्तर पर मण्डी समिति, रोज़ा	15-06-2022	297
कुल योग				**1084**

मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत वैवाहिक सामग्री के रूप में वर-वधू को कपड़े की किट, डिनर सेट, प्रेशर कुकर, ट्रॉली बैग, चांदी की पायल तथा दो जोड़ी बिछिया तथा मौसम के अनुसार कम्बल एवं सीलिंग फैन का वितरण किया गया। धनराशि रु0 35,000/- प्रति जोड़े की दर से नगर आयुक्त, खण्ड विकास अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारियों के स्तर से कन्या के बैंक खातों में हस्तान्तरित कर भुगतान किया गया।

शासनादेश के नियमावली जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रय समिति के माध्यम से सामान क्रय किया गया तथा उपरोक्त कुल 1084 जोड़ों हेतु धनराशि रु0 26.46 लाख खाने पर व्यय की गयी।

जिलाधिकारी की निगरानी में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा खाना तथा सामान की गुणवत्ता की जांच की गयी, गुणवत्ता अच्छी थी।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के किसानों को खाद और बीज क्रय में दी जा रही छूट को बढ़ाने के सम्बन्ध में

52-श्री राजपाल सिंह बालियान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को खाद और बीज क्रय में दी जा रही छूट को बढ़ाने में सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

प्रदेश के कृषकों को उर्वरकों की आपूर्ति प्रदेश की आवश्यकतानुसार की जाती है तथा उर्वरकों के अनुदान भारत सरकार के स्तर पर निर्धारित किया जाता है।

वैश्विक बाजार में उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोत्तरी होने के कारण माह अप्रैल, 2022 में भारत सरकार द्वारा डी0ए0पी0 उर्वरक के प्रति 50 कि0ग्रा0 बैग पर दिये जा रहे अनुदान को रु0 1650.00 से बढ़ाकर रु0 2501.00 एवं एन0पी0के0 (12:32:16) के 50 कि0ग्रा0 बैग पर रु0 1019.00 के स्थान पर रु0 1918.00 तथा एम0ओ0पी0 पर प्रति 50 कि0ग्रा0 बैग पर अनुदान रु0 304.00 बढ़ाकर रु0 759.00 किया जा चुका है।

उक्त से स्पष्ट है कि भारत सरकार द्वारा माह अप्रैल, 2022 से डी0ए0पी0 पर रु0 851.00, एन0पी0के0 पर रु0 899.00 तथा एम0ओ0पी0 पर रु0 455.00 के अनुदान की बढ़ोत्तरी कृषकों के हित को ध्यान में रखते हुए की गई है। भारत सरकार द्वारा खेती की लागत को कम किए जाने हेतु उर्वरकों पर अनुदान में बढ़ोत्तरी कर कृषकों को छूट दी जा रही है।

इसी प्रकार वर्तमान में विभिन्न फसलों के बीजों पर केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत देय अनुदान तथा राज्य सरकार से देय विशेष अनुदान बीज मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा तक कृषकों को अनुमन्य किया गया है।

केन्द्र पोषित योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य से अधिक बीज वितरण पर अथवा केन्द्रीय योजनाओं से अनाच्छादित जनपदों में वितरित बीज पर भी राज्य सरकार से बीज मूल्य के अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा तक अनुदान अनुमन्य किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में मुरादाबाद मण्डल सहित अनेक स्थानों पर झोजा जाति को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने में आ रही समस्याओं को दूर करने की मांग

53-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मुरादाबाद मण्डल सहित अनेक स्थानों पर झोजा जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र जारी होने में आ रही समस्या को दूर करने हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में भारत सरकार द्वारा जारी रामपुर स्टेट गजट वर्ष 1911,

रामपुर डिस्ट्रिक्ट गजट एवं अन्य साक्ष्यों में अंकित तथ्यों के दृष्टिगत झोजा जाति के साथ पर्यायवाची शब्द तुर्क अंकित करने का निर्देश सरकार देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग की बैठक दिनांक 04-04-2002 में आयोग के संज्ञान में आया कि तुर्क मुस्लिम 'झोजा' की उपजाति है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि किसी जाति के साथ उसकी उप जाति अथवा उप नाम अथवा टाइटिल नहीं जोड़ा जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में बच्चों के खेलकूद के लिए मिनी स्टेडियम बनाने की मांग

54-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में बच्चों के खेलकूद के लिए कोई मिनी स्टेडियम की योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

वर्तमान में युवा कल्याण विभाग में मात्र मा0 मुख्य मंत्री घोषणा तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत खेल परियोजनाओं में निर्माण कार्य कराया जा रहा है। सम्प्रति मिनी स्टेडियम की कोई योजना युवा कल्याण विभाग में संचालित नहीं है।

जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा में स्वीकृत वृद्धावस्था पेंशन के सम्बन्ध में

55-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के किन-किन व्यक्तियों तथा महिलाओं की पेंशन विभाग द्वारा दिनांक 01-04-2020 से 30-06-2022 तक स्वीकृत हुई है, का नाम, पते, दिनाक सहित पूरी सूची प्रत्येक विवरण पृथक-पृथक सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जनपद-शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र कटरा में दिनांक 01-04-2020 से 30-06-2022 तक 1116 पुरुषों तथा 649 महिलाओं सहित कुल 1765 वृद्धजनों की वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत हुई है। स्वीकृत वृद्धजनों के नाम व पते की सूची पृथक-पृथक संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मेरठ में वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 के मध्य गरीब परिवार की कन्याओं के विवाह के सम्बन्ध में

56-श्री अतुल प्रधान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मेरठ में वर्ष 2019-2020, वर्ष 2020-2021 तथा वर्ष 2021-2022 में गरीब परिवारों की पात्र श्रेणियों की कितनी बेटियों की शादी की गयी है तथा उक्त वर्षों में मेरठ को कितना अनुदान प्राप्त हुआ है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जनपद मेरठ में शादी अनुदान योजनान्तर्गत वर्गवार प्राप्त अनुदान लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण निम्नवत है :-

वर्ष	वर्ग	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	आवंटित धनराशि (लाख रु0 में)	भुगतानित अनुदान राशि (लाख रु0 में)
1	2	3	4	5
2019-20	एस0सी0/एस0टी0	265	53.00	53.00
	सामान्य	158	31.60	31.60
	पिछड़ा वर्ग	764	152.80	152.80
	अल्पसंख्यक वर्ग	576	115.20	115.20
	कुल	**1763**	**352.60**	**352.60**
2020-21	एस0सी0/एस0टी0	293	58.60	58.60
	सामान्य	123	24.60	24.60
	पिछड़ा वर्ग	469	93.80	93.80
	अल्पसंख्यक वर्ग	125	25.00	25.00
	कुल	**1010**	**202.00**	**202.00**

† छापा नहीं गया।

1	2	3	4	5
2021-22	एस0सी0/एस0टी0	224	44.80	44.80
	सामान्य	111	22.20	22.20
	पिछड़ा वर्ग	400	80.00	80.00
	अल्पसंख्यक वर्ग	389	77.80	77.80
	कुल	**1124**	**224.80**	**224.80**

मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना

वर्ष	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या					आवंटित धनराशि (लाख रु0 में)	व्यय धनराशि (लाख रु0 में)
	एस0सी0/ एस0टी0	सामान्य वर्ग	अल्पसंख्यक वर्ग	पिछड़ा वर्ग	कुल		
2019-20	237	52	375	126	790	402.90	402.90
2020-21	64	2	46	12	124	63.24	63.24
2021-22	121	16	181	78	396	201.96	201.96

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

57-श्री महेश त्रिवेदी-

[04-मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0-132 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-चित्रकूट के समाज कल्याण विभाग में रिक्त फील्ड स्तरीय पदों को भरने के सम्बन्ध में

58-श्री अनिल प्रधान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चित्रकूट के समाज कल्याण विभाग में फील्ड स्तरीय सहायक विकास अधिकारियों एवं ग्राम विकास अधिकारियों तथा अन्य कार्यालय स्टाफ को रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्त नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जनपद-चित्रकूट के समाज कल्याण विभाग में फील्ड स्तर के स्वीकृत 09 पदों के सापेक्ष 02 कर्मचारी तैनात हैं तथा लिपिक वर्गीय स्टाफ में स्वीकृत 17 पद के सापेक्ष 09 कर्मचारी तैनात हैं। रिक्त पदों का अधियाचन निदेशालय पत्र संख्या-383/स0क0/स्था0-4/2018-19 दिनांक 14-05-2018 एवं पत्र संख्या-848-49/स0क0/स्था0-1/2020-21, दिनांक

09-10-2020 एवं लिपिक वर्गीय स्टाफ के रिक्त 246 पदों का अधियाचन निदेशालय पत्र संख्या-671-72/स0क0/स्था0-3/2020-21, दिनांक 24-09-2020 द्वारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है।

जी हां।

ग्राम विकास अधिकारी (स0क0) के रिक्त 512 पदों का अधियाचन क्रमशः निदेशालय पत्र संख्या-383/स0क0/स्था0-4/2018-19 दिनांक 14-05-2018 एवं पत्र संख्या-848-49/स0क0/स्था0-1/2020-21 दिनांक 09-10-2020 एवं लिपिक वर्गीय स्टाफ के रिक्त 246 पदों का अधियाचन निदेशालय पत्र संख्या-671-72/स0क0/स्था0-3/2020-21, दिनांक 24-09-2020 द्वारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है। प्रकरण उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के स्तर पर लम्बित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2017 से दिनांक 20-04-2022 तक अनुमोदित एक्सप्रेस-वे के शिलान्यास के सम्बन्ध में

59-श्री तूफानी सरोज-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017 से दिनांक 20-04-2022 तक कुल कितने एक्सप्रेस-वे के निर्माण के प्रस्ताव अनुमोदित होने के पश्चात् उनका शिलान्यास किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

कुल तीन एक्सप्रेस-वे।

जी हां।

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास दिनांक 14-07-2018

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास दिनांक 29-02-2020

गंगा एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास दिनांक 18-12-2021

प्रश्न नहीं उठता।

60-श्री जवाहर लाल राजपूत-

[03-सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं0-58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

किसान सम्मान निधि में आवेदन की प्रक्रिया के सरलीकरण के सम्बन्ध में

61-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में जटिलता के कारण किसानों को समय पर उक्त निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के हित में

ऑनलाइन आवेदन एवं के0वाई0सी0 की प्रक्रिया के सरलीकरण करवाने तथा पात्रों को उक्त का लाभ दिलाने हेतु किसी अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारण पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

पी0एम0 किसान पोर्टल भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टल है। पी0एम0 किसान पोर्टल पर स्पष्ट भाषा में योजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया का उल्लेख सरल एवं सुविधाजनक भाषाओं में प्रदान किया गया है। कृषक स्वयं से या किसी भी जन सेवा केन्द्र के माध्यम से योजना के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं व लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार ई-के0वाई0सी0 की प्रक्रिया भी सरल है। किसान स्वयं अपने मोबाइल से अथवा जन सेवा केन्द्र से अपना ई-के0वाई0सी0 करा सकते हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए व्यक्तियों को पेंशन देने के सम्बन्ध में

62-श्री मनीष असीजा-

क्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में कितने कुष्ठ रोगी हैं ? क्या सरकार सभी कुष्ठ रोगियों की कुष्ठावस्था विकलांग भरण-पोषण योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा अनुमन्य धनराशि रु0 3000/- प्रदान कर रही है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्तियों का सर्वेक्षण नहीं कराया जाता है अपितु कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए व्यक्तियों को कुष्ठावस्था पेंशन योजना से लाभान्वित किया जाता है। जनपद-फिराजाबाद में कुल 22 कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए व्यक्तियों को कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत रु0 3000/- प्रतिमाह की दर से लाभान्वित किया जा रहा है।

उक्तानुसार।

उक्तानुसार।

जनपद-फिरोजाबाद में पात्र किसानों को किसान सम्मान निधि दिलाने के सम्बन्ध में

63-श्री मनीष असीजा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फिरोजाबाद में कितने पात्र किसान हैं, जिन्हें किसान सम्मान निधि प्राप्त नहीं हो रही है ? क्या सरकार इन पात्र किसानों को किसान सम्मान निधि दिलाने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु कृषकगण जन सेवा केन्द्र के माध्यम से अथवा स्वयं से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। यह योजना सतत् रूप से चलने वाली योजना है, जिसमें पंजीकरण खुला हुआ है। अब तक जनपद-फिरोजाबाद में कुल 262531 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्राप्त हो चुकी है तथा जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से 9609 कृषकों द्वारा कराया गया पंजीकरण तहसील स्तर से सत्यापन की प्रक्रिया में है।

जी हां।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वंचित कृषकों का सत्यापन कराने के उपरान्त पात्र पाये जाने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कृषकों का डाटा भारत सरकार को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है तथा भारत सरकार द्वारा पात्र पाये जाने के उपरान्त कृषकों को लाभान्वित किया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-फिरोजाबाद के रेहना क्षेत्र में प्रस्तावित छात्रावास निर्माण के सम्बन्ध में

64-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र फिरोजाबाद में बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजना के अन्तर्गत 50 छात्रों के छात्रावास निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, फिरोजाबाद द्वारा रेहना क्षेत्र में गाटा संख्या-126 रकबा-0.207 हेक्टेयर में 0.150 हेक्टेयर चिन्हित भूमि पर तैयार प्रारम्भिक आगणन रु0 1118.57 लाख समाज कल्याण अधिकारी फिरोजाबाद के द्वारा निदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित संख्या-5202-05/सा0क0/ छात्रावास/2019-20 दिनांक 07-02-2020 के द्वारा प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रेषित प्रस्ताव/आगणन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हां।

जनपद-फिरोजाबाद के रेहना क्षेत्र में प्रस्तावित छात्रावास निर्माण के प्रस्ताव को नगर निगम फिरोजाबाद की बोर्ड मीटिंग दिनांक 04-10-2019 में मा0 सदस्यों द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।

कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा जल भराव एवं अतिरिक्त मिट्टी के भराव के दृष्टिगत छात्रावास निर्माण में असमर्थता व्यक्त की गयी है।

अतः रेहना के स्थान पर ग्राम-लालऊ, तहसील-फिरोजाबाद की संस्तुति के क्रम में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रस्ताव 'पी0एम0 अजय' योजना के अन्तर्गत भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-फिरोजाबाद के दाऊदयाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में तरणताल की व्यवस्था किये जाने की मांग

65-श्री मनीष असीजा-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फिरोजाबाद के दाऊदयाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जनपद के तैराकी खेल के खिलाड़ियों के लिए तरणताल की सुविधा नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार तैराकी खेल को प्रोत्साहन देने हेतु जनपद-फिरोजाबाद के स्पोर्ट्स स्टेडियम में तरणताल स्थापित कराने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-फिरोजाबाद के स्पोर्ट्स स्टेडियम में पूर्व से ही प्रशासनिक भवन, खेल मैदान, बहुउद्देश्यीय क्रीड़ा हाल, वालीबाल कोर्ट एवं बास्केटबाल कोर्ट निर्मित है जहां पर जनपद के उदीयमान खिलाड़ियों को खेल की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। तरणताल के लिए समुचित भूमि उपलब्ध होने पर कार्यवाही की जायेगी।

जिला आबकारी अधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत के सम्बन्ध में

66-श्री मनीष असीजा-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आबकारी अधिकारी, फिरोजाबाद के द्वारा भ्रष्टाचार करते हुए फिरोजाबाद की सदर तहसील के रशीदपुर कनैटा में संचालित पण्डित मुरारीलाल इण्टर कालेज एवं 40-50 वर्ष पुराने मन्दिर के समीप बीयर, अंग्रेजी एवं देशी शराब के ठेकों को जोकि नगला श्रोती के नाम पर स्वीकृत हैं, के स्थान पर रशीदपुर कनैटा में संचालित कराया जा रहा है, जहां पर पूर्व से ही शराब का ठेका संचालित हो रहा है। क्या सरकार अवगत है कि उक्त शराब एवं बीयर के ठेकों के चयनस्थल पर लेखपाल,

तहसीलदार एवं अपर जिलाधिकारी फिरोजाबाद की प्रतिकूल रिपोर्ट की अनदेखी एवं कदाचार करते हुए इन ठेकों को चलवाने और शासन-प्रशासन की छवि धूमिल करने से रोकने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री, आबकारी मंत्री, अपर मुख्य सचिव आबकारी विभाग को प्रेषित क्रमशः पत्रांक संख्या क-6 नं0-589598, क-6 नं0-589593, क-6 नं0-589592 दिनांक 28-07-2022 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई करी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल-

अवगत कराना है कि आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा जिलाधिकारियों को सम्बोधित अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-26020-26089/दस-लाइ0-400/दुकानों संख्या-स्थिति/02-03 दिनांक 15-02-2002 के अन्तर्गत दुकानों की स्थिति निर्धारण के सम्बन्ध में दिये गये मार्ग दर्शक निर्देशों के प्रस्तर-'ग' में निम्नांकित निर्देश दिये गये हैं:-

'ग्रामीण क्षेत्र में स्थित दुकानों को उसकी ग्राम पंचायत के नाम से विज्ञापित किया जाये तथा उपरोक्तानुसार विज्ञापित दुकान को उक्त ग्राम पंचायत सीमा के अन्तर्गत किसी भी स्थान पर खोला जा सके। यदि किसी ग्राम पंचायत में एक से अधिक दुकान हों तो राजस्व ग्राम के नाम से विज्ञापित कराया जाये तथा उक्त स्थिति में दुकान को उक्त राजस्व ग्राम की सीमा के अन्दर ही खोला जा सके।'

उक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली-1968 (यथासंशोधित) के नियम-4 'क' में उल्लेख है कि 'किसी सार्वजनिक पूजा स्थल अथवा विद्यालय अथवा चिकित्सालय अथवा आवासीय कालोनी के नगर निगम में होने पर 50 मीटर की दूरी के भीतर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में होने के मामले में 75 मीटर की दूरी के भीतर व प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में होने के मामले में 100 मीटर की दूरी के भीतर दुकान या उपदुकान को लाइसेंस नहीं दिया जायेगा।'

उल्लेखनीय है कि नगला सोती (श्रोती) ग्राम रसीदपुर कनैटा ग्राम सभा का एक मजरा है जिसके अन्तर्गत देशी शराब, विदेशी शराब/बीयर शराब दुकानों का संचालन उक्त निर्देश/प्राविधान के अन्तर्गत नियमानुसार कराया जा रहा है।

उक्त के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी एवं आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1, जनपद-फिरोजाबाद द्वारा एक संयुक्त जांच भी की गयी है जिसके अन्तर्गत निम्नवत् उल्लेख किया गया है :-

'स्थलीय निरीक्षण के दौरान शिकायत में उल्लिखित मानव उत्थान सेवा समित द्वारा संचालित श्री हंस सत्संग मन्दिर की दूरी आबकारी दुकानों से लगभग 125 मी0 एवं पण्डित

मुरारीलाल इण्टर कालेज से उक्त दुकानों की दूरी लगभग 250 मी0 से अधिक पायी गयी। शिकायत में उल्लिखित आबकारी दुकानें उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968 यथासंशोधित के अनुरूप है।'

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि उक्त देशी, विदेशी व बीयर दुकानों में कुल वार्षिक आबकारी राजस्व रु0 1,67,43,560/- निहित है।

अवगत कराना है कि मा0 विधायक जी के सन्दर्भित पत्रों में से पत्र संख्या क-6 नं0-589598 एवं पत्र संख्या क-6 नं0-589593 जिला आबकारी अधिकारी, फिरोजाबाद के कार्यालय में प्राप्त हुये हैं।

अवगत कराना है कि मा0 विधायक जी के उपरोक्त पत्रों के प्राप्त होने के पूर्व भी आई0जी0आर0एस0 के अन्तर्गत एवं अन्य शिकायती पत्रों के अन्तर्गत प्रश्नगत दुकानों के सम्बन्ध में समान प्रकार की शिकायत प्राप्त हुयी थी जिस पर लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा निष्पक्ष भौतिक परीक्षण कराने हेतु उप जिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी सदर एवं आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 की संयुक्त टीम का गठन कर आख्या मांगी गयी थी। उक्त संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 27-07-2022 को प्रेषित अपनी संयुक्त जांच आख्या में स्पष्ट किया गया है कि देशी शराब, विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर दुकान नगला सोती (श्रोती) उ0प्र0 आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली-1968 यथासंशोधित के अनुरूप है।

प्रश्न नहीं उठता।

67-श्री वाचस्पति-

[04-मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0-29 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-शाहजहांपुर के उप कृषि निदेशक कार्यालय द्वारा किसानों को वितरित किये गये कृषि यंत्रों का विवरण

68-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के उप कृषि निदेशक कार्यालय में 01-04-19 से 20-05-22 तक कौन-कौन से कृषि यन्त्र कितनी-कितनी धनराशि के किन-किन कृषकों को कब-कब उपलब्ध कराये गये ? क्या सरकार उक्त कृषकों की सूची तथा यन्त्रों का नाम धनरशि सहित पूर्ण विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद-शाहजहांपुर में दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से दिनांक 20 मई, 2022 तक कुल 1151 कृषि यन्त्रों यथा रोटावेटर, राइस ट्रान्स, प्लाण्टर, हाइड्रोलिक प्लाऊ, पम्पसेट, फार्म

मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेण्टर, पावर टिलर, सीड ड्रिल, पावर चैफ कटर, स्ट्रा रीपर, लेजर लैण्ड लेबलर, थ्रेसर, हैरो, पेडी मल्टीक्राप थ्रेसर, मिनी दाल मिल, रीपर 20 एच0पी0 से कम, डिस्क प्लाऊ, चीजल प्लाऊ, पशु चालित यन्त्र, कल्टीवेटर, मल्चर, रिवर्सेबल एम0बी0 प्लाऊ, चैफ कटर हस्त चालित, ट्रैक्टर माउण्टेड स्प्रेयर मशीन एवं जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल का क्रय किसानों द्वारा किया गया जिस पर कुल धनराशि रु0 17,11,98,939/- का अनुदान कृषकों को दिया गया।

उक्त से सम्बन्धित विस्तृत विवरण कृषि विभाग के विभागीय पोर्टल डब्लूडब्लूडब्लू. यूपीएग्रीकल्चर.कॉम पर उपलब्ध है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र-पडरौना में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन के निर्माण के सम्बन्ध में

69-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र-पडरौना में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पडरौना स्थित पार्क का सुन्दरीकरण, ओवरहेड टैंक की स्थापना, मार्डन शौचालय, विद्युत तारों की भूमिगत व्यवस्था, कर्मचारियों के लिए आवास की सुविधा तथा बाउण्ड्रीवॉल पर कटीले तार लगाये जाने की व्यवस्था सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पडरौना, कुशीनगर के भवन का निर्माण मानकीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत कराया गया है। मानकीकृत व्यवस्था में प्रशिक्षण हेतु निर्धारित भवन के निर्माण एवं अन्य स्थलीय विकास के कार्य कराये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान मण्डल सदस्यों को उनकी अपेक्षानुसार यू0पी0 सदन में अवस्थान का प्राविधान मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव की भांति करने के सम्बन्ध में

70-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा नई दिल्ली स्थित यू0पी0 सदन में राज्य सरकार के मंत्रि-परिषद् सदस्यों तथा विधान मण्डल सदस्यों से प्रोटोकॉल

में कतिपय अधिकारियों को भी अवस्थान की सुविधा है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधान मण्डल सदस्यों को उनकी अपेक्षानुसार यू0पी0 सदन में अवस्थान का प्राविधान मुख्य सचिव/प्रमुख सचिवों की भांति किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप सं0 एम0-1779/बत्तीस-3-2016-4/2014, दिनांक 18 मई, 2016 के प्राविधानानुसार उत्तर प्रदेश सदन 'त्रिवेणी' में विभिन्न श्रेणी के महानुभावों हेतु अवस्थान की व्यवस्था है। नई दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश भवन 'संगम' एवं उत्तर प्रदेश राज्य अतिथि गृह 'इन्द्रप्रस्थ' द्वारका में मा0 विधायकगण एवं मा0 भूतपूर्व विधायकगण को कक्ष आवंटन की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सदन 'त्रिवेणी' के सभी ब्लॉक पूर्व से ही चिन्हित महानुभावों हेतु आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश सदन 'त्रिवेणी' में कक्षों की संख्या कम होने एवं अधिक संख्या में मा0 मंत्रीगण या न्यायमूर्तिगण के पहुंचने पर उन्हें सचिव ब्लॉक में भी ठहराया जाता है। ऐसी दशा में यदि उन कक्षों को मा0 विधान मण्डल सदस्यों को आवंटित कर दिया जाता है तो अनुमन्य श्रेणी के किसी महानुभाव के अचानक सदन पहुंच जाने पर असमंजसपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित डालीबाग-3, तिलक मार्ग के बहुमंजिला आवासों की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में

71-श्री राम फेरन पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित डालीबाग-3, तिलक मार्ग के बहुमंजिला आवासों की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार डालीबाग स्थित विधायक आवास पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

लखनऊ स्थित डालीबाग-03, तिलक मार्ग बहुमंजिला आवासों में सुरक्षा व्यवस्था हेतु 26 नग सी0सी0टी0वी0 कैमरे क्रियाशील अवस्था में हैं। उक्त भवन में रात्रि पाली में राज्य सम्पत्ति विभाग के कार्मिकों के द्वारा चौकीदारी का कार्य किया जाता है। इसके साथ ही साथ सुरक्षा हेतु स्थानीय थाने में पालीगान-12 मोबाईल व द्वितीय मोबाईल की दिन-रात्रि ड्यूटी लगाई गई है, जो भ्रमणशील रह कर इस बहुखण्डीय भवन व उसके आस-पास सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखती हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित डालीबाग आवासीय कालोनी में कैण्टीन की व्यवस्था के सम्बन्ध में

72-श्री राम फेरन पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित डालीबाग-3 तिलक मार्ग स्थित विधायक निवास पर विधान सभा सदस्यों हेतु आवासीय कालोनी में किसी भी कैन्टीन की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधायकगण व उनके अतिथिगण हेतु भोजन आदि की व्यवस्था हेतु कैन्टीन का संचालन करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

लखनऊ के डालीबाग कालोनी में स्थित बहुमंजिला मंत्री आवास, 03 तिलक मार्ग मा0 मंत्रीगण के आवासीय सुविधा हेतु मंत्री आवास के रूप में चिन्हित भवन है। मंत्री आवास के रूप में चिन्हित होने के कारण इस भवन में कैन्टीन की सुविधा का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद श्रावस्ती के इकौना कस्बे में स्थित सब्जी मण्डी को अन्यत्र स्थापित किये जाने की मांग

73-श्री राम फेरन पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-श्रावस्ती के इकौना कस्बे में स्थित सब्जी मण्डी बीच मार्ग में स्थित होने से उक्त क्षेत्र में ट्रैफिक जाम लगा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में जाम से निजात दिलाने के लिए उक्त सब्जी मण्डी को कस्बे के बाहर स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

इकौना मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। यह स्थानीय बाजार है। ट्रैफिक जाम हटाने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला प्रशासन की है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में स्थित जिला रेशम कार्यालय द्वारा किये गये कार्यों का विवरण

74-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या रेशम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में जिला रेशम कार्यालय द्वारा दिनांक 01-04-2020 से 20-05-2022 तक कितना रेशम का उत्पादन हुआ तथा उससे क्या-क्या सामान का निर्माण हुआ तथा कार्यालय में कौन-कौन अधिकारी, कर्मचारी विगत 2 वर्षों से कार्यरत हैं तथा अन्य क्या-क्या कार्य जिला रेशम कार्यालय द्वारा कराये जाते हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जनपद शाहजहांपुर में दिनांक 01-04-2020 से 20-05-2022 तक कुल 138042.00 कि0ग्रा0 रेशम कोया का उत्पादन हुआ जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0 सं0	अवधि	बाईxबाई (कि0ग्रा0)	मल्टीबाई (कि0ग्रा0)	मल्टीxमल्टी (कि0ग्रा0)	कुल रेशम कोया उत्पादन (कि0ग्रा0)
1	दिनांक 01-04-2020 से दिनांक 31-03-2021	38526.00	15206.00	5095.00	58827.00
2	दिनांक 01-04-2021 से दिनांक 31-03-2022	43629.00	22253.00	6298.00	72180.00
3	दिनांक 01-04-2022 से दिनांक 20-05-2022	-	7035.00	-	7035.00
	योग	**82155.00**	**44494.00**	**11393.00**	**138042.00**

उक्त अवधि में उत्पादित कोये से जनपद पीलीभीत में स्थापित रेशम धागाकरण इकाई में रेशम धागे का उत्पादन कार्य एवं मल्टी प्रजाति के उत्पादित कोये को रेशम कृषकों द्वारा विक्रय कर आय प्राप्त की गयी।

जनपद शाहजहांपुर में जिला रेशम कार्यालय में विगत 02 वर्षों से कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी का विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	**कार्यालय/फार्म का नाम**	**विगत 02 वर्षों से कार्यरत कार्मिक**	**अभ्युक्ति**
1	2	3	4
1	नियन्त्रक कार्यालय-सहायक निदेशक (रेशम), पीलीभीत	श्री मिथलेश कुमार सिंह-सहायक निदेशक (रेशम), पीलीभीत परिक्षेत्र	जनपद शाहजहांपुर में कोई जिला स्तरीय कार्यालय नहीं है।

1	2	3	4
2	राजकीय रेशम फार्म-सतवां बुजुर्ग	श्री गोपाल चन्द्र-सहायक रेशम विकास अधिकारी	जनपद का कार्य सहायक निदेशक (रेशम) पीलीभीत से सम्पादित होता है।
		श्री हरि सिंह-अनुरक्षक (रेशम उत्पादन)	
3	राजकीय रेशम फार्म-महमूदपुर सैजनिया	श्री राजेश चौहान-अनुरक्षक (रेशम उत्पादन)	
4	राजकीय रेशम फार्म-सिधौली	श्री विपिन कुमार-चौकीदार	
5	राजकीय रेशम फार्म-जैनुद्दीननगर	श्री योगेन्द्र सिंह-अनुरक्षक (रेशम उत्पादन)	

जनपद शाहजहांपुर में जिला रेशम कार्यालय स्थापित नहीं है, इसका नियन्त्रण पीलीभीत परिक्षेत्र द्वारा किया जाता है। जनपद स्तर पर रेशम कार्यों का संचालन एवं जनपद स्तरीय बैठकों में भाग लेना तथा जिला प्रशासन द्वारा सौंपे गये कार्यों का ससमय निस्तारण सतवा बुजुर्ग में तैनात सहायक रेशम विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है। वृहद् वृक्षारोपण के अन्तर्गत शहतूत वृक्षारोपण कार्य फार्म से सम्बन्धित कर्षण कार्य, चाकी कीटपालन कार्य, फार्म स्तरीय गोष्ठी एवं कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा कृषकों को राज्यीय प्रशिक्षण (वर्ष 2020-21 में 10 लाभार्थी एवं 2021-22 में 07 लाभार्थी) हेतु विभागीय प्रशिक्षण संस्थान, मिर्जापुर एवं अन्तर्राज्यीय प्रशिक्षण (वर्ष 2020-21 में 03 लाभार्थी एवं 2021-22 में 03 लाभार्थी) हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रशिक्षण संस्थान (भारत सरकार) मैसूर (कर्नाटक) तथा बहरामपुर (पश्चिम बंगाल) से रेशम क्रिया कलापों में निःशुल्क प्रशिक्षण कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लहसुन किसानों के लिए लहसुन का समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग

75-श्री सचिन यादव

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लहसुन की खेती करने वाले किसानों के लिए लहसुन की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

औद्यानिक फसलें पेरीसेबल/शीघ्र नष्ट होने वाली उत्पाद की श्रेणी में आते हैं। सरकार द्वारा इनका समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया जाता है।

जनपद जालौन के उरई औद्योगिक क्षेत्र में बन्द पड़ी फैक्ट्रियों को पुनः संचालित कराने की मांग

76-श्री मूलचन्द्र सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जालौन के अन्तर्गत उरई में औद्योगिक क्षेत्र में बन्द पड़ी फैक्ट्रियों का पुनः संचालन सरकार कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जनपद जालौन में स्थित औद्योगिक क्षेत्र, उरई साईट-1 एवं साईट-2 में अधिकांश इकाइयों द्वारा वित्तीय संस्थान/यूपीएफसी/पिकप से ऋण लिये गये हैं, जिसके सापेक्ष अधिकांश इकाइयां सम्बन्धित वित्तीय संस्थानों में बन्धक हैं। उद्यमियों द्वारा लिये गये ऋण का भुगतान न करने पर यूपीएफसी/पिकप द्वारा समय-समय पर ऐसी इकाइयों को धारा-29 एसएफसी ऐक्ट के अन्तर्गत एवं बैंक द्वारा सरफेसी ऐक्ट के अन्तर्गत नीलाम किया जाता है। नीलामी क्रेताओं द्वारा प्राधिकरण में आवेदन कर नियमानुसार नामान्तरण/हस्तान्तरण की कार्यवाही कराकर लीजडीड इत्यादि निष्पादित कराकर नियमानुसार बन्द पड़ी इकाई पर नये उद्यमी द्वारा पुनः इकाई संचालित की जाती है।

इसके अतिरिक्त ऐसी इकाइयों जो अन्य कारणों से रूग्ण/बन्द पड़ी हैं, उन्हें इकाई संचालित करने हेतु नोटिसें प्रेषित की जाती हैं तथा उद्योग बन्धु की बैठकों एवं उद्यमी संघों के माध्यम से इकाई पुनः संचालित किये जाने के लिए लगातार प्रेषित किया जा रहा है। शासन की विभिन्न नीतियों के अन्तर्गत सस्ते दरों पर ऋण की व्यवस्था भी उद्योग बन्धु के माध्यम से उद्यमियों को उपलब्ध करायी जा रही है तथा जो उद्यमी पूर्व में उत्पादनरत रही इकाई/वर्तमान में बन्द पड़ी इकाई को संचालित नहीं कर पा रहे हैं, तो उक्त भूखण्ड/इकाई को किसी अन्य इच्छुक उद्यमी के पक्ष में हस्तान्तरण करने की भी सुविधा उपलब्ध है, जिससे नया उद्यमी हस्तान्तरण में भूखण्ड लेकर नई इकाई स्थापित कर लेता है। शासन द्वारा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु औद्योगिक विकास नीति, 2017 में समयान्तर्गत नई इकाई की स्थापना हेतु बैंक गारण्टी के आधार पर पट्टाविलेख में परियोजना के अनुसार 75 प्रतिशत अथवा 100 प्रतिशत तक स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान करने का प्राविधान बनाया गया है, जिससे उद्यमी आकर्षित होकर उक्त नीति के अन्तर्गत नई इकाई स्थापित कर रहे हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के तहसील जसराना में वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में सामूहिक विवाह के निर्धारित लक्ष्यों के सम्बन्ध में

77-श्री सचिन यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फिरोजाबाद के तहसील जसराना में वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में सामूहिक विवाह हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे ? क्या यह लक्ष्य वर्ष वार तय समय सीमा के अन्दर प्राप्त कर लिये गये थे ? यदि हाँ, तो वर्ष वार इस योजना के लाभार्थियों की सूची एवं आंकड़े सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त लक्ष्य प्राप्त न कर पाने की स्थिति में क्या कार्यवाही की गयी तथा वर्तमान वर्ष 2022-23 में सामूहिक विवाह की इस योजना के अन्तर्गत कितने लाभार्थी सूचीबद्ध हो चुके हैं अथवा लाभ ले चुके हैं ?

श्री असीम अरुण-

मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के कारण कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। वर्ष 2021-22 में तहसील-जसराना के सम्बन्धित नगरीय निकाय/विकास खण्ड में 183 जोड़ों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

वर्ष 2021-22 में लक्ष्य के सापेक्ष योजनान्तर्गत पंजीकरण न हो पाने के कारण लक्ष्य की पूर्ति नहीं की जा सकी थी।

मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत तहसील-जसराना में वर्ष 2020-21 में 53 तथा वर्ष 2021-22 में 152 जोड़ों की शादी सम्पन्न करायी गयी है। सूची संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता।

योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति न किये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर चेतावनी निगत की जा चुकी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत तहसील-जसराना में कुल 30 जोड़ों का विवाह कराया जा चुका है।

78-श्री मो0 फईम इरफान-

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जनपद स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति द्वारा जाति प्रमाण-पत्र के निरस्तीकरण के विरुद्ध मण्डलीय अपीलीय फोरम में अपील विचाराधीन होते हुए प्रमाण-पत्र धारक के विरुद्ध कार्रवाई के सम्बन्ध में

79-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति द्वारा किसी जाति प्रमाण-पत्र को निरस्त करने सम्बन्धी अन्तिम आदेश के बाद

---

† छापी नहीं गयी

मण्डलीय अपीलीय फोरम में अपील विचाराधीन होते हुए भी जाति प्रमाण-पत्र धारक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने का कोई प्राविधान है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्राविधान से सम्बन्धित आदेश/निर्देश की प्रति सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी नहीं।

शासनादेश संख्या-100/2020/1741/26-3-2020 दिनांक 30-07-2020 के प्राविधानानुसार अभ्यर्थी की जाति, उप-जाति, जनजाति, जनजातीय समुदाय या जनजातीय समुदाय के वर्ग या भाग के आधार पर मूल निवास के स्थान से स्थलीय पूछताछ/जांच पड़ताल उपरान्त जाति प्रमाण-पत्र पर फर्जी अथवा झूठा पाया जाता है तो अभियोजन की कार्यवाही राज्य स्तरीय जाति सत्यापन समिति के अन्तिम आदेश/निर्णयानुसार ही की जायेगी।

शासनादेश संख्या-100/2020/1741/26-3-2020 दिनांक 30-07-2020 की प्रति संलग्न है।[†]

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखनऊ के फैजुल्लागंज में नवीन आई0टी0आई0 कालेज के लिए अधिग्रहीत भूमि नगर निगम को वापस करने के सम्बन्ध में

80-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या व्यावसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के फैजुल्लागंज में स्वीकृत नया आई0टी0आई0 कालेज की स्थापना फैजुल्लागंज के स्थान पर डालीगंज में किया जाना प्रक्रियाधीन है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार फैजुल्लागंज की उक्त भूमि नगर निगम को वापस करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

जी हाँ। जनपद-लखनऊ की सदर तहसील के क्षेत्र फैजुल्लागंज में स्वीकृत नवीन राजकीय आई0टी0आई0 की स्थापना लखनऊ की सदर तहसील के क्षेत्र इरादतनगर, मोहल्ला-डालीगंज में किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जी हाँ।

भूमि को वापस किये जाने से सम्बन्धित अग्रेतर कार्यवाही प्रचलन में है।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ सं0-273-274 पर

प्रदेश में मण्डी समिति की रिक्त तथा अनुपयोगी भूमि के सम्बन्ध में

81-डॉ0 नीरज बोरा

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मण्डी परिषद की रिक्त तथा अनुपयोगी भूमि का विवरण क्या है ? क्या सरकार किसानों-व्यापारियों के हित में मण्डी परिषद की रिक्त भूमि का उपयोग पी0पी0पी0 मॉडल पर कृषि आधारित उद्योग/बायो गैस संयंत्र आदि स्थापित करने की कार्य योजना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

मण्डी परिषद के स्वामित्वाधीन कोई रिक्त भूमि नहीं है। मण्डी समितियों के स्वामित्व में प्रधान मण्डी स्थल एवं उप मण्डी स्थल के परिसर में एवं परिसर के बाहर रिक्त भूमि उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग मण्डी के विस्तार, व्यापारियों के मांग के अनुरूप अवसंरचनात्मक निर्माण यथा-गोदाम, दुकानें व प्लेटफार्म इत्यादि के लिए किया जाता है।

मण्डी समितियों की रिक्त भूमि पर निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ 02 मैंगो पैक हाउस लखनऊ तथा सहारनपुर संचालित हैं। 02 अन्य पैक हाउस वाराणसी एवं अमरोहा निर्माणाधीन हैं तथा सहजनवा (गोरखपुर) में पैक हाउस निर्माण हेतु कार्यवाही की जा रही है। भारत सरकार के डब्लू0डी0आर0ए0 मानक पर मण्डी समितियों की भूमि पर पांच हजार मी0टी0 क्षमता के 36 गोदामों का निर्माण एस0डब्लू0सी0 (राज्य भण्डारण निगम) द्वारा कराया गया है।

मण्डी समिति परिसर के बाहर कतिपय स्थानों पर भविष्य में व्यापार की आवश्यकता के अनुसार मण्डी स्थल निर्माण हेतु भूमि क्रय/अधिग्रहीत की गई है। कृषि आधारित उद्योग, संयंत्र आदि स्थापित किये जाने की प्रक्रिया प्रचलित हैं

उपरोक्तानुसार।

जनपद-बलिया में गोंड़ जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में

82-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलिया में गोंड़ जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश सरकार देगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 में उत्तर प्रदेश के जनपद-बलिया के गोंड व गोंड की पर्याय जातियां यथा धुरिया, नायक, ओझा,

पठारी व राजगोंड को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध कर दिया गया है। जनपद-बलिया में गोंड़ व गोंड़ की पर्याय जातियां यथा धुरिया, नायक, ओझा, पठारी व राजगोंड को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-हाथरस के विकास खण्ड-सादाबाद में स्टेडियम की स्थापना की मांग

83-श्री प्रदीप कुमार सिंह-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-हाथरस के विकास खण्ड-सादाबाद में क्षेत्र के युवाओं में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के दृष्टिगत स्टेडियम की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में युवा कल्याण विभाग में मा0 मुख्य मंत्री घोषणा तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत खेल परियोजनाओं में निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

जनपद-बस्ती के पात्र वृद्धजनों को पेंशन देने के सम्बन्ध में

84-श्री महेन्द्र नाथ यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बस्ती में वर्ष 2022 में ऐसे कितने वृद्धजन हैं, जिनके आवेदन-पत्र स्वीकृत होने के बावजूद भी वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं हो पा रही है ? क्या सरकार जनपद बस्ती में निर्दिष्ट समय-सीमा निकल जाने के पश्चात् पात्रता श्रेणी के वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन न मिल पाने के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जनपद-बस्ती में वर्ष 2022 में आवेदन-पत्र स्वीकृत होने के बाद सभी वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त हो रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को वर्ष 2021-22 की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में

85-श्री महेन्द्र नाथ यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अध्ययनरत् हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट के छात्र-छात्राओं को वर्ष 2021-22 की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति धनाभाव के कारण समस्त पात्र छात्र व छात्राओं को प्राप्त नहीं हुई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसे वंचित समस्त छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हां।

1-वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्वदशम कक्षा 9-10 (हाई स्कूल) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के समस्त पात्र 3,20,390 छात्रों को रुपये 7844.33 लाख तथा सामान्य वर्ग के समस्त पात्र 1,24,193 छात्रों को रुपये 3058.62 लाख छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

2-वर्ष 2021-22 से अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं को 40 प्रतिशत धनराशि राज्यांश के रूप में राज्य सरकार द्वारा तथा 60 प्रतिशत धनराशि केन्द्रांश के रूप में भारत सरकार द्वारा भुगतान की जाती है। वर्ष 2021-22 में इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) में अनुसूचित जाति के छात्रों को भुगतानित धनराशि का विवरण निम्नवत है :-

(धनराशि रु0 लाख में)

पात्र छात्रों की संख्या	आवश्यक धनराशि	भुगतान का विवरण				लम्बित देयता का विवरण			
		केन्द्रांश		राज्यांश		केन्द्रांश		राज्यांश	
		छात्र संख्या	धनराशि	छात्र संख्या	धनराशि	छात्र संख्या	धनराशि	छात्र संख्या	धनराशि
440139	13084.58	427204	7619.74	407367	4844.52	12935	231.01	32772	389.31

योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि छात्रों के खाते में भुगतानित किये जाने के पश्चात् भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की धनराशि का भुगतान सीधे छात्रों के खाते में किया जाता है।

3-इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) में सामान्य वर्ग के 3,81,217 छात्रों के सापेक्ष उपलब्ध बजट से 1,46,494 छात्रों को रु0 3879.05 लाख की धनराशि भुगतान की गयी है तथा

योजनान्तर्गत धनराशि की अनुपलब्धता के कारण 2,34,723 छात्रों की देयता लम्बित है। सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना फण्ड एण्डेड योजना है। सम्बन्धित वर्ष की देयता को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जाती है।

जी हां।

योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि छात्रों के खाते में भुगतानित किये जाने के पश्चात् भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की धनराशि का भुगतान सीधे छात्रों के खातों में किया जाता हैं

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-ललितपुर के विकास खण्ड तालबेहट, जखौरा, बाट व विरधा की सहरिया जनजाति के विकास के सम्बन्ध में

86-श्री रामरतन कुशवाहा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-ललितपुर में विधान सभा क्षेत्र ललितपुर, विकास खण्ड तालबेहट, जखौरा, बाट व विरधा में निवासरत सहरिया जनजातियों के उत्थान हेतु कोई योजना सरकार बनाएगी ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी नहीं। जनपद-ललितपुर में विधान सभा क्षेत्र ललितपुर, विकास खण्ड तालबेहट, जखौरा, बाट व विरधा में निवासरत सहरिया जनजातियों के उत्थान हेतु पूर्व से ही योजनाएं संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में निवासरत जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सहायता से जनजाति विकास विभाग द्वारा निम्नलिखित प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं :-

1-दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना।

2-पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना।

3-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों का संचालन।

4-जनजाति उप योजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता से कार्यक्रमों का संचालन।

5-लघु वन उपजों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना (MSP for MFP)

6-छात्रावासों का संचालन।

7-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय।

8-अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को यूनीफार्म एवं साईकिल योजना।

9-अनु0 जनजाति की बालिकाओं के विवाह हेतु अनुदान।

10-अत्याचारों से उत्पीड़ित अनु0 जनजातियों की सहायता।

11-बुक बैंक।

12-जनपद ललितपुर के ग्राम व परगना बानपुर, तहसील महरौनी में अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के शैक्षिक विकास हेतु एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (कक्षा 6 से 12) का निर्माण भी विभाग द्वारा कराया जा रहा है।

उक्त योजनाओं का लाभ जनपद ललितपुर के सहरिया जनजाति के लोगों को दिये जाने का प्राविधान है।

87-श्री रामरतन कुशवाहा-

[06-बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-57 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा में पिछड़े व अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार ऋण उपलब्ध कराने की मांग

88-श्री वाचस्पति-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रयागराज के बारा विधान सभा क्षेत्र में पिछड़ों एवं अनुसूचित जाति वर्गों को दुग्ध व्यवसाय, तकनीकी आधारित कृषि के क्षेत्र में उत्थान के लिए सरकार रोजगार ऋण उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली से आसान ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऋण वितरित किया जाता था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 को वित्तीय वर्ष 2012-13 से ऋण देना बन्द कर दिया गया, जिसके कारण अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को दुग्ध व्यवसाय, तकनीकी कृषि के क्षेत्र में उत्थान के लिए कोई ऋण उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 06-06-2022 को जारी गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपद (जिसमें प्रयागराज का बारा विधान सभा क्षेत्र भी सम्मिलित है) में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उनके अभिरुचि एवं स्थानीय आवश्यकता/मार्केट वैल्यु के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों (जिसमें दुग्ध व्यवसाय, तकनीकी आधारित

कृषि क्षेत्र भी सम्मिलित है), में उद्यमिता विकास सहित फारवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज की सुविधा प्रदान कर उद्यमी बनाया जाना है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा में मिनी स्टेडियम की स्थापना की मांग

89-श्री वाचस्पति-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रयागराज के बारा विधान सभा क्षेत्र में भारत सरकार की खेलो इण्डिया खेल योजना के अन्तर्गत युवाओं/छात्राओं को खेल में प्रोत्साहित करने हेतु मिनी स्टेडियम का निर्माण पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत खेल अवस्थापना सृजन के सम्बन्ध में नई गाईडलाइन्स अभी तक निर्गत नहीं की गयी है।

जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा में युवाओं को रोजगार हेतु कौशल विकास योजना के क्रियान्वयन विषयक

90-श्री वाचस्पति-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रयागराज के बारा विधान सभा क्षेत्र में युवाओं को रोजगार/व्यवसाय करने हेतु उनके लिए नवीन तकनीकी/कौशल विकास योजना को क्रियान्वित करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

बारा विधान सभा क्षेत्र (जनपद प्रयागराज) क्षेत्र में 14-35 आयु वर्ग के युवाओं को निःशुल्क रोजगारपरक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा कौशल प्रशिक्षण योजनायें संचालित की जा रही हैं। बारा विधान सभा क्षेत्र में निम्नलिखित प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं :-

क्र0सं0	प्रशिक्षण प्रदाता का नाम	केन्द्र का नाम	सेक्टर
1	वृन्दावन शिक्षा एवं जनकल्याण समिति	राजा कमलाकर डिग्री कालेज, शंकरगढ़	अपैरल
2	सुनहरा भविष्य विकास समिति	ग्राम-पौरी, करमा रोड, गौहनिया, प्रयागराज	जनरल ड्यूटी असिस्टेन्ट मल्टी स्किल टेक्नीशियन

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा में अनुसूचित जाति व जनजाति के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने विषयक

91-श्री वाचस्पति-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के युवाओं को रोजगार के दृष्टिगत आबकारी विभाग युवा रोजगार सृजन की कोई नई नीति बनायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल-

जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा में आबकारी विभाग से सम्बन्धित आवश्यकताओं के परिपूर्ण होने के दृष्टिगत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के युवाओं को रोजगार सृजन की कोई क्षेत्रीय नीति नहीं बनायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग में कोई भी भर्ती सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश तथा मुख्यालय प्रयागराज में निर्धारित स्वीकृत पदों में रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती हेतु सम्बन्धित चयन आयोग को अधियाचन प्रस्तुत कर दी जाती है।

जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा में दिव्यांगजनों की बैकलॉग भर्ती की मांग

92-श्री वाचस्पति-

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा में दिव्यांगजनों हेतु बैकलॉग भर्ती अभियान चलायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

दिव्यांगजनों की बैकलॉग के आधार पर भर्ती, विभागवार उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष सम्बन्धित विभागों/सक्षम निकायों द्वारा की जाती है।

विधान सभा वार दिव्यांगजन की बैकलॉग भर्ती किये जाने का प्रावधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों को यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में

93-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को यूरिया की उपलब्धता सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश के समस्त किसानों को उनकी बोई गई फसलों की आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में यूरिया उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करायी गई है।

खरीफ, 2022 हेतु प्रदेश में 38.50 लाख मी0 टन यूरिया की उपलब्धता के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 30 अगस्त, 2022 तक 41.55 लाख मी0 टन यूरिया उपलब्ध हो चुकी है तथा 30.54 लाख मी0 टन की बिक्री कृषकों की आवश्यकता के अनुरूप की जा चुकी है।

रबी 2022-23 में किसानों को सुगमतापूर्वक उनकी आवश्यकतानुसार यूरिया उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु 39.00 लाख मी0 टन की आपूर्ति का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार किसानों को उनकी आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में यूरिया उर्वरक उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती रीमा गौतम पत्नी स्व0 राजकुमार को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ दिलाने के सम्बन्ध में

94-श्री बेचई सरोज-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत ग्राम सभा भदेवरा की निवासिनी श्रीमती रीमा गौतम पत्नी स्व0 राजकुमार को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ दिलाये जाने विषय प्रकरण मुख्य मंत्री पोर्टल आई0जी0आर0एस0 संख्या-18194220114709 दिनांक 16-07-2022 पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

आई0जी0आर0एस0 संख्या-18194220114709 दिनांक 16-07-2022 को पोर्टल पर दर्ज श्रीमती रीमा गौतम पत्नी स्व0 राजकुमार द्वारा दिनांक 04-07-2022 को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन किया गया है। उक्त आवेदन-पत्र को सत्यापनोपरान्त उप जिलाधिकारी, केराकत द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर अग्रसारित किया गया है। आवेदक के बैंक खाता संख्या का मिलान पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर

लम्बित है। पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से बैंक खाता के मिलान के पश्चात् रिस्पान्स प्राप्त होते ही नियमानुसार धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-ललितपुर की विधान सभा क्षेत्र ललितपुर में मिनी स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में

95-श्री रामरतन कुशवाहा-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर में मिनी स्टेडियम निर्माण कराये जाने हेतु कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

खेल विभाग द्वारा जनपद-ललितपुर में पूर्व से ही स्टेडियम का निर्माण कराया जा चुका है, जहां पर मुख्य खेल मैदान, प्रशासनिक भवन, बहुउद्देश्यीय क्रीड़ा हॉल, बास्केटबाल कोर्ट, वालीबॉल कोर्ट निर्मित है।

96-श्री अरमान खान-

[05-बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0-172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में दिव्यांगजनों की पेंशन वृद्धि के सम्बन्ध में

97-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत दिव्यांगजनों को प्रतिमाह मिलने वाली रु0 500/- पेंशन की धनराशि को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांगजन पेंशन) योजनान्तर्गत अनुदान की धनराशि रु0 500/- प्रतिमाह को बढ़ाकर रु0 1000/- किये जाने के आदेश दिनांक 17-12-2021 को निर्गत किये गये हैं, उक्त बढ़ी हुई पेंशन की धनराशि दिनांक 01-12-2021 से देय है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-गाजियाबाद के लोनी में निर्मित आई0टी0आई0 कालेज में अध्यापकों की तैनाती के सम्बन्ध में

98-श्री नन्द किशोर-

क्या व्यावसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र लोनी, जनपद-गाजियाबाद अन्तर्गत सब्लूगढ़ी गांव में छात्र-छात्राओं को व्यवसायिक शिक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व

से नवनिर्मित आई0टी0आई0 कालेज में अध्यापकों की तैनाती कराकर शिक्षण कार्य समयबद्ध सीमा में सरकार आरम्भ करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लोनी, गाजियाबाद को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत वर्ष 2022 के प्रशिक्षण सत्र से क्रियाशील/संचालित कर दिया गया है। वर्तमान में इस संस्थान में अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रदान किये जाने की कार्यवाही प्रगतिमान है। नवसृजित आई0टी0आई0 में अध्यापकों की तैनाती पी0पी0पी0 मॉडल के अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार निजी संचालनकर्ता द्वारा की गई है।

संस्थान क्रियाशील हो गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

99-श्री राजेन्द्र कुमार-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद-मैनपुरी के ग्राम हविलिया बेगमपुरा गल्ला मण्डी की बाउण्ड्री वाल के निर्माण के सम्बन्ध में

100-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी की विधान सभा क्षेत्र किशनी में एक्सप्रेस-वे के किनारे ग्राम हविलिया बेगमपुरा में गल्ला मण्डी के लिए अधिग्रहीत भूमि पर बाउण्ड्रीवाल निर्माण तथा उक्त मण्डी का निर्माण कार्य सरकार पूर्ण करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हां।

मण्डी हविलिया (मोहब्बतपुर) में अधिग्रहीत भूमि पर चहारदीवारी का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। मण्डी परिषद की वित्तीय स्थिति, स्थानीय आवश्यकता एवं कार्य योजना की स्वीकृति के दृष्टिगत निर्माण कार्य कराये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

101-डॉ0 सुरभी-

[05-बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-171 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-मुरादाबाद के उद्यान विभाग द्वारा अनियमित अनुदान वितरण विषयक

102-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुरादाबाद के उद्यान विभाग में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में 3 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान नियमों को दरकिनार कर बांटने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त घोटाले में दोषियों के विरुद्ध अब तक की गई कार्रवाई का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

एक जिला, एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत चयनित व्यक्तियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में

103-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 'एक जिला एक उत्पाद' योजना के अन्तर्गत प्रदेश के किस जिले को किस उत्पाद के लिए चयनित किया गया है ? क्या सरकार बताएगी विगत 3 वर्षों में चयनित उद्योग के लिए प्रत्येक जिले में कितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

ओ0डी0ओ0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों से परम्परागत उत्पाद/उत्पादों का चयन किया गया है। (सूची संलग्न)†

विगत तीन वर्षों में चयनित उद्योग के लिए ओ0डी0ओ0पी0 प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में कुल 56528 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। (विवरण संलग्न)†

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मुरादाबाद के पाकबड़ा डींगरपुर रोड पर स्थापित एस0ई0जेड0 क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के सम्बन्ध में

104-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुरादाबाद क्षेत्र में पाकबड़ा डींगरपुर रोड पर स्थापित एस0ई0जेड0 क्षेत्र में वर्तमान तक कितनी औद्योगिक इकाइयां

---

† देखिये नत्थी-'घ' आगे पृष्ठ सं0-275-279 पर

स्थापित की गई हैं तथा कितनी किया जाना शेष है ? क्या सरकार की उक्त क्षेत्र में किसी निश्चित समय-सीमा तक शत-प्रतिशत क्षमता के अनुसार औद्योगिक इकाइयां स्थापित कराने की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

एस0ई0जेड0 मुरादाबाद में कुल सृजित 478 भूखण्डों के सापेक्ष 92 इकाइयों को 120 भूखण्ड आवंटित किये गये हैं। अब तक कुल 59 इकाइयां उत्पादन में लायी जा चुकी हैं तथा 4 इकाई निर्माणाधीन हैं। वर्तमान में आवंटन हेतु 358 भूखण्ड उपलब्ध हैं। इनमें से 247 भूखण्ड निवेश मित्र पोर्टल पर आवंटन हेतु उपलब्ध हैं।

एस0ई0जेड0 की स्थापना वर्ष 2003 से इस क्षेत्र में मात्र हैण्डीक्राफ्ट की निर्यातक इकाइयों को ही अनुमन्य किया जाता था। वर्ष 2017 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14-11-2017 के द्वारा एस0ई0जेड0 मुरादाबाद में आई0टी0/आई0टी0ई0एस0/इलेक्ट्रानिक्स कम्पोनेन्ट्स, टेक्सटाइल, हैण्डीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स विद इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की इकाइयों के लिये अनुमन्य किया गया। पुनः भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य एवं विपणन को अधिक प्रभावी बनाने के लिये अधिसूचना दिनांक 17-12-2019 के द्वारा इस क्षेत्र को मल्टी सेक्टर विशेष आर्थिक जोन घोषित किया गया है। इसके उपरान्त इस से सभी प्रकार के उद्योगों हेतु निर्यातक इकाइयों को अनुमन्य किया जा रहा है।

भूखण्डों के विपणन/आवंटन को बढ़ाने के लिए भूखण्डों का विवरण निवेश मित्र पोर्टल पर उपलब्ध है। जहां आवेदक अपनी आवश्यकता के अनुसार भूखण्ड चयन कर सकता है। इस हेतु भूखण्डों के विपणन की कार्यवाही यूपीसीडा द्वारा की जा रही है। इस क्षेत्र के भूखण्डों के विपणन एवं निर्यातकों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु यूपीसीडा/विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा निर्यातकों से सम्पर्क कर भूखण्डों के आवंटन कराने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। इस क्रम में विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा माह फरवरी, 2021 में समाचार पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित कराया गया है। यूपीसीडा/विकास आयुक्त कार्यालय, विकास आयुक्त कार्यालय, एस0ई0जेड0 कार्यालय, मुरादाबाद/उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र, मुरादाबाद के द्वारा अतिरिक्त अन्य जिलों/स्थानों के निर्यातकों/उद्यमियों को इस क्षेत्र में इकाई लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। सम्भवतः अगले 03 वर्षों में समस्त भूखण्ड आवंटित हो जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मैनपुरी के पात्र दिव्यांगों को पेंशन प्रदान करने विषयक

105-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी में वर्तमान में ऐसे कितने दिव्यांग हैं जिनके आवेदन-पत्र पात्रता श्रेणी में स्वीकृत कर लिये गये किन्तु पेंशन

नहीं दी गयी है ? क्या सरकार उक्त पात्रों को पेंशन प्रदान करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

जनपद-मैनपुरी में वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम त्रैमास में दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से दिनांक 30 जून, 2022 तक की अवधि में कुल 226 पात्र दिव्यांगजन की दिव्यांग पेंशन स्वीकृत की गयी है।

उक्त कुल पात्र 226 दिव्यांगजन की पेंशन नियमानुसार उनके खाते में अन्तरित की जा चुकी है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मैनपुरी में दिव्यांगजन को वितरित सामग्री के सम्बन्ध में

106-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी के विकलांग जन विकास विभाग द्वारा 2021-22 में कितने दिव्यांगों को ट्राई साइकिल एवं अन्य सामग्री का वितरण किया गया तथा कितनों को दिया जाना शेष है ? क्या सरकार उक्त लाभार्थियों को उक्त सामग्री उपलब्ध करायेगी ?यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद-मैनपुरी में कुल 594 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल एवं अन्य सामग्री का वितरण किया गया है। उक्त अवधि का कोई आवेदन अवशेष नहीं है।

उक्तानुसार।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मैनपुरी में वृद्धावस्था पेंशन से सम्बन्धित लम्बित आवेदन-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में

107-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी में वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में वृद्धावस्था पेंशन के कितने आवेदन अनिस्तारित हैं ? क्या सरकार लम्बित आवेदन-पत्रों का निस्तारण करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम-अरुण-

जनपद-मैनपुरी में वर्ष 2020-21 के 847 आवेदन तथा 2021-22 के 743 आवेदन वृद्धावस्था पेंशन के अनिस्तारित हैं। बजट प्राविधान के सापेक्ष ही वृद्धजनों को लाभान्वित किया गया।

जी हाँ।

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में लम्बित आवेदन-पत्रों का निस्तारण कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, झांसी के सम्बन्ध में मा0 सदस्य के पत्र पर कार्यवाही के सम्बन्ध में

108-श्री रवि शर्मा-

क्या व्यावसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 27 जून, 2022 का पत्र, जोकि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, झांसी में प्रशिक्षणार्थियों के भविष्य एवं प्रशिक्षण संस्थान के वातावरण के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

जी हाँ।

मा0 सदस्य का उक्त पत्र दिनांक 27 जून, 2022 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, झांसी में तैनात 03 अनुदेशकों के स्थानान्तरण से सम्बन्धित है, जोकि विभाग में स्थानान्तरण सत्र के अन्तिम कार्य दिवसों में प्राप्त हुआ। स्थानान्तरण सत्र समाप्त हो जोन के कारण स्थानान्तरण की कार्यवाही नहीं की जा सकी। वर्तमान में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, झांसी में सामान्य वातावरण में प्रशिक्षण का कार्य सुचारु रूप से सम्पादित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शादी अनुदान योजनान्तर्गत आवेदनकर्ता द्वारा त्रुटिवश दो बार आवेदन करने के सम्बन्ध में

109-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत एस0सी0/एस0टी0 अथवा सामान्य वर्ग के गरीब आवेदनकर्ता द्वारा त्रुटिवश दो बार आवेदन हो जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार त्रुटिवश दो

बार आवेदन हो जाने पर उसे निरस्त करने के स्थान पर पात्रता श्रेणी के आधार पर किसी एक आवेदन को स्वीकृत करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि उक्त योजना में अनुदान हेतु आवेदनकर्ता अपनी दो पुत्रियों के विवाह हेतु आवेदन कर सकता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी नहीं।

शादी अनुदान योजनान्तर्गत एस0सी0/एस0टी0 अथवा सामान्य वर्ग के गरीब आवेदनकर्ताओं द्वारा दो बार आवेदन करने की स्थिति में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा आवेदन-पत्रों का परीक्षण कर एक आवेदन-पत्र को अनुमोदित/अग्रसारित किया जाता है तथा उसी आवेदक का दूसरा आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में एक ही आवेदन-पत्र पी0एफ0एम0एस0 पर जाता है। अतः आवेदन-पत्र डुप्लीकेट एकाउन्ट के कारण निरस्त नहीं होता है तथा इस सम्बन्ध में शादी अनुदान पोर्टल के साफ्टवेयर में एन0आई0सी0 द्वारा समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी के लॉगिन में खाता संशोधन का विकल्प उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उसी आवेदक का अन्य खाता अपडेट करने की व्यवस्था दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-फिरोजाबाद में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में

110-श्री मनीष असीजा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फिरोजाबाद में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद-फिरोजाबाद में पूर्व से एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित है। प्रदेश में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना भारतीय कृषि विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारत सरकार द्वारा की जाती है।

जनपद-फिरोजाबाद में वंचित पात्र किसानों को किसान सम्मान निधि दिलाने के सम्बन्ध में

111-श्री मनीष असीजा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फिरोजाबाद में दिनांक 1 अगस्त, 2022 तक कितने कृषक, किसान सम्मान निधि प्राप्त करने से वंचित हैं ? क्या सरकार वंचित

पात्र किसानों को किसान सम्मान निधि दिलाने का कार्य करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु कृषकगण जन सेवा केन्द्र के माध्यम से अथवा स्वयं से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। यह योजना सतत् रूप से चलने वाली योजना है, जिसमें पंजीकरण खुला हुआ है। अब तक जनपद फिरोजाबाद में कुल 262531 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्राप्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से 9609 कृषकों ने पंजीकरण कराया है, जिनका तहसील सत्यापन कार्य क्रमिक हैं

जी हाँ।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वंचित कृषकों का सत्यापन कराने के उपरान्त पात्र पाये जाने पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार इनका डाटा भारत सरकार को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने हेतु ठोस कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में

112-श्री मनीष असीजा-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ओलम्पिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, विश्व चैम्पियनशिप आदि अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन अन्य प्रदेश के खिलाड़ियों की तुलना में कम है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा वर्णित प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है :-

1-टोक्यो ओलम्पिक-2020 में उत्तर प्रदेश के 10 खिलाड़ियों के द्वारा प्रतिभाग करते हुए एक कांस्य पदक व एक खिलाड़ी ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया।

2-टोक्यो पैरालम्पिक-2020 में उत्तर प्रदेश के 08 खिलाड़ियों के द्वारा प्रतिभाग करते हुए दो रजत पदक प्राप्त किये।

3-22वें कॉमनवेल्थ गेम्स-2022 में उत्तर प्रदेश के 14 खिलाड़ियों के द्वारा प्रतिभाग करते हुए 04 रजत व 04 कांस्य पदक प्राप्त किये।

4-18वें एशियन गेम्स-2018, जकार्ता में उत्तर प्रदेश के 46 खिलाड़ियों के द्वारा प्रतिभाग करते हुए 01 स्वर्ण पदक, 04 रजत पदक तथा 06 कांस्य पदक प्राप्त किये।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन एवं संवर्द्धन हेतु एकलव्य क्रीड़ाकोष नियमावली-2021, उत्तर प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली-2022 प्रख्यापित की गयी है तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर एवं विभिन्न स्तर की मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में उत्तर प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को शासनादेशों में अनुमन्य व्यवस्था के अनुसार पुरस्कार/प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार तथा अनुदान व राजपत्रित पदों पर नौकरी प्रदान करने हेतु नीति प्रख्यापित है।

जनपद-फिरोजाबाद में शादी अनुदान के पात्र लाभार्थियों से अवैध धन उगाही की जांच

113-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फिरोजाबाद में शादी अनुदान के पात्र लाभार्थियों को फोन करके/सम्पर्क करके अवैध धन उगाही कराये जाने विषयक प्रकरण में तकनीकी जांच कराये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा निदेशक, समाज कल्याण को प्रेषित पत्रांक सी-2970, दिनांक 08-07-2022 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हाँ।

निदेशालय के पत्र संख्या-606-07/स0क0/विकास/शादी अनु0यो0/2022-23, दिनांक 08-08-2022 द्वारा जिलाधिकारी, फिरोजाबाद से प्रश्नगत प्रकरण में दूरभाष संख्या-7351122597, 8923674961, 7357631797 एवं 7599025871 द्वारा शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत अवैध धनराशि मांगे जाने के विषय में उपरोक्त मोबाइल का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के पत्र संख्या-256/जि0पि0क0/शा0अनु0/2022-23, दिनांक 17-08-2022 द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद से उपरोक्त प्रकरण पर साइबर अपराध प्रकोष्ठ से जांच कराते हुए वैधानिक कार्यवाही किये जने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

114-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

[02-सोमवार के अतारांकित प्र0सं0-122 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-गोण्डा के कतिपय मार्गों की मरम्मत के सम्बन्ध में

115-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा में तरैनी/भिखारी पट्टी/गौरा बुजुर्ग आदि मार्ग गड्ढायुक्त हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्गों को विशेष मरम्मत योजना में ठीक कराने का कार्य करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

विधान सभा क्षेत्र गौरा में सम्पर्क मार्ग तरैनी, सम्पर्क मार्ग भिखारी पट्टी एवं सम्पर्क मार्ग गौरा बुजुर्ग की मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य वर्ष 2017-18 में कराया गया था।

'उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति-2013' के अन्तर्गत निर्धारित मानक के अनुरूप गड्ढामुक्ति का कार्य कराया जाना लक्षित होता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

116-श्री महेश त्रिवेदी-

[04-मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-133 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-मेरठ के सरधना के लावड़ नगर पंचायत में मण्डी के निर्माण की मांग

117-श्री अतुल प्रधान-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मेरठ के सरधना विधान सभा क्षेत्र के लावड़ नगर पंचायत में मण्डी का निर्माण कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी नहीं।

अवगत कराना है कि उप मण्डी घोषित करने हेतु वर्तमान निर्धारित मानक के अनुसार उपमण्डी की कम से कम वार्षिक आय रु0 50.00 लाख तथा लाइसेंसियों की संख्या कम से कम 25 अवश्य होनी चाहिए। सचिव, मण्डी समिति, मेरठ द्वारा अवगत कराया गया है कि लावड़ नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15 लाइसेंसी व्यापारी कार्यरत हैं, जिससे मण्डी शुल्क से होने वाली वार्षिक आय शून्य है। इस प्रकार निर्धारित मानक पूर्ण न होने के कारण लावड़ नगर पंचायत में उपमण्डी स्थल घोषित किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मेरठ में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की कार्य योजना विषयक

118-श्री अतुल प्रधान-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित/विकसित करने की सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जनपद-मेरठ में यूपीसीडा द्वारा पिछले कई वर्षों से औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान में उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड की जनपद मेरठ में स्थित (कुल 89.68 एकड़ भूमि) बन्द इकाई को प्राधिकरण की लैण्ड बैंक में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही शासन स्तर पर लम्बित है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक संगठनों/जिलाधिकारियों से सम्पर्क कर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु उपयुक्त भूमि चयनित करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद-गौतमबुद्धनगर के नोएडा शहर में पेयजल की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में

119-श्री पंकज सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गौतमबुद्धनगर स्थित नोएडा शहर के सेक्टरों और गांवों में पेयजल की समस्याओं के निराकरण के लिए नोएडा प्राधिकरण द्वारा गंगाजल योजना के तहत 90 एम0एल0डी0 (37.50 क्यूसेक) वर्ष 2020 तक तथा वर्ष 2021 तक के लिए गंगाजल के नियोजन 330 एम0एल0डी0 के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि शहर के कितने सेक्टर्स और गांवों को अभी तक उक्त योजना के अन्तर्गत पेयजल वितरण नहीं हो पा रहा है तथा उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

नोएडा एवं गाजियाबाद क्षेत्र में गंगाजल आपूर्ति की व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से संयुक्त 50 क्यूसेक गंगाजल परियोजना प्रस्तावित की गयी थी, जिसमें नोएडा का अंश 37.50 क्यूसेक एवं उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् का अंश 12.50 क्यूसेक है। परियोजना के सम्पादन हेतु गठित एम0ओ0यू0 के अनुसार परियोजना के कार्य हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया है। गठित एम0ओ0यू0 के अनुसार परियोजना का कार्य प्रारम्भ एवं कार्य समापन क्रमशः मार्च, 2018 एवं सितम्बर, 2020 निर्धारित था। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि विभिन्न बाधाओं के कारण उक्त परियोजना का कार्य अनुबन्धित समयावधि में पूर्ण नहीं किया जा सका है।

उपरोक्तानुसार।

परियोजना में आ रही बाधाओं को दूर करते हुए वर्तमान में परियोजना पर तीव्र गति से कार्य प्रगति पर है, परियोजना के अन्तर्गत वर्तमान में 89 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसको दिसम्बर, 2022 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर बने स्कूलों/कालेजों में अधिग्रहीत भूमि से सम्बन्धित किसानों के बच्चों के प्रवेश में रियायत विषयक

120-श्री पंकज सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर बने स्कूलों/कालेजों में, जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गयी थी, के बच्चों को उक्त विद्यालयों में प्रवेश के लिए आरक्षण/रियायत देने की अनिवार्यता के आधार पर की गई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि स्कूलों और कालेजों ने इस शर्त का पालन किया है ? यदि हाँ तो विगत 3 वर्ष का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जी हाँ।

नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटित किये जाने वाले विद्यालयों के पट्टा प्रलेख की धारा-27 के अन्तर्गत नोएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रवेश आरक्षित रखे जाने का प्रावधान है।

उपरोक्तानुसार।

विगत 03 वर्षों में ऐसे किसान जिनकी भूमि का अधिग्रहण नोएडा प्राधिकरण द्वारा किया गया हो, के कितने बच्चों को आरक्षण/रियायत नोएडा के विद्यालयों द्वारा प्रदान की गयी है, का विवरण संकलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर बने संस्थानों और कम्पनियों में अधिग्रहीत भूमि मालिकों के बच्चों को रोजगार देने विषयक नियम के अनुपालन के सम्बन्ध में

121-श्री पंकज सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर बने संस्थानों और कम्पनियों में, जिन किसानों की भूमि

अधिग्रहीत की गयी थी, उनके बच्चों को रोजगार के लिए आरक्षण/रियायत देने का कोई नियम लागू है ? यदि हाँ तो उक्त नियम का पालन किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि विगत पांच वर्ष में किस माध्यम से कितने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है ? उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटित होने वाले औद्योगिक भू-खण्डों के पट्टा प्रलेख की धारा-20 में प्राविधानित किया गया है कि आवंटी अपने उद्योग में कुशल व अकुशल श्रमिकों के नियुक्ति के समय कुल श्रम शक्ति का 5 प्रतिशत उन परिवारों से नियुक्त करेगा, जिनकी भूमि औद्योगिक क्षेत्र विकास हेतु अधिग्रहीत की गयी है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में प्रत्यक्ष आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, परन्तु वर्तमान आवंटन नीति के अनुसार 4000 वर्ग मी0 से ऊपर के भू-खण्डों के आवंटन हेतु आवेदन पर प्रचलित आब्जेक्टिव क्राईटेरिया के अनुसार रोजगारपरक् उद्योग स्थापना हेतु स्थानीय/ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने वाले आवंटियों को आवंटन में प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

नोएडा प्राधिकरण में स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान किये जाने के उद्देश्य से गत वर्ष रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में नोएडा क्षेत्र की प्रतिष्ठित इकाइयों तथा औद्योगिक संगठनों द्वारा प्रतिभाग किया गया एवं स्थानीय लोगों के आवेदन पर रोजगार प्रदान किये जाने की कार्यवाही की गयी।

ग्रेटर नोएडा द्वारा आवंटित औद्योगिक भू-खण्डों में कुल रोजगार का 30 से 40 प्रतिशत में स्थानीय युवकों को प्राथमिकता दी जा रही है। विगत 5 वर्षों में स्थानीय निवासियों को रोजगार प्रदान किये जाने सम्बन्धी विवरण संकलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शामली में नया उद्योग क्षेत्र विकसित करने विषयक कार्य योजना के सम्बन्ध में

122-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शामली में कोई नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित/विकसित करने की कोई योजना सरकार की है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जनपद-शामली में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु अनेक बार स्थल चयनित करने के प्रयास किये गये परन्तु उपयुक्त स्थल उपलब्ध नहीं हो सका है, जिसके कारण नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना नहीं की जा सकी है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद-मैनपुरी की नवीन गल्ला मण्डी में आढ़तियों के लाइसेन्स के नवीनीकरण के सम्बन्ध में

123-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी की नवीन गल्ला मण्डी में आढ़तियों को पूर्व में जारी लाइसेन्स का रिनीवल ना करके पुराने लाइसेंस निरस्त किये जा रहे हैं ? यदि हाँ, तो किस आधार पर ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त गल्ला मण्डी में नये लाइसेंस जारी किये जा रहे हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि धारक आढ़तियों को मण्डी के अन्दर व्यापार करने से रोका जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोषियों के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

1-मण्डी ऐक्ट, उपविधि एवं नियमावली के तहत जारी किये गये लाइसेंस की शर्तों को पूरा न करने के कारण कुल 166 लाइसेंस अभी तक नवीनीकृत नहीं हो पाये हैं।

2-06 लाइसेंस दुकान आवंटन नियमावली, 2016 के अन्तर्गत प्रीमियम की धनराशि जमा न किये जाने, 04 लाइसेंस का विगत दो वर्षों से कारोबार न किये जाने एवं 03 लाइसेंस का अनादृत चेक की धनराशि का भुगतान न किये जाने के कारण मण्डी अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निरस्त किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जी हाँ, नियमानुसार जारी किये जा रहे हैं।

वैध लाइसेंसधारक किसी भी आढ़ती को व्यापार करने से रोका नहीं जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-झांसी के बबीना के ग्राम-बैदोरा में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के सम्बन्ध में

124-श्री राजीव सिंह 'पारीछा'-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के ब्लाक बबीना में एक भी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान न होने के कारण छात्रगण तकनीकी शिक्षा से वंचित रहते हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र

में ग्राम-बैदोरा में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

विधान सभा क्षेत्र बबीना में आच्छादित विकास खण्ड बबीना में मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा वर्ष 2018 में एक नवीन राजकीय आई0टी0आई0 की स्थापना की स्वीकृति की घोषणा की गयी है, जिसका भवन निर्माण वर्तमान में लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। निर्माण कार्य पूर्ण तथा भवन के हस्तगत होने के पश्चात् प्रश्नगत राजकीय आई0टी0आई0 बबीना को पी0पी0पी0 मॉडल पर संचालित कराया जायेगा।

राजकीय आई0टी0आई0 बबीना का भवन ग्राम बैदोरा में ही निर्मित किया जा रहा है।

निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद-मुरादाबाद व सम्भल की ग्राम पंचायतों के चयन के सम्बन्ध में

125-श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतों का चयन वित्तीय वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए किया गया तथा उक्त चयनित ग्राम पंचायतों में उक्त योजना के माध्यम से होने वाले समस्त कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त योजना के अन्तर्गत जिला-मुरादाबाद एवं सम्भल में कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है ?

श्री असीम अरुण-

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1550 तथा 2020-21 में 1476 ग्राम पंचायतों/ग्रामों का चयन किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद-मुरादाबाद की 60 ग्राम पंचायतों के 64 ग्रामों तथा सम्भल की 63 ग्राम पंचायतों के 69 ग्रामों का चयन किया गया है। ग्राम पंचायतवार/ग्रामवार विवरण संलग्न† है।

---

† देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ सं0-280-284 पर।

प्रदेश में कक्षा-6 से कक्षा-12 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के सम्बन्ध में

126-श्री अतुल प्रधान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अध्ययनरत् कक्षा-6 से कक्षा-12 तक की छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का क्या प्राविधान है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अध्ययनरत् गरीब छात्र-छात्राओं को कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों के शैक्षणिक स्तर को सुधारने हेतु पूर्वदशम (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12 व उच्च कक्षाओं) छात्रवृत्ति योजना संचालित है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत रु0 2.50 लाख तथा सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत रु0 2.00 लाख तक वार्षिक आय सीमा वाले माता-पिता के बच्चों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य है। छात्रवृत्ति योजना शत-प्रतिशत आनलाइन है। छात्रों के स्तर से निर्धारित अवधि में जनसांख्यिकीय एवं ओ0टी0पी0 आधारित आधार सत्यापन के उपरान्त आनलाइन आवेदन किया जाता है तथा समस्त प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्रों की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति पर स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय लिया जाता है। समिति द्वारा निर्णयोपरान्त छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने पर नियमावली में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से पात्र छात्रों को आधारबेस भुगतान प्रक्रिया के तहत धनराशि दी जाती है।

सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग हेतु कक्षा-1 से 8 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने की कोई योजना वर्तमान में संचालित नहीं है। अनुसूचित जनजाति के कक्षा 1-8 में छात्र-छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजना संचालित है।

विभाग द्वारा कक्षा 9-10 के अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को निम्नानुसार दरों के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है :-

क्र0	वर्ग	कक्षा 9-10 में छात्रवृत्ति की दर
1	अनुसूचित जाति	रु0 225/- प्रतिमाह 10 माह हेतु व तदर्थ अनुदान रु0 750/- अर्थात् कुल वार्षिक रु0 3000/-
2	सामान्य वर्ग	

विभाग द्वारा कक्षा 11-12 में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं सामान्य के छात्रों को निम्नानुसार दरों के आधार पर अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है :-

अनुसूचित जाति-

क्र0	कक्षा	शुल्क	अनुरक्षण भत्ता (वार्षिक)	
			डे-स्कॉलर	हॉस्टलर
1	कक्षा-11	465	2500	4000
2	कक्षा-12	530		

सामान्य वर्ग-

क्र0	कक्षा	शुल्क	अनुरक्षण भत्ता (मासिक)	
			डे-स्कॉलर	हॉस्टलर
1	कक्षा-11	465	230	380
2	कक्षा-12	530		

विवरण उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

[12:18] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 22 सितम्बर, 2022 को कुल 71 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 12 मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं।

पहली सूचना श्रीमती केतकी सिंह की जनपद-बलिया की विधान सभा क्षेत्र बांसडीह के कतिपय ग्राम सभाओं को बाढ़ से बचाव हेतु ठोकर बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्रीमती सरिता भदौरिया की जनपद-इटावा की तहसील इटावा के ब्लाक बढ़पुरा में ग्राम रूरा एवं असवा के मध्य यमुना नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्रीमती अंजुला सिंह माहौर की जनपद-हाथरस के ब्लाक सासनी में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना रानी पक्षालिका सिंह की जनपद-आगरा के विधान सभा क्षेत्र बाह के अन्तर्गत विक्रमपुर से कछयार तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की प्रदेश में हो रही विद्युत

कटौती के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्रीमती सरोज कुरील की जनपद-कानपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के कोरों में कन्या इण्टर कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना डॉ0 सुरभी की जनपद-फर्रुखाबाद के अन्तर्गत कायमगंज विधान सभा क्षेत्र में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्रीमती इन्द्राणी देवी की जनपद-श्रावस्ती की विधान सभा क्षेत्र भिनगा में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्रीमती पूजा की जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर में अण्डरपास बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना डॉ0 मंजू शिवाच की जनपद-गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर में रजवाहे पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्रीमती जय देवी की जनपद-लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद में महिला सशक्तीकरण को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्रीमती सैय्यदा खातून की जनपद-सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज में राप्ती नदी से हो रही कटान को रोके जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं :-

श्री अजय सिंह, मो0 ताहिर खान, श्री रामकृष्ण भार्गव, श्री विवेकानन्द पाण्डेय, श्री अमिताभ बाजपेई, श्री पीयूष रंजन निषाद, श्री संदीप सिंह, श्री विपुल दुबे, श्री मो0 हसन 'रूमी', श्री देवेन्द्र सिंह, श्री विक्रम सिंह, श्री राम दुलार, श्री पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), श्री राजेश त्रिपाठी, डॉ0 डी0सी0 वर्मा, श्री राजेश्वर सिंह, श्री राम चन्द्र यादव, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री कैलाश नाथ शुक्ला, श्री संजय शर्मा, प्रो0 श्याम बिहारी लाल, श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री राजीव तरारा, श्री बृजभूषण राजपूत, श्री चन्द्रपाल सिंह, श्री वीरेन्द्र चौधरी, श्री चन्द्र प्रकाश लोधी एडवोकेट, श्री महेन्द्र नाथ यादव, श्री प्रभुनारायण सिंह यादव, डॉ0 शिव प्रताप यादव, श्री गणेश चन्द्र, श्री अशरफ अली खान, श्री कविन्द्र चौधरी, श्री अनिल प्रधान, श्री अखिलेश यादव, श्री बेचई सरोज, श्री राम अचल राजभर, श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री अमरेश कुमार, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री अनिल कुमार, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री पंकज गुप्ता, श्री रमेश सिंह, श्री दुधराम, श्री राम अवतार सिंह, श्री सचिन यादव, श्री उमाशंकर सिंह, श्री प्रदीप कुमार चौधरी, श्री सत्यपाल सिंह राठौर, श्री वीरेन्द्र यादव, श्री ज्ञान तिवारी, श्री बम्बा लाल, श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री उमर अली खान, श्री बाबूलाल, श्री मनोज कुमार पारस, श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री जियाउर्रहमान।

(सदन की सहमति से संलग्न सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

जनपद-बलिया की विधान सभा क्षेत्र बांसडीह के कतिपय ग्राम सभाओं को बाढ़ से बचाव हेतु ठोकर बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती केतकी सिंह-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-362, बांसडीह, जनपद-बलिया के ग्राम खादीपुर, सुल्तानपुर, पर्वतपुर, किरतूपुर, चितविसावं कला, कोलकला, चांदपुर, महराजपुर, भोजछपरा आदि गांव बाढ़ से पूरी तरह से डूब गये हैं, जिसमें ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ है। प्रतिवर्ष इस क्षेत्र में बाढ़ से काफी नुकसान होता है, जिस कारण से इन ग्रामों में बाढ़/कटान को शीघ्र अति शीघ्र पक्का ठोकर बनवाकर अथवा अन्य माध्यम से रुकवाये जाने तथा शीघ्र ही इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु इस इलाके में बांध बनवाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः जनहित के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद-इटावा की तहसील इटावा के ब्लाक बढ़पुरा में ग्राम रूरा एवं असवा के मध्य यमुना नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सरिता भदौरिया-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र इटावा जनपद इटावा की तहसील-इटावा के विकास खण्ड बढ़पुरा में ग्राम रूरा (पिलुआ महावीर) एवं ग्राम असवा के मध्य यमुना नदी पर जनहित में एक सेतु निर्माण की अति आवश्यकता है। ग्राम रूरा में पिलुआ महावीर जी का एक प्राचीन मन्दिर स्थित है जिसमें क्षेत्र एवं आस-पास के जिलों की जनता की गहरी आस्था है। रोजाना हजारों श्रद्धालुओं का आना-जाना होता है। उपरोक्त सेतु निर्माण से दर्जनों गांव की जनता को आवागमन में सुविधा होगी एवं क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इटावा के ब्लाक-बढ़पुरा में ग्राम-रूरा (पिलुआ महावीर) एवं ग्राम-असवा के मध्य यमुना नदी पर सेतु के निर्माण के लिए वक्तव्य की मांग करती हूँ।]

जनपद-हाथरस के ब्लाक सासनी में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती अंजुला सिंह माहौर-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-78, हाथरस के ब्लाक-सासनी में राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं है जिस कारण से इस क्षेत्र की छात्राओं को शिक्षा ग्रहण

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

करने हेतु दूर-दराज के क्षेत्र में जाना पड़ता है। जनहित में सासनी ब्लाक में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद-आगरा के विधान सभा क्षेत्र बाह के अन्तर्गत विक्रमपुर से कछयार तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र-बाह, जनपद-आगरा के ब्लाक-बाह अन्तर्गत विक्रमपुर से कछयार तक लगभग 3.00 किमी0 कच्चा मार्ग है। मार्ग कच्चा होने के कारण जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। बरसात के दिनों में तो और अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जनहित में इस मार्ग का पक्का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए विक्रमपुर से कछयार तक लगभग 3.00 किमी0 पक्का मार्ग निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

प्रदेश में हो रही विद्युत कटौती के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' -

[मान्यवर, आज बिजली-विकास का पर्याय बन गयी है, चाहे सिंचाई के संसाधन हों, कल-कारखाने हों अथवा प्रकाश की व्यवस्था सहित अन्य कार्य हों-आज सभी कुछ बिजली पर निर्भर कर रहा है, यूं कहा जाय कि बिजली के बगैर विकास की कल्पना करना भी असम्भव है, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी।

इस समय लगभग पूरे प्रदेश में घोषित अभूतपूर्व विद्युत कटौती की जा रही है। जनपद-प्रतापगढ़ के अन्तर्गत मेरे निर्वाचन क्षेत्र-रामपुर खास में विद्युत आपूर्ति में भारी कटौती की जा रही है, एक तरफ बरसात पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई है, जिससे किसानों को फसल की सिंचाई करने में परेशानी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ बिजली में कटौती की जा रही है, जिससे खरीफ की प्रमुख फसल धान सहित अन्य फसलों की सिंचाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उत्पादन पर पड़ेगा। इसके साथ ही साथ शिक्षण कार्य एवं चिकित्सा आदि के कार्य भी बिजली की अनुपलब्धता के कारण प्रभावित हो रहे हैं। सरकार द्वारा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बार-बार 20-24 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने की घोषणा की जाती रही है, किन्तु वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। इसके अतिरिक्त विद्युत बिल के बकाये के नाम पर अवैध रूप से धन वसूली की जा रही है तथा लोगों के कनेक्शन काट दिये जा रहे हैं, इससे जनता में रोष एवं चिन्ता व्याप्त है तथा वे आक्रोशित हैं।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद-कानपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के कोरों में कन्या इण्टर कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सरोज कुरील-

[मान्यवर, जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कोरां में कोई भी कन्या इण्टर कालेज नहीं है। जिस कारण से इस क्षेत्र की बालिकाएं सुदूर जाने में असमर्थ हो जाती हैं तथा शिक्षा से वंचित रहती हैं, जबकि कोरों में पूर्व समय में कन्या इण्टर कालेज के लिये जगह चिन्हित की जा चुकी है। क्षेत्र की बालिकाओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए कोरों में एक इण्टर कालेज बनवाना अति आवश्यक है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल घाटमपुर क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कोरों में कन्या इण्टर कालेज बनवाये जाने हेतु शीघ्र कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद-फर्रुखाबाद के अन्तर्गत कायमगंज विधान सभा क्षेत्र में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 सुरभी-

[मान्यवर, जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे जनपद फर्रुखाबाद से ऊगरपुर से पहाड़पुर बैरागर तक सड़क मार्ग की स्थिति बहुत ही जर्जर अवस्था में है, जिसके कारण आये दिन दुर्घटना होती रहती है। यह मार्ग दोनों जनपदों के आम-जनमानस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मार्ग की जर्जर अवस्था के कारण लोगों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल जनपद फर्रुखाबाद से ऊगरपुर से पहाड़पुर बैरागर तक सड़क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु शीघ्र कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-श्रावस्ती की विधान सभा क्षेत्र भिनगा में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती इन्द्राणी देवी-

[मान्यवर, सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की तरफ आकृष्ट कराना चाहती हूँ। जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र-289, भिनगा के जमुनहा ब्लाक में लालबोझा, परसोना से दरबेस गांव, गजोबरी से कथरामाफी होते हुए बीरपुर लौकिहा तक ग्रामीण सड़कों की हालत अत्यन्त जर्जर हो चुकी है। इन सड़कों का निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के विषय को संज्ञान में लाते हुए जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र-289, भिनगा में उपरोक्त ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराये जाने की मांग करती हूँ।]

जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर में अण्डरपास बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती पूजा-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सदन के संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र मेंहनगर, जनपद-आजमगढ़ के ब्लाक मोहम्मदपुर, ग्राम-रानीपुर रजमौ जो 7 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी आबादी 22000 से अधिक है, के बीच से राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरता है। इस राजमार्ग पर अधिकांशतः बड़े वाहन गुजरते हैं। राजमार्ग पर मात्र एक अण्डरपास है, जो इतनी बड़ी आबादी के लिए पर्याप्त नहीं है। गांव से दूरी पर है और राजमार्ग से लगी कोई सर्विस लेन भी नहीं है। ऐसी स्थिति में गांव से इस पार से उस पार आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा राजमार्ग को पार करते हुए प्रायः दुर्घटनायें होती रहती हैं, जिससे अभी तक बहुतायत में निवासियों की दुर्घटना में मौत हो चुकी है। अतः इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए जनहित में एक और अण्डरपास बनाये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है, जिससे उस क्षेत्र के निवासियों को आने-जाने में सुविधा हो तथा दुर्घटना न हो।

मैं इस सदन के माध्यम से कार्रवाई किये जाने की मांग करती हूँ।]

जनपद-गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर में रजवाहे पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 मंजू शिवाच-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि जनपद-गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र-57, मोदीनगर के अन्तर्गत भोजपुर ब्लाक के गांव-भटजन के रजवाहे पर शीघ्र पुल बनवाया जाये,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्योंकि आने वाले समय में गन्ने की ट्राली आने-जाने से कभी भी गम्भीर दुर्घटना घटित हो सकती है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए पुल बनवाने की मांग करती हूँ।]

जनपद-लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद में महिला सशक्तीकरण को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जय देवी-

[मान्यवर, सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगी कि महिला सशक्तीकरण को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तथा स्वरोजगार पर जो हमारी केन्द्र सरकार और राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको रोजगार और स्वरोजगार देने के संकल्प के साथ मेरी सरकार आगे बढ़ रही है। मेरी विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद बहुत पिछड़ी हुई है। मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगी कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए मेरी विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड अनुसार एक-एक कन्या महाविद्यालय और एक-एक 100 बेड का हॉस्पिटल और एक-एक गैर चिमनी आधारित उद्योग लगाया जाय। मेरी विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल और मलिहाबाद और काकोरी में कन्या महाविद्यालय और 100 बेड का हास्पिटल बनने से हर महिला को उच्च शिक्षा और अच्छा इलाज उपलब्ध होगा। गैर चिमनी आधारित उद्योग लगने से हमारी विधान सभा क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार मिलेगा।

सदन में एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगी कि महिला सशक्तीकरण को ध्यान में रखते हुए सरकारी और गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्र में संविदा और आउटसोर्सिंग पर बड़ी संख्या में काम कर रही महिलाओं के उन मुश्किल दिनों जिसे मासिक धर्म कहा जाता है। उन 4-5 दिनों में महिलाओं के लिए काम करना बहुत ही कठिन होता है। भारतीय परम्परा अनुसार हर घर की रसोईघर से भी उन दिनों महिला को छुट्टी मिल जाती है। इसलिए मैं सदन के माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाहूँगी कि महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए इन मुश्किल के दिनों में 2-3 दिन का वेतन सहित सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र, संविदा और आउटसोर्सिंग पर कार्य कर रही सभी महिलाओं को इन मुश्किल के दिनों में अवकाश देने की कृपा करें।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज में राप्ती नदी से हो रही कटान को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सैय्यदा खातून-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद-सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत राप्ती नदी में बाढ़ के कारण अमहवा-बगहवा, बैदौला-माली मैनहा व पिकौरा नदी के किनारे के गांव में भीषण कटान हो रहा है जिसको रोका जाना व्यापक जनहित में है। यह भी उल्लेखनीय है कि डुमरियागंज-भड़रिया तटबंध भी खतरे में है। बन्धा/तटबंध भी जर्जर स्थिति में है, जिसका मरम्मत कराया जाना आवश्यक है। लोक महत्व की सूचना है, इस पर चर्चा कराया जाना व्यापक जनहित में है। समय से तटबंध की मरम्मत एवं अमहवा-बगहवा, बैदौला-माली मैनहा व पिकौरा में हो रहे कटान को अविलम्ब रोका जाये।

अतः मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ। उपरोक्त प्रकरण में सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

जब यह निवेदन किया गया था कि सारी महिला सदस्य अपनी सूचना दे सकती हैं, जिन महिला सदस्यों ने सूचना नहीं दी है, उनको स्व अध्ययन करना चाहिए कि उन्होंने क्यों नहीं दिया। आज दिनांक 22 सितम्बर, 2022 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 02 सूचनाएं प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्रीमती रेखा वर्मा की मा0 सदस्यों के प्रश्नों/सूचना पर निर्मित आश्वासनों की सूचना सम्बन्धित मा0 सदस्यगण को न प्राप्त होने के सम्बन्ध में है। यह सूचना सुनी जायेगी। दूसरी सूचना डॉ0 मुकेश वर्मा की जनपद उन्नाव की ब्लाक पुरवा की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में हैण्डपम्प री-बोर/मरम्मत कार्यों में की गयी अनियमितता, नियमों की अनदेखी की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। यह सूचना नहीं सुनी जायेगी। श्रीमती रेखा वर्मा जी हैं।

(श्रीमती रेखा वर्मा के अनुपस्थित होने पर)

चलिये कोई भी बोल दें। अब मा0 मुख्य मंत्री जी आपने कहा कि नियम शिथिल कर दें तो यह कर रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

पाण्डेय जी से बुलवा दीजिए।

(सदन में हँसी)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-1425/33-2-2020-80जी-2000, दिनांक 14 जुलाई, 2020†

ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण राज्य मंत्री (श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-1425/33-2-2020-80जी- 2000, दिनांक 14 जुलाई, 2020 जिसे उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-237(3) के अधीन दिनांक 21 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिए सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखती हूँ।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश में कन्हैया विश्वकर्मा उर्फ गिरधारी उर्फ डॉक्टर की कथित मुठभेड़ के सम्बन्ध में गठित एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट†

ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण राज्य मंत्री (श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लखनऊ, उत्तर प्रदेश में कन्हैया विश्वकर्मा उर्फ गिरधारी उर्फ डॉक्टर की कथित मुठभेड़ के सम्बन्ध में गठित एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट जांच आयोग अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-60) की धारा-3 के अधीन सदन के पटल पर रखती हूँ।

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 (01-04-2020 से 31-03-2021)††

ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण राज्य मंत्री (श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 (01-04-2020 से 31-03-2021) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 की उपधारा (4) के अधीन सदन के पटल पर रखती हूँ।

यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड (सिन-यू 15209 यू0पी0-1976 एस0जी0सी0/004285) की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19†

ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण राज्य मंत्री (श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड (सिन-यू 15209 यू0पी0-1976 एस0जी0सी0/004285) की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखती हूँ।

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (पच्चीसवां संशोधन) नियमावली, 2022†

ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण राज्य मंत्री (श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-3/2022/54/80-1-2022-151-2021, दिनांक 20 जून, 2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (पच्चीसवां संशोधन) नियमावली, 2022 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-क (1) के अधीन सदन के पटल पर रखती हूँ।

[12:22] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा जो अपेक्षा करी गयी है कि नियम को शिथिल कर देंगे। शिथिल करते हुए पुनः नियम-300 की सूचना के लिए श्रीमती रेखा वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ।

मा0 सदस्यों के प्रश्नों/सूचनाओं पर निर्मित आश्वासनों की सूचना सदस्यगण को न प्राप्त होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्रीमती रेखा वर्मा-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के अध्याय-7 के अन्तर्गत प्रश्नों का विषय, वर्गीकरण, प्रकार, समय तथा उत्तरों की प्रतियों को सदस्यों को उपलब्ध करना तथा सदन में प्रश्नों के निस्तारण की विस्तृत व्याख्या दी गयी है। मा0 अध्यक्ष जी, सदन में मा0 सदस्य द्वारा अतारांकित प्रश्नों पर सरकार द्वारा दिया गया लिखित जवाब जोकि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही का भाग होता है। उस पर विधान सभा की आश्वासन समिति द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जाती है। मान्यवर, समस्या यह है कि आश्वासन समिति कार्यालय द्वारा जिन माननीय सदस्यों के प्रश्नों पर आश्वासन निर्मित किया जाता है, उन माननीय सदस्यों को अपने प्रश्नों पर निर्मित आश्वासनों की सूचना प्राप्त नहीं होती है, जिससे माननीय सदस्यों को यह ज्ञात नहीं हो पाता है कि उनके किस प्रश्न पर सरकार द्वारा आश्वासन दिया जाता है तथा उसे समिति द्वारा भी स्वीकार किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी आप स्वयं नियमों के ज्ञाता हैं। अतः माननीय सदस्यों के प्रश्नों/सूचना पर निर्मित आश्वासनों की सूचना सम्बन्धित माननीय सदस्यगण को भेजे जाने हेतु निर्देश जारी करने की कृपा करें। अस्तु इस औचित्य के प्रश्न पर मैं आपसे व्यवस्था की मांग करती हूँ। धन्यवाद।

---

† छापी नहीं गयी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, कल ही मैंने बताया था कि अभी ही इस सदन के बाद समितियों का गठन हो जाएगा और हम समझते हैं कि तभी माननीय सदस्य की जिज्ञासा शान्त होगी। अल्टीमेटिली उन्होंने पूछा यही है कि जो भी आश्वासन बना है, उसकी सूचना उनको मिल जाये तो उसे भिजवा देंगे। असली उद्देश्य समितियों के गठन का है, उसको भी करा देंगे और सूचना प्रेषित किये जाने के लिए भी आज ही निर्देशित करा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, धन्यवाद। मैंने माननीय सदस्य श्रीमती रेखा वर्मा जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे ही समितियां गठित होंगी, उस समय जिन माननीय सदस्यों के अतारांकित प्रश्न लगे हैं, उनकी सूचना उनको भिजवा दी जाएगी। अतः यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, इसलिए इसे अस्वीकार करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-07 में कुछ नहीं है। अब मद सं0-08।

श्री अध्यक्ष-

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं याचिका के लिए ली गयी हैं, मैं उनको आज अवसर देता हूँ कि वे अपनी याचिकाएं प्रस्तुत कर सकें।

[12:26] श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ†

श्रीमती मीनाक्षी सिंह-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-बुलन्दशहर की तहसील-खुर्जा के ग्राम-रूकनपुर से ग्राम-कहरोला तक के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विकास शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद-बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित करती हूँ।

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-बुलन्दशहर की तहसील-खुर्जा के ग्राम-रूकनपुर से ग्राम-नेकपुर में धीरज के खेत से कमल सिंह के खेत तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नवीन चौधरी शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद-बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित करती हूँ।

---

† छापी नहीं गई।

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-बुलन्दशहर की तहसील-खुर्जा के ग्राम-रूकनपुर से ग्राम-मोद्दीनपुर में दिनेश कुमार के घर से सुबोध कुमार के घर तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेश नगला व अन्य निवासीगण जनपद-बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित करती हूँ।

4-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-बुलन्दशहर की तहसील-खुर्जा के अन्तर्गत रनियावली में चन्द्रपाल सिंह के घर से पंचम सिंह के घर तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामवीर सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद-बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित करती हूँ।

5-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-बुलन्दशहर की तहसील-खुर्जा में स्थापित एन0आर0ई0सी0 महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश अग्रवाल व अन्य निवासीगण जनपद-बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित करती हूँ।

श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद-प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका †

श्रीमती विजमा यादव-

मान्यवर, मेरी याचिका उपस्थित की हुई मान लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपकी याचिका उपस्थित की हुई मान लेते हैं।

श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र-प्रतापपुर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद-प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती पूजा पाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद-कौशाम्बी से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ †

श्रीमती पूजा पाल-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-कौशाम्बी की ग्राम सभाओं में कतिपय मार्गों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती चन्दबली पासी व अन्य निवासीगण जनपद-कौशाम्बी की याचिका उपस्थित करती हूँ।

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र-चायल के अन्तर्गत चरवा में एक राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद-कौशाम्बी की याचिका उपस्थित करती हूँ।

---

† छापी नहीं गई।

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-जौनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ †

डॉ0 रागिनी-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर की ग्राम पंचायत-करौरा में बहावा-कुँवरपुर पिच रोड से रोहित यादव के घर होते हुए जुबेर अली के घर तक मार्ग की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आकाश यादव, निवासी जनपद-जौनपुर की याचिका उपस्थित करती हूँ।

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में करईपार मार्ग पर स्थित कमालपुर से ग्राम-कटाहित खास बरपुर यादव, बस्ती तक मार्ग की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश यादव, निवासी जनपद-जौनपुर की याचिका उपस्थित करती हूँ।

3- मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर की ग्राम-रामगढ़ में बधवा-मीरगंज पिच रोड से देवराज जी के घर से होते हुए पूरब तरफ पाल बस्ती तक मार्ग की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देशराज मौर्य, निवासी जनपद-जौनपुर की याचिका उपस्थित करती हूँ।

4-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम-सेमरहो में राधाकृष्ण मन्दिर से उत्तर तरफ शान्ता प्रसाद यादव के घर होते हुए यादव बस्ती तक मार्ग की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतेन्द्र यादव, निवासी जनपद-जौनपुर की याचिका उपस्थित करती हूँ।

5-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में जरौना-जंघई मार्ग से दक्षिण तरफ गडेया हरिजन बस्ती, बसेरवां तक मार्ग की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम यादव, निवासी जनपद-जौनपुर की याचिका उपस्थित करती हूँ।

श्रीमती नीलिमा कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती नीलिमा कटियार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र-सरोजनीनगर में आवास विकास द्वारा निर्मित आसरा इन्क्लेव में विद्युत लाइन केबिल को भूमिगत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तेज प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद-लखनऊ की याचिका उपस्थित करती हूँ।

---

† छापी नहीं गई।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-13, 14 व 15 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-16।

[12:31] उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022†

ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण राज्य मंत्री (श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करती हूँ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022†

ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण राज्य मंत्री (श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करती हूँ।

[12:32] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल 08 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम 02 सूचनाओं को ग्राह्यता के लिए सुना जायेगा तथा शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जायेगा।

---

† दिनांक 27-09-2022 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

पहली सूचना डॉ0 रागिनी, श्रीमती पूजा पाल, श्रीमती सैय्यदा खातून और श्रीमती पिंकी यादव की प्रदेश में महिलाओं, बच्चियों, छात्राओं के साथ होने वाली आपराधिक घटनाओं की बेतहाशा वृद्धि के सम्बन्ध में। दूसरी सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की प्रदेश में बढ़ती महंगाई के कारण उत्पन्न स्थिति की तरफ ध्यान आकर्षित करने के सम्बन्ध में है।

पहली सूचना पर डॉ0 रागिनी।

(समाजवादी पार्टी की कई महिला सदस्य एक साथ खड़े होकर नियम-311 पर सुनने का आग्रह करने लगी।)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, सुन लेंगे।

पहले कार्य-स्थगन की पहली सूचना पर डॉ0 रागिनी बोल लें।

डॉ0 रागिनी-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज आजादी के 75 वर्षों में पहली बार देश की सबसे बड़ी विधान सभा, उत्तर प्रदेश की विधान सभा में सिर्फ और सिर्फ महिला जनप्रतिनिधियों को बोलने का अवसर दिया गया है, मैं इसके लिए आपको सदन में बैठी सारी जो महिला प्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ।

(मेजें थपथपाई गयीं)

मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आपको, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता में 50 प्रतिशत की भागीदारी रखने वाली हमारी आदिशक्ति का रूप मेरी माताओं और बहनों की तरफ से।

श्री अध्यक्ष-

क्या यह आप नियम-56 में बोल रही हैं ?

डॉ0 रागिनी-

मान्यवर, आज मौका मिला है, तो बोलने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

यह तो मैं बाद में सुनूँगा, अभी आप नियम-56 में बोलिए। जब मैं डिबेट शुरू करा दूँगा, तो बोलने का मौका मिलेगा। पहले नियम-56 हो जाए।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, आज आपने महंगाई जैसे गम्भीर विषय पर बोलने का मौका दिया और नियम-56 में मुझे अपना ध्यान आकृष्ट करने के लिए मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आज पूरा देश और खासकर हमारा प्रदेश महंगाई के दंश से ग्रसित

है। पूरे देश में लगभग हमारी जो महंगाई दर है वह 7.56 प्रतिशत है और यू0पी0 में और इस देश की 8.46 प्रतिशत से भी ऊपर की महंगाई दर है। मैं एक गृहणी हूँ और सबसे पहले और सबसे ज्यादा अगर इस महंगाई का असर कहीं पड़ा है तो वह रसोई में पड़ा है। पूरी अर्थव्यवस्था घर की चरमरा चुकी है। 70 साल की सबसे ज्यादा महंगाई के दौर से यह देश और प्रदेश गुजर रहा है। आज अगर हम बात करें रसोई की तो साग-सब्जी की महंगाई 13.23 प्रतिशत बढ़ी है। सरसों का तेल जो 80 रुपए में था वह दो सौ रुपए के पार चला गया है। दुग्ध के जितने भी पदार्थ हैं चाहे वह दही हो, छाछ हो उन सबका आज कई गुना दाम बढ़ गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल पौष्टिक भोजन बनाकर एक गृहणी को अपने परिवार को स्वस्थ रखने की सबसे बड़ी चुनौती आज के समय में है।

आज सबसे बड़ी समस्या है उज्ज्वला योजना यह योजना वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी योजना थी। उस वक्त गैस, सिलेण्डर के दाम चार सौ रुपए थे, उस पर सब्सिडी देने की बात कही थी, लेकिन जैसे ही वर्ष 2019 का चुनाव समाप्त हुआ, मुझे याद है कि बड़ी-बड़ी मीटिंगों में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते थे कि यह योजना इसलिए लाई गई है, ताकि जो वर्षों से महिलाएं चूल्हे पर खाना बना रही हैं और जो आंसू उनके निकल रहे हैं उनको पोछने के लिए यह योजना लाई गई थीं। आज मैं यह पूछना चाहती हूँ कि वह पहले चार सौ रुपए का सिलेण्डर भरवाती थी और आज जब एक हजार से बारह सौ का सिलेण्डर भरवा रही हैं तो जो खून के आंसू वह गृहणी रो रही है उसको कौन पोछेगा। उसका सीधा असर अगर पड़ रहा है तो हमारी रसोई की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहती हूं आई0आई0सी0ई0 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाकों में पचासी फीसदी उज्ज्वला लाभार्थी अभी भी खाना चूल्हे पर ही बना रही हैं, क्योंकि सिलेण्डर खरीदने की कैपिसिटी उनके पास नहीं है, यह एक बड़ा प्रश्न है। उसके बाद गरीब दो जून की रोटी कमाता है। एक किसान जो खून-पसीने की कमाई से गेहूं उगाता है आपने उसको एम0एस0पी0 तो नहीं दी, जो उससे वायदा किया था, जबकि उसकी लागत और बढ़ा दी।

खाद्य, कीटनाशक हर चीज के दाम में बढ़ोत्तरी हुई जिसका सीधा असर उसकी लागत पर पड़ा और जब वह अपनी लागत के अनुसार अपनी ही उगाई फसल को बेचने जाता है। गेहूँ बेचता है और बदले में जब वह बाजार से आटा खरीदता है तो कितने दुख की बात है कि उसी आटे को उसको पांच प्रतिशत जी0एस0टी0 देनी पड़ती है। आपने तो गरीब आदमी के हाथ से सूखी रोटी भी छीन ली है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि आज जिस तरह से हर चीज के दाम बढ़ गए हैं और एक गरीब के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, यही तीन मुख्य चीजें हैं। आज अगर कोई गरीब आदमी मकान बनाना चाहता है, तो यह उसके लिए सम्भव नहीं है क्योंकि जितनी भी चीजें उसको चाहिए, चाहे वह ईंट हो, सीमेण्ट हो, बालू हो, आज हर चीज

के दाम बढ़ गये हैं। आज वह न तो घर बना सकता है, न सूखी रोटी खा सकता है और न ही कपड़े ले सकता है, क्योंकि कपड़े पर भी जी0एस0टी0 लग गई है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से इस देश की, इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर महंगाई का प्रहार हुआ है, तो मैं यह नहीं समझ पाती हूँ कि ऐसा कौन सा फार्मूला है कि ऐसे कुछ बड़े लोग हैं, ऐसे बड़े व्यापारी हैं, बड़े उद्योगपति हैं जो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, पर जो गरीब था वह आज गरीब से गरीब होता चला जा रहा है। उनके पास यह कौन सा फार्मूला है जिससे वे देश के नम्बर एक और दो रैंक के उद्योगपति बन जाते हैं, इसलिए अगर वही फार्मूला इस देश और प्रदेश के गरीब आदमी को भी मिल जाए तो शायद इस देश और प्रदेश की भी सूरत बदल जाएगी। मैं आपसे मांग करती हूँ कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, कृपया इस पर चर्चा कराएं, इसको ग्राह्य करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, आदरणीय मोना जी ने महंगाई के ऊपर कहा है। वैसे तो मुख्यतया जो 22 वस्तुएँ आवश्यक हैं मनुष्य के जीवन के लिए, उन पर केन्द्र सरकार का ही नियंत्रण होता है। राज्य सरकार का जिन पर नियंत्रण होता है, वे रोजमर्रा की ऐसी चीजें हैं जिन पर राज्य सरकार भी नियंत्रण करती है। मैं यह कहूँगा कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जैसे अभी किसानों का मुद्दा उठाया तो मैं यह अनुरोध करूँगा कि अभी आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने और हमारे आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी बताया है कि यदि आप इस वैट का हिसाब देखें तो डीजल किसानों से ही सम्बन्धित है और पूरे देश में डीजल पर लगभग सबसे कम वैट उत्तर प्रदेश में ही लगता है। यह हमारे हाथ में है। बाकी डीजल और पेट्रोल का भाव तो कम्पनियां तय करती हैं। केवल वैट राज्य सरकार के हाथ में होता है हमारा वैट सबसे कम है। दूसरा, जैसे अभी आदरणीय मोना जी ने महंगाई पर कहा है, रसोई के लिए कहा है और रसोई के लिए आप स्वयं ही कह रही हैं। इसमें 01 करोड़ 70 लाख महिलाओं को फ्री सिलेण्डर देने के बाद उनको लगातार एक साल में 12 सिलेण्डर 200 रुपए की सब्सिडी के साथ भी दिए जा रहे हैं। वे गरीब महिलाएं जिनको उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन दिए गए हैं, उनको 200 रुपए की सब्सिडी के साथ हर साल 12 सिलेण्डर दिए जा रहे हैं। इसलिए आपने यह जो बात कही थी तो इसमें गरीब महिलाओं को जो गैस सिलेण्डर देने का अर्थ है, उसमें महिलाओं की आंखों की रोशनी की बात है, इसीलिए उनके लिए यह किया जा रहा है।

जो थोक विक्रेता हैं और जो खुदरा विक्रेता हैं तो इसमें वर्ष 1955 में भारत सरकार ने यह ऐक्ट बनाया था। वह शर्करा एवं खाद्य तेल निदेशालय के द्वारा कण्ट्रोल होता है। खुदरा तेल के लिए उन्होंने स्टॉक निर्धारित किया है कि एक व्यक्ति अधिकतम 30 कुण्टल रख सकता है और थोक विक्रेता अधिकतम 100 कुण्टल रख सकता है। इसी तरह से तेल के अलावा

तिलहन के सम्बन्ध में खुदरा व्यापारी अधिकतम 100 कुण्टल रख सकता है और थोक वाला व्यापारी अधिकतम 2000 कुण्टल रख सकता है। इसके अलावा हमने पूरे उत्तर प्रदेश में चेकिंग करवायी उसमें 8 बड़ी फर्मों के यहां छापे डाले गये उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है और उनको जेल भी भेजा गया है। उनके विरुद्ध हमने कठोर कार्रवाई की है। दूसरे नम्बर पर आपने सब्जी की बात कही यह बहुत सी प्राकृतिक आपदाओं के ऊपर भी निर्भर होता है। कभी जब सब्जियां लगी होती हैं तब नदी में एक साथ ज्यादा पानी आ जाता है जिससे फसलें बह जाती हैं इसलिये सब्जी के भाव भी सस्ते और कभी महंगे हो जाते हैं। बाकी जहां तक सब्जी की बात है, वैसे मैं समझता हूँ कि मोना जी जिस परिवार से हैं वह एक लम्बे समय से राजनैतिक परिवार है। मेरा उनसे कहना है कि छोटे किसान ही तो सब्जी उगाते हैं उन किसानों का आप क्यों विरोध कर रही हैं ? उन बेचारों को तो सब्जी बेचने दें, उनका भी तो कल्याण होने दें। जब कभी भी बात आती है तो आप लोग उनका भी विरोध करते हैं। मैं यह अनुरोध कर रहा था कि कुछ चीजें तो राज्य सरकार के कण्ट्रोल में होती हैं जैसे उदाहरण के तौर पर पिछली बार हमारे यहां से राजस्थान में काफी भूसा और चारा गया।

आदरणीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर हमारे पशुधन मंत्री जी ने यह किया कि हमारे जिलों से भूसा बाहर न भेजा जाये यद्यपि उस समय भूसे का दाम बहुत बढ़ रहा था तो जो हमारी राज्य सरकार के नियंत्रण की चीजें हैं उन पर हमने पूरा नियंत्रण करने की कोशिश की। जैसा कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी आपको अच्छी तरह याद होगा कि गरीब आदमी के घर पर दीपावली और होली के अवसर पर सिलेण्डर भी मुफ्त दिए जाएंगे, गरीब आदमियों की तो यह सरकार सबसे ज्यादा हिमायती है। मकान बनाकर हम दे रहे हैं, सिलेण्डर मुफ्त हम दे रहे हैं और उसके अलावा आपको अच्छी तरह से पता है कि कितने लम्बे समय से केन्द्र सरकार एक कार्ड पर 35 किलो अनाज दे रही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने पांच चीजें मुफ्त दी हैं और वह भी लगातार इतने वर्षों से दी गई हैं। पूरे विश्व में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है जैसा हमारे देश में और हमारे प्रदेश में सुविधा दी गई है यह तो एक उदाहरण है। तो गरीब आदमी भूखा कहां सो रहा है यह तो पूरे विश्व में उदाहरण है कि ऐसी महामारी में जिसमें साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक बन्द रहे हों, उस भयंकर महामारी में भी कोई व्यक्ति भूख के कारण नहीं मरा। कहीं भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, विपक्ष ने भी कहीं यह नहीं कहा कि कोई आदमी भूख से मरा हो, इसलिए महंगाई की बात जहां भी है उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह सतर्क है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मान्यवर, इसको अग्राह्य कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' को सुना तथा माननीय मंत्री जी को सुना यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आता है, इसको अग्राह्य करता हूँ। डॉ0 रागिनी अब आप अपनी बात रखिये।

***डॉ0 रागिनी-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जो अत्याचार और दुष्कर्म की घटनायें हो रही हैं, उनकी तरफ सबकी नजर को ले जाना चाहती हूँ। आज जिस तरीके से चाहे वह छात्राएं हों, बच्चियां हों या स्कूल जाने वाली लड़कियां हों, उनके साथ दुष्कर्म की घटनायें हो रही हैं। एक महिला जब अपने घर में है, उस स्थिति में उसके घर में घुसकर भी उसकी हत्या कर दी जाती है। आज एक छोटी बच्ची यदि बाहर खेल रही होती है तो उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसके कुछ दिनों बाद उसकी लाश मिलती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शक्ति की रूप हमारी माताओं, बहनों और बेटियों के साथ जिस तरह से दुष्कर्म हो रहे हैं, वह बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही दयनीय स्थिति है।

मैं एक घटना इसके लिए सदन के समक्ष बताना चाहूँगी लखनऊ में सैदपुर निवासी एक छात्रा अपने स्कूल से लौट रही थी उस दौरान गाड़ी से 4 युवक आये, उन्होंने एक पदार्थ सूँघाकर उसे बेहोश कर दिया और उसे लेकर चले गये। एक महीने तक उसे बन्द करके रखा गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। एक दिन अचानक से खिड़की खुली हुई थी, उसको मौका मिला तो वह वहां से भागकर निकल आयी और अपने परिवार के पास पहुंची। वह बहुत ही बुरी स्थिति में थी। उसने जाकर जो सबसे नजदीकी मड़ियांव का थाना था, वहां पर उसने अपनी कम्पलेन को लिखवाने की कोशिश की लेकिन वहां के जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी थे, उन्होंने कम्पलेन को नहीं लिखा और उनको बोल दिया कि आप सैदपुर की निवासी हैं, आप वहां पर जाइये। जब वह बच्ची वहां पर भी गयी तो उसकी वहां पर भी कम्पलेन नहीं लिखी गयी। वहां पर भी उसे बोला गया कि इस पर जांच की जा रही है, आप सही बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं, ऐसी बातें वहां की गयीं। उसी के कुछ दिन बाद उस बच्ची के दुष्कर्म का वीडियो वायरल हुआ और जब वह वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद एफ0आई0आर0 को नोट किया गया। क्या यही है भाजपा की सरकार ? आज हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है ? यह तो सिर्फ एक घटना है अध्यक्ष महोदय, मैं और भी जो घटनाएं हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 में जो स्पेस्फिक घटना है, वह ली जाती है।

डॉ0 रागिनी-

अध्यक्ष महोदय, स्पेस्फिक घटना है।

श्री अध्यक्ष-

एक आपने बता दी न, उसको पूरा सुना गया।

डॉ0 रागिनी-

अध्यक्ष महोदय, ऐसी ही और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जैसे कि रामपुर थाने में दो युवतियों का 13 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है। साथ ही साथ अगर हम जनपद लखनऊ में कृष्णा नगर थाने में देखें तो वहां पर एक युवती की हत्या कर दी गयी है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 में एक स्पेस्फिक घटना की सूचना आती है। भाषण में आप जो मर्जी बोल दीजिएगा, वह अवसर आपको मिलेगा।

डॉ0 रागिनी-

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक इंसीडेण्ट आपको बताया है और वैसे ही इंसीडेण्ट और भी हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप मेरी बात सुनिए, उसकी जब तक सूचना नहीं होगी, तब तक उत्तर क्या आयेगा ? सूचना के साथ ही उत्तर आयेगा न।

(किसी सदस्य के टोका-टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मुश्किल से नहीं मिला मौका, बड़ी आसानी से मिला है। मुश्किल तो पहले थी आज तो आसानी से मिला है।

डॉ0 रागिनी-

अध्यक्ष जी, आज इस सदन के माध्यम से मैं यहां पर उपस्थित सभी को बताना चाहूँगी की कि किस तरह से यह अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 25 वर्षीय महिला का अपहरण करके उसके साथ गैंग रेप किया गया। थाना मऊ जनपद चित्रकूट में एक मोहल्ले में 4 वर्ष की बच्ची का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया। खागा कोतवाली जनपद फतेहपुर में 16 वर्ष की बच्ची का अपहरण किया गया। अगर हम देखें

तो यह दिनांक 10 सितम्बर की बात है, थाना चौबेपुर जनपद कानपुर देहात के पास खेल रही 5 वर्ष की बच्ची का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आज जनपद फतेहपुर में एक 15 वर्ष की बच्ची का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री, जो स्पेस्फिक घटना डॉ0 रागिनी ने बतायी है, आप उस पर जवाब दे दें।

***संसदीय कार्य मंत्री, (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

अध्यक्ष जी, आपकी ग्राह्यता पर जो हमारी बहन ने बोला है, उस पर हम केवल दो बातें जरूर कहना चाहते हैं। आपने स्वयं भी इस बात का संज्ञान लिया कि नियम-56 में केवल एक घटना हो, सुनिश्चित हो, तात्कालिक हो परन्तु आपने जनरल दो बातें कहीं कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध और सजा की बात है, उस पर खास तौर से इस बात को कोट करना चाहते हैं कि सरकार ने, जितनी भी घटनाएँ हुईं, यदि संज्ञान में आयीं तो उसमें उसी के अनुपात में सजा भी उसकी मुकर्रर की है। सजा भी वैसे ही दी गयी है। अगर प्रथम दृष्टया यह लगता है कि कहीं पर अपराध हुआ है तो सरकार हमेशा पीड़ित के साथ खड़ी हुई है, अपराधियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेन्स की बात कही थी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा दिलाने में आगे बढ़ी है और हर प्रकार से इस बात की कार्यवाही करने की कोशिश की है कि किसी भी तरह से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, दोबारा इस प्रकार की घटना न हो लेकिन बरसों से बहुत दिनों से चली आ रही व्यवस्था को रोकते-रोकते भी जो परिस्थिति पैदा हुई, उसमें भी पिछली सरकारों के मुकाबले में काफी कुछ बेहतर परिणाम देने की कोशिश की है। यह सही है कि हमने जो महिला हेल्पलाइन 181 है, उसके अन्तर्गत 4.84 लाख महिलाओं व बालिकाओं को सहायता प्रदान की है।

मान्यवर, मिशन शक्ति के माध्यम से हमने सभी 8 करोड़ 90 लाख पुरुष और महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास किया है। साइबर क्राइम की बात जो अभी आयी थी उसमें हमने 1930 नम्बर साइबर क्राइम के लिये दिया। कोई भी महिला इस नम्बर को कभी किसी भी वक्त डायल करके 24 घण्टे इसकी सहायता प्राप्त कर सकती है। महिलाओं के सम्बन्ध में 17 से लेकर 22 तक हमारा कुछ आंकड़ा हम आपको भेज देंगे, इसका पूरा विवरण भी भेज देंगे। जो अपराध पंजीकृत हुए और उनमें अभी तक हमने जो भी कार्यवाही की है वह हम आपको भेज देते हैं। इस बात को वैसे भी हम परसों सदन के सामने लाये थे और आज हम फिर से उस बात को कहिए तो दोहरा दें। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की भी बात आयी, जिसमें सबसे ज्यादा 59.1 प्रतिशत सजा उत्तर प्रदेश में दिलायी गयी है। महिलाओं के विरुद्ध

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस प्रदेश में जो अपराध हुए उसमें 7713 मामलों में सजा करायी गयी। उत्तर प्रदेश राज्य का ग्राफ बाकी राज्यों के मुकाबले सजा कराने में सबसे ऊपर है। बिहार में 53.1, राजस्थान में 45.2, मध्य प्रदेश में 33.5 और छत्तीसगढ़ में 30.9 प्रतिशत सजा कराने का ग्राफ है। महिलाओं के जितने भी मामले सामने आये उनमें सजा दिलाने के मामले में हमारा सबसे ज्यादा अच्छा रिकार्ड रहा है।

अपने भाषण में आपने खास तौर से फतेहपुर, गोरखपुर, मऊ और रामपुर की घटनाओं का उल्लेख किया है। हम आपको रामपुर घटना की जानकारी दे दें, जिसे आपने कोड किया था। इसमें क्राइम नम्बर-456/22 में, 354ख, 506 आई0पीसी0 तथा 67 आई0टी0 ऐक्ट के तहत सरकार बनाम अखिलेश आदि 08 अभियुक्त, जिसमें 5-6 नाम पता अज्ञात पंजीकृत किये गये। प्रकरण में 161 के तहत पीड़िता के बयानों की वीडियोग्राफी की गयी। वीडियोग्राफी में प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया गया। उसमें अभियोग उपरोक्त-164 का भी बयान हुआ। 164 के बयान के आधार पर अभियुक्त अखिलेश पुत्र बाबू, नीरज उर्फ विक्की पुत्र कलुआ, सोनू पुत्र गजराम, रोहतास पुत्र राम किशोर, संजीव उर्फ लल्ला पुत्र फूल सिंह, रोहित पुत्र सोमनाथ, समस्त निवासीगण ग्राम-लाम्बा खेड़ा, थाना-टाण्डा, जनपद-रामपुर को 20-09-2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अगर कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई घटना हुई तो उसमें कार्रवाई जरूर हुई। ऐसा नहीं है कि हम कार्रवाई में किसी प्रकार की कोताही करते हों और खास तौर से महिलाओं के मामले में। 164 का बयान ऐसा है कि उसको इन डिपेंडेंटली मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने जो भी बयान दिया जाता है उसकी अपने आप में जल्दी कोई काट नहीं मिलती। अगर उसमें ज्यादा कोई सपोर्टिंग एविडेन्स न भी हो तो भी उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है इसलिए उसमें कार्रवाई में हीलाहवाली का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।

मान्यवर, नियम-56 में एक ही घटना के बारे में जिक्र होना चाहिए, ऐसे कई मामले हैं जिनकी सूचना इस समय हमारे पास नहीं है अगर हमें थोड़ा समय दे देंगे तो हम आज ही दोपहर के बाद इसका जवाब दे देंगे। गोरखपुर के बारे में जो बात कही थी, उसका जवाब दोपहर के बाद हम आज ही दे देंगे।

श्री अध्यक्ष-

सूचना आ जायेगी तो आपको जवाब दे देंगे।

डॉ0 रागिनी-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह पूछना चाहूँगी कि इस तरीके की जो भी घटनाएं हो रही हैं, उसमें शायद आप सत्य से अनजान हैं कि थानों पर सिर्फ और सिर्फ वसूली भाई बैठे हुए हैं, वहां कोई थानेदार नहीं बैठे

हैं और साथ ही साथ आज इस समय रक्षक, भक्षक बन चुका हैं मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि जो-जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और उसमें जब एफ0आई0आर0 की फरियाद ले करके एक बेटी, एक माँ और एक बहन जा रही है तो उसकी एफ0आई0आर0 में देरी की जा रही है। जहाँ-जहाँ पर जिन-जिन थानों पर इस तरह के केस हुए हैं और एफ0आई0आर0 में देरी की गई है, क्या सरकार उन लोगों के अगेंस्ट कोई कार्रवाई करेगी ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, कार्रवाई जरूर करेंगे और जहां-जहां इस प्रकार की लापरवाही सरकार के संज्ञान में सामने आई है, मैंने कहा कि वहां पर कार्रवाई भी उसी अनुपात में हुई है। चाहे 302 का मुकदमा हो, चाहे 364 का हो, अगर किसी थानेदार ने लापरवाही की है तो उसको सस्पेंड भी किया गया। एक-एक मामले में 10-10 लोगों को सस्पेंड किया गया। कल भी गोण्डा का एक मामला आया था, उसमें 10 लोगों को सस्पेंड किया गया और उसके खिलाफ 302 का मुकदमा भी लिखा गया। किसी भी मामले में अगर सरकार के संज्ञान में कोई बात आती है तो उसमें कार्रवाई जरूर होती है और मान्यवर, आगे भी हम आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि पूरी तरीके से उसमें कार्रवाई जरूर होगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने डॉ0 रागिनी को सुना और मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, इसलिए इसको अग्राह्य करता हूँ।

सुबह एक सूचना नियम-311 में दी गयी थी।

(सदस्य, डॉ0 रागिनी के द्वारा लगातार बोलने का प्रयास करते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 रागिनी आप बैठिये। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वह सूचना लेकर दोपहर तक आपको देंगे।

डॉ0 रागिनी-

आदरणीय अध्यक्ष जी, निवेदन के साथ मैं एक बात कहना चाहूँगी जिस केस के बारे में हमने बोला है, वहां पर भी एफ0आई0आर0 देरी से दर्ज की गयी और इसमें भी अधिकारियों के अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसकी मांग करती हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर दे दीजिए, उस पर कार्रवाई होगी।

अब पूजा जी बोलिये।

***श्रीमती पूजा-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहां पर अपनी पार्टी की ओर से बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि बेरोजगारी इस समय चरम की स्थिति पर है। जो छात्र-छात्राएं ग्रेजुएट हैं, वह भी बेरोजगार होकर घरों में बैठे हैं। अगर उन्हें प्राइवेट नौकरियाँ भी दी गई हैं तो वह बहुत कम सैलरी पर काम कर रहे हैं। पूर्व में सरकार ने 10 लाख सरकारी नौकरियाँ देने की घोषणा की थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह कोई सरकारी नौकरी अभी तक दे पाये हैं। इस सरकार के कार्यकाल वर्ष 2017 से 2022 तक जो भी सरकारी नौकरियाँ निकली हैं, अधिकांश वह माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित हैं या फिर उनका पर्चा लीक होने की वजह से जांचों में फंसी हुई हैं।

मान्यवर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूथ किसी भी देश की एक स्ट्रैंथ होती है, उसे और स्ट्रैंथन करने के बजाय उसे आप प्रदेश में कमजोर कर रहे हैं। मान्यवर, वह डिग्री लेकर दर-दर की ठोकरें खा रहा है। मान्यवर, यह बहुत दुःख की बात है कि आज का पढ़ा-लिखा युवा जो बेरोजगार है, वह आत्महत्या करने तक के लिए तैयार है। मान्यवर, मेरे पास एन0सी0आर0बी0 की एक रिपोर्ट है, जिसके एकार्डिंग यू0पी0 में 227 लोगों ने सिर्फ अनइम्प्लायमेण्ट की वजह से आत्महत्या कर ली है। मान्यवर, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ? मान्यवर, यह जो 227 आत्महत्याएं की गई हैं, इसकी जिम्मेदार सरकार है। उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेते हुए उसमें कदम उठाने चाहिए। आज जो नौजवान युवक सरकारी नौकरी नहीं पा रहा है, वह आत्महत्या कर रहा है। मान्यवर, सारे बेरोजगार धरने पर हैं। मान्यवर, इतने ज्यादा एप्लीकेशन्स आ रहे हैं, उसके कम्पेरिजन में रिक्रूटमेंट बहुत कम है और वह 0.21 परसेण्ट है। यह सरकार की विफलता को दर्शाता है।

श्री अध्यक्ष-

भाषण नहीं हो रहा है। जब भाषण का नम्बर आयेगा तो बोलिएगा।

श्रीमती पूजा-

मान्यवर, सचिवालय और राजस्व विभाग में 13 हजार से ज्यादा पद खाली हैं, उन्हीं की भर्तियां कर दी जायें और मैं तो कहूँगी जो स्वीकृत पद हैं, उन्हें भी अपडेट करने की जरूरत है। जनसंख्या के सापेक्ष में स्वीकृत पदों की संख्या भी बहुत कम है, जिसकी वजह से सरकारी ऑफिसेस के बाहर दलाल घूम रहे हैं, जिससे पब्लिक को बहुत परेशानी झेलनी पड़

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रही है। सरकार के सेवायोजन पोर्टल पर ही पंजीकृत बेरोजगार 3,05,927 हैं, इतने बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। कितने बिना रजिस्टर्ड हैं, उनका आंकड़ा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

पूजा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती पूजा-

मान्यवर, बस मुझे अदम गोंडवी का एक शेर कहना है-

"तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं

मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं।"

(सदस्य श्री लालजी वर्मा जी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, आप बैठ जायें।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री अनिल राजभर)-

माननीय अध्यक्ष जी, लालजी वर्मा जी का बड़ा अभिनन्दन है और बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा अभिनन्दन करना चाहता हूँ क्योंकि एक नई परम्परा की शुरुआत की है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने इस बात को आज सदन के सामने रखा है, दुनिया जानती है कि भारत आज पूरी दुनिया का सबसे जवान देश है और उसमें भी उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे जवान प्रदेश है। बेरोजगारी की समस्या बड़ी है और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा अभिनन्दन करता हूँ कि समस्या जितनी बड़ी है उतनी ही संवेदनशीलता के साथ उनके नेतृत्व में आज बेरोजगारी की समस्या का समाधान सरकार निकाल रही है। अगर वर्ष 2017 से ले करके अब तक की बात करें तो अब तक 6,99,821 लोगों को सरकारी नौकरियों में सरकार ने अवसर देने का काम किया है।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, पहले आप बात सुनिये।

श्री अनिल राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, यह लोग अखबारों में छपने के लिए काम करते हैं, इनको बेरोजगारी से कोई लेना-देना नहीं है। जब आप सदन आहूत करते हैं, तब बेरोजगारी की समस्या का मुद्दा नहीं उठाते, तब यह लोग सड़क पर बैठते हैं। जब बेरोजगारी की समस्या की बात सदन में होती है, तब सुनने की इनके अन्दर हिम्मत नहीं होती है।

श्री महबूब अली-

माननीय अध्यक्ष जी, यह लोग आउट सोर्सिंग को सरकारी नौकरी मानते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय महबूब अली जी, आपको जो भी बात कहनी है, वह हमसे कहिये। आप डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। आप बैठ जाइये प्लीज।

श्री अनिल राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर इस वर्ष के कार्यकाल की बात करें तो मात्र 100 दिन के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी जी की सरकार ने 10 हजार सरकारी नौकरियाँ देने का काम किया है।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा अपने स्थान से बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य आप लोग शान्त रहें। आप उसकी लिस्ट मांग लीजिये। कैसी बात कर रहे हो, आपके पास कोई सूचना है क्या ? आप पहले सुनिये।

श्री अनिल राजभर-

100 दिन के अन्दर।

श्रीमती विजमा यादव-

मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं को कितनी नौकरी दी गई है, उसके बारे में भी सदन को बता दें।

श्री अनिल राजभर-

मान्यवर, मैं डिटेल में बता रहा हूँ, मेरी बात को सुन लें, सब स्पष्ट हो जायेगा।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, पहले आप मा0 मंत्री जी को सुन लें। मा0 वर्मा जी, आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप जो घर से सोच कर आये हैं, वही बोलना चाहते हैं।

श्री अनिल राजभर-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज 40 हजार 670 भर्ती, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ 19 हजार 327 भर्ती, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रयागराज 2753 भर्ती, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज

33 हजार 401 भर्ती, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ 7 हजार 449 भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ 1 लाख 44 हजार 194 भर्ती, बेसिक शिक्षा विभाग 1 लाख 23 हजार 92 भर्ती।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग सुन लें, मंत्री जी विभागवार बता रहे हैं।

श्री अनिल राजभर-

2017 से अब तक संविदा के माध्यम से 56 हजार 491 लोगों को रोजगार देने का काम सरकार ने किया है।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अनिल राजभर-

मान्यवर, या तो इनकी बात सुन लें या फिर हमारी बात को सुनवा लें।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग सुन लें, मा0 मंत्री जी कितना डिटेल में बता रहे हैं।

श्री अनिल राजभर-

मात्र 100 दिन के अन्दर 25 हजार बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में सरकार ने समायोजित करने का काम किया है।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा सदन में खड़े होकर बोलने से व्यवधान)

श्री अनिल राजभर-

मान्यवर, इन लोगों का बेरोजगारों से कोई लेना-देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। मान्यवर, 2017 से हमारे पास पूरा आंकड़ा है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, मुझे मालूम है कि आपके पास बहुत कुछ कहने को है, इसलिए आप इन पर ध्यान न देकर सदन को अपनी बात बतायें।

श्री अनिल राजभर-

मान्यवर, इनका कहना है कि बेरोजगार, नौजवान अपने घर में बैठा है लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरे देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार कैरियर काउंसिलिंग की बात करती है और मात्र 100 दिन के अन्दर

50 हजार बेरोजगारों की कैरियर काउंसिलिंग उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। मान्यवर, यह मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये सेंटर फॉर मानीटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसकी चर्चा कल विधान परिषद् में विपक्ष के लोग ही कर रहे थे और उसके आंकड़ों के अनुसार 2016 में 13.25 बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश की थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, ये बेरोजगार और नौजवान अभी चार महीने पहले ही आपको आइना दिखा चुके हैं, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। इन्हीं बेरोजगारों, इन्हीं नौजवानों ने कमल के निशान पर मुहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनायी है, ये क्या बात करेंगे।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य अपने स्थानों से खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे)

श्री अध्यक्ष-

मैंने नियम-311 को नियम-56 में परिवर्तित करके श्रीमती पूजा जी को बोलने का अवसर दिया था, उन्होंने अपनी बात कही। मा0 मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया। ये नियम-56 में नहीं आता, मैं इसको अग्राह्य करता हूँ।

महिला सदस्यों के लिए आरक्षित विशेष उपवेशन पर सम्बोधन (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

आप उस ओर बढ़ रहे हैं, जिसके लिए महत्वपूर्ण चर्चा आज इस सदन में अपेक्षित थी। मुझे कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं यहां पर होंगी। सबसे पहली बात कुछ मिथक हैं, उनको हम सब लोगों को तोड़ना पड़ेगा। मा0 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा ये कहा जाने लगा कि महिलाएं क्या चर्चा करेंगी, घण्टे-दो घण्टे में सब समाप्त हो जायेगा। मैं इस मिथक को आज यहाँ तोड़ते हुए देखना चाहता हूँ।

मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा कि बोलने की कोई समय-सीमा नहीं है, तो मैं किसी भी सदस्य के लिए बोलने की कोई सीमा निर्धारित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहां पर हमारी बहुत सारी आदरणीया महिला सदस्य हैं, जो बहुत अच्छा बोल सकती हैं। बहुत सारी ऐसी सदस्य हैं, जो अभिव्यक्ति भी नहीं कर सकती हैं, लेकिन समाज में जो उनका कार्य है, जिसके कारण वे यहाँ पर चुनकर आयी हैं।

सामान्य रूप से कहा जाता है, झिझक। झिझक सिर्फ महिला सदस्यों में ही नहीं है, झिझक पुरुष सदस्यों में भी है। मैं अगली बार इस बात के लिए प्रयास करूँगा कि जिन मा0 सदस्यों ने, चाहे पुरुष सदस्य हों, चाहे महिला सदस्य हों। आज हम महिलाओं को बोलने का पूरा अवसर देंगे, लेकिन जिनको आज तक बोलने का अवसर नहीं मिला है, उनको भी लिस्ट बनाकर बोलने के लिए अवसर दूंगा, जो लोग आज तक नहीं बोले हैं।

(समाजवादी पार्टी के श्री महबूब अली के कुछ बोलने पर)

आप बहुत बोल चुके हैं। आज ये वाली उंगली आप मत करिए। व्यवस्था पर प्रश्न करना है, तो हमारी बहनों को करने दीजिए। मैं सदस्यों के हिसाब से इसमें कोई समानुपातिक डिवीजन करने नहीं जा रहा हूँ। मेरा प्रयास होगा कि एक इधर की मा0 सदस्य बोलें, तो उसके बाद एक उधर की मा0 सदस्य बोलें। इस बात के लिए मैं निवेदन करूँगा।

सब लोग प्रभावी ढंग से अपनी बात कहें, जैसे मा0 नेता प्रतिपक्ष ने आज सवेरे बहुत महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर यहां पर चर्चा की है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने सरकार की पूरी योजनाओं के बारे में बताया, नेता प्रतिपक्ष ने बहुत सारी बातें कहीं, जो सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिये जा सकते थे, मा0 नेता प्रतिपक्ष ने वह भी दिए। दोनों के द्वारा ट्रेंड्स सेट किया गया है, उस ट्रेंड्स के ऊपर ही मैंने कहा कि ये जो मैसेज है, वह देश के हर विधान सभा में भेजने के लिए ही है, पालिर्यामेंट में भी हाइएस्ट लेवल पर यह निवेदन किया है कि इसको जरूर देखा जाए। मा0 लोक सभा अध्यक्ष जी से भी चर्चा की थी। उनको कहा था कि इसको देखा जाये।

हमारी जो बातें हों, हम अपनी बात जरूर कहें। पक्ष और प्रतिपक्ष से ऊपर उठकर हमारी जो सरकार की कमी है, वह हमारी बहनें जरूर कहें और सरकार की जो योजनाएं हैं, उसके बारे में जितनी बात कहना चाहते हैं, उसको भी कहें। मैंने यहाँ गैलरी में भी देखा, वैसे गैलरी का संज्ञान नहीं लिया जाता है, लेकिन आज इसलिए लेना चाहता हूँ कि मैंने महत्वपूर्ण महिला डॉक्टर्स को आज सवेरे गैलरी में बैठने के लिए कहा था। मा0 नेता प्रतिपक्ष आपकी अनुमति से मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि इसका संज्ञान न लेकर बहुत महत्वपूर्ण डॉक्टर्स हैं, मैंने उनसे निवेदन किया था, वह आज हमारी गैलरी में थीं। जो लॉ ग्रेजुएट्स महिलाएं हैं, वह हमारी गैलरी में थीं, एम0बी0ए0 से सम्बन्धित महिलाएं हमारी गैलरी में थीं। मैंने अधिकारियों से भी निवेदन किया था कि हमारी महिला अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित रहें। सुबह हमारी महिला अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित थीं।

ये अपने आप में एक नया ट्रेंड है, उस नये ट्रेंड में हम आपको अवसर देंगे। हम 50 प्रतिशत प्रदेश की आबादी को 47 महिलाएं उत्तर प्रदेश की रिप्रजेंट कर रही हैं। तो 50 प्रतिशत के लिए, लगभग 10-11 प्रतिशत को बोलना है। तो आपके 50 प्रतिशत में 11 प्रतिशत महिलाएं उसमें से क्या अमृत देंगी, अपनी वाणी और भाषा में, वह जरूर ट्रेंडसेटर होगा ?

जैसा मा0 मुख्य मंत्री जी यहाँ पर घोषणा करके गये हैं इस प्रकार के जो भी सुझाव होंगे, सरकार उनका संज्ञान लेगी और उन सुझावों के ऊपर आवश्यकतानुसार सरकार कार्यवाही भी करेगी। मा0 सदस्य महिला विधायक जो यहाँ पर बैठी हैं, वे सुझाव देंगी।

भोजन के लिए भी जैसे मा0 मुख्य मंत्री जी ने बोला था, तो मैं बताना चाहता हूँ कि 02:00 बजे भोजन तैयार हो जायेगा। कॉफी मशीन पीछे लगी हुई है। कल जैसे किदवई साहब के साथ हुआ था। अपना नाम अपनी पार्टी से पूछ लें कि किसके बाद आ रहा है, तो कॉफी उस समय पीने जायें, जिस समय आपका नाम हो जाए, उसी क्रम में भोजन भी किया जा सकता है।

महबूब साहब, कुछ बात महिलाओं के बारे में कहने के लिए बहुत उतावले हैं। अभी आप को सुन लेंगे और बीच में एक महिला के बोलने के बाद आपको भी बुलवा देंगे (सदन में हँसी)।

श्री महबूब अली-

पहले तो हम आपको बधाई देंगे कि आपने महिलाओं के शुभ लिए जो दिन आरक्षित किया है नेता सदन को भी हमने बहुत ध्यान से सुना था और उन्होंने सरकार की बहुत सी योजनाओं का जिक्र भी किया था। सकारात्मक चर्चा की बात की थी कि सकारात्मक चर्चा हो, नेता सदन ने भी यह कहा है कि यह चर्चा ही ना रह जाए, इसलिए मेरा अनुरोध है मान्यवर, अगर आज इसकी शुरुआत की है तो महिला शक्ति का पैगाम जाना चाहिए, पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं की अपने क्षेत्र की समस्याओं का शत-प्रतिशत निस्तारण हो जाना चाहिए। इतना मेरा प्रयास है।

[01:21] महिला सदस्यों के लिए आरक्षित विशेष उपवेशन में महिला सशक्तिकरण पर निर्धारित चर्चा

***श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

मुझे आज यह समझ नहीं आ रहा मा0 अध्यक्ष जी कि आज महिलाओं के विशेष सत्र में महिलाओं को बोलने के लिए आमंत्रित किया तो आदरणीय महबूब जी को क्या छटपटाहट है, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया है। हारे नहीं जब हौंसले तो कम हुए कुछ फासले, दूरी नहीं कोई हमें समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। जो मन आपके नेतृत्व में इस सदन में बनाया है, उससे आधी आबादी का मन मयूर नाच उठा है। जहां तक मेरी जानकारी है आपके नेतृत्व में आज नारी सम्मान की गाथा उत्तर प्रदेश की 18वीं विधान सभा लिखने जा रही है, उसका पूरे देश में इससे पूर्व कोई उदाहरण नहीं मिलता है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे क्षेत्रों में नम्बर वन बनने के कीर्तिमान स्थापित किए लेकिन आज महिला सशक्तिकरण और महिला विधायकों के लिए सम्मान में एक विशेष सत्र के आयोजन में नम्बर वन बनना पूरी देश में पहली बार घटित होने जा रहा है, यह बाकी प्रदेशों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिए अनुकरणीय बनेगा और यहां से जो आज गूंज जायेगी, उसकी धमक वर्षों तक याद की जयेगी और इसके लिए अगर सबसे ज्यादा कोई बधाई का पात्र है, तो आदरणीय महाना जी आप हैं। आपके क्षेत्र में मैंने किसी को एक बार कहते यह सुना था और सही सुना था कि आसान नहीं होता है महाना होना, आपने इस बात को आज प्रस्तुत कर दिया है। अध्यक्ष जी, आपके प्रयास से आज के दिन का गुजरता हुआ एक-एक पल एक बहुत ही सुन्दर स्वर्णिम इतिहास बनने की ओर अग्रसर है। 22 सितम्बर 2022 का यह ऐतिहासिक दिवस मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी और मा0 नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी के साथ सम्पूर्ण सदन के सदस्यों की प्रदेश की आधी आबादी के प्रति सभा संहिता के रूप में हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा।

मा0 अध्यक्ष जी आपने मा0 सदस्यों की बेहतरी के लिए नित नए अभिनव प्रयास किये हैं, चाहे अलग समूह में बांट कर सदस्यों से चर्चा करना हो या जन्म दिवस पर बधाई देना हो। या ई-विधान सभा लागू करनी हो, सब कुछ अत्यन्त प्रशंसनीय है। लेकिन आज के इस विशेष सत्र के आयोजन से आपने न केवल विधान सभा की 47 महिला विधायकों का सम्मान बढ़ाया है बल्कि जिस आधी आबादी की वोट से यहाँ प्रत्येक माननीय सदस्य बैठे हैं, उनको भी सम्मानित करने का काम किया है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायी)।

आज कोई महिला दिवस नहीं था कि महिलाओं के विषय में बात करना जरूरी हो, फिर भी हम महिला सदस्यों के प्रति आपकी और पूरे सदन की संवेदनशीलता ने यह तय कर दिया है कि आगे चलकर यह यहीं समाप्त नहीं होगा। यह 22 सितम्बर का दिन हर वर्ष महिला सशक्तिकरण के उन्नयन के रूप में भी जाना जायेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, एक दिन का सदन महिला शक्ति को नमन करके आपने हौसला बढ़ाया है दूर-दराज गांवों में स्वास्थ्य की देखभाल कर रही आशा बहनों का आपने मान बढ़ाया है प्रदेश में ए0एन0एम0 बहनों का आपने हिम्मत बढ़ायी है, आंगनबाड़ी सेविकाओं की आपने जोश भरा है 35 हजार बैंक सखियों में आपने सम्मान दिया है, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगा रही शिक्षिकाओं को। आपने सम्बल दिया है स्वयं सहायता समूह की बहनों को, आपने ऊर्जा प्रदान की है डॉक्टर, वकील, पुलिस व गृहणी बहनों को और आपने बल प्रदान किया है इस सचिवालय में काम करने वाली बहनों को.....

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायी)

भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ''नारी कोई गुड़िया नहीं है जो सजती, संवरती रहे, न ही वह कोई जादुई परी है जो अपने रूप-यौवन पर इठलाती फिरे। उसके गर्भ में सृष्टि का बीज पलता है, वह सृजन की कारक है, उसकी बराबरी किसी से नहीं हो सकती।' आज इस सदन ने यह बता दिया है कि सचमुच उसकी बराबरी किसी से नहीं

सकती। हम कहते हैं कि 'हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं।'' लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आपके कोख में सृष्टि का बीज पलता है, अगर आप चिंगारी हो गयी तो यह दुनिया रहने लायक नहीं रह जायेगी। इसलिए यह नारा ठीक करना है कि 'हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं।' जहां जरूरत पड़ेगी, जब कोई साथ न दे, आवाज हमें देना, हम फूल ही नहीं, हम पत्थर भी उठायेंगे और जहां जरूरत होगी, वहां महारानी लक्ष्मीबाई की तरह अपने 6 महीने के दुधमुंहे बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर युद्ध का संचालन करती रहीं और शहीद हो गयीं, लेकिन कहती रहीं कि हम जीते जी अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं देंगे। (मेजों की थपथपाहट)। जहाँ फूल बनने की जरूरत है वहाँ फूल बनना है और जहाँ चिंगारी की जरूरत होगी वहाँ चिंगारी बनना है। ऐसे में हम इस नारे को भी आगे ठीक करेंगे कि - 'हम भारत की नारी हैं, फूल और चिंगारी हैं।'

स्व0 जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कालजयी रचना कामायनी में लिखा था कि-नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत, नभ, पग, तल में। पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में। भारतीय वांग्यमय में नारी के गौरवमयी अस्तित्व का उल्लेख है। वैदिक काल में स्त्री शास्त्रार्थ कर सकती थी, यज्ञ में भाग ले सकती थी, यहाँ तक कि उसे स्वयंवर भी करने का अधिकार था। प्राचीन भारत का प्रारम्भिक इतिहास ऐसी महिलाओं से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपने दौर में न केवल शासन-सत्ता की बागडोर संभाली बल्कि देश व समाज को समय-समय पर नई दिशा देने का भी काम किया है। स्वतंत्रता संग्राम में भी नारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। महारानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा भाभी, बेगम हजरत महल, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, चित्तूर रानी चेनम्मा, सावित्रीबाई फूले आदि का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। याज्ञवल्क्य जैसे महाविद्वान के पांडित्य के दम्भ को शास्त्रार्थ में चुनौती देकर चूर करने वाली गार्गी सहित, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, रत्नावली जैसी विदुषियों की एक लम्बी श्रृंखला तत्कालीन समाज की गौरवशाली स्थिति बनाने के लिए पर्याप्त है। कालान्तर मे इसमें जब कुछ ह्रास आया तब महात्मा गाँधी जी ने हिन्द स्वराज में लिखा कि जब तक आधी मानवता की आँखों में आँसू हैं, मानवता पूर्ण नहीं कही जा सकती।

माननीय अध्यक्ष जी, इसी बात को देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का संकल्प दिलाते हुए कहा था चाहे खेलकूद हो अथवा अंतरिक्ष विज्ञान महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं हैं। नारी सशक्तिकरण के बिना मानवता का विकास अधूरा है और अब यह मुद्दा वीमेन डेवलपमेन्ट का नहीं बल्कि वीमेन लेट डेवलपमेन्ट का बना है और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी प्रसन्नता हो रही होगी कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने यह काम कर दिखाया है। 'महिला शक्ति है, सशक्त है, वह भारत की नारी है, न ज्यादा में न कम में, वह सब में बराबर की अधिकारी है।' महिलाओं की इस सदी की सबसे बड़ी उज्ज्वला योजना के माध्यम से बिना किसी भेदभाव के माननीय मोदी जी ने गांव, गरीब परिवार की

महिलाओं के आंसू पोछने, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का जो अविस्मरणीय काम किया है, वह निःसंदेह प्रशंसनीय है। जब भी गैस सिलेण्डर बटे तो चाहे सीमा हो या सुल्ताना, राधा हो या रेहाना सभी को मुफ्त में गैस कनेक्शन देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। माननीय मोदी जी एवं केन्द्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के प्रयासों से मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के दण्ड से मुक्ति भी मिली। महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उन्न्यन हेतु चार स्तम्भ बहुत ही आवश्यक हैं, जो मैं विशेष रूप से यहां पर आज उठाना भी चाहती हूँ, पहला उनकी शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा स्वावलम्बन और चौथा उनकी सुरक्षा है। हर्ष का विषय है कि योगी सरकार इन चारों ही स्तम्भों के प्रति बहुत ही गम्भीर है। योगी जी का नारा है 'सशक्त नारी तो सशक्त प्रदेश'। आज तो आपकी पहल से सदन में नारी सम्मान की एक प्रशंसनीय अमिट गाथा लिखी जा रही है। पूरा सदन आज शुरू से चल रहा है आज जो भी पटल पर रखना है, वह महिला सदस्य ही रखेंगी, प्रश्नों को उठाना है तो महिला सदस्य ही उठायेंगी, वह अलग बात है कि पाण्डेय जी आज बहुत लेफ्ट राईट करते हुए दिखाई दिये हैं।

आदरणीय मनोज पाण्डेय जी मेरे बहुत ही प्रिय भाई हैं और मैं उनकी बहुत ही प्रशंसा भी करूंगी कि सचमुच आपने दिखाया कि इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों एक था। भाग-भागकर आप जिस तरीके से महिलाओं के समर्थन में आदरणीय अध्यक्ष जी के पास जा रहे थे, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा। इसी कारण आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारे जब माननीय विद्वान वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया तो आदरणीय सुरेश खन्ना जी ने महिलाओं के लिए सौगातों का पिटारा ही खोल दिया था। पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान को सुनिश्चित करते हुए उन्हें स्वावलम्बी बनाने के व्यापक कार्य किये हैं। मिशन शक्ति के अन्तर्गत कार्यक्रमों को प्रभावी क्रियान्वयन से देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। महिला अपराधों में कमी आयी है। पहले तो इस सरकार ने सुनिश्चित किया कि अपराध हों ही नहीं और अगर किसी तरीके से हो भी जायें तो दोषी बचना नहीं चाहिए। आज महिलाओं को वह ताकत दी है। पहले लोक लाजवश महिलायें अपनी बात नहीं कहती थीं, लेकिन आज योगी सरकार ने यह हिम्मत दी है कि अगर दैववश, दुर्भाग्यवश कोई घटना हो जाये तो आप चुप मत रहिये आपने कोई अपराध नहीं किया है। उस अपराधी को सजा दिलाने के लिए आप सामने आइये, सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। भारतीय मनीषियों ने नारी की महत्ता व गरिमा को समझते हुए उसे ब्रह्म विद्या, श्रद्धा, शक्ति और कामधेनु की प्रतिमूर्ति कहकर सम्मानित किया है। वह देवत्व की मूर्तिवान प्रतिमा है। शास्त्रों में 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' कहकर दर्शाया गया कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। आगे कहा गया कि 'नास्ति मातृ समम् गुरू' चाहे बेटी का रूप हो, पत्नी का रूप हो, बहन का रूप हो सब रूपों में यह महिला शक्ति पूज्यनीय है।

आदरणीय नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी से भी मैं अटेंशन चाहूंगी, आपने आज बहुत अच्छा विषय महिलाओं के समर्थन में रखा और आपने पहले ही कह दिया, यह मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यह दिन और पहले आना चाहिए था कि आज मैं कोई विरोध की बात नहीं करूंगा। यही महिला शक्ति होती है जो सारे विरोधों को समाप्त कर देती है। वेदों ने कहा 'नास्ति मातृ समम् गुरू' माता से बड़ा कोई गुरू नहीं है। आपके जितने भी भ्रम हों, आप कितने भी परेशान हों, मां की गोद में सिर रख दीजिये, मां की उंगलियां जब बालों में चलने लगती हैं, रास्ता दिख जाता है, सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, आगे इसलिए कहा कि अगर जीजाबाई न होतीं तो शिवाजी नहीं होते, पुतलीबाई न होतीं तो महात्मा गांधी जी नहीं होते, सीता नहीं होतीं तो लव कुश नहीं होते और मदालसा नहीं होतीं तो तीन-तीन ब्रम्हर्षि हमको नहीं मिलते। स्त्री का दूसरा रूप है पत्नी का 'नास्ति भार्या समम् मित्रम्' पत्नी से बड़ा कोई मित्र नहीं है लेकिन क्या विडम्बना है कि आप लोग भी किसी के पति हैं और हम लोगों के भी पति हैं, यहां पर बैठी हर महिला के पति हैं। उनकी दुनियां मित्र होती है, घर से निकलते ही लाला जी, ठाकुर साहब, पंडित जी, नेता जी, अभिनेता जी, सभी उनके मित्र होते हैं लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई मित्र है तो वह आपकी पत्नी है और इसीलिए जो अच्छे मित्र के लक्षण बताया गया है हमारे वेदों में उसमें कहा गया है कि 'गुह्यिम निगृहति गुणान प्रकटी करोति। आपद्गतम न जाहति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणामिदं' जो छुपाने वाली बातों को छुपाए, बताने वाली बातों को बताए, वही सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन वह दो जोड़ी आंखें, जब आप घर से जाते हैं, आपको निहारती रहती हैं, दिन भर प्रार्थनारत रहती हैं और जब शाम को आप लौट कर आते हैं, तब उन आंखों को चैन आता है। लेकिन उस मित्र की चिन्ता नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे प्रसन्नता है कि आज तमाम महिला, पता नहीं क्यों आपने यह सत्र महिलाओं को समर्पित कर दिया, बहुत सारे माननीय सदस्य यहां पर नहीं हैं लेकिन हमें प्रसन्नता है कि आप जो चाहते हैं, वही हुआ है, आज वह सबसे अच्छी मित्र जो उनकी पत्नी है, उसके सानिध्य में अपने घरों पर होंगे तो यह बहुत अच्छा शुभ संकेत है।

महिला का तीसरा रूप है 'ग्रहेषु तनया भूषा' घर का आभूषण पुत्री है कितने भी दान कर लीजिए, अगर एक कन्यादान नहीं किया तो मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर कन्या है तो शान से कन्यादान करिये और अगर आपको पुत्री ईश्वर ने नहीं दी है तो किसी गरीब की पुत्री को लेकर उसका कन्यादान जरूर करिये, क्योंकि कहा गया है कि 'वह न श्राप है, न फूल है, अगर तितलियां न हों वह घर भी कोई घर है, जहां बेटियां न हों' इसलिए बेटियों का सम्मान करिये। इसका चौथा रूप बहन का है। कहा गया है 'नास्ति स्वसा समा मान्या' स्वसा मतलब उसी कोख से उत्पन्न अपनी बहन से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए आज भी संस्कार वाले घरों में

भाई छोटा हो या बड़ा हो बहन के पैर छूता है और जब वह जाती है अपने ससुराल तो जैसे ब्राहमण को दे-लेकर विदा करते हैं वैसे ही उनको दे-लेकर विदा करने का काम किया जाता है और बहन भी कैसी हो अगर घर आये तो जो उलझे मसले हों भाभी के और सासू मां के, उनको सुलझा कर जाये। इसलिए जब वह जाती है तो हमारी परम्परा है कि हम जब सूप में कोछ पूजते हैं तो सारा अक्षत हम अपने साथ नहीं ले जाते हैं, कुछ अक्षत के दाने को पीछे छोड़ कर जाते हैं कि मेरे पीछे मेरा घर फलता-फूलता रहे और जब तक प्रत्येक महिला अपनी इस भूमिका को नहीं समझेगी तब तक चाहे हम सामाजिक क्षेत्र में काम कर लें या हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर लें तब तक कहीं न कहीं कोई कमी जरूर होगी, आपने विषय उठाया मेरा बहुत मन था इसलिए मैंने इस विषय को रखने का काम किया। असल में नारी सशक्तिकरण का अभिप्राय है समाज में उनका सम्मान, उनकी भावनाओं का आदर, फैसले लेने में उनकी भी भागीदारी और लिंग, भेद पर पक्षपात रहित व्यवहार। आज क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं ताकत का कोई लिंग नहीं होता। मित्रों आज हम जिस जगह पर बैठे हैं आजाद भारत में और उत्तर प्रदेश में पहली मुख्य मंत्री के रूप में आदरणीय सुचेता कृपलानी जी ने इस सदन को संभालने का काम किया।

आदरणीय बहन मायावती जी ने भी मुख्य मंत्री के रूप में प्रदेश की कमान को संभालने का काम किया था। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय प्रतिभा पाटिल जी देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुईं। सात बार संसद की सदस्य चुनी गईं और अनेक मंत्रालय की बागडोर कुशलता से चलाने वाली आदरणीय सुषमा स्वराज जी का व्यक्तित्व और कृतित्व हमेशा से क्या महिला, क्या पुरुष, सभी के लिए अनुकरणीय रहा है, प्रेरणादायी रहा है। लोगों के दिलों में आज भी उनका नाम और उनकी छाप उतनी ही गहरी है, जितनी वह कभी छोड़कर गयी थीं। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी महिला राजनीति के सशक्त उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल और पूर्व में गुजरात की पहली महिला मुख्य मंत्री रहीं महामहिम श्रीमती आनन्दीबेन पटेल जी ने अपने नेक इरादे और दृढ़ संकल्प से बता दिया है कि 'स्ट्रेंथ हैज नो जेंडर' यानि ताकत का कोई लिंग नहीं होता है। चाहे ट्रक चलाती हुयीं योगिता रघुवंशी हों या नीलकमल, ऑटो का हैण्डल थामे फर्राटे भरती हुई झांसी की अनीता चौधरी हों या बस चलाती हुयी ऋतु हों या वसन्त कुमारी हों, हर जगह महिलाओं के हौसले का बसन्त दिखायी देता है। आज नभ में, जल में, थल में, हर जगह आधी आबादी के रूप में महिलाओं ने अपने सशक्त हस्ताक्षर सजा दिये हैं। इसीलिए कहती हूं कि 'बेटी का सम्मान करें हम, जन्मे तो अभिमान करें हम।' आप सभी से आज एक ही गुजारिश है कि अगर घर में बेटियां हैं या

पड़ोस की बेटी है तो 'मत रोको उसे चलने दो, मत रोको उसे चलने दो, मत थामो उसे गिरने दो, एक दिन आसमान को छू लेगी, बस थोड़ा-सा तो उड़ने दो।'

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं यह शब्द शायद कभी नहीं कह पाती अगर आपने इस विशेष सत्र का आयोजन नहीं किया होता। बहुत-बहुत धन्यवाद। इन्हें बस जरूरत है गिर-गिर कर सम्भलना, सम्भल-सम्भल कर चलना और एक दिन....

(इसी मध्य विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा बीच में टोका-टाकी करने पर)

भईया, सुनिये, पूरी दुनिया यह प्रोसीडिंग देख रही है, इसलिये शान्ति बनाये रखिये। गिर-गिर कर सम्भलना, सम्भल-सम्भल कर चलना और एक दिन उड़ान भरकर दुनिया को मुट्ठी में कर लेने की सफल कोशिश ही इन्हें स्वयंसिद्धा बनाती है। 'आसमान छूने की है आस, अगर आप जैसा मिल जाये थोड़ा-सा विश्वास।' जरूरत पड़ने पर यह महिला शक्ति हर एक शह से गुजर जाती है। यह छोटी चीज नहीं है। महिला और पुरुष कहकर इसे बांटिये मत, इसे कमतर मत आंकिये। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर जब आ पड़ा तो ऑटो-रिक्शा-ट्रेन भी चलाने लगी बेटियाँ, साहस के साथ अंतरिक्ष भी भेद डाला, युद्धक विमान उड़ाने लगी बेटियाँ और कितने उदाहरण ढूंढ़ कर लाऊँ। हर क्षेत्र, शक्ति आजमाने लगी बेटियाँ, वीर की शहादत पर अर्थी को कांधा देने अब श्मशान तक भी जाने लगीं बेटियाँ, ऐसी बेटियाँ हैं हमारी।

(सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट)।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद। अब आप समाप्त करें। बाकी सबको भी अवसर मिल जाये।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं बस दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूंगी। मैं बस समराईज कर रही हूं। आज उत्तर प्रदेश सरकार की पहल से यह सभी महिला विधायिकाएं अपनी तेजस्विता, अपनी ओजस्विता, अपनी वाक्पटुता, अपनी सरलता, अपनी तरलता, अपनी सहजता, अपनी ममता और अपनी कोमलता से इस सदन को आप्लावित करेंगी तो बरसों-बरस इसे भुलाया नहीं जा सकेगा। मुझे आपने आधी आबादी के रूप में विशेष अवसर दिया है इसीलिये कहती हूं आदरणीय महबूब जी, 'मुझे आवाज उठाने दो, मुझे आवाज उठाने दो, हाशिये से उठकर मुख्य पटल पर आने दो। अरे, कितनी परीक्षाएं लोगे मेरी, कभी मुझे भी तो आजमाने दो। आधी आबादी हो, पूरी हकीकत दुनिया को बतलाने दो, मुझे आवाज उठाने दो।'

(सदन में सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट)।

मा0 अध्यक्ष जी, पुनः गदगद भाव से, असीम आनन्द से ओतप्रोत, हृदय की गहराइयों से आपको और इस सम्पूर्ण सदन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं और सभी महिला सदस्यों से यह अनुरोध करती हूं कि आज के ऐतिहासिक दिन पर जो बहुत मुश्किल से मिला है और सबकी सहभागिता, इतनी सदाशयता बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसलिये जब भी आपकी बारी आये तो आप लोग यहां पर कुछ न कुछ अपने विचार जरूर रखें, क्योंकि मिशेल ओबामा ने कहा था कि 'महिलाएं क्या कर सकती हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है।' आज आपको अपनी सीमाओं को तोड़ने का अवसर मिला है। इसलिये सभी को पता चलना चाहिये कि आप कितने अच्छे तरीके से अपने भाव रख सकती हैं। इसलिये आप लोग बोलियेगा जरूर। आदरणीय अध्यक्ष जी ने पहले ही कह दिया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही हिचकिचाती हैं, पुरुष भी बहुत ज्ञानी होते हुए भी बोलने में हिचकिचा जाते हैं। इसलिये कोई ऐसी बात नहीं है, आप खुलकर अपनी बात रखिये। आदरणीय महबूब जी से सीखिये कि देखिये हमारा नम्बर है, लेकिन महबूब जी उसमें बोल रहे हैं। अन्त में कुछ पंक्तियां कहकर अपनी बात समाप्त करती हूं कि 'मैं ही गंगा, मैं ही जमुना, मैं ही चम्बल का पानी हूं। मैं ही शारदा, मैं ही दुर्गा, मैं ही चंडी-भवानी हूं। मैं हूं मीरा का इकतारा, मैं झांसी वाली रानी हूं। मेरी भाषा तो है हिन्दी, मैं तो हिन्दुस्तानी हूं।' आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(सत्तापक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 रागिनी जी।

***डॉ0 रागिनी-**

धन्यवाद मा0 अध्यक्ष महोदय, 'दिन की रोशनी गुजर गयी ख्वाबों को बनाने में, रातों की नींद गुजर गयी बच्चों को सुलाने में, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उमर गुजर गयी उस घर को सजाने में।' आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज आजादी के 75 वर्षों में पहली बार देश के सबसे बड़े सदन उत्तर प्रदेश के सदन में सिर्फ और सिर्फ महिला विधायकों को बोलने का आपने अवसर दिया मैं उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, आदरणीया डिम्पल भाभी जी का जिनकी इस प्रोग्रेसिव सोच के कारण आज विपक्ष में होने के बावजूद भी अगर हम रेशियो निकालें तो जो महिला जनप्रतिनिधि हैं उनका रेशियो पक्ष के समान है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी समाजवादी पार्टी की सोच को, जो सोच कहती है कि नेतृत्व का कोई जेंडर नहीं होता, नेतृत्व का होता है एक विचार, एक सोच, एक विचारधारा जिससे आप लोगों को खुद से जोड़ते हैं। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि देश का विकास तभी होगा जब देश में नारी का विकास होगा, जब नारी विकास करेगी तभी देश का विकास होगा। आज से कई सालों पहले मा0 अध्यक्ष जी जब आप, मेरे पिता एवं उनके सहपाठी स्कूल जाया करते थे तो वहां पर पढ़ाया जाता था कि तीन प्रकार के देश होते हैं। विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश और तब वह अपने अभिभावकों से पूछते थे कि हमारा देश विकासशील देश की श्रेणी में आता है ये कब तक विकसित हो जायेगा ? तो उन्हें कहा जाता था कि कुछ नहीं आज से 8-10 सालों में हमारा देश विकसित हो जायेगा। मा0 अध्यक्ष जी आपके बाद हमने भी स्कूल की पढ़ाई की, हमने भी स्कूल जाना शुरू किया और हमें भी वही पढ़ाया गया, हमने भी जब ये सवाल पूछा तो हमें भी वही उत्तर मिला। आज एक नई जेनरेशन स्कूल जाने को तैयार है, लेकिन आज भी ये देश अपना जवाब नहीं बदल पाया है। क्या हमने कभी इस बात पर मंथन किया है ? आज जो स्पेशल सत्र बुलाया गया है ये सत्र ही उसका जवाब है कि आज हम 403 विधायकों में सिर्फ और सिर्फ 47 महिला विधायक हैं, जिसकी वजह से आज हमारा देश विकासशील से विकसित देश नहीं हो पाया है। मैं आज बताना चाहती हूं कि अगर हम देश में देखें कि महिलाओं का राजनीति में नेतृत्व का प्रतिशत कितना है तो सिर्फ और सिर्फ 9 प्रतिशत महिलाये हैं जो पूरे देश में जनप्रतिनिधि के रूप में अपना नेतृत्व कर रही हैं।

इस आंकड़े का अगर हम किसी भी विकसित देश से तुलना करें तो वहां पर जो देश विकसित हो चुके हैं उसका कारण भी हमें साफ-साफ समझ में आ जाता है कि वहां पर राजनीति में महिलाओं का क्या योगदान है, तो वह 30 प्रतिशत तक पहुंच चुका है और हमें भी अब इस पर विचार करना जरूरी है और इस सदन के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगी कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आरक्षण देने की जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए, इस प्रदेश को उठानी चाहिए।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपायी गयीं)

बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था मैं किसी भी समाज की प्रगति को उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ। मैं एक ग्रामीण अंचल से आती हूँ और जब वहां पर अपनी दलित समाज की बहनों को देखती हूँ तो यह महसूस होता है और साथ में बहुत ग्लानि भी होती है कि हमारा देश कहां पर खड़ा है ? आज क्या कारण है कि हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है ? चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे माँ हो, बहन हो, पत्नी हो या बेटी हो अधिकांश जगहों में, भारत देश में हमें निर्णय लेने की आजादी नहीं है।

मान्यवर, आज जब महिलाएं राजनीति में आना चाहती हैं तो उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस पर मैं बोलना चाहूंगी कौन बदन से आगे देखे औरत को, सबकी आंखें गिरवी हैं इस नगरी में। आज भी अगर औरत कुछ अच्छा नहीं कर पाती है तो आज भी सुनने को मिलता है कि तू औरत है। कितना बड़ा दायित्व इसे दे दिया ये कहां से कर पाती और अगर किसी तरीके से औरत अच्छा कर जाती है तो उसे कहते हैं, अच्छा ऐसे कैसे अच्छा कर दिया ? ऐसा क्या किया होगा उसने। इसी सोच को बदलने की जरूरत है। मैं इस सोच के लिए यह बोलना चाहूंगी कि आज इस प्रदेश व देश को एक मकसद के साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सोचना होगा। स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था कि अगर किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक वृक्ष की तरह खड़े रहो और गिरो तो एक बीज की तरह ताकि दोबारा से उग करके उसी मकसद के लिए दोबारा से लड़ सको। मैं अध्यक्ष जी, आपसे कहना चाहती हूँ हमें स्पेशल सेशन नहीं चाहिए आज पांच दिन के सत्र में एक दिन सिर्फ और सिर्फ महिला विधायकों को मिला है।

श्री अध्यक्ष-

हमने गलती कर दी क्या ?

डॉ0 रागिनी-

मा0 अध्यक्ष जी, कई सारे लोग होंगे जिनको दुख हो रहा होगा। कई सारे लोग होंगे जिनको आपत्ति होगी। लेकिन मैं यह कहना चाहती हूँ कि आज पांच दिन के सदन में हमें एक दिन का मौका मिला है, तो सोचिये आपको दुख हो रहा है और 75 वर्ष से हम इन्तजार कर रहे हैं कि हमें यह मौका कब मिलेगा। आज भी उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी सदन में जहाँ-जहाँ ये आवाज जायेगी तो वहाँ पर भी इसको शुरू किया जायेगा, इसलिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहूँगी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि जब सदन में महिलाओं को बराबर का हक मिलेगा, तभी जा करके जनपद में जो बैठे हुए अधिकारी हैं वो भी हमें सीरियसली लेंगे। मैं आपको एक घटना बताना चाहती हूँ। मैं मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र से विधायक चुनकर आयी हूँ और मेरे यहां की रोडों की स्थिति बहुत ही खराब है। मैंने पिछले सदन में भी उन बातों को उठाया था और बड़ी मुश्किल से एक रोड है जो स्वीकृत होकर बननी शुरू हुई, लेकिन जब वह बनकर पूरी हुई तो उस पर जो शिलापट लगा तो जो हमारे पड़ोसी विधायक हैं, उनका नाम उस शिलापट पर लिख कर आ गया। अब आप समझिए कि अधिकारियों की क्या सोच है। बनी मेरे यहां और शिलापट पर नाम दूसरी विधान सभा के विधायक का लगा दिया। उन्होंने मेरे बारे में यही सोचा होगा कि यह तो महिला विधायक है, और वैसे भी विपक्ष की है तो यह क्या कर लेगी।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि इस तरह की सोच को बदलना होगा। साथ ही साथ मैं अपनी महिलाओं को भी कहना चाहूँगी कि यह वक्त आ गया है, अब हमें आगे बढ़ना होगा। हमें देश का प्रतिनिधि बनना होगा और आगे बढ़ करके देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना होगा। अब हमें यह नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे और समाज क्या कहेगा, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर अब हमको चुप नहीं रहना। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ और मुझे जो मौका मिला है बोलने का। उसी माध्यम से मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र की सारी माताओं व बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा जताया और मुझे जिता कर विधान सभा सदन में भेजा। मैं साथ ही साथ यह भी बोलना चाहती हूँ कि आज हम भारतीय बहुत ही आधुनिक बनते हैं और हर बात पर बहुत ही बेबाकी से चर्चा करते हैं, लेकिन जब बात आती है महिला सशक्तीकरण की तो न जाने हम क्यों चुप्पी साध लेते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि भारत की आजादी में भी महिलाओं का योगदान किसी से कम नहीं था। चाहे वह झलकारी बाई रही हों, चाहे महारानी अहिल्याबाई होल्कर रही हों, चाहे ज्योतिबा फुले रही हों और साथ ही साथ चाहे वह मातंगी देवी रही हों जिन्होंने वन्दे मातरम् कहते-कहते अपने प्राणों की आहुति दे दी। चाहे वह कनकलता जी रही हों जिन्होंने 17 साल की उम्र में हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर वीरगति प्राप्त की थी। हमें उन बातों को नहीं भूलना चाहिये और शायद उन बातों को भूलने की वजह से आज महिलायें पीछे छूटती चली जा रही हैं।

मैं आज इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं ग्रामीण अंचल से आती हूँ और मैंने वहां पर कई बार सुना है तो मैंने कहा कि यहाँ से एक मैसेज देना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम एक महिला के प्रतिनिधित्व में उसके पीछे चल रहे हैं। हम कैसे महिला के पीछे चल सकते हैं। मैं उन सबको बोलना चाहती हूँ कि हम आपको पीछे नहीं चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे बगल में हमारे साथ-साथ चलें। अल्बर्ट कैम्स ने कहा था 'डोंट वॉक बिहाइण्ड मी, आई में नॉट लीड, डोंट वाक इन्फ्रण्ट ऑफ मी, आई मे नॉट फॉलो, जस्ट वॉक बिसाइड मी, एण्ड बी माई फ्रेण्ड' और यही हमारी भी सोच है। मैं मानती हूँ कि इस सदन में बैठी जितनी भी महिला जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी यही सोच है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आदरणीय मुख्य मंत्री जी को कि जिस दिन मानसून सत्र का पहला दिन था उस दिन हमें अन्दर नहीं आने दिया। मैं पूछना चाहूँगी हमारे पक्ष के विधायकगण से कि दिल पर हाथ रखकर बताइये कि क्या आपको अच्छा लग रहा था जब यहाँ की सारी सीटें खाली थीं। इस सदन की शोभा तभी तक है जब तक पक्ष और विपक्ष साथ में यहाँ पर बैठता है। जब पक्ष और विपक्ष साथ में यहाँ बैठता है तभी तक हमारा लोकतंत्र यहां मौजूद है। जिस दिन यहां से विपक्ष हट जायेगा, उस दिन लोकतंत्र की धज्जियां उड़ जायेंगी।

***उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती रजनी तिवारी)-**

आपको यहाँ आने से रोका नहीं गया है।

डॉ0 रागिनी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि.....

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, कृपया आप बैठ जायें। डॉ0 रागिनी जी, मैंने उनको मना कर दिया है। धन्यवाद, अगर हो गया हो।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद कर रही थी जैसे कि उस दिन हमें यहां नहीं आने दिया। उस दिन यहां पर आपकी पालिसीज की पर्चियां बंट रही थीं। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगी कि उन पालिसीज की पर्चियां हमें भी मिलीं तो उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि उसमें आपने कन्याओं के विवाह के लिए कन्या विवाह अनुदान देने का एक संकल्प लिया है। कोरोना काल में बहुत सारे गरीब परिवार अपने बच्चों की शादी नहीं कर पाये। अभी कुछ महीने पहले जब शादी का सीजन था तो उन तमाम गरीब माता-पिता ने अपने बच्चों की शादी की है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र से न जाने कितने परिवार हैं जो उस अनुदान पर आस लगाये बैठे थे और आज शादी हुए चार, पांच और छह महीने हो चुके हैं, लेकिन आपका अनुदान नहीं आया है। जब आपके अधिकारी से बात करते हैं तो वह कहते हैं कि मैडम हमारे पास इसके लिए कोई बजट ही नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी पालिसीज केवल कागजी हैं और उनका जमीन पर कहीं कोई रिकार्ड नहीं है। आज माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा कहा गया कि हमारी जो भी प्राब्लम है, हम उन्हें बता सकते हैं और एक सकारात्मक तरीके से उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है कि आप सच्चाई से अपरिचित हों। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ, अवगत कराना चाहती हूँ और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि जो आपकी पालिसीज है। वह लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं जिसके लिए एक डेलीगेशन और टीम बनाई जाये। अगर वह महिलाओं के लिए पालिसीज हैं तो उसमें महिला विधायकगण को शामिल करें। आपको लगता है कि जो सही रिपोर्ट दें उनको चूज करके आप अपने लोगों की टीम बनायें, लेकिन कम से कम यह छलावा तो न दिखायें कि आपकी इतनी सारी पालिसीज हैं, जो इतने लोगों को मदद कर रही हैं, क्योंकि अगर हम आज जमीन पर उतरकर देखते हैं, तो कहीं किसी को मदद नहीं मिलती। मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेडिकल प्रोफेशन से बिलांग करती हूँ और मैं आज जो प्रदेश में मेडिकल की स्थिति है उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगी। जौनपुर जनपद का जो मेडिकल कालेज है, उसके बारे में तो कई बार सदन में चर्चायें हो चुकी हैं कि वहाँ पर सिर्फ उद्घाटन हुआ है और आज तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। साथ ही साथ मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी यह दूसरी पालिसी है और गम्भीर बीमारियों में लोग मदद की आस लगाकर रखते हैं।

आज मैं इस सदन के माध्यम से आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या उसका कोई समय निर्धारित किया जायेगा। एक गम्भीर बीमारी का व्यक्ति कितने टाइम तक अनुदान का वेट करता रहे। कितने दिनों तक उसका वेट करता रहे। आज हम अपने कितने लोगों को इस कारण से खो दे रहे हैं। क्या सरकार उसका जवाब देगी। साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि गम्भीर बीमारियों में कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है। कैंसर के ट्रीटमेंट को मैं आप लोगों से थोड़ा शेयर करना चाहूँगी कि उसमें हम सबसे पहले एक न्यूएडज्यूमेंट थेरेपी देते हैं या तो वह कीमो थेरेपी होती है या वह रेडियोथेरेपी होती है। उससे हम कोशिश करते हैं कि वह जो कैंसर का एलीमेंट है वह छोटा हो जाये। वह कंसाइज हो जाये, कई बार उससे ऐसा भी होता है कि मरीज ठीक भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि उस डिजीज को छोटा करके बाद में उसका सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं। आपकी जो अनुदान की नीतियां हैं उसमें 06 महीने का समय लिया जा रहा है। क्या एक कैंसर का पेशेंट 06 महीने तक वेट कर पायेगा कि उसका अनुदान आये तब वह अपनी सर्जरी कराये। मैं आज इस सदन के माध्यम से आप लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इसमें संशोधन किया जाये। इस पालिसी से जनता की मदद नहीं हो पा रही है। लोगों के पास मदद नहीं पहुंच पा रही है।

ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण राज्य मंत्री (श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम)-

गम्भीर बीमारियों पर 15 दिन में अनुदान मिलता है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कर रही हूँ।

श्री अध्यक्ष-

थैंक्यू डॉ0 रागिनी, हो गया। धन्यवाद।

डॉ0 रागिनी-

मान्यवर, जो निकाय हैं मैं उस पर बोलना चाहती हूँ। मेरी जो आशा बहने हैं जिन्होंने कोरोना काल में हमारे ग्रास रूट लेवल पर जाकर हमारे लोगों की मदद की। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में आप नहीं अवलेबल थे वहां उन्होंने मदद की। आज वह रोड पर निकली हुयी हैं। आज वह अपने हक की दुहाई मांग रही हैं। क्या सरकार उनकी मदद करेगी। आज हमारी आंगनबाड़ी की

जो महिलाएं हैं, वह कह रही हैं कि महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है। आज मार्केट में रिफाइण्ड आयल 200 रुपये है, तो उन्हें सिर्फ 120 रुपये मानदेय मिलता है, आज जब मूंग की दाल मार्केट में 100 रुपये की है, तो उन्हें सिर्फ 59 रुपये मिलता है। आज जब मार्केट में आलू 20 रुपये किलो है, तो उन्हें सिर्फ 07 रुपये मिलता है। आज उनकी मांगों को कौन सुनेगा। कौन उनकी दुहाई को सुनेगा। मैं साथ ही साथ एन0आर0एल0एम0 की हमारी बहनों की बात करना चाहूँगी जिन्होंने आपके चुनाव के दौरान आपकी रैलियों में ढेर सारी भीड़ जुटाने का काम किया। आज वह अपनी मांग कर रही हैं। आज वह अपनी दुहाई बोल रही हैं। उनकी मांगों को कौन सुनेगा।

मैं बहुत गर्वित महसूस करती हूँ कि जिस समय भाजपा की सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती करने में व्यस्त थी, उस दौरान मेरे क्षेत्र में कई सारे बच्चों ने 95 प्रतिशत से ज्यादा मार्क्स स्कोर किये और साथ ही साथ आपका जो नेशनल एग्जाम मेडिकल का होता है, उसमें 7-10 बच्चों ने उसमें रैंक निकाला है, तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि ग्रामीण इलाके के बच्चे कहीं से भी मानसिक रूप से शहरी बच्चों से कम नहीं हैं। लेकिन आज उनके पास वह व्यवस्था नहीं है। आज चाहे प्राथमिक स्कूल हो, चाहे माध्यमिक स्कूल हो या हायर सेकेण्डरी स्कूल हो उनके रास्तों को मेन रास्तों से नहीं जोड़ा गया है। आज जब उनके घरवाले स्कूल तक उन्हें छोड़ने जाते हैं तो रोड पर उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं। इस पर सरकार कब मंथन करेगी। कब इसका असली आइना आप लोग देखेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपका खत्म हो गया हो तो आगे बढ़ें।

डॉ0 रागिनी-

मैं साथ ही साथ कहना चाहूँगी कि यह जीरो टालरेंस की सरकार है और आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि जीरो टालरेंस की डेफिनेशन यह नहीं है कि कोई अपराध नहीं होंगे और जीरो टालरेंस की डेफिनेशन यह है कि अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो सरकार उस पर तुरन्त सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन आज जो मैंने नियम-56 में मांग उठायी उसमें एफ0आई0आर0 नहीं हुआ और इस तरह के बहुत सारे केसेज हैं जिसमें महिलाओं को रात-रात भर थाने में बैठाकर रखते हैं और उनकी कोई एफ0आई0आर0 नहीं लिखी जाती है। कोई मांग को नहीं सुना जाता है। इस पर सरकार कब मंथन करेगी और कब ऐसे लोगों के अगेन्स्ड एक्शन लिये जायेंगे। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि शायद आप लोगों को न पता चल पा रहा हो और फिर से आप सच्चाई से अनजान हों।

मान्यवर, आप सच्चाई से अनजान हों तो थानों में सिर्फ और सिर्फ वसूली भाई बैठे हैं और रक्षक भक्षक बने हुए हैं। कृपया करके आप इसका भी निवारण निकाल दें तो मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी रहूँगी। मैं लॉस्ट में अपने देश एवं प्रदेश की महिलाओं के लिए कुछ चन्द लाइनें बोलना चाहूँगी कि-

'सुनो द्रोपदी शस्त्र उठा लो, छोड़ो मेंहदी खडग संभालो,
अब गोविन्द न आयेंगे।'
द्यूत बिछाये बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जायेंगे,
सुनो द्रोपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविन्द न आयेंगे।
कल तक केवल अंधा राजा, अब गूँगा-बहरा भी है,
होंठ सी दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है,
तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझायेंगे ?
सुनो द्रोपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविन्द न आयेंगे।'

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, एक सुझाव है कि मा0 सदस्य रागिनी जी ने एक बात का वर्णन सदन में किया है और हमको लगता है कि उसके संरक्षक आप ही हैं। कोरोना काल के समय बहुत लोगों की शादियां नहीं हो पाई हैं। कुछ मा0 विधायक भी ऐसे हैं जिनकी कोरोना के बाद शादी टूट गयी है और अभी तक नहीं हो पाई है। उस पर भी विचार कर लीजिए, क्योंकि आप संरक्षक हैं।

श्रीमती अर्चना पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, धन्यवाद। धन्यवाद मनोज भैया। जिन्होंने मेरी बात कहने से पहले ही शादी जैसी बात उठा दी। इसके लिए उनका भी धन्यवाद। सर्वप्रथम आज के दिन इस अभूतपूर्व अभिनव और अद्वितीय ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने हेतु लोकतंत्र के प्रति कृतज्ञता, लोकमत के प्रति आभार और लोक मन हेतु धन्यवाद व्यक्त करूँगी। इस सदन के सम्मानित सदस्यों के साथ-साथ देश के प्रत्येक नागरिक को मेरी तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव की कोटि-कोटि शुभकामनाएं। स्वाधीन भारत में यह पहला अवसर है जब किसी प्रदेश के सदन को एक दिन के लिए विशेष रूप से मातृ शक्ति और महिला शक्ति को समर्पित किया गया। आधी आबादी के इस अभिनव आयोजन का मैं बहुत हृदय से अनवरत् अभिनन्दन करती हूँ। यूं तो आदिकाल हमारे वेद शास्त्रों में लिखा था कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः' वहीं यह भी देख रहे हैं कि जब-जब इस पृथ्वी पर कोई आतंक हुआ, कोई विपत्ति पड़ी, तब-तब दैवी शक्तियों को आना पड़ा और तब हममें से ही किसी महिला की कोखि का सहारा लेना पड़ा। चाहे राम

हो, चाहे कृष्ण हों, चाहे महाबीर हों, चाहे बुद्ध ही क्यों न हों। रानी कैकेई राजा दशरथ के साथ युद्ध में सहभागिता से लेकर रानी लक्ष्मीबाई के पराक्रम के साथ-साथ स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलन तक तथा आज भी हमारी बहनें समाज के हर क्षेत्र में सशक्त भूमिका का निर्वहन कर रही हैं।

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद भी वर्तमान भारतीय समाज में पितृ सत्तात्मक मानसिकता जटिल रूप से व्याप्त है। इसके कारण महिलाओं को आज भी एक जिम्मेदारी समझा जाता है। महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक रूढ़ियों के कारण विकास के कम अवसर मिलते हैं जिससे उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। इन्हीं जटिलताओं और रूढ़ियों पर कुठाराघात करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में महिला सुरक्षा, रक्षा और स्वावलम्बन हेतु मिशन शक्ति जैसे अभियान का सूत्रपात किया गया। यह पहला कार्यक्रम है जो मिशन और ऑपरेशन दोनों रूप में है। मिशन शक्ति अभियान का फोकस महिलाओं को उनके अधिकारों को लेकर जागरूक करने पर है एवं ऑपरेशन शक्ति का फोकस उन लोगों को सजा दिलाने पर है, जिन्होंने महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार या अपराध किया है। मैं उल्लेख करना चाहती हूँ कि मिशन शक्ति के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य सरकार की महिला सशक्तीकरण से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन से देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश के प्रति धारणा बदली है।

(इस मध्य अपरान्ह 02 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता डॉ0 मंजू शिवाच पीठासीन हुईं)

पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करते हुए उन्हें स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से व्यापक कार्य किये हैं। मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु स्वरोजगारपरक् योजनाओं से महिलाओं को व्यापक स्तर पर जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया है। एक समय था जब घर में बेटी का जन्म होता था तो माता-पिता के कंधे झुकने लगते थे लेकिन आज यशस्वी मुख्य मंत्री जी की विवाह योजना से तमाम गरीब, किसान और मजदूरों को इसका लाभ मिल रहा है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आशा बहू, संगिनी तथा बैंक सखी से लेकर डॉक्टर, वकील और व्यापार से लेकर फाइटर प्लेन उड़ाये जाने तक का काम हमारी बहनें कर रही हैं।

आदरणीय अधिष्ठाता महोदया, यह केन्द्र और प्रदेश सरकार की महिला सशक्तीकरण के प्रति बदली सोच का प्रतिफल ही है कि आज विधान सभा और विधान परिषद् महिला सदस्यों की संख्या संयुक्त रूप से अर्धशतक को पार कर चुकी है। अन्त में इस सदन में आज

विशेष दिन के अवसर पर आलोचना नहीं अपितु समालोचना के माध्यम से दवा की बेमतलब हवा बनाने वाले विपक्ष को स्पष्ट सन्देश देना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा और उनके स्वावलम्बन को लेकर सबसे अधिक कार्य हुआ है। साथ ही बीते पांच वर्ष में स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। इंसेफ्लाइटिस एलिमिनेशन का प्रयास हो या कोविड प्रबन्धन प्रदेश को वैश्विक संस्थाओं से सराहना मिली है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में अच्छा कार्य हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं की सहज उपलब्धता और बेहतरीन प्रबन्धन ने स्वास्थ्य क्षेत्र में लोगों में एक विश्वास जगाया है।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और सम्माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी एवं दोनों सदनों के सम्मानित सदस्यों और विशेष रूप से महिला सदस्यों को इस विधान सभा के स्वर्णिम इतिहास में एक अभिनव अध्याय को जोड़ने हेतु विशेष धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसके साथ ही कल जब मैं गैलरी में निकल रही थी तो हमारे पत्रकार बन्धु बार-बार पूछ रहे थे कि कल का दिन आपका होगा, आज का दिन आपका है। तो इस बारे में मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि ये बात अलग है कि आपके लिए इस ऐतिहासिक पल को बनाकर हमारे माननीय अध्यक्ष जी एवं मुख्य मंत्री जी ने पूरे देश एवं प्रदेश में जो हम सभी को अवसर दिया वह अपने आप में अभूतपूर्व है लेकिन कौन-सा ऐसा दिन नहीं होता जो महिलाओं का नहीं होता है।

मैंने पत्रकार महोदय से कहा हर दिन और हर समय हमारा है, कौन-सा ऐसा घर होगा जिसमें चूड़ियों की खनक मां तुलसी के वृक्ष के अरघे पर जल चढ़ाने से शुरू होकर दीपक की लौ जलाने तक मां के हाथ से न शुरू होती हो इसलिए हर दिन हमारा है, हर दिन हमारा है.....

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

इसी के लिए हम और आप मिलकर काम करते हैं। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, नेता विरोधी दल ने कहा और माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम सब मिलकर आज के इस दिन को ऐतिहासिक बनाते हुए इसमें सुझाव देने का काम करें, इसको और सशक्त बनाने का काम करें, इसी के साथ एक बार पुनः माननीय अधिष्ठाता महोदया, माननीय अध्यक्ष जी को एवं माननीय मुख्य मंत्री जी को और अपने सभी सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। विधान सभा के अन्तर्गत नगर पालिका गुरुसहायगंज में बालिकाओं के लिए कोई महिला महाविद्यालय नहीं है, जिसके अभाव में बालिकाओं को प्रवेश हेतु दूर तक जाना पड़ता है। उक्त महाविद्यालय के लिए जिला प्रशासन द्वारा भूमि आरक्षित की जा चुकी है। पुनः अनुरोध के साथ मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। उक्त राजकीय महिला महाविद्यालय से इस क्षेत्र की बालिकाएँ स्नातक शिक्षा हेतु लाभान्वित होंगी।

***डॉ0 सुरभी-**

माननीय अधिष्ठाता महोदया, सबसे पहले मैं अपनी पार्टी अपना दल (सोनेलाल) की तरफ से आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज, अखण्ड भारत के शिल्पी लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल, संविधान निर्माता भीमराव आंबेडकर जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन करती हूँ।

18वीं विधान सभा के दूसरे सत्र में आये सभी माननीय सदस्यों को भी मेरा प्रणाम। मैं विधान सभा अध्यक्ष, आदरणीय सतीश महाना जी का आभार व्यक्त करती हूँ और साथ में उनका अभिनन्दन भी करती हूँ कि उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए, आज 22 सितम्बर, 2022 को देश की आधी आबादी, महिलाओं के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश विधान सभा में विशेष सत्र का आयोजन किया। मैं अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी की तरफ से भी उनको आभार व्यक्त करती हूँ।

माननीय महोदय, मैं ऐसी पार्टी से चुनकर आयी हूँ जिसका नेतृत्व स्वयं एक ओजस्वी और तेजस्वी महिला के हाथों में है और आज इस सदन में उपस्थित हूँ तो मैं उसका श्रेय भी अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को देना चाहती हूँ। किसी भी राष्ट्र का विकास इस बात पर काफी हद तक निर्भर करता है कि उसकी आधी आबादी यानी महिलाओं को सभी क्षेत्रों में बराबर का अवसर मिल रहा है कि नहीं ? आज मैं इस सदन के माध्यम से पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय, यशस्वी नेता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महिला सशक्तीकरण का स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है। केन्द्र और प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दृष्टि से अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की है और उसमें से एक ऐसी योजना का उल्लेख मैं यहाँ करना चाहती हूँ, जिसके सन्दर्भ में माननीय मुख्य मंत्री जी ने हम सभी महिला सदस्यों को पत्र भेजा है - मिशन शक्ति अभियान। इसकी शुरुआत सन् 2020 में हुई थी। इस योजना से प्रदेश की महिलाओं और बेटियों को स्वावलम्बी एवं सुरक्षित बनाने के लिए इसे आरम्भ किया गया था और मेरा मानना है कि महिला सशक्तीकरण के लिहाज से यह मील का पत्थर साबित होगा। मैं अपनी विधान सभा कायमगंज की मातृशक्ति की तरफ से आदरणीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने कायमगंज विधान सभा क्षेत्र में महिला थाने की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक निवेदन भी करना चाहती हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक तटीय क्षेत्र का गांव है, वहां पर आसपास कोई भी विद्यालय नहीं है तो वहां एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राजकीय बालिका इण्टर कालेज माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा स्वीकृत हो जाए तो वहाँ की बेटियों को बहुत ही सुविधा होगी और जैसा कि अभी हमारी माननीय सदस्य, हमारे बीच में नहीं हैं, पर फिर भी मैं अवगत कराना चाहती हूँ, मुझे विश्वास है कि वह जरूर इसकी क्लिपिंग सुन लेंगी। डॉक्टर हूँ, तो मेरे पास भी मरीज आते हैं, देखती हूँ मैं उनको भी, तो कैंसर जैसी बीमारी के लिए भी हम सभी माननीय सदस्यों के पास भी मुख्य मंत्री राहत कोष के लिए लोग पत्र बनवाने आते हैं। मेरी विधान सभा क्षेत्र का एक ऐसा गांव था, जिसमें 5, 6, 7 मैंने लगातार पत्र बनाये तो मैंने सोचा कि ऐसी क्या बात है कि केवल इसी गांव में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं ?

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, जब मैंने प्रशासन में अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया तो उन्होंने वहां पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय के साथ मिलकर एक टीम का गठन किया और उस गांव की मिट्टी और पानी की जांच करायी और मेरे निवेदन पर जो भी परिवार के सदस्य हैं, उनकी नियमित रूप से जांच हो रही है। इसलिए मैं माननीय सदस्य, हमारी मित्र डॉ0 रागिनी को यह भी अवगत कराना चाहती हूँ कि मुख्य मंत्री राहत कोष से अनुदान के लिए जो भी पत्र हमने लिखकर भेजा है, उसमें हमारे विधान सभा के लोगों को अनुदान मिला है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूँगी। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिला को सशक्त करने के लिए उसे शिक्षित और स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो मैं एक निवेदन भी यहाँ पर करूँगी कि जितने भी इण्टर कालेज और महाविद्यालय हैं, वहाँ पर एक सिनेटरी वेन्डिंग मशीन लग जाये तो उससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी बालिकाएँ हैं, उनको भी कोई असुविधा नहीं होगी। हमने देखा है कि मेंशुरेन हाइजिन जिसकी हम बात करते हैं और उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा-सा झिझक और संकोच होता है तो मुझे लगता है कि एक नई पहल होगी।

वर्ष 2017 के बाद से प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाएं जैसे मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना, सरकारी नौकरी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के जो प्रयास किए हैं जैसे मुद्रा जैसी स्वरोजगार पैदा करने वाली योजनाओं ने महिलाओं को सशक्त करने का कार्य किया है और मैं एक उल्लेख यहां पर करूंगी जब मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की महिला से मिली उसने मुझ से कहा कि पहले उसने अपने गांव का पंचायत घर भी नहीं देखा था, लेकिन आज वह अपने बनाए हुए उत्पाद की प्रदर्शनी लखनऊ में एक जनपद, एक उत्पाद के माध्यम से लगाती है तो इसे कहते हैं महिला सशक्तीकरण। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक महिला विराजमान है। हमारी उत्तर प्रदेश की मा0 राज्यपाल भी एक महिला हैं और केन्द्र

सरकार के वित्त जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी एक महिला मंत्री के हाथों में है। हमारी पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल भी केन्द्र में मंत्री हैं और साथ ही यहां पर हमारे साथ सदन में मौजूद महिला कल्याण विकास और पुष्टाहार माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, ग्राम विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय भी महिलाओं के हाथ में हैं। बस यही कहना चाहती हूँ कि 21वीं सदी का इतिहास महिलाओं की उपलब्धियों का एक स्वर्णिम दस्तावेज होगा, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज महिलाएं हर क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं।

मैं एक महिला जनप्रतिनिधि हूँ उसके नाते सभी महिलाओं से यह कहना चाहती हूँ कि भारत एक मात्र ऐसा देश है जहां पर महिला को देवी का रूप दिया गया है। देवी का अर्थ होता है शक्ति। अपने भीतर की इन्हीं शक्तियों को हमें जगाना है और सकारात्मकता की ओर ले जाना है। जैसे कि भगवान श्री राम ने शक्ति की उपासना की और बलशाली रावण पर विजय पायी। तभी तो हम नवरात्र में वंदना करते हैं-

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।

भारत का इतिहास तो हमेशा से ही महिला शक्ति, उनके साहस, दृढ़ संकल्प और वीरता का प्रतिबिम्ब रहा है। चाहे फिर वह रानी लक्ष्मीबाई का अद्वितीय साहस हो, अहिल्याबाई होल्कर का सेवाभाव, कस्तूरबा गांधी की कर्तव्यपरायणता, महिलाओं ने हमेशा उत्कृष्टता के नये मापदंड स्थापित किये हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भी हमारी बहुत सी ऐसी वीरांगनाएं थीं तो मैं समाज की अन्तिम पंक्ति से आने वाली कुछ वीरांगनाओं का उल्लेख करना चाहती हूँ जैसे ऊदादेवी पासी, वीरांगना झलकारीबाई कोरी, वीरांगना अवंतीबाई लोधी, वीरांगना महावीरी देवी, वीरांगना बेगम हजरत महल जैसी बहुत सी वीरांगनाएं थीं। उनमें से एक ऐसी वीरांगना थी सावित्री बाई फुले जिन्होंने समाज से लड़कर महिलाओं को शिक्षित किया। मा0 महोदय मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कहते हैं जब एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो एक आदमी शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला को शिक्षित करते हैं तो एक पीड़ित शिक्षित होती है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि केन्द्र की अपनी सरकार द्वारा जो भी महिला सशक्तीकरण के काम किये जा रहे हैं उसमें महिलाओं के अन्दर की छुपी हुई शक्ति को पहचान कर वह इस राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगी। इसी के साथ मैं अपनी पार्टी की ओर से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जो समाज के अन्तिम पायदान से आयी हुई वीरांगनाएं हैं इनका पाठ्यक्रम स्कूलों में पढ़ाया जाये जिससे हमारी नई पीढ़ी यह जाने और उनसे प्रेरणा लें, क्योंकि शी इज अ चेंज मेकर अंतिम में दो पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी।

हम बहुत जल्दी इस धरती का बदला हुआ नक्शा देखेंगे।

हम नारी की भारत भू पर फर वही प्रतिष्ठा देखेंगे।।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती अंजुला सिंह माहौर-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदया जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। एक इतिहास का सृजन हुआ है, जब सदन में आज का दिन महिलाओं को समर्पित किया गया है। जैसा कि मा0 अर्चना पाण्डेय जी कह रही थीं कि हर दिन महिला का है, सुबह से लेकर शाम तक और फिर अगली सुबह से लेकर शाम तक। प्रत्येक दिन महिला का है, माँ का है, बहन का है, पुत्री का है। आज का दिन मा0 मुख्य मंत्री जी ने विशेष तौर पर महिलाओं को समर्पित किया है और मैं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को बोलने का मौका दिया है। आज के दिन मैं उन सशक्त नारियों को, महान नारियों को, जो इतिहास में धार्मिक क्षेत्र पर, आर्थिक क्षेत्र पर, राजनीतिक पटल पर दैदीप्यमान थीं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, उनका वन्दन और अभिनन्दन करती हूँ, उनके प्रति अपना आभार और कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। इस मानसून सत्र में 18वीं विधान सभा का यह जो 22 सितम्बर का दिन है, इसने देश ही नहीं बल्कि दुनिया का भी मानसून बदला है। महिलाएं क्या होती हैं, यह तो प्रत्येक घर में रहने वाले सब लोग जानते ही हैं और मैं यह समझती हूँ कि मैं ये चार लाइनें कहकर अपनी बात शुरू करूँ। कहते हैं कि-

हँसकर सह जाऊँ कष्टों को, वह अन्तर्शक्ति जगाने दो

मतकर करो भ्रूण हत्या मेरी, वह बन्द कली खिल जाने दो।

बस इतनी विनती है माँ, दुनिया में मुझको आने दो

जीने का अधिकार मुझे दो, बस थोड़ा-सा प्यार मुझे दो।।

आदरणीय मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि हमें दोबारा सरकार बनाने का मौका महिलाओं के वरद आशीर्वाद से मिला है। योगी जी ने कहा कि महिलाओं ने दोबारा उनकी सरकार बना दी तो मैं यह समझती हूँ कि विपक्ष के लोग शायद महिलाओं की ताकत को नहीं समझ पा रहे हैं। कहते हैं कि-

मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले,

अपने आँसू को हथियार बनाने वाले,

हमको बेकार समझते हैं सियासतदाँ वे लोग पुराने वाले

हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले

यह मोदी जी ने भी कहा और योगी जी ने भी कहा। मैं समझती हूँ कि विपक्ष का जो रवैया है, वह केवल विरोध करने के लिए विरोध करने वाला है। इसीलिए इस बार जनादेश उनके पक्ष में नहीं आया है। कहते हैं कि -

सचिव, बैद, गुरु तीनि जौं प्रिय बोलहिं भय आस

राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगिहीं नास।

मैं समझती हूँ कि उनके सचिवों ने उनको सही-सही सूचनाएँ नहीं दीं जिसकी वजह से वे जनादेश एकत्रित नहीं कर पाए। आज के मौके पर जब लोकहित और जनहित में यह सरकार योगी जी के नेतृत्व में चल रही है तो तमाम ऐसी योजनाएं जो महिला और पुरुष सबके लिए हैं। सबको समान भाव से उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं जब गिनना शुरू करती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारा समय उन योजनाओं को गिनने में जाएगा और जो योजनाएं मुझे खासतौर पर प्रभावित करती हैं, उनमें नारी सुरक्षा योजना, कन्या सुमंगला योजना और कन्या सामूहिक विवाह योजना जो मा0 मुख्य मंत्री जी की शुरू की हुई हैं। घर में, परिवार में बेटी के जन्म लेते ही लोगों को यह चिन्ता और फिक्र होती थी कि कैसे इस बेटी की शिक्षा होगी, कैसे दीक्षा होगी और कैसे विवाह होगा ? इस दर्द को, इस परेशानी को मा0 मुख्य मंत्री जी ने समझा और कन्या सुमंगला योजना में, सामूहिक विवाह योजना में कन्याओं को वरीयता दी और उन पर ध्यान केन्द्रित किया। मैं समझती हूँ कि बालिकाओं को स्नातक तथा निःशुल्क शिक्षा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। कल मैं जब आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी को मिलने जा रही थी, अपने यहाँ के एक रजवाहे की सफाई के सम्बन्ध में अपनी बात कहने जा रही थी और जब मैंने उनको कहा कि भाई साहब, इन रजवाहों को लेकर किसानों को बड़ी दिक्कत, बहुत परेशानी है तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसको स्वीकृत करने का काम किया। यह ऐसी संवेदनशील सरकार है कि जब मैं सीढ़ी चढ़ रही थी, तब मुझे यह सूचना प्राप्त हुई कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने मेरे हाथरस जिले को मेडिकल कालेज की सौगात भी दे दी है। मैं उनके प्रति आभार और धन्यवाद भी व्यक्त करना चाहती हूँ। ऐसे ही हमारे पर्यटन मंत्री जी हैं, जब मैंने उनसे अपनी बात कही तो उन्होंने हमारे यहाँ की एक विरासत हनुमान चौकी स्थल को पर्यटन संवर्धन योजना में शामिल करते हुए उसका सौन्दर्यीकरण करने के लिए तुरन्त उस पर बजट आवंटित कर दिया। मैं ऐसी संवेदनशील सरकार जो बात कहते ही, योजनाओं को स्वीकृत करने का काम, लाभ देने का काम, जनहित में, लोकहित में सरकार चलाने का काम कर रही है मैं ऐसी सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करती हूँ जो मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने तय किया है कि 'राम काज किये बिन मोहि कहाँ विश्राम' तो उनके नेतृत्व में चलने वाली तमाम योजनाओं की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी।

पूज्य योगी जी की सरकार ने पूरे प्रदेश में कावंड़ियों पर जो पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टरों के द्वारा की वह देखने और दिखाने लायक थी। गोवध रोकने के लिए गोवध अधिनियम को सख्त किया गया। मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि पूरा प्रदेश जो आज मा0 मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे कि महिलाओं की अस्मिता को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके मान-सम्मान को लेकर शौचालय निर्माण की योजना को आगे बढ़ाया गया जिससे पूरे प्रदेश को खुले में शौच से मुक्ति मिली है, वह आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने दी है। अयोध्या में जो दीप प्रज्जवलन का रिकार्ड बनाया, वह आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बना, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनायें प्रेषित करती हूँ। मुख्य मंत्री जी के कड़े तेवर और बड़े फैसलों से अपराधियों और माफियाओं में खलबली मची है या तो अपराधी जेल में हैं या फिर उत्तर प्रदेश से बाहर चले गये हैं और पूरा प्रदेश सुराज की परिकल्पनाओं को मूर्तिमान कर रहा है यह पूज्य योगी सरकार के त्याग और तपोबल का परिणाम है जो इस प्रदेश को तेज रफ्तार से आगे बढ़ा रहा है। रामराज की परिकल्पना को साकार करने वाले श्रेष्ठ कवि कहते हैं कि :-

'दैहिक, दैविक, भौतिक तापा।
राम राज नहिं काहुहि व्यापा।।
सब नर करहि परस्पर प्रीती।
चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती।।'

ऐसे मुख्य मंत्री जी ने इस प्रदेश में रामराज की परिकल्पना में साकार करके, जहाँ सब लोग सुरक्षित हैं, जहाँ सब लोग समर्थ हैं, जहाँ स्वावलम्बन है, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन को ध्येय बनाते हुए 'सशक्त नारी, सशक्त देश' के माध्यम से वह सकारात्मक सन्देश दे रहे हैं। अन्त में चार लाइनें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगी और उससे पहले मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ उन तमाम महिला अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को जिन्होंने हम लोगों के साथ, सरकार के साथ मिलकर काम किया है चाहे वह आंगनबाड़ी की बहनें हों, चाहे वह नर्स हों, चाहे वह पुलिस में हों, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में काम करने वाली महिलायें हैं, मैं उनको सेल्यूट करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ और उनको बधाई देती हूँ। मकान से घर बनाने वाली और घर से लेकर समाज और राष्ट्र का निर्माण करने वाली प्रत्येक महिला को मैं सेल्यूट करती हूँ और दो लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करूँगी कि-

'हटा दो सब बाधाएँ मेरे पथ की,
मिटा दो सब आशंकाएँ मेरे मन की,
जमाने को बदलने की शक्ल को समझो,
कदम से कदम मिलाकर चलने तो दो मुझको।'

आज के इस मौके पर जब आदरणीय अध्यक्ष जी ने और आदरणीय योगी जी ने हम लोगों को आज बोलने का मौका दिया है इसके लिए मैं उनका हृदय की अनन्त गहराइयों से धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। बहुत-बहुत आभार और बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्रीमती पूजा-**

मैं अध्यक्ष जी की इस पहल का तहेदिल से स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं आधुनिक भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्री बाई फुले के चरणों में शत्-शत् नमन करती हूँ। मैं देवी झलकारी बाई, ऊदा देवी पासी जी के चरणों में शत्-शत् नमन करती हूँ, साथ ही मैं नमन करती हूँ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में जिनके दिये गये अधिकारों के द्वारा मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष मा0 अखिलेश यादव जी को जिन्होंने अपनी पार्टी में महिलाओं को बहुत-बहुत सम्मान दिया और वह टाइम-टू-टाइम हमें इनक्रेज और एप्रीसिएट करते रहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हम सब के नेता मा0 मुलायम सिंह यादव जी का, जो शुरू से ही महिलाओं की प्रगति के बारे में बात करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेहनगर की जनता का और मातृशक्ति का जिन्होंने अपनी बात कहने के लिए मुझे यहाँ पर चुनकर भेजा है। मान्यवर, जब आज आप सभी महिला सशक्तीकरण की बात कर रहे हैं तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दें।

मान्यवर, आज महिलाओं के सशक्त होने की जो बात कही जाती है मेरा मानना है कि महिलाएं सशक्त तभी हो सकती हैं जब उन्हें किसी भी बंधन से मुक्त होकर पूर्ण रूप से अपने निर्णय लेने की आजादी हो। मान्यवर, हमारे समाज में कहीं भी महिलाओं को पूर्णतया निर्णय लेने की आजादी नहीं है। हर अवस्था में किसी न किसी रूप में एक पुरुष उसका निर्णय लेने के लिए तत्पर रहता है, चाहे पिता के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो, चाहे पुत्र के रूप में हो। कभी भी महिलाएं अपने निर्णयों को फुली कॉन्फिडेन्ट होकर नहीं रख पातीं और न ही परिवार या समाज उनके निर्णयों को उतनी गम्भीरता से लेता है। मान्यवर, हमें उसी आत्मनिर्भरता को, उसी कान्फिडेन्स को महिलाओं में जगाना है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि महिलाओं को वह जरूरी कान्फिडेन्स दे। जरूरी कान्फिडेन्स लाने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर करना होगा। मान्यवर, आत्मनिर्भरता के लिए साक्षरता बहुत ही जरूरी आयाम है। साक्षरता से मेरा मतलब केवल पढ़ना-लिखना या शिक्षित होना नहीं है, साक्षरता हमारे अधिकारों के लिए, हमारे कर्तव्यों के लिए हमें जागरूक करता है और समाज के विकास में एक आधार स्तम्भ बनता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, साक्षरता लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जब हम घोषित अमृत काल में खड़े हैं, जो घोषित कर दिया गया है, सो कॉल्ड, तो वह हमारे जेण्डर का जो लिटरेसी रेट पुरुष और महिलाओं में है, उसमें अभी भी 20 परसेण्ट का डिफरेन्स है। एजुकेशन तो इतना जरूरी है क्योंकि 'ऑन्ली एजुकेशन कैन फिल ऑल द गैप्स ऑफ सोसायटी डिस्क्रिमिनेशन, सो वी हैव टू एजूकेट ऑल द वुमेन'। प्रदेश की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें सरकार कैसे इनकरेज कर रही है। मान्यवर, क्यों नहीं सरकार उच्च शिक्षाओं को महिलाओं के लिए शुल्क मुक्त कर देती है ? यह सरकार सुनिश्चित करे कि उत्तर प्रदेश में जितने भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, उन्हें भी महिलाओं के लिए पूर्ण रूप से शुल्क मुक्त किया जाये। उत्तर प्रदेश से 80 सीटें लोक सभा की हैं तो इतना फेवर तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का बनता ही है। वैसे भी पिछड़े, दलित, वंचित और शोषित समाज की बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए परिवार बड़ी मुश्किल से तैयार होता है और अपनी पूँजी लगाकर उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान कराता है। जब विश्वविद्यालय में 400 परसेण्ट फीसें बढ़ जाती हैं तो सरकार क्या चाहती है ? क्या पिछड़ों, दलितों, वंचितों और शोषितों को शिक्षा से दूर करने की सरकार की साजिश है ताकि हम अपनी आवाज न उठा सकें, आन्दोलन न कर सकें ? रोड पर आन्दोलन हो रहे हैं, छात्र आन्दोलन कर रहे हैं। किसी भी देश की स्ट्रेन्थ युवा होते हैं, युवा को स्ट्रेन्थन करने के बजाए हम और वीक कर रहे हैं। महिला सुरक्षा की बात होती है, मैं बताना चाहूँगी कि...

(इस समय अपराह्न 02 बजकर 47 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

बड़ी स्ट्रेटेजिकली हमें कल 20 तारीख को 'मिशन शक्ति' प्रोवाइड कराया गया जिसमें बहुत अच्छे से नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन दिया गया है। नारी सुरक्षा, इसमें मैं जानना चाहती हूँ कि नारी कहां सुरक्षित है ? सर्वांगीण विकास के लिए भी सुरक्षा बहुत जरूरी है।

मान्यवर, एन0सी0आर0बी0 की वर्ष 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं से हुए आपराधिक शिकायतों में 30 परसेण्ट का इजाफा हुआ है। आजकल हर जगह अखबार की सुर्खियां बनी जा रही हैं, जिसमें महिला अपराध, महिला का बलात्कार, शोषण, उनके साथ घरेलू हिंसा, यह सभी महिलाओं की सुरक्षा से सम्बन्धित है। यहां पर सबसे पहले जो स्लोगन लिखा गया है, वह है नारी सुरक्षा। मुझे नहीं लगता नारी कहीं से भी इस सरकार में सुरक्षित है। राज्य के लिहाज से यू0पी0 न केवल फर्स्ट है बल्कि जो सेकेण्ड नम्बर पर दिल्ली है, उससे भी 5 गुना ज्यादा शिकायतें महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर आयी हैं। यह आये दिन सुर्खियां बनते जा रहे हैं। मात्र यह छाप देने से या लिख देने से कि महिला सुरक्षित है, महिला सुरक्षित नहीं हो सकती। नारी सम्मान के बारे में कहना चाहूँगी कि नारी को सम्मान कब

मिलेगा ? पिछड़े, दलित, वंचित और शोषित की बेटियां जब पैदा होती हैं तभी से उनका परिवार उनकी शादियों के लिए चिन्तित रहता है कि किस तरह से हम सम्मानित तौर पर उनकी शादी कर सकें। वह जमीन गिरवी रख देते हैं। जो शादी अनुदान था, वह उसमें उनकी थोड़ी-सी हेल्प कर देता था लेकिन जैसे ही यह समाज अपने सम्मान की बात कर ही रहा था, तब से आपने इसको बन्द करके कुठाराघात कर दिया और उन्हें वापस से आप सामूहिक विवाह में आने की बात कर रहे हैं।

मान्यवर, एक पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित परिवार को थोड़ा-सा सम्मान तो अभी-अभी मिलना शुरू हुआ है और उसके बाद भी आप चाह रहे हैं कि उनकी बेटी सामूहिक विवाह में सम्मिलित हो जाये। मान्यवर, जहां भी आप देखें चाहे आबादी में हो, चाहे वोट देने के मामले में हो, हम पुरुषों से कहीं भी कम नहीं हैं तो क्यों नहीं हमें हर जगह 50 परसेण्ट की हिस्सेदारी दी जा रही है ? और इफेक्ट मैं तो कहूँगी कि जिस तररह से आरक्षण मिलता है उसी तरह क्यों नहीं महिलाओं को वर्टेकली कैटेगराइज करके आरक्षण देना चाहिए। पिछड़ा, दलित, शोषित समाज की बेटी का, महिलाओं का उच्च पदों पर आसीन होना बेहद जरूरी है। यहां नारी स्वावलम्बन की भी बात कही गयी है इसलिए मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि कितनी नारियों को उन्होंने कौशल द्वारा प्रशिक्षित किया है। इतनी ज्यादा आधी आबादी जब हम हैं तब इनके डाटा के अनुसार बहुत थोड़ी सी संख्या में नारियों को प्रशिक्षित किया गया है और जिन्हें प्रशिक्षित किया भी गया है उन्हें रोजगार से नहीं जोड़ा गया है। जब नारियां रोजगार नहीं पा पायी हैं तो वो नारियां कहां से स्वावलम्बी हुईं मुझे तो नहीं पता चल रहा है। कौशल केन्द्र और महिलाओं के वर्क प्लेस पर जिस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। औपचारिक ही नहीं इनफेक्ट अनौपचारिक हमारे जो सेक्टर हैं जैसे-हमारे घरेलू काम करने वाली जो महिलाएं हैं और भी बहुत सारे अनौपचारिक सेक्टर हैं उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार क्यों नहीं कुछ करती। इनमें ज्यादातर दलित, पिछड़ी, शोषित महिलाएं रहती हैं।

मान्यवर, मैं सरकार के सामने कुछ सुझाव भी रखना चाहूंगी कि पुलिस बल में महिलाओं के लिए विशेष भर्ती अभयान चलाया जाय ताकि एक स्वतंत्र महिला पुलिस इकाई का निर्माण हो सके। महोदया, यू0पी0 बल की महिलाओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाय। आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम तहसील स्तर पर सभी स्कूलों और संस्थाओं में नियमबद्ध अंतराल पर आयोजित किये जायें। सभी गांवों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे और ड्रोन सर्विलान्सेस की व्यवस्था स्थापित की जाये ताकि डॉयल 100 और डॉयल 112 द्वारा मानीटरिंग और रिस्पॉन्स की व्यवस्था ऑटोमेटिक तरीके से हो सके। यू0पी0 में डॉयल 100 और डॉयल 112 को सरकार ने लचर कर दिया है। टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन की जरूरत है उसे फिर से स्थापित

किया जाये और पूरे प्रदेश में रिस्पॉन्स सिस्टम को 10-15 मिनट के भीतर सुनिश्चित किया जाय। वुमेन पावर लाइन 1090 को मजबूत किया जाये और ईमेल और व्हाट्स-अप के द्वारा शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा प्रदान की जाये। 1090 ऐक्ट में अपराध समाधान जांच के प्रति और अपराध समाधान रिपोर्ट को ट्रैक करने के लिए सिस्टम विकसित किया जाय। स्पेशल वुमेन सेल महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की निगरानी एवं रोकथाम के लिए डी0जी0पी0 की अगुवाई में गठित किये जाये। सभी पुलिस अधिकारियों के ए0सी0आर0 में जेण्डर सेन्सेटीविटी का पता लगाने के लिए एक इन्डेक्स बनाया जाय। समाजवादी सरकार द्वारा स्थापित की गयी आशा ज्योति केन्द्र महिलाओं से सम्बन्धित सभी मुद्दों के वन स्टाप सॉल्युशन के रूप में सभी जिलों में स्थापित किये जायें।

महोदया, सभी बी0पी0एल0 परिवारों को एक वर्ष के भीतर महिला राशन कार्ड जारी किये जायें। महिला किसानों को पुरुष किसानों की तरह पूर्ण अधिकार, समर्थन और मान्यता सुनिश्चित की जाय, महिलाओं को भूमि का अधिकार और पट्टा दिया जाय, पति और पत्नी के नाम पर भूमि का संयुक्त स्वामित्व और महिला उत्तराधिकारियों के नाम पर भूमि के नामांकरण जैसे उपायों के लिए विशेष अभियान चलाया जाय। समाजवादी पेंशन योजना जरूरतमंद बी0पी0एल0 परिवार की महिलाओं की सहायता के लिए 18000 रुपये सालाना की दर से पेंशन योजना को दुबारा शुरू किया जाय। कन्या विद्या धन जो 12वीं पास छात्राओं को एकमुश्त 36000 की राशि दी जाती थी उसे वापस से सुचारु किया जाय। विधवा विकलांग और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए 2 लाख का अनुदान और एक घर दिया जाय। एसिड अटैक पीड़ितों को पुनर्वास पैकेज दिया जाय। छात्राओं के लिए आवासीय मॉडल स्कूल सभी जिलों में विकसित किये जाय। सभी महिला फ्रंट लाइन कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध कराये जायें। कौशल विकास, रोजगार और व्यक्तित्व विकास केन्द्र सभी तहसील मुख्यालयों पर खोले जायें। विशेष रूप से लड़कियों को कौशल युक्त बनाया जाय। प्रतिवर्ष 2 लाख लड़कियों को कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाय। 'लड़कियों को शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले कालेज', सभी 18 मण्डलों में स्थापित किये जायें। 'आवासीय छात्रावास' बड़े शहरों में छात्राओं के लिए स्थापित किये जायें। राज्य बसों में महिलाओं, छात्राओं के लिए मुफ्त यात्रा सुनिश्चित की जाये, लैपटॉप/टैबलेट वितरण में लड़कियों को 50 परसेण्ट प्रतिनिधित्व दिया जाय।

'हौसला पोषण मिशन' गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चियों के लिए मिशन को दोबारा शुरू किया जाय। 108 और 102 एम्बुलेंस नेटवर्क को उन्नत लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ पुनजीर्वित और संवर्धित किया जाय।

शिक्षामित्र की बहाली और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विशेष अभियान चलाया जाय। शिक्षामित्रों का पारिश्रमिक बढ़ाया जाय और उन्हें तीन साल के भीतर नियमित सरकारी नौकरियां प्रदान की जायें। आशा कार्यकर्ताओं के लिए विशेष भर्ती और प्रशिक्षण अभियान चलाया जाय और आशा कार्यकर्ताओं को अन्य ग्रामीण सेवाओं के बराबर पारिश्रमिक दिया जाय।

'स्टेट माइक्रो फाइनेंस बैंक' की स्थापना की जाय ताकि महिला कारीगरों और महिला शिल्पकारों को आसान और बिना गारंटी के लोन दिया जा सके। 'महिला स्वयं सहायता समूहों', पर्यटन और ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के माध्यम से स्थानीय हस्तशिल्प और पारम्परिक खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता की स्थापना की जाये। 'सूक्ष्म कामधेनु योजना' महिला डेयरी ऑपरेटरों के लिए विशेष प्रोत्साहन के साथ सूक्ष्म कामधेनु योजना को दुबारा शुरू किया जाय। मान्यवर, आज इतने सारे पद रिक्त हैं, जिसमें मैं यह चाहती हूँ कि महिलाओं को भी हर जगह आरक्षण देकर उनकी भर्ती की जाये। मान्यवर, सचिवालय में पुरुषों के सापेक्ष महिला कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सचिवालय में समूह 'क' के जो 529 कर्मी हैं, उनमें महिलाओं की संख्या सिर्फ 21 है और इसी तरह से समूह 'ख' में भी जो 2,437 कर्मी हैं, उसके सापेक्ष सिर्फ 410 महिलायें हैं। मान्यवर, इसलिए इनमें भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाये और महिलाओं को अपने प्रतिनिधित्व को रखने का मौका दिया जाये। मान्यवर, मैं दो पंक्तियां कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ।

'आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव में, तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, अपने को कमजोर न समझो, जननी हो सम्पूर्ण जगत की, गौरव हो, साहस, त्याग, दया, ममता की तुम प्रतीक हो, अवतारी हो, वक्त पड़े तो लक्ष्मीबाई, वक्त पड़े तो झलकारी हो, आँधी हो, तूफान घिरा हो, पथ पर कभी नहीं रुकना है, हर पद की सच्ची अधिकारी तुम्हें नये प्रतिमान सृजन के अपने हाथों से गढ़ना है।'

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

पूजा जी, धन्यवाद।

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती गुलाब देवी)-

आदरणीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विधान सभा में पूरा एक दिन महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने के लिए मैं सबसे पहले नेता सदन, माननीय मुख्य मंत्री जी को, प्रदेश की करोड़ों बहनों को और सदन में चुनकर आई अपनी महिला सदस्यों को तथा आपका आभार व्यक्त करती हूँ। महिलाओं और बालिकाओं के चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी

सरकार कृत सकल्प होकर कार्य कर रही है। देश के माननीय प्रधानमंत्री, श्री मोदी जी तथा प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री, श्री योगी जी के कुशल नेतृत्व में महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी बनाया जा रहा है।

अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार तो उनको स्वावलम्बी बना ही रही है लेकिन विधाता के विधान में महिलाओं को शक्तिशाली बनाया गया है क्योंकि ईश्वर ने अपने विधान में महिलाओं को कभी पीछे नहीं छोड़ा है। अगर शक्ति दी तो दुर्गा माता को दी, लक्ष्मी दी, धन दिया तो लक्ष्मी माता को दिया, ज्ञान दिया तो सरस्वती माता के लिए दिया, धैर्य दिया तो धरती माता के लिए दिया, धर्मपरायणता दी तो सीता माता के लिए दी और प्रेम दिया तो राधा जी के लिए दिया। इसी प्रकार से मैं यह कहना चाहूँगी कि जहां एक ओर महिला हंस वाहिनी है वहीं महिला सिंह वाहिनी है यह अधिकार महिला को मिला। आज किसी के लिए सिंह पर सवारी करने का अधिकार महिला के अलावा विधाता ने किसी को नहीं दिया है, तो महिला कमजोर कहां है। कमजोर तो इधर-उधर की बातों ने कर रखा है जैसे हमारा ही मनोबल गिर रहा है हमारे भाई सामने नहीं हैं यहाँ।

आज सारा समय महिलाओं के लिए दिया गया है, लेकिन हम देख रहे हैं सामने बैठे हमारे भाई गिने-चुने हैं यह महिलाओं के प्रति उनके हृदय में सम्मान की बात है। गौ माता, भारत माता, गायत्री माता इन सबके लिए अधिकार मिला है, गंगा माता के लिए पवित्रता का अधिकार दे दिया गया है, गौ माता के लिए जीवन की नइया को पार करने का अधिकार दे दिया गया तो सारा अधिकार विधाता ने हमारी महिलाओं को दिया है और उसी का अनुकरण करते हुए हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तीकरण की बात उठाई है और इसी आधार पर वर्ष 2017 से पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी मैं उस पर जाना नहीं चाहती, लेकिन जो दुर्दशा थी उसके बारे में कहना चाहती हूँ कि पहले महिलाएं घर से बाहर निकलने में झिझकती थीं, लेकिन आज महिलाओं को स्वावलम्बी बनाया जा रहा है और स्वावलम्बी बनाने की शुरुआत की जा रही है, आत्मनिर्भर बनाने की उनके अन्दर एक आत्मविश्वास जगाया जा रहा है। आंगनबाड़ियों के माध्यम से महिलाओं को आगे लाया जा रहा है, गांवों में सहायता समूह के माध्यम से आगे लाया जा रहा है, आशा बहनों के माध्यम से आगे लाया जा रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा रहा है।

माननीय श्री योगी जी के नेतृत्व में जबसे सरकार बनी है तबसे गांव-गांव में महिलायें आर्थिक स्थिति से मजबूत होती चली जा रही हैं। बालिकाओं के प्रति समाज की सोच को सकारात्मक बनाये रखने के लिए हमारी सरकार ने उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की जिसके अन्तर्गत 6 चरणों में बालिकाओं

को 15 हजार रुपये की सहायता दी जाती है और इस तरह से 13 लाख बेटियों के लिए लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में पहले निराश्रित महिलाओं को मात्र 300 रुपये पेंशन दी जाती थी, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा इस पेंशन की राशि बढ़ाकर 1 हजार रुपये कर दी गई है और इस समय 31 लाख 50 हजार से अधिक निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। प्रधानमंत्री जी की नीति है कि देश की महिलाएं सशक्त, स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनें। महिलाओं को रोजगार से जोड़ते हुए कार्य किया जा रहा है। 66 लाख ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं जिसमें 6 लाख 34 हजार महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, 31 हजार 601 महिलाएं ग्राम संगठनों एवं 1735 सम्पूर्ण सहायता समूह को जोड़ती हुई महिलाएं हमारे सहायता समूह में काम कर रही हैं। इसके आगे 1840 दुकानें राशन से सम्बन्धित ऐसी हैं जहां पर हमारी महिलाओं के द्वारा बनाई हुई वस्तुयें जा रही हैं और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।

मान्यवर, राष्ट्रीय पोषण मिशन के अन्तर्गत एक आंगनबाड़ी पर 1 करोड़ 77 लाख बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोषक आहार वितरित किया जा रहा है। हमारी सरकार के द्वारा गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए मुख्य मंत्री विवाह योजना के अन्तर्गत 51 हजार रुपये प्रति जोड़े के हिसाब से दिया जा रहा है, जिससे गरीब कन्याओं की शादी हो रही है और अब तक 1 लाख 91 हजार से अधिक जोड़ों का विवाह हो चुका है। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ योजना के अन्तर्गत जननी व उसके बच्चे के देखभाल के लिए 6 हजार रुपए प्रति लाभार्थी गर्भवती महिलाओं को दिये जा रहे हैं। सरकार ने महिला सम्बन्धी अपराधों के रोकथाम के लिए शक्ति मोबाइल का गठन किया है।

मान्यवर, महिलाओं की स्थिति को मजबूत कररने के लिए प्रदेश में जनपदों की दूरस्थ तहसीलों में 61 महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, परामर्श केन्द्र, महिला थाना का गठन किया गया। महिला एवं बाल अपराधों पर हमारी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। महिलाओं की शक्ति बढ़ाने के लिए, बालिकाओं की आत्मरक्षा के लिए जूडो-कराटे आदि के प्रशिक्षण के साथ इनको जागृत किया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगी कि 45 लाख महिलाओं को आवास मिला है, जो बरसात में रात-रात भर जागती थीं कि बच्चों को हम कहां पर सुलायें और कहां पर अपना सामान रखें। 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनाये गये हैं, जो महिलाओं के अस्तित्व की रक्षा कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, 1 करोड़ 67 लाख उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत उनको बिजली कनेक्शन दिये गये हैं, 2 लाख से अधिक महिलाओं को जो रेहड़ी, खोमचा इत्यादि से काम करती थीं उनको यह धनराशि दे कर मजबूत बनाया गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, आज महिलाओं के लिए एक दिन का समय निर्धारित किया गया है, यह पहली बार इतिहास में हुआ है कि हमारी महिलाओं के लिए अलग से समय दिया गया

है और दिया भी क्यों नहीं जाये, ये वह महिलाएं हैं जिन्होंने राम और कृष्ण को जन्म दिया। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी को जन्म दिया, जिन्होंने महाना जैसे सपूत को जन्म दिया, जिन्होंने खन्ना जी जैसे सपूत को जन्म दिया और यहां जितने भी हमारे भाई बैठे हुए हैं मैं उस माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ जिन्होंने आप जैसे सपूतों को जन्म दिया, जो इस पवित्र मन्दिर में बैठे हुए हैं, ऐसी माताओं के लिए जितना भी किया जाय वह कम है। आज मैं प्रदेश की समस्त बहनों से यह आह्वान करती हूँ और उन्हें यह बताना चाहती हूँ, प्रदेश में जितनी हमारी बहनें सुन रही हों, जितनी बालिकाएं सुन रही हों, जितनी कन्यायें सुन रही हों, उनसे मैं कहना चाहूंगी कि जीवन में तीन चीजें याद रखो, पहली चीज यह है कि जीवन में कभी भी दिखावट नहीं होनी चाहिये, जिसके जीवन में दिखावट होती है उसके लिये बनावट करनी पड़ती है, जब बनावट करनी पड़ती है तो गिरावट आती है और जब व्यक्ति के जीवन में गिरावट आ जाती है तो उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाता। मैं शायरी में ज्यादा यकीन नहीं रखती, मैं यह बताना चाहती हूं कि बहनों तुम्हारे पास यदि कोई चीज है तुम्हे जीवित रखने के लिये, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिये, तुम्हारे अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिये तो वह तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है और मर्यादा की रेखा है। यह बात जीवन में ध्यान रखना, जो जीवन में धर्म का पालन करेगी, तो मर्यादा की रेखा में रहेगी वही हमारी महिला सुरक्षित रहेगी, कोई भी अराजक तत्व, कोई भी आतंकवादी, कोई भी बुरी नजर रखने वाला आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, धर्म ही व्यक्ति के अस्तित्व की रक्षा करता है।

श्री अध्यक्ष-

बहुत-बहुत धन्यवाद मंत्री जी। सभी लोगों को समय देना है।

श्रीमती गुलाब देवी-

मान्यवर, मैं देख रही थी काफी लोगों को आधा-आधा घण्टे का समय मिला है, मैं आभारी हूं कि आपने हमारे लिये समय निर्धारित किया है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, एक मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती गुलाब देवी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक सुझाव और देना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद, अब आप बैठिये। सबको अवसर मिलेगा।

श्रीमती गुलाब देवी-

मा0 अध्यक्ष जी, लोगों ने आधे-आधे घण्टे तक बोला है।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने-इतने समय तक लोग बोलेंगे।

श्रीमती गुलाब देवी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने समय निर्धारित केवल हमारे लिये किया है।

श्री अध्यक्ष-

लास्ट एक मिनट में अपनी बात कह दीजिये।

श्रीमती गुलाब देवी-

मा0 अध्यक्ष जी, चूंकि मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि महिला सदस्य अपने सुझाव दे सकती हैं, इसलिये मैं सुझाव देना चाहती हूं कि जो महिला अपराधी, बालिका अपराधी, अबोध बच्चों के ऊपर अत्याचार करने वाला अपराधी यदि मौके पर पकड़ा जाये, तो मैं समझती हूं कि नियमों की ज्यादा कठोरता नहीं होनी चाहिये। उसमें शिथिलता बरत कर उनके ऊपर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिये, क्योंकि इससे ज्यादा जघन्य अपराध कोई हो नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मा0 मुख्य मंत्री जी के लिये, मा0 अध्यक्ष जी और सदन के सभी मा0 सदस्य का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को विराम देती हूं।

श्री अध्यक्ष-

श्रीमती सैय्यदा खातून-

श्रीमती गुलाब देवी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद देने के बाद एक मिनट और कहना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया। पहले धन्यवाद देंगी, तत्पश्चात् एक मिनट और लेंगी।

श्रीमती गुलाब देवी-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे जितने भाई राजनीति में हैं। जहां महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं, वहां उनको अपना समय देने का भी बात करनी चाहिये। आप सारी सुविधायें तो देते हैं, सारी सम्पन्नतायें देते हैं, लेकिन अपनी महिलाओं के लिये, अपनी पत्नियों के लिये, अपने बच्चों के लिये कितना समय देते हैं। एक समय ही उनका है, उसको मत छीनिये। ये मैं कहते हुए अपनी बात को विराम देती हूं।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद। श्रीमती सैय्यदा खातून जी। आप पांच मिनट में अपनी बात को समाप्त करिये।

***श्रीमती सैय्यदा खातून-**

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज महिला सशक्तीकरण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 अखिलेश यादव जी को हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरी जैसी एक लड़की को तमाम लोगों को दरकिनार करके, मुझे टिकट देकर यहां पर भेजने का काम किया। मैं कहना चाहती हूँ कि महिला सशक्तीकरण का अर्थ महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार लाना है ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की के बराबर के मौके मिल सकें। जिससे वे सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सकें। ये वही तरीका है, जिसके द्वारा महिलाएं भी पुरुषों की तरह अपनी हर आकांक्षाएं पूरा कर सकें। भले ही आज के समाज में भारतीय महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, वकील आदि बन चुकी हैं, फिर भी काफी सारी महिलाओं को आज भी सहयोग/सहायता की आवश्यकता है। वे शिक्षा और आजादी पूर्वक कार्य करने, सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित कार्य और सामाजिक आजादी में अभी भी असहयोग महसूस करती हैं।

मैं अपने यहाँ की कुछ समस्याएं कहना चाहती हूँ। अभी जो हमारी बहनों के साथ देश में अत्याचार हो रहा है। हमारा ही देश है, जिसमें महिलाओं को, बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है और पूजा जाता है। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि ये जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जैसे चित्रकूट में कुर्ती कोतवाली क्षेत्र में झाड़-फूंक के बहाने दलित युवती से रेप किया और बलिया में 18 साल की दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, लखीमपुर खीरी में दलित युवती के साथ सामूहिक बलात्कार, मथुरा में दलित महिला से गैंगरेप, पीलीभीत में दुष्कर्म के बाद दलित युवती को जिंदा जला दिया गया।

मा0 अध्यक्ष जी, डुमरियागंज क्षेत्र में बाढ़ की समस्या काफी है। मैं जिस गांव/ग्राम सभा से आती हूँ, हमारे बगल में नदी है और हमारे पूरे क्षेत्र में चारों तरफ से नदियां हैं। मैं सरकार से चाहती हूँ कि हमारे यहां पुल और नदी के किनारे जो कटान होती है, उसकी समुचित व्यवस्था की जाये। हमारे यहां सिद्धार्थनगर में जो मेडिकल कालेज हैं, वहां चिकित्सकों, प्रोफेसर और पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी है, उसको भी पूरा किया जाय।

डुमरियागंज हमारे क्षेत्र में पचासों साल का तार हमारे क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो बहुत जर्जर हो चुके हैं और ट्रांसफार्मर, जहां दो सौ लोग कनेक्शन लिए हुए हैं और सरकार को बिजली का पैसा दे रहे हैं, लेकिन वहां 60 के0वी0 का ट्रांसफार्मर लगाया गया है। अब उनसे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहा जाता है, तो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है। इसलिए मैं यह सरकार से कहना चाहती हूँ कि यह सारी समस्याएं हमारी हैं और इन समस्याओं का समाधान किया जाय। डुमरियागंज क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लटेरा में डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते हैं, निर्माणाधीन कोविड वार्ड के निर्माण में मानक के हिसाब से कोई काम नहीं हुआ। मैं उस एक दिन वहां गयी थी देखने के लिए सामुदायिक केन्द्र में वहां न तो डॉक्टर मिला बस छोटे स्टाफ एक-दो बैठे हुए थे और जो कोविड रूम बन रहा था वह सोयम ईंटों से बन रहा था वहां एक खम्भा गाड़ दिया गया था। वहां इस तरह का काम हो रहा था और हमारे यहां जो पानी की टंकियां लग रही हैं जितनी भी टंकियां लग रही हैं उनमें से पानी गिरता रहता है जिसके कारण सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती है। जब हमारी जिले में बैठक हुई थी तब मैंने वहां पर भी आवाज उठायी थी। इसके लिए मैं सरकार से कहना चाहूँगी कि इसके लिए कोई बन्दोबस्त किया जाय और उसका पता लगा लिया जाय कि हमारे यहां डुमरियागंज क्षेत्र या जिले में कोई भी टंकी सफल नहीं है। पानी नहीं आता है यहां तक कि हमारा डुमरियागंज नगर पंचायत क्षेत्र है वहां पर टंकी बनके खड़ी है, लेकिन अभी तक सप्लाई नहीं हुई है।

हमारे यहां दरगाह फतेहपुर में एक पुल जर्जर होकर गिर चुका है जिससे आने-जाने वालों के लिए समस्या होती है और हमारे यहां जो इण्टर कालेज में मानक बढ़ा दिया गया है मैं सरकार से चाहती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में उतना ज्यादा मानक रहेगा तो कोई आदमी स्कूल नहीं खोल पायेगा, इसलिए मैं सरकार से चाहती हूँ कि मानक जितना पहले था उतना किया जाय। मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि उन मदरसों से पढ़कर तमाम मौलवी-मौलानाओं ने देश की आजादी में लाखों-लाखों लोगों ने जान दी है। उन्हीं मदरसों से अभी इस साल 1200 बच्चों ने अपना नीट क्वालीफाई किया है। जिनको सरकारी कॉलेज मिल रहे हैं वह बच्चे पढ़ेंगे और अपने देश के लिए काम करेंगे, इसलिए मदरसों की देख-रेख के लिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि आप भी हमारी मदद करें। हमारे मदरसे चन्दे से चलते हैं जिसमें हम लोग 100 रुपये में ढाई प्रतिशत अपना जकात देते हैं उसी से गांव के सारे मदरसे चलते हैं।

मैं सरकार से कहना चाहती हूँ आज आपने हम महिलाओं को बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग यह हवा बना देते हैं कि यह महिला हैं ये कुछ नहीं कर पायेंगी। मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि महिलाओं का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जहां भी महिलाएं अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं उनका सहयोग करें ताकि हमको मौका मिले काम करने का और हम अच्छे से अच्छा काम करेंगे। पुरुषों से बढ़कर काम करेंगे। देश जबसे आजाद हआ पहली बार महिला सशक्तीकरण में बोलने का मौका दिया गया है। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ0 मन्जू शिवाच-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। मा0 अध्यक्ष जी देश व प्रदेश की प्रगति में देश की महिलाओं की कितनी भागीदारी है और महिला और पुरुष दो पंख के समान हैं यदि एक पंख कमजोर रहेगा तो प्रदेश चल सकता है उड़ नहीं सकता। साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय योगी जी और उत्तर प्रदेश सरकार को कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलम्बन के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है। सरकार यह भी मान रही है कि महिलाओं के पक्ष में बदलाव करने की अगुवाई और बदलाव करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति का उपयोग करते हुए आदरणीय मुख्य मंत्री जी मिशन शक्ति के माध्यम से महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं।

(इसी मध्य अपराह्न 03 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता के रूप में श्रीमती सैय्यदा खातून पीठासीन हुईं) (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं कहना चाहती हूँ कि चाहे वह कानून-व्यवस्था हो या अन्य व्यवस्थाएं हों, महिलाओं के प्रति सरकार संवेदनशील है और निरन्तर काम कर रही है। किसी भी महिला के लिए बहुत जरूरी होता है कि लॉ-एण्ड-आर्डर ठीक रहे। कानून-व्यवस्था यदि ठीक है तो महिलाएं निश्चिन्त होकर, चाहे बच्चियां ट्यूशन के लिए जायं, चाहे कामकाजी महिलाएं नौकरी के लिए जायें, वह निश्चिन्त होकर जा सकती हैं। अगर थोड़ा सा पहले हम चले जायें तो महिलायें व बच्चियां ट्यूशन के लिए नहीं जा पाती थीं और उनको नौकरी पर जाने में भी संकोच होता था और घर का पुरुष उनको लाने-ले जाने का काम करता था। लेकिन मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ कि आज महिलायें चाहे दिन का समय हो या रात का समय हो, चाहे ट्यूशन जाना हो, चाहे नौकरी पर जाना हो या स्कूल जाना हो वह दिन-रात की शिफ्टों में नौकरी भी कर रही हैं और पढ़ाई के लिए स्कूल बराबर जा रही हैं। साथ ही साथ इस सरकार ने महिलाओं के लिए जो पिंक थाने बनाये हैं उनमें महिलायें बेबाकी से अपनी बात महिला पुलिस अधिकारी से कह सकती हैं और अपनी समस्या का समाधान भी कर सकती हैं। हर थाने में महिलाओं के लिए एक पिंक कॉर्नर है जहां पर एक महिला पुलिस अधिकारी या कांस्टेबल से बात करके जो भी परेशानी है चाहे पारिवारिक है या सामाजिक है, उसको बता सकती हैं।

इसी के साथ मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ कि जब महिलायें नौकरी के लिए जाया करती थीं या बाहर घूमती थीं या किसी न किसी काम से उन्हें जाना होता था उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब सरकार ने इन्हीं महिलाओं के लिए पिंक ट्वायलेट भी बनवाये हैं। यदि कामकाजी महिला अपने बच्चे को लेकर कहीं जा रही है तो उस बच्चे को

वहां पर बिठाकर वह फीडिंग भी करा सकती है और उन पिंक शौचालयों का प्रयोग भी कर सकती हैं। साथ ही साथ महिलाओं के लिए जो मातृत्व अवकाश बढ़ा है और वर्किंग प्लेसेज में क्रेच की सुविधा मिली है उसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ। खासतौर से यदि कोई बेटी या कोई महिला कमजोर है तो वह एक सशक्त प्रदेश नहीं बना सकती।

उत्तर प्रदेश हमारा बहुत बड़ा प्रदेश है और उसमें 50 प्रतिशत हम महिलायें हैं। अगर महिलायें और बेटियां कमजोर रह गयीं तो हम प्रदेश को कैसे मजबूत बनायेंगे, इसके लिए आदरणीय मुख्य मंत्री जी की जो बिल्कुल मन से जुड़ी हुई योजना है पोषण की। अगर गर्भावस्था में महिला पोषित है तो उसका बच्चा भी पोषित होगा। गर्भावस्था से ही महिला की देख-भाल पोषण के माध्यम से शुरू हो जाती है। महिलाओं को हाई-प्रोटीन पैकेट दिये जाते हैं, उनका चेकअप कराया जाता है, कन्या सुमंगला योजना के विभिन्न चरणों में महिलाओं को विभिन्न स्तरों पर लाभ दिया जाता है। सरकार एक बार में भी 15 हजार रुपया दे सकती है, लेकिन सरकार यह चाहती है कि उस महिला का रजिस्ट्रेशन हो, उसको टीके लगें, फिर उस महिला की हास्पिटल में डिलीवरी हो और उसके बच्चे का टीकाकरण निश्चित समय पर हो जाये और जब वह बच्चा बड़ा हो तो एक निश्चित धनराशि उसको दे दी जाय। इस उद्देश्य से यह सरकार कन्या सुमंगला योजना चला रही है जिसका महिलायें लाभ भी उठा रही हैं। साथ ही साथ चाहे शहरी गरीब हों, चाहे गांव के बच्चे हों, आज भी हम उत्तर प्रदेश में नजर डालें तो यह पायेंगे कि 70 प्रतिशत आबादी गांवों में ही बसती है और गांवों की बेटियों के लिए, उनके भरण-पोषण के लिए सरकार बहुत संवेदनशील है। यदि आप गांव की बेटी के ऊपर नजर डालें तो मेरे दिमाग में आता है कि उस बेटी के हाथ में एक रोटी है उस पर एक आलू रखा हुआ है और वह खा रही है। मान्यवर, ऐसे बेटी कैसे पोषित हो जायेगी, उसका कुपोषण कैसे दूर हो जायेगा ? घरवाले चाहे जानकारी के अभाव में, चाहे आर्थिक स्थिति के अभाव में उसको पोषण आहार नहीं दे पाते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी की योजना के अनुसार इन बेटियों को पोषण आहार दिया जा रहा है और इस बेटी की थाली में आलू और रोटी के साथ-साथ दाल की कटोरी भी पहुंच गयी है, उसमें घी, रिफाइण्ड भी पहुंच गया है। जब यह 5 साल की बच्ची दाल खाएगी, उसको घी मिलेगा तो निश्चित ही उसका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों बढ़ेगा। यही बेटी, गांव की बेटी आगे चलकर एक अच्छी महिला बनेगी, एक पोषित महिला बनेगी। वह महिला शिक्षित होने के साथ-साथ समाज और परिवार का योगदान भी करेगी। साथ ही साथ सरकार की विभिन्न योजनायें हैं, सरकार गोदभराई करती है। ऐसा नहीं है कि हमें महिलाओं के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित करना है, सरकार की मंशा उसके पीछे बिल्कुल ठीक है कि हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको यह तो पता चले कि हमें गर्भावस्था में क्या खाना है, अभी तक तो महिलाओं को पता ही नहीं चल पाता था कि हमें

गर्भावस्था में क्या खाना है। गोदभराई के माध्यम से उनको एक पूरी टोकरी दी जाती है, जिससे महिला के दिमाग में, उसकी सास के दिमाग में यह आता है कि इस गर्भावस्था की अवस्था में उसको फल देना है, दूध देना है, अण्डा खाती है तो अण्डा देना है और प्रोटीन के लिए उसको दाल भी देनी है। इस भाव से सरकार काम कर रही है। पोषण आहार दिया जा रहा है, जिससे हमारी बेटियां, हमारी महिलायें कुपोषित न रहें। 189014 आंगनबाड़ी केन्द्रों से यह सुविधायें दी जा रही हैं, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ और साथ ही साथ आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को भी धन्यवाद देती हूँ। सरकार की बहुत सारी योजनायें हैं, हमारे सभी मा0 सदस्यों ने चर्चा की है, लेकिन जो एन0आर0एल0एम0 के माध्यम से गांवों में आज समूह बनाये जा रहे हैं, उसके लिए विशेष तौर से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ।

अगर हम 10 साल पहले चले जायें तो हमें समूह ढूंढ़े नहीं मिलते थे। गांव की महिलायें सोचती रहती थीं कि मैं क्या काम करूं। कहीं मेरे आस-पास कोई फैक्ट्री लग जाये तो मैं कुछ काम करूं, मैं पढ़ी-लिखी तो हूँ नहीं, मैं क्या काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने गांवों की महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के बारे में सोचा और एन0आर0एल0एम0 के माध्यम से गांवों में विभिन्न समूह बनाये गये। आज हर गांव में चाहे हमारे गांव हों, चाहे आपके गांव हों, कम से कम 10 से 12 समूह बने हुए हैं, उन समूह की महिलाओं को सरकार आर्थिक मदद भी देती है, सरकार उनको लोन भी देती है, जिससे वह महिलाएं अपना काम कर सकें। आज गांव के स्तर से उठकर हमारी महिलाओं के समूह क्लस्टर लेवल तक आ गये हैं और हमारी महिलायें बड़े समूह बनाकर 7-7, 8-8 गांवों के समूह बनाकर क्लस्टर लेवल पर विभिन्न बड़े काम कर रही हैं और उससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर रही है, उनकी जीवन जीने की शैली भी बदल रही है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ। आज इन समूह के माध्यम से अगर मैं अपनी मोदी नगर विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो वहां आज महिलायें गोबर का प्रयोग करके दीये बनाती हैं, गोबर से लकड़ी बना रही हैं, जो अन्तिम क्रिया में काम आती है। महिलायें हमेशा खाने-पीने की वस्तुएं तो बनाती रहीं, अचार-पापड़ तो बनाती ही रहीं, लेकिन साथ ही साथ महिलाओं ने अभी 15 अगस्त पर जो झण्डे सिले हैं, वह काबिले तारीफ हैं। इन महिला समूह को उससे बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ हुआ है। साथ ही साथ मेरे क्षेत्र में, हमारी महिलायें प्रेरणा कैन्टीन भी चलाती हैं। तहसील में, ब्लाक में, अस्पतालों में, हमारे सामुदायिक केन्द्रों में, हमारे यह जो महिला ग्रुप हैं, वह आदरणीय मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि यह महिला ग्रुप आर्थिक रूप से अपने ऊपर निर्भर रहें, इसके लिए महिलायें प्रेरणा कैन्टीन, स्टेशनरी और फोटोस्टेट की मशीनें भी लगा रही हैं।

आज गांव की प्रधान महिला है, साथ ही साथ ब्लॉक की प्रमुख भी महिला है, यह सभी महिलायें चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में हों, चाहे समूह के रूप में हों, निश्चित ही प्रदेश को आगे बढ़ा रही हैं। जब हम वन ट्रिलियन इकॉनामी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक ही महिला या दस महिलायें काम करेंगी तो देश या प्रदेश की इकॉनामी बढ़ेगी। जब छोटे-छोटे समूह हमारे गांव के समूह या हमारी अर्बन पुअर लेडीज समूह के माध्यम से काम करेंगी तभी हमारा उत्तर प्रदेश आगे वन ट्रिलियन इकॉनामी की तरफ बढ़ पायेगा।

मान्यवर, मैं धन्यवाद देती हूँ सरकार को कि सरकार महिलाओं के लिए इतना संवेदनशील है और मैं अपने आप भी एवं पक्ष-विपक्ष की सभी महिलाएं विधायक होने के नाते यह सोचती हैं और ऐसा महसूस भी करा जाता है कि साधारण विधायक होने के लिए दोगुना काम करना पड़ता है महिला को। अच्छी विधायक होने के लिए चार गुना काम करना पड़ता है। पुरुषों से अच्छी कैटेगरी में आने के लिए चार से ज्यादा गुना काम करना पड़ता है, तो हम महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। मैं इसके लिए सभी महिलाओं को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ।

मैं अपने क्षेत्र की दो बातें आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि श्रम विभाग के एक पुराने सिलाई-कढ़ाई केन्द्र को यदि नवीनीकरण करके महिला कौशल विकास केन्द्र के रूप में डेवलप कर दिया जाय तो हमारे यहां की बेटियों को कौशल विकास की ट्रेनिंग मिल जायेगी। साथ ही साथ मेरा यह भी निवेदन है कि एन0आर0एल0एम0 के जो ट्रेनिंग सेन्टर उनके बड़े सेन्टर में कराये जाते हैं वह ब्लॉक स्तर पर भी करा दिये जायें तो जो हमारे गांव के समूह हैं, क्लस्टर लेवल के समूह हैं, वह शिक्षित हो जायेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति आगे बढ़ जाएगी। अन्त में मैं यह कहना चाहूँगी कि आज इसका उद्देश्य यह था कि यहां पर महिलाएं बैठी हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी बहनें गांव में ही रही हैं, बहुत बार उन महिलाओं को ऐसे जाना जाता है कि यह महेन्द्र की पत्नी है, लेकिन आज आदरणीय योगी जी की मंशा यह है कि उस महिला को उसके नाम से जाना जाए कि यह इस इंस्टीट्यूट की मालिक है, यह इस अस्पताल की मालिक है यह सरकार की मंशा है, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।

***श्रीमती ऊषा मौर्या-**

मान्यवर, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस सदन में एक दिन महिलाओं का रखा और महिलाओं को बोलने का पूरी तरीके से छूट दिया। मैं माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे एक महिला को टिकट देकर यहां तक पहुंचाने का सदन में बोलने का मौका दिया। मैं बात करने के पहले शुरू

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करती हूँ "नमो बुद्धाय, जय भीम, जय समाजवाद और जय संविधान" और हमारे जो महापुरुष हैं मैं उनको भी नमन करती हूँ जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दे दिया।

मैं अधिष्ठाता महोदया से कहना चाहती हूँ कि यह जो महंगाई है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर है और एक महिला ही दोनों घर चलाती है उसका पति कोई ठेला लगाता है, कोई साग-सब्जी लगाता है, वह कुछ दो-चार सौ रुपया कमा कर लाता है। घर को चलाने के लिए महिलाओं के पास पैसे नहीं हैं। टैक्स इतना ज्यादा हो गया है कि वह कैसे घर चलाएंगी। साबुन-सोडा हो, क्रीम-तेल हो, बच्चों को पालना हो, घी, दूध, मक्खन हो सभी पर टैक्स लगा हुआ है तो मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहती हूँ कि महिलाएं ही घर चलाती हैं इसमें टैक्स कम किया जाये।

मेरे क्षेत्र की कुछ बातें हैं मैं जिस विधान सभा क्षेत्र-242 से चुनकर आई हूँ वह विधान सभा क्षेत्र गंगा की तराई क्षेत्र है वहां पर बहुत दूरी है 40 किलोमीटर है वहां कोई अस्पताल की सुविधा नहीं है और मैं इसके पहले भी बोल चुकी हूँ। मेरे खागा विधान सभा क्षेत्र 40 किलोमीटर है और गंगा के किनारे जितने भी गांव हैं उन सभी में छप्पर पड़े हुए हैं। अगर वहां पर आग लग जाती है तो कोई भी फायर ब्रिगेड नहीं है। पूरा गांव जल जाता है। मेरे क्षेत्र में एक भी फायर ब्रिगेड स्टेशन नहीं है। मैं मांग करती हूँ कि हुसैनगंज विधान सभा क्षेत्र की हथगांव नगर पंचायत में फायर ब्रिगेड स्टेशन की स्थापना की जाये, ताकि मेरा क्षेत्र जो अग्निप्रभावित है वह बच जाये, क्योंकि जब आग लगती है तो गांव के लोग अपने जानवर तक नहीं बचा पाते हैं, वह वहां से निकल तक नहीं पाते हैं। इसलिए मेरा सरकार से यह अनुरोध है।

मेरी विधान सभा क्षेत्र की बहुत समस्यायें हैं, मेरी विधान सभा क्षेत्र बहुत पिछड़ी हुई विधान सभा है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में हर जगह लाइट की समस्या है, ट्रांसफार्मर की क्षमता बहुत कम है। आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं। 11-11 हजार वोल्ट की लाइनें 11-11 फीट पर लटकी हुयी हैं। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, आये दिन लाइट के कारण दुर्घटनायें होती हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ? इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। तीसरी बात यह है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में किसान जानवरों से बहुत त्रस्त हैं। अगर यकीन न हो तो कोई भी मेरे क्षेत्र में चल करके देख ले, मैं उसे दिखाऊंगी कि किस तरह रोड पर और खेत में जानवर चरते हैं उसका कोई इन्तजाम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इसका कोई इन्तजाम किया जाये, क्योंकि इससे किसान बहुत परेशान हैं। मा0 अधिष्ठाता जी, आप सभी को पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मनीषा अनुरागी जी।

***श्रीमती मनीषा-**

मान्यवर, मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आपने पूरा एक दिन हम महिलाओं के लिए दे करके एक नये इतिहास का सृजन किया है। इसके लिए हम बार-बार आपका अभिनन्दन करते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, महिलाएं वह आधारशिला हैं जिसके बिना किसी भी मजबूत परिवार, समाज और विकसित देश की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने लगभग सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है। हम सब जानते हैं कि आज महिलाएं वह सब काम कर चुकी हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी और मैं बोलना चाहूँगी कि 'मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती। झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, कल्पना या सानिया हो, असम्भव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती।'

(सदन में मेजों की थपथपाहट)

धर्म, शास्त्र, ग्रन्थ एवं इतिहास सहित मान्यता के सभी माध्यमों से भारतीय परम्परा में नारी को शक्ति स्वरूपा के रूप में दर्शाया गया है। आधुनिक इतिहास हो या आजादी की लड़ाई हो, भारतीय नारियों ने हमेशा गौरवान्वित करने का काम किया है। मैं कहना चाहूँगी कि 'बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन-रात बदल देती है। जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है।'

मान्यवर, अभी 15 अगस्त को हम श्रद्धेय मोदी जी की बात को सुन रहे थे, जब उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा कि भारत की नारी शक्ति एक नये जोश के साथ आगे आ रही है। मान्यवर, अगर हम बीते प्राचीन कालखण्ड की बात करें तो नारी बहुत सशक्त थी। भारत की धरती पर नारी की पूजा होती थी। अगर हम उस समय की बात करेंगे तो बहुत समय लग जायेगा। मा0 अधिष्ठाता जी, आज हम आजादी के बाद के समय की बात करना चाहते हैं। संविधान की रचना करने वाले बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें समान अवसर दिया, हमें समानता का अधिकार दिया, लेकिन यहां पर 50 साल से भी ज्यादा समय तक जिन लोगों की सरकार रही और इस देश ने महिला प्रधानमंत्री भी देखा, लेकिन आधी आबादी की जो दुर्दशा थी, उससे दुनिया वाकिफ है। अगर हम वर्ष 2011 की जनगणना की बात करें तो 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं थीं, लेकिन जिनको 60 वर्ष तक देश चलाने का अवसर मिला, उन लोगों ने क्या किया ? क्या इस देश की महिलाओं ने उनको वोट नहीं दिया ? क्या इनकी सरकार में उन महिलाओं का योगदान नहीं था ? लेकिन इन लोगों ने देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया, महिलाओं को कमजोर करने का काम किया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, हमें राजनीतिक हिस्सेदारी भी कहां मिली ? हमारा राजनीतिक विकास भी कहां हुआ ? आज तो मोदी जी का जमाना है। आदरणीय मोदी जी के मंत्रि-मण्डल में 11 महिलाओं को स्थान देकर राजनीतिक रूप से भी हम सबको समृद्ध करने का काम किया गया है, हम उनका स्वागत करते हैं। वर्ष 2014 से पहले महिला सशक्तीकरण के जो शब्द होते थे वह सिर्फ अखबारों में सुनने को मिलते थे। धरातल पर इन लोगों ने हमें कभी सशक्त बनाने का काम ही नहीं किया। पूरा देश जानता है कि भारत की महिलाएं कहां खड़ी हैं। देश चलाने वालों ने अगर ईमानदारी से न्याय किया होता तो आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को मिशन शक्ति का अभियान नहीं चलाना पड़ता। मोदी जी को 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा नहीं देना पड़ता। हम श्रद्धेय मोदी जी की इस बात के लिए उनका अभिनन्दन करना चाहते हैं। जब मोदी जी लाल किले के प्राचीर पर खड़े होते हैं तो इस देश की जो आधी आबादी है उनको नहीं भूलते, उनके बारे में जरूर चर्चा करते हैं। इसलिए हमारा देश आज मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। दिल्ली से ले करके प्रदेश की सरकार आज हमें समान अवसर प्रदान कर रही है। आज हमें आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज यह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम ही नहीं रहा, बल्कि यह एक सामाजिक संवेदना का और लोक शिक्षा का अभियान बन गया है। मैं कहना चाहूँगी कि मुझे अपनी सरकार पर गर्व है मैं अपने मुख्य मंत्री जी का स्वागत करती हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बेटियों की किस तरह से चिन्ता करती है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, बेटी पैदा होती है तब भी सरकार बेटी के साथ खड़ी रहती है। हमारी सरकार बेटियों से कहती है कि तुम स्कूल जाओ, पढ़ो आगे बढ़ो तुम्हारी पढ़ाई की चिन्ता हमारी सरकार करेगी। जब बेटी बड़ी होती है तो हमारी सरकार उसके हाथों को पीले करने की चिन्ता करती है। हमारी सरकार बेटियों की शादी का खर्च भी उठा रही है और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में भारत के इतिहास में महिला सशक्तीकरण का स्वर्ण युग देख रहे हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदया, विश्व के कल्याण की कोई सम्भावना नहीं है जब तक महिलाओं की हालत में कोई सुधार नहीं होगा। जैसे एक पंक्षी के लिए एक पंख के सहारे उड़ान भरना सम्भव नहीं है वैसे ही यह देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक इस देश की आधी आबादी को बराबरी पर लाकर न खड़ा कर दिया जाय। इस बात को अगर किसी ने समझा है तो वह सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उन्होंने हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए कहा है कि महिला वह शक्ति है, वह भारत की नारी है, न ज्यादा में, न कम में वह सबमें बराबर की अधिकारी है। नारी सशक्तीकरण के बिना मानवता का विकास अधूरा है। वैसे अब ये मुद्दा वूमेन डेवलपमेन्ट का नहीं रह गया, बल्कि वूमेन वी डेवलपमेन्ट का है।

मा0 अधिष्ठाता महोदया, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सारी बातें सिर्फ कही नहीं गयी हैं इनको किया भी गया है। जब आज कोई सरकारी घर बनता है तो वह किसी पुरुष के नाम पर नहीं बल्कि उस सरकारी घर की मालिक उस घर की महिला होती है। जब राशन कार्ड बनता है तो महिला के नाम पर बनता है। जिन लोगों ने कभी बैंक को नहीं देखा था उन लोगों को बैंक के दरवाजे पर पहुंचा कर उनके खाते खुलवा दिये गये हैं। मगर मोदी जी के इस अभियान का भी कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोगों ने मजाक उड़ाया। लेकिन अगर मोदी जी के इस अभियान की सार्थकता को समझना है तो उस गरीब की झोपड़ी तक उसको जाना होगा। अब आखिर में मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि मोदी जी ने यह कहा है कि यह जरूरी है कि हम स्वयं को और अपनी शक्तियों को समझें। आखिर में मैं कुछ कहना चाहूँगी कि 'कोमल है कमजोर नहीं तू शक्ति का नाम ही नारी है, जग में जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है।' मा0 अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती मुक्ता संजीव राजा-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे देश की सबसे बड़ी विधान सभा में बोलने का मौका दिया है। नारी सशक्तीकरण का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है ? भारतीय संस्कृति में जब तक नारी शक्ति का मान, सम्मान और स्वाभिमान रहा है तब-तब भारत विश्व गुरू व सोने की चिड़िया कहलाता रहा है। किन्तु विदेशी आक्रांताओं की नजर इस भारत भूमि पर पड़ी और महिला शक्ति को वैभव समझा जाने लगा तब-तब देश रसातल की ओर बढ़ता रहा। इस देश में सती सावित्री जैसी महिला शक्ति ने जन्म लिया जिन्होंने अपने सतीत्व के बल पर यमराज से अपने पति के प्राण बचाये थे। मां सीता के विषय में सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने पति के वनवास की सूचना पर राजमहल का वैभव त्याग दिया था और वनवास के लिए चली गयी और लम्बे समय तक उन्होंने कष्ट सहे थे।

विदेशी आक्रांताओं के आने के बाद विभिन्न महलों में हुए जौहरों ने साबित कर दिया कि सिवाय अस्मत के इनकी निगाहों में नारी का कोई सम्मान नहीं था और यहीं से नारी शक्ति के अपमान के साथ-साथ देश पर विभिन्न संकट गहराने लगे। 15 अगस्त, 1947 को देश को आजादी मिली, लेकिन जिस सुराज एवं स्वराज की कल्पना की, वह धुंधली साबित हुई। देश की आजादी में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने वाली वह नारी शक्ति अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी। जिन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में स्वयं बढ़-चढ़कर भाग लिया या अपने परिजनों के बलिदान कर अपनी मांग के सिंदूर को सूना किया वरन् अपने भविष्य को भी खतरे में डाला और इस हताश निराश महिला शक्ति की आंखों में वर्ष 2014 में आशा की किरण तब जगी

जब देश की कमान ऐसे सपूत को मिली जिनके मन में नारी शक्ति की वेदनाएं गूंज रही थीं। वास्तव में यदि हम कहें तो इस देश में आधी आबादी कही जाने वाली नारी शक्ति का स्वरूप वर्ष 2014 में श्रद्धेय श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू हुआ। जिस नारी शक्ति ने बैंक का मुंह नहीं देखा था उनको जनधन के खाते के तहत बैंक का रास्ता दिखाते हुए बचत करने का काम या चूल्हे पर रोटी सेंकती उस मां की आंखों के आंसू पोंछने का काम किया खुले में शौच से बचने के लिए शौचालय की उम्मीद लिए महिलाओं को इज्जतघर देने का काम अंधेरे मकान में बिजली की आशा की किरण के सपने संजोती नारी के सपने पूरे करने का काम किया, और बेटियों को मुफ्त शिक्षा देने का काम किया।

इसी क्रम को आगे बढ़ाने का काम प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कन्या सुमंगला योजना और सामूहिक विवाह योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, महिला हैल्प डेस्क, महिला साइबर सेल, एंटी रोमियो बल व महिलाओं को नौकरी व स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा आदि देने का काम किया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी का, जिसने मुझ जैसी गृहणी को आजादी के 75वें वर्ष में अलीगढ़ शहर विधान सभा क्षेत्र से टिकट देने का काम किया। मैं नतमस्तक हूँ अलीगढ़ शहर विधान सभा क्षेत्र के उन मतदाताओं को जिन्होंने आजादी के 75वें वर्ष में पहली बार महिला प्रतिनिधि को चुनकर देश की सबसे बड़ी विधान सभा में बोलने का अवसर प्रदान किया है। महोदय, मैं आपसे मांग करती हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में कोई कन्या महाविद्यालय नहीं है। अतः आजादी के इस अमृत महोत्सव पर मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक कन्या महाविद्यालय खुलवाने की घोषणा की जाये। मेरी विधान सभा क्षेत्र शहर की अलीगढ़ है जिसमें जाम की समस्या बहुत बड़ा कारण है।

मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से मांग करती हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में भिन्न-भिन्न जगहों पर चार एलिवेटेज पुल देने की कृपा करें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर मलखान सिंह के नाम पर बने जिला महाविद्यालय का उच्चीकरण कर डॉक्टरों की कमी पूरी करवाने का काम करें एवं डायलिसिस, एम0आर0आई0 तथा सी0टी0 स्कैन जैसी मशीनें दिलाई जायें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भूमि एवं भवन की कमी के कारण एक-एक भवन में तीन-तीन, चार-चार प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं जिसके कारण शैक्षिक गुणवत्ता नहीं आ पा रही है। अतः मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जिला प्रशासन एवं नगर विकास विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के लिए भूमि अथवा भवन दिलाने की कृपा करें। हार्डवेयर एवं मूर्तियों का उत्पादन करने वाला अलीगढ़ जो निर्यातक भी है, ऐसे अलीगढ़ शहर के विकास के लिए मैं सरकार से मांग करती

हूँ कि अलीगढ़ को प्रौद्योगिक नगरी का दर्जा प्रदान किया जाये एवं विकास प्राधिकरण की महायोजना में शहर को मिश्रित आबादी क्षेत्र घोषित किया जाये। धन्यवाद

***श्रीमती मीनाक्षी सिंह-**

माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं आपको और सदन में उपस्थित सभी सदस्यों को प्रणाम करती हूँ। मैं मीनाक्षी सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद बुलन्दशहर के 70 विधान सभा क्षेत्र खुर्जा से निर्वाचित होकर इस सदन में आई हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र खुर्जा विश्व प्रसिद्ध पॉटरी उद्योग के लिए जानी जाती है। आपने आज मुझे इस सदन में अपना विषय रखने का अवसर दिया जिसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपके माध्यम से मैं सदन के सभी निर्वाचित सदस्यों को इस सदन में चुनकर आने के लिए बहुत-बहुत बधाई देती हूँ और सभी को उज्जवल कार्यकाल के लिए अपनी शुभकामनायें देती हूँ। मैं अपेक्षा करती हूँ कि माननीय अध्यक्ष जी के कुशल मार्गदर्शन में हम सभी निर्वाचित सदस्यों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आज सदन के माध्यम से अपने यशस्वी और तपस्वी माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज को भी दोबारा मुख्य मंत्री बनने के लिए बहुत-बहुत बधाई देती हूँ और बहुत-बहुत शुभकामनायें देती हूँ। मैं महाराज जी को इस बात के लिए भी बहुत-बहुत बधाई देती हूँ कि उनके कुशल नेतृत्व में 37 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश में किसी एक ही दल ने दूसरी बार लगातार सरकार बनाई है।

माननीय अधिष्ठाता महोदया, आज का दिन महिला सशक्तीकरण विषय पर महिला सदस्यों को बोलने के लिए निर्धारित किया गया है। इस ऐतिहासिक पहल के लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाहे वह खेल का मैदान हो या अंतरिक्ष विज्ञान, चाहे वह सशस्त्र बलों की बात हो या प्रशासनिक और संवैधानिक पदों पर कार्य करने की बात हो, किसी भी क्षेत्र में महिलायें आज पीछे नहीं हैं, बल्कि हर क्षेत्र में महिलायें बढ़-चढ़कर सफलतापूर्वक अपनी भूमिका निभा रही हैं। किसी भी देश और समाज की प्रगति महिलाओं के सशक्तीकरण के बिना अधूरी है। आज मुद्दा महिलाओं के विकास का नहीं, अपितु महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का है। महोदया, जब-जब महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में अवसर मिले हैं, तब-तब महिलाओं ने अपनी एक अलग पहचान स्थापित की है। चाहे वह स्व0 सुषमा स्वराज जी हों या हमारी माननीय राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल जी, चाहे वह माननीय सुमित्रा महाजन जी हों या माननीय मीरा कुमार जी हों, चाहे वह माननीय निर्मला सीतारमण जी हों या माननीय स्मृति ईरानी जी, इन सभी ने हमारे देश और समाज के लिए अभूतपूर्व कार्य किये हैं और इन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई उसे इन्होंने बखूबी निभाया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महोदया, जब से हमारे देश और उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं, तब से महिला सुरक्षा एवं महिला सशक्तीकरण के लिए अभूतपूर्व कार्य किये गये हैं। महिला सशक्तीकरण की पहली शर्त महिला सुरक्षा उपलब्ध कराना है और जब से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी महाराज की सरकार आई है तब से प्रदेश में मातायें और बहनें अपने आपको काफी सुरक्षित महसूस करती हैं। आज उत्तर प्रदेश में महिलायें किसी भी समय कहीं भी सुरक्षित रूप से आ-जा सकती हैं। आज यह माननीय योगी जी के शासन की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के कारण ही सम्भव हो पाया है। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कई योजनायें चलाई गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनायें लागू की गई हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना में अब तक 13,66,000 बेटियां लाभान्वित हुई हैं। मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब तक 1,91,000 से भी अधिक कन्याओं का विवाह सम्पन्न हुआ है।

(इस समय अपराह्न 03 बजकर 41 मिनट पर अधिष्ठाता डॉ0 मंजू शिवाच पीठासीन हुईं)

और इस योजना के अन्तर्गत अनुदान 35 हजार रुपये से बढ़ाकर 51 हजार रुपये किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं, बालिकाओं को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करायी जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा अब तक एक लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करायी गयी है। हर घर शौचालय योजना के अन्तर्गत प्रदेश में अब तक लगभग 10 करोड़ 30 लाख शौचालयों का निर्माण हो चुका है। जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में लगभग दो करोड़ 14 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत गरीब महिलाओं को एक करोड़ 70 लाख निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना के अन्तर्गत अब तक लगभग 52 लाख 55 हजार मातायें लाभान्वित हुयी हैं।

महोदया, अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि घरों के मालिकाना हक के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली घरौनी परिवार की किसी महिला सदस्य के नाम होगी। सरकार का यह कार्य परिवार की महिला सदस्य को सशक्त करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अब तक इस प्रकार की 34 लाख से अधिक घरौनी वितरित की जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने हेतु 218 नये फास्ट ट्रैक कोर्ट, 81 मजिस्ट्रेट स्तरीय न्यायालय एवं 81 अपर सत्र न्यायालय की स्थापना करना महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण के लिए महत्वपूर्ण पहल है। योगी सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त महिला थाना या महिला चौकी की स्थापना की गयी है, जोकि महिला सुरक्षा के लिए

एक महत्वपूर्ण कदम है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत एक करोड़ नब्बे लाख बेटियों को अब तक जागरूक किया गया है। महोदया, अब तक दो लाख से अधिक महिलायें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। अब तक 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाकर एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं को जोड़ा गया है। जोकि मध्यम एवं गरीब परिवार की महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम है। मिशन शक्ति अभियान के तहत लगभग 09 करोड़ महिलाओं को अब तक जागरूक किया गया है।

महोदया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में अब तक लगभग एक लाख अस्सी हजार आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा चुके हैं। महिला सशक्तीकरण के लिए जितनी भी योजनायें भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा चलायी जा रही हैं उसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और मा0 प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का देश और प्रदेश की सभी महिलाओं की ओर से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और आज इस अवसर पर मैं मा0 अध्यक्ष जी का भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि उनके द्वारा महिलाओं के लिए सदन में एक दिन आरक्षित करने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है वह भारतीय राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा और भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।

महोदया, अब तक अपने छोटे से कार्यकाल में विधान सभा में ई-विधान लागू करने और महिलाओं के लिए एक दिन निर्धारित करने की जो नई पहल शुरू की गयी है इसके लिए मा0 अध्यक्ष जी धन्यवाद के पात्र हैं। विधान सभा की कार्रवाई को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जो प्रयास वह लगातार कर रहे हैं वह अत्यन्त सराहनीय है। हमें आशा है कि वह कार्यपालिका को विधान सभा कार्रवाई के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए तथा विधान सभा कार्यवाही के दौरान मा0 सदस्यगणों द्वारा क्षेत्रीय समस्याओं के तथ्यात्मक निराकरण के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही निर्धारित करने की दिशा में भी नयी पहल करेंगे और अन्त में मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।

***श्रीमती पूजा पाल-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा में एक दिन की कार्यवाही मा0 महिला सदस्यों को समर्पित किये जाने के इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रदेश की सभी महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलम्बन के प्रति मैं अपनी वाणी से इन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पंक्तियों से प्रस्तुत करना चाहूँगी। नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शोभा है घर की, जो उसे उचित सम्मान मिले, घर में खुशियों के फूल खिलें।

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार समाजवादी पार्टी के यशस्वी नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा तथा रोजगार के प्रति कटिबद्ध रही है, वह सभी लोग जानते हैं। सपा सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई सम्मान, 1090 महिला हेल्प लाईन, महिला पेंशन, कन्या विद्या धन, लैपटॉप, 108 एवं 102 एम्बुलेंस आदि ऐतिहासिक कार्य किये थे। आज भी प्रदेश की जनता किसी-न-किसी रूप में उसका लाभ ले रही है और उसका लाभ मिल रहा है। अभी हाल ही में आप सभी लोगों ने लखीमपुर खीरी की घटना को देखा है। दो सगी बहनें जो दलित समाज से आती थीं। वहीं के आपराधिक लोग उन दोनों बच्चियों को उनकी मां के सामने से अगवा कर ले जाते हैं और उन दोनों बच्चियों के साथ बलात्कार करके पेड़ की टहनियों पर रस्सी से बांधकर टांगने का काम करते हैं। प्रदेश में इस तरह की घटनाएं कहीं-न-कहीं इस सरकार को यह आईना दिखाती हैं कि आपकी करनी और कथनी में जमीन-आसमान का अंतर है।

वर्तमान सरकार महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है जिससे महिलाओं के साथ हो रहे अपराध में वृद्धि हुई है। राज्य अपराध का अभिलेख ब्यूरो के मई, 2022 के आंकड़े के अनुसार प्रदेश में बलात्कार के आंकड़ों में 600 अपहरण, 2700 पारिवारिक महिला उत्पीड़न, 4500 महिला उत्पीड़न आदि के आंकड़े प्रदेश सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं।

जनपद कौशाम्बी में मेरी चायल विधान सभा क्षेत्र पड़ती है। वहां एक एक-दो महीने के अन्दर एक 04 वर्षीय एवं एक 06 वर्षीय बच्ची के साथ दिनदहाड़े बलात्कार करते हैं और बहुत ज्यादा आंदोलन करने के बाद, सब कुछ करने के बाद तब जाकर उन लोगों को सहयोग मिलता है। मुझे यह कहने में संकोच नहीं होगा कि जिस तरह से सरकार महिलाओं पर बड़ी-बड़ी बातें करती है, बड़े-बड़े स्वप्न दिखाती है। सदन का आज का दिन महिलाओं के लिए समर्पित है तो मुझे यह कहने में संकोच नहीं होगा कि आपका जो मिशन शक्ति है वह पूर्ण रूप से विफल दिखाई दे रहा है और महिला शक्ति मिशन विफल है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ कि हम सभी विधायक जीतकर आये हैं और क्षेत्र की जनता हमें बड़ी आशा भरी निगाहों से देखती है। इसलिए हमें विजयी बनाकर सदन में भेजती है कि हम उनकी दबी-कुचली आवाज को सदन में उठा सकें। मैं अपनी चायल विधान सभा क्षेत्र की कुछ बातें रखना चाहूँगी। हमारे यहां बहुत बड़ी तादाद में बालू खनन का काम होता है और मुझे स्वयं मालूम है कि बालू सभी के जीवन में रोजमर्रा के काम में आने वाली वस्तु है।

मान्यवर, हमारा जो क्षेत्र है वह बालू से भरा है जिससे वहां पर आये दिन कोई-न-कोई अप्रिय घटनाएं होती हैं और वहां की जो सड़कें बनी हुई हैं वह भारी लोड होने की वजह से टूटने लगती हैं और इस वजह से दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं। दुर्घटनाओं की नजर से देखा जाये तो वहां पर कुछ ऐसे नियम बना दिये जायें जिससे जो बच्चे एवं छात्र-छात्राएं पढ़ने जाती हैं उनके साथ कोई घटना न हो। दूसरा, मैं इसी से संबंधित विषय रखना चाहूँगी कि सड़कों को बनाने का काम इस बात को ध्यान में रखकर किया जाये कि बालू को निकालने का काम तो किया जाता है लेकिन बहुत ज्यादा अवैध रूप से चलने के कारण वहां की सड़कें टूट जा रही हैं जिससे आये दिन कोई-न-कोई अप्रिय घटना होती रहती है जिससे हमारी महिलाएं, बालिकाएं और छात्राएं सभी लोग प्रभावित हैं। ज्यादा कुछ न कह कर मैं सदन के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगी कि उच्च शिक्षित महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार परक योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जाये। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगी और इस ऐतिहासिक अवसर पर मेरा इस सदन से भी निवेदन है कि विधान सभा में महिला सदस्यों द्वारा जो भी प्रश्न, याचिकाएं, नियम-51 और नियम-301 या नियम-311 के अन्तर्गत जनहित संबंधित जो भी प्रस्ताव सदन को दिया जाता है उस पर सशक्त कार्यवाही की जाये तभी महिला सशक्तीकरण का मिशन शक्ति कामयाब होगा क्योंकि हम सभी लोग नियम-51, 301 और 311 के अन्तर्गत प्रस्ताव बनाकर भेजते हैं मगर कहीं-न-कहीं इस सरकार का क्या रवैया है कि विपक्ष के होने के नाते क्षेत्र में अधिकारी हम लोगों को तवज्जो नहीं देते हैं। कोई भी विधायक अपना पर्सनल काम कराने के लिए नहीं जाता है, कहीं-न-कहीं विपक्ष के होने के नाते हम लोगों को काम ज्यादा पड़ जाता है। जबकि जिस जनता ने हमें जिताया है उसे हम ही लोग सुनने वाले हैं, यदि अधिकारी हम लोगों की बातों को तवज्जो नहीं देता है तो उससे हमें निराशा भी होती है और जनता को भी दिक्कत होती है जो हमसे उम्मीद और आशा लगाकर आते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करिए।

श्रीमती पूजा पाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह-**

माननीय अधिष्ठाता महोदया, सम्मानित मंत्रीगण एवं साथी विधायकगण, आज पहली बार उठकर सदन में बोल रही हूँ और माननीय अध्यक्ष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ...

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपना विचार रखने का मौका दिया। मिशन शक्ति पर आज चर्चा हो रही है जिससे महिला सशक्तीकरण के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री एवं भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री की सरकार ने पिछले 6 वर्ष में महिला सुरक्षा एवं सम्मान के लिए युद्धस्तर पर काम किया है। मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह योजना, सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी, स्वरोजगार परक योजनाएं के माध्यम से खासकर महिलाओं को जोड़ने की कोशिश हो रही है। महिला सशक्तीकरण क्या है और क्यों जरूरी है, इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है ताकि वह हमारे समाज में पीछे न रह जायें और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज में सिर उठाकर चलना सीखें।

महिला सशक्तीकरण का मुख्य लक्ष्य है महिलाओं को उनका वास्तविक अधिकार दिलाना। इस विषय में एक बहुत बड़ी समस्या लिंग भेद है। इस तस्वीर को बदलने के लिए हमारे प्रधानमंत्री एवं यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने हर कदम पर योजना चलाई है। इसमें से एक योजना है बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ। ये कहा जाता है कि महिला को पढ़ाओ तो आपको पूरा परिवार शिक्षित मिलेगा। आपको महिलाओं के लिए चलाई जा रही सारी योजनाओं की जानकारी एवं मदद भी मिलेगी। महिला हेल्पलाइन या महिला पुलिस स्टेशन, जहां पर महिला जा करके अपनी परेशानी निडर होकर बता सकती है। उज्ज्वला योजना में हर घर गैस पहुंचाने का काम किया गया और इससे महिला को केवल खाना बनाने में सुविधा ही नहीं हुई, बल्कि उसके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। हर घर शौचालय बना, यह गांव में इज्जत घर कहलाता है। पहले महिला बाहर दूर चलती थी और हर कदम पर खतरा रहता था, इसने इस समस्या को बिलकुल ही खत्म कर दिया। एण्टीरोमियो स्कॉट महिलाओं से छेड़खानी रोकने के लिए बनायी गयी और महिला आयोग भी है, जो कानूनी तौर पर जहां महिलाओं को जरूरत है, आपको मदद मिलती है।

कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म से लेकर शादी तक और मां बनने तक महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं चलायी जा रही हैं। लड़की के जन्म लेते ही परिवार सोचता था कि एक बोझ हम लोगों के ऊपर आ गया। इस गलत सोच को दूर करने के लिए हमारे मुख्य मंत्री जी ने बेटी के जन्म पर खाता खुलवा कर 2 हजार बेटी के नाम से किये हैं। एक वर्ष के टीकाकरण पूरा होने पर 01 हजार और स्कूल ज्वाइनिंग पर 02 हजार। ऐसे ही जब तक आपकी पूरी पढ़ाई खत्म न हो जाए, हर कदम पर पैसा आपके खाते में आता है। आखिर क्यों नहीं, आधी आबादी महिलाओं की है और इसे समझते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर जगह 33 प्रतिशत उनका आरक्षण करने की कोशिश की है। चाहे टीचर हो या शिक्षा मित्र, डॉक्टर, नर्स या आंगनबाड़ी, यहां तक देश की रक्षा के लिए आर्मी ने और एयर

फोर्स ने भी अपना दरवाजा महिलाओं के लिए खोल दिया है। भारत के सबसे ऊँचे पद पर एक महिला है। राष्ट्रपति मा0 द्रौपदी जी यहां पर आयी थीं और उन्होंने अपने सफर की कठिनाई हम लोगों के सामने रखी थी। कठिनाइयों को पार करके वह उस जगह पहुंची हैं। यू0पी0 की राज्यपाल मा0 आनन्दीबेन पटेल जी भी एक ऐसी ही उदाहरण हैं। यहां बैठी 47 महिला विधायक भी इस बात की प्रतिरूप हैं। अन्त में मैं हर महिला को बधाई देना चाहती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चलायी हैं, जिस वजह से अब एक आम महिला को अपने परिवार का भरण-पोषण करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। अपने बच्चों को स्वस्थ और शिक्षित करने में भी उसकी परेशानी दूर हो रही है। ये एक नई शुरुआत है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। यह सदन एक माध्यम है, जिसमें हम सब लोग मिलकर इस सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर हम सब लोग मिल कर इस सपने को आगे बढ़ाये ंतो इस देश की महिलाएं कहां तक पहुंचेंगी। भारत माता की जय।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

***डॉ0 रश्मि आर्य-**

धन्यवाद, माननीय अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले मैं अपनी पार्टी अपना दल (एस) की तरफ से आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, अखण्ड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल व संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन करती हूँ। 18वीं विधान सभा के इस दूसरे सत्र में आये प्रदेश के सभी निर्वाचित विधायकगणों को अपना दल (एस) की तरफ से मेरा प्रणाम व अभिनन्दन। अधिष्ठाता महोदय, मैं स्वयं एक महिला हूँ और मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मेरी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद एक महिला हैं। देश की तमाम महिलाओं के लिए हमारी नेता आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी एक रोल मॉडल की तरह हैं। उन्हें देखकर आधी आबादी हर्षित व प्रेरित होती है। अधिष्ठाता महोदय, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज देश की आधी आबादी के तौर पर जानी जाने वाली महिलाओं के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश विधान सभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया है। इसके लिए मैं अपनी पार्टी, अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अपनी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी की तरफ से अपना आभार व्यक्त करती हूँ।

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय जी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय यशस्वी नेता हमारे प्रधानमंत्री मा0 श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में इस साल पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज पूरा देश उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व क्रांतिकारियों को याद

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करके उनके त्याग और बलिदान की गाथा गा रहा है। इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर महिलाओं के लिए कई सरकारी योजनाएं लागू की हैं जिनके माध्यम से महिलाएं अपने पैर पर खड़ी हो रही हैं और इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिला को सशक्त करना व आत्मनिर्भर बनाना है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री मा0 योगी आदित्यनाथ जी की योजनाएं, मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना, बी0सी0 सखी योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना, मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना, मिशन शक्ति योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, फ्री टैबलेट स्मार्ट फोन योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, शक्ति मोबाइल, महिला हेल्प डेस्क व मिशन शक्ति, महिला अपरधों पर त्वरित कार्यवाही हो रही है। निश्चित ही यह सरकार महिलाओं के लिए अच्छा कार्य कर रही है और महिलाओं को सशक्त बना रही है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी मैं यह कहना चाहती हूँ कि ब्रिटेनिया हुकूमत के खिलाफ देश की आजादी के लिए हमारी मातृशक्ति ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। देश की आजादी के लिए समाज की अन्तिम पंक्ति में आने वाली महान वीरांगना ऊदादेवी पासी, वीरांगना झलकारीबाई कोरी, वीरांगना अवन्तीबाई लोधी, वीरांगना महावीर देवी, वीरांगना बेगम हजरत महल जैसी महान वीरांगनाओं ने ही अपना बलिदान दिया है। उस दौर में माता सावित्रीबाई फुले ने अपने झंझटों के बावजूद समाज में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए महान कार्य किये हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि 1857 की क्रांति की नायिका झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई जी का इतिहास वीरांगना झलकारीबाई के बिना अधूरा है। मैं कविता के माध्यम से झलकारीबाई के बारे में अपनी बात रखना चाहती हूँ। याद रहेगा झलकारीबाई का देश भक्ति बलिदान। झुकी नहीं पर झुका दिया, अंग्रेजों का पूरा नहीं किया अरमान, रण भूमि में लड़ी शान से, रण भूमि में लड़ी शान से। झांसी की वह झलकारी थी, लक्ष्मीबाई से करी मित्रता उसने खूब निभाई थी।

मा0 अध्यक्ष जी, 1857 की क्रांति के दौरान वीरांगना झलकारीबाई जी ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ कदम से कदम मिलाकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम किया। रानी लक्ष्मीबाई की रक्षा करते हुए वीरांगना झलकारी बाई जी ने अपने पति पूरन सिंह के साथ झांसी में अंग्रेजों से लड़कर शहीद हो गई थीं और इस कविता के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों को लड़ना सिखा गई, वह तो भारत की नारी थी। मा0 अध्यक्ष जी मैं सदन के माध्यम से कहना चाहती हूँ और अपनी पार्टी अपना दल (एस) की तरफ से इस सदन के जरिये मांग करती हूँ कि इन महान वीरांगनाओं की शीर्ष गाथा भी स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल हो और आने वाली पीढ़ी इन वीरांगना के शौर्य, पराक्रम व बलिदान के बारे में जाने और उनके गौरवशाली जीवन पर प्रकाश डाले। धन्यवाद।

श्रीमती महाराजी प्रजापति-

मैं पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ भईया अखिलेश जी को जिन्होंने हमें टिकट दिया। मैं सबको बधाई देती हूँ और मेरी यही मांग है कि हमारे पति को छः साल जेल में गए हो गए, लेकिन हमें कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है। हमारी यही मांग है कि हमारे पति को न्याय दिया जाये, क्योंकि इसमें वही केस, वही मुकदमा सबके ऊपर है, लेकिन चार लोगों को बरी करके छोड़ दिया गया और हमारे पति को सजा सुना दी गई। महिला का बयान कोर्ट में हुआ है, जज के सामने हुआ है, चार बार हुआ है, जिरह भी हो गई है, बयान भी हो गया है, लड़की का भी बयान हो गया, सबका बयान हो गया। हमको समझ में नहीं आता कि किस तरह हमारे पति को सजा सुना दी गई ? उसके बाद हमारे पति की तबियत भी खराब हो गई तो दो महीने के लिए उनकी बेल कराई गई। जज साहब ने सुनी, लेकिन सरकारी वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जा करके हमारी बेल खारिज करवा दी। हमारे पति की तबियत खराब है तो क्या हम उनकी दवा न कराएं, क्या हमारी बात नहीं सुनी जायेगी ? हम मा0 मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि हमारे पति को बेल दी जाये। हमारे पति से जो गलती हुई है, हम उसके लिए सबसे माफी मांग रहे हैं। हमारे पति के साथ न्याय करें। अभी हमें हमारे तीन बच्चों की शादी करनी है, हमको अपने दो लड़की और एक लड़के की शादी करनी है, लेकिन हम यह कैसे करें, कैसे न करें, क्योंकि हमारी तबियत खराब रहती है। हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं तो अब हम अपना दुःख किससे रोएं ? हम इस विधान सभा में अपना दुःख रो रहे हैं ताकि हमारी बात सुनी जाए, हमारे पति को बेल दी जाए, क्योंकि उसी केस में चार लोगों को बरी कर दिया गया, लेकिन तीन लोगों को किस बेस पर सजा सुना दी गई ? हम पढ़े नहीं हैं, इसलिए हम नहीं जानते हैं कि ये सब चीज क्या दिखाकर हो गई ? इसलिए हमारी सुनवाई हो, हमारे पति को बेल दी जाए, क्योंकि हमको अपने बच्चों की शादी करनी है। अगर तीन महीने पहले बेल दे दी जाती तो बच्चों की शादी हो जाती। मर-मर के हमारी यही ख्वाहिश है कि हमारी सुनी जाये।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्या, कोई बात नहीं, आप मा0 मुख्य मंत्री जी को अपनी बात लिखित में दे दीजिएगा।

श्रीमती महाराजी प्रजापति-

ठीक है, लेकिन महिला का बयान, बाकी सब कुछ हो गया है और हम सब कुछ यहां पर लेकर भी आये हैं।

श्री अधिष्ठाता-

नहीं, यहां पर नहीं, आप मा0 मुख्य मंत्री जी को दे दीजिएगा या मा0 अध्यक्ष जी को उनके कार्यालय में दे दीजिएगा।

श्रीमती महाराजी प्रजापति-

अब अगर हमारी यहां पर सुनवाई नहीं होगी तो फिर कहां सुनवाई होगी ? हम अपना दुःख यहीं पर रो सकते हैं। हम बहुत दुःखी हैं, हम यह सब पांच-छः साल से झेल रहे हैं और हम बहुत ज्यादा दुःखी हैं। हम बैकवर्ड हैं, प्रजापति हैं, इसीलिए हमारी नहीं सुनी गई। हमारे पति को सजा हो गई तो हम कहां जाएं, किससे न्याय मांगें ? आज हमको यहां पर एक मौका मिला है तो हम यह कह रहे हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए, हमारे पति की बेल होनी चाहिए। डॉक्टर साहब हमारे पति को दवाई के लिए भेज रहे थे कि कम से कम उनको एडमिट करा दिया जाए। डॉक्टर साहब ने लिखा है, सब चीज लिखी है, लेकिन जेल से आर्डर नहीं हो पाया कि उनको एडमिट करवा दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, आप इस पर अपना पत्र दे दीजिएगा, उस पर मा0 मुख्य मंत्री जी को या मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी विचार कर लेंगे।

श्रीमती महाराजी प्रजापति-

हम बहुत ज्यादा दुःख से गुजरे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम बहुत छोटे से थे, जब तीन महीने के थे, तब ही हमारी माता जी खत्म हो गई थीं, तब से लेकर हमको बहुत ज्यादा दुःख हुआ है।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इस पर हम बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ सोचेंगे, आज सदन में महिलाओं के लिए विशेष दिवस है और आपकी बातों को देखा जाएगा।

श्रीमती महाराजी प्रजापति-

मान्यवर, हमारी बात की सुनवाई की जाए, बस हमारा यही अनुरोध है। हमारी यही अपील है कि हमारी बात को स्वीकार किया जाए और हमारे पति को बेल दे दी जाए।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, श्रीमती कृष्णा पासवान जी।

***श्रीमती कृष्णा पासवान-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महिला सशक्तीकरण पर बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपकी आभारी हूँ। साथ ही मैं हमारे बहुत ही कर्मठ और संघर्ष करने वाले मा0 विधान सभा अध्यक्ष जी की भी आभारी हूँ कि उन्होंने हम महिलाओं के लिए आज 22 सितम्बर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का दिन निर्धारित किया। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान एवं उनके स्वावलम्बन के प्रति संवेदनशील उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति के नाम से योजना का संचालन किया है। उसके अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार को महिला सशक्तीकरण से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सबको प्रभावित करके देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश की छवि बदलने में कामयाबी मिली है।

विगत साढ़े पांच सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान को सुरक्षित करते हुए उन्हें स्वावलम्बी बनाने में व्यापक स्तर पर कार्य किया है।

कन्या सुमंगला योजना, मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह की योजना इसके पहले भी मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह होते थे, लेकिन 20 हजार रुपए के लिए गरीब, मजदूर, दलित दर-दर की ठोकरें खाते थे और 20 हजार रुपए भी कभी उनको मिलता था और कभी नहीं भी मिलता था और समाज कल्याण विभाग से घूमकर वापस चले जाते थे। पर मैं बधाई दूँगी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी को कि मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना लाये जिसके अन्तर्गत गरीब, दलित, कमजोर परिवार की बच्चियों की शादी एक साथ बड़े अच्छे ढंग से की जाती है और मुझे लगता है कि सदन में बैठे इधर के विधायक हों या उधर के विधायक हों, सभी लोग ब्लॉकों में जाकर मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह करवाते हैं। यहां हमारी कुछ बहनें कह रही थीं कि पैसा समय से नहीं जाता है, 6-6 महीने हो जाते हैं मुझे लगता है कि 4 से 6 या 10 दिन के अन्दर सीधे बच्चियों के खाते में पैसा पहुंच जाता है। इसी तरीके से मिशन शक्ति जन कल्याण योजना के सम्बन्ध में बताना है कि ग्रामवासियों को ग्राम में, ग्राम पंचायतों में प्रोत्साहित करने हेतु महिलाओं के द्वारा स्वयं सहायता समूह खोलकर, आशा बहनों को लाकर, आंगनबाड़ी कर्मचारियों को बुलाकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है।

कहा जाता है कि जब से देश आजाद हुआ था तब से कभी हमारी बहनें घर की मालकिन नहीं हो पाई थीं, लेकिन मैं बधाई दूंगी उत्तर प्रदेश के अपने यशस्वी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि महिलाओं के नाम पर राशन कार्ड बनवा करके महिलाओं को घर की मुखिया बनवाया और उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास और मुख्य मंत्री आवास योजना का लाभ यदि दिया जायेगा तो बहन के नाम पर ही दिया जायेगा। बैंकों में कभी हमारी बहनें नहीं जा पाती थीं, मैं बधाई दूँगी अपनी सरकार को माननीय मुख्य मंत्री जी को कि महिलायें ही क्या यहां तो एस0सी0, दलित, कमजोर तबके के पुरुष भी बैंक नहीं जा पाते थे, पर मैं बधाई दूँगी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने बी0सी0 सखी बनाई और उनकी सहायता से हमारी महिला समूह की बहनें बैंक तक जाकर खाता खुलवाती हैं। बी0सी0 सखी जो बहन हैं उसको 4 हजार रुपए प्रतिमाह मिलता है और अच्छा काम करने पर उनको प्रोत्साहन भी मिलता है। हमारी बहनें आज महिला समूह के माध्यम से गांव से बाहर निकली हैं। गांवों में हर ग्राम सभा में कम-से-कम 10-10, 20-20 महिला समूह खुले हुए हैं। हमारे हर घर की महिला घर से बाहर निकली है, जो आंगन के अन्दर रहती थी, डेहरी के

बाहर नहीं निकल पाती थी, पर्दा करके रहती थी, जब से देश आजाद हुआ था, तब से बहुत सी सरकारें आई थीं, लेकिन कभी महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति किसी ने नहीं सोचा था।

मैं बधाई दूँगी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी को कि महिलाएं अब घर से बाहर निकाल करके समाज में पूरी भागीदारी कर रही हैं। जहां नौकरियों की बात आती है, हम लोग विधायक हैं और मेरे विधायक रहते हुए पहले भी सरकारें होती थीं, पूर्ववर्ती सरकारें हुआ करती थीं मैं पहले वर्ष 2002 में भी विधायक रही हूँ पूर्व की सरकारों में क्या होता था कि भर्ती के लिए एक व्यक्ति के यहां से पूरी लिस्ट आ जाती थी यदि शिक्षा विभाग में, तहसील में या राजस्व विभाग में भर्ती होनी होती थी तो 15 से 20 लाख रुपया लगता था। आज यशस्वी मुख्य मंत्री मा0 योगी आदित्यनाथ जी ने एकदम साफ व्यवस्था कर दी है अब किसी को पता भी नहीं चलता नियुक्तियां हो जाती हैं और कहीं किसी को एक पैसा भी नहीं देना पड़ता है। हम लोगों ने अपने-अपने जिलों में अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर स्वयं दिये हैं।

(इस समय सायं 04 बजकर 17 मिनट पर अधिष्ठाता के रूप में श्रीमती अनुपमा जायसवाल पीठासीन हुईं)

अगर शिक्षा विभाग में ज्वाइनिंग लेटर सौ अध्यापकों को दिया गया है तो उसमें 60 महिलाएं रही हैं। उनको कहीं जाकर यह नहीं मांगना पड़ा कि हमको रोड पर विद्यालय चाहिए, हमको यहां पर विद्यालय चाहिए। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को इसके लिए बधाई दूंगी कि यहां से सीधे लेटर चला गया कि फलां विद्यालय में इस बहन की पोस्टिंग है। इस तरह से उत्तर प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारी सरकार काम कर रही है।

मैं छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों के कुपोषण के बारे में कहना चाहूँगी कि उन्हें एनीमिया बहुत हुआ करता था जिस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था, अब हमारी आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से ऐसा हो रहा है। जो गोद भराई के लिए बड़े-बड़े घरों में होता था जिसे कहें कि दही-भात चढ़ेगा तो बड़े-बड़े घरों में दही-भात चढ़ाया जाता था। बड़े घरों में महिलाएं जानती थीं कि आज दही-भात चढ़ेगा और उनके मायके से सब कुछ आता था। इसके लिए मैं आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी को बधाई दूँगी कि वह गरीब, दबी-कुचली महिलाएं जो गर्भवती बहनें हैं, चाहे जो भी हों, उनकी गोदभराई सरकार करती है, विधायक करते हैं, मंत्री करते हैं, सब जाकर उनकी गोदभराई करते हैं। गोदभराई में जो डलिया जाती है, उसमें उनके खाने के लिए चीजें रहती हैं जिससे जच्चा-बच्चा स्वस्थ रहें। इसी तरह से मैं बताना चाहूँगी कि जहां पुलिस विभाग में पूर्व में यह होता था कि कोई घटना हो गयी तो कोई पुलिस महिला नहीं आयी है और वह हमारे घर में घुस गये हैं, बहन से बात कर रहे हैं, महिला से बात कर रहे हैं।

आज मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दूँगी कि चाहे पुलिस क्षेत्र में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे होमगार्ड में हो, चाहे चौकी हो या थाना हो,

प्रत्येक थाने में महिला पुलिस आज है। कहीं किसी महिला के साथ घटना होती है तो उसमें महिला पुलिस ही जाती है। मैं बधाई दूँगी कि हर क्षेत्र में 30 परसेण्ट की बात करते थे, आज हमारी सरकार 60 परसेण्ट, 70 परसेण्ट महिलाओं की भागीदारी दे रही है। मैं अन्त में कहना चाहूंगी कि मुझे खुशी है कि आजादी के बाद खासकर भाजपा शासनकाल में बेटियों एवं महिलाओं के प्रति समाज का नजरिया बदला है और बदलना भी चाहिए। बेटियां भी अथक प्रयास करके सभी क्षेत्रों में अपना कीर्तिमान हासिल कर रही हैं। इस संदर्भ में मैं आपके प्रति 4 लाइनें प्रस्तुत करूँगी-

'अब तो विधान सभा का मान बढ़ा रही हैं बेटियाँ,

अब तो हवाई जहाज उड़ाकर आसमां तक पहुंच रही हैं बेटियाँ,

अब तो भारतीय सेना में कमान संभाल रही हैं बेटियाँ,

अब तो मां-बाप की अर्थी को कन्धा लगाकर श्मशान तक पहुंचा रही हैं बेटियाँ।'

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मत्री जी को और विधान सभा अध्यक्ष जी को बहुत-बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद। भारत माँ की जय!

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज इस उत्तर प्रदेश की विधान सभा का ऐतिहासिक दिन है। देश में कभी भी यह परम्परा नहीं रही कि किसी भी सदन में महिलाओं के प्रति एक दिन समर्पित किया जाय। हम सबके लिए बड़ा गौरवशाली दिन है कि आज हम सब इस सदन के सदस्य के रूप में यहां बैठे हैं और इसके प्रत्यक्षदर्शी बने हैं। इसके लिए मैं माननीय विधान सभा अध्यक्ष महोदय जी का, माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, सभी दलों के नेता और सभी सम्मानित सदस्य जो इस सदन में हैं, को मैं बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद देती हूँ कि इस स्वर्णिम अवसर को यथार्थ में बदलने में आज आप सबका सहयोग रहा, बहुत-बहुत आभार। 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' यानि जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी महान हैं। भारत की संस्कृति और सभ्यता आदिकाल से ऐसी रही है जहां पर स्त्री को आदि शक्ति के रूप में पूजा गया। मां भगवती नौ रूप धारण करती हैं और उनका हर रूप त्याग, तप, तपस्या, संघर्ष, ज्ञान, सम्मान, अत्याचार का पतन करने वाली, राक्षसों का वध करने वाली से लेकर शिक्षिका के रूप तक में उनको पूजा गया है। स्त्री ईश्वर का बनाया हुआ वो रूप है जो सृष्टि में इस संसार की संरचना करती है। पुरुष प्रधान समाज की परिकल्पना का स्रोत भी नारी है। अगर स्त्री का एक रूप चण्डी है जिसने राक्षसों का वध किया तो दूसरा रूप यशोदा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी है, जो वात्सल्य का रूप है। इसी धरती पर गार्गी भी हुईं, अहिल्या भी हुईं, सबरी भी हुईं और त्याग की प्रतिमूर्ति मां सीता भी हुईं।

अगर हम आज की बात करें तो रानीलक्ष्मी बाई, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जैसी वीरांगनाएं भी इसी धरती पर हुईं जिन्होंने देश और समाज की रक्षा के लिए अपने जीवन तक को न्यौछावर कर दिया। राजनीति की बात करें तो इसी देश में हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इन्दिरा गांधी हुईं, जो मेरी आदर्श भी हैं। बहुत-से प्रधानमंत्री दुनिया का इतिहास बदलते हैं। इंदिरा गांधी एक ऐसी महिला थीं जिसने बांग्लादेश बनाकर इस दुनिया का भूगोल बदलकर रख दिया। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी हुईं और आज हमें गर्व है कि द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में हमारी दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। गर्व का विषय है कि इस प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। पूरे देश में पहली महिला मुख्य मंत्री अगर किसी ने दिया तो उत्तर प्रदेश की धरती ने सुचेता कृपलानी के रूप में दिया और 04 बार इसी प्रदेश की अगुवाई सुश्री मायावती जी ने की। इसी धरती पर महादेवी वर्मा, लता मंगेशकर, सरोजनी नायडू, ओलम्पिक और कॉमनवेल्थ में पी0वी0 संधू, मैरीकाम जैसी महिला खिलाड़ियों ने देश का परचम लहराया है। आज भारत की बेटियां चाहे फाइटर प्लेन उड़ाना हो या सेना में देश की सुरक्षा करनी हो, हर जगह आगे हैं। मैं मानती हूँ कि महिला सशक्तीकरण की अगर हम बात करें तो प्रमुख 03 चीजें हैं, सुरक्षा, स्वावलम्बन, सम्मान और शायद आज का यह सत्र इसी उद्देश्य से रखा गया है। एक तरफ महिला अपने संघर्षों को अपनी चुनौतियों को स्वीकार करके रोज आगे बढ़ती हैं, किन्तु आवश्यकता है वास्तविकता को जानने की। सुरक्षा जो सबसे बड़ा मुद्दा है अगर बेटियां सुरक्षित होंगी तभी आगे बढ़ेंगी।

मान्यवर, मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूँ। अभी पिछले महीने इस देश के कानून मंत्री ने एक पत्र देश के सभी चीफ जस्टिसेज को लिखा और उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि जितने भी मुकदमे महिलाओं के प्रति अपराध के लम्बित हैं, यह गम्भीर विषय है और उन्होंने यू0पी0 की स्थिति पर अपनी सबसे ज्यादा चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 13 लाख 81 हजार मामले लम्बित हैं। इस पर मैं पूरे सदन का ध्यान आकर्षण चाहती हूँ कि इन लगभग 13 लाख मुकदमों में 9 लाख 38 हजार मामले केवल उत्तर प्रदेश में लम्बित हैं। यानि महिलाओं के प्रति 70 प्रतिशत अपराध के मामले केवल उत्तर प्रदेश में लम्बित हैं। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध में अगर सजा समय से नहीं मिलेगी तो अपराध कभी रुक नहीं सकता। इसकी वजह क्या है ? मैं तो इसके साथ-साथ अपना सुझाव भी रख रही हूँ कि अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जहां पॉक्सो ऐक्ट में और महिलाओं के प्रति अपराध पर सुनवाई हो रही है, अगर वह पर्याप्त नहीं है तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए और कोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए, उनकी संख्या को बढ़ाना चाहिए। पर एक गम्भीर विषय और है कि पूरे देश में

जो माननीय न्यायाधीशों की संख्या है, उसमें केवल 11.5 प्रतिशत महिला जज हैं और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में केवल 4 जज महिला हैं। मैं तो यह कहूँगी कि हर जगह जहां पर हम महिला सशक्तीकरण और उनको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सबसे जरूरी है कि जहां से हमें जुडीशियरी में न्याय मिलना है, वहां पर भी महिला का प्रतिनिधित्व बनना चाहिए।

आज अगर एन0सी0आर0बी0 के डेटा की बात करें, लगातार जब से हम इस सदन में बैठे हैं, बहुत सारी बातें महिला सशक्तीकरण की हुईं। महिला सुरक्षा को ले करके जो सरकार की योजना है, उस पर चर्चा हुई, पर जो वास्तविक आंकड़े हैं, वह मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। देश में रेप, गैंग रेप और दहेज हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर है। 2021 में महिला अपराध में 56 हजार 83 मामले दर्ज किये, इसके पहले 2020 में 49 हजार मामले दर्ज हुए और सबसे गम्भीर बात यह है कि जिस उत्तर प्रदेश की राजधानी, लखनऊ में आज हम बैठे हैं, एन0सी0आर0बी0 के मुताबिक देश के जो 6 सबसे ज्यादा असुरक्षित शहर महिलाओं के लिए हैं, उनमें छठे नम्बर पर लखनऊ है। ये गम्भीर चीजें हैं और हम सब आज महिला सशक्तीकरण के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। हम महिला सुरक्षा पर बात कर रहे हैं, तो मेरे लिए आवश्यक है कि केवल हम सरकार की आलोचना नहीं करना चाहते, पर हम सरकार को आइना दिखाना चाहते हैं कि यह वास्तविकता है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। साइबर क्राइम की अगर बात करें, कल सदन में चर्चा हुई, साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा अगर पीड़ित कोई होता है तो महिलायें होती हैं, खासकर एडोलसेंट लड़कियां होती हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अब समाप्त करें, अभी बहुत लोगों को बोलना है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अधिष्ठाता जी, अभी तो शुरुआत की है। हमारे उधर के बहुत से वरिष्ठ सदस्यों ने 20-20 मिनट बोला है तो आधा समय मुझे भी मिलना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

सभी के लिए समय निर्धारित है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

महोदया, सरकार हेल्प डेस्क जो बना रही है, साइबर क्राइम से पीड़ित महिलाओं के लिए भी हेल्प डेस्क की बात रखनी चाहिए। स्वावलम्बन की बात की गई। आज सदन में बड़ी-बड़ी योजनाओं की चर्चा हुई और बड़ी-बड़ी जिक्र हुईं, पर एक भारतीय नारी ऐसी है कि जो खेत में भी काम कर लेती है और घर की रसोई भी संभालती है, देश की सुरक्षा भी कर लेती है। व्यापार भी करती है और खेल के मैदान में बाजी भी मारती है। अन्तरिक्ष की उड़ान

भी भरती है पर अगर महिला को सुरक्षित और सशक्त बनाना है तो उसको स्वावलम्बी बनाना पड़ेगा। हमने बहुत सारी योजनायें घोषणा-पत्र में देखी और सुनी मुझे खुशी होगी कि अगर वह योजनायें पूरी ईमानदारी से चालू हो जायें। प्रदेश में केवल 60 प्रतिशत महिलाओं की शिक्षा दर है सबसे पहले महिलाओं की शिक्षा दर को बढ़ाना होगा। इसके लिए बेटियों की जो मुफ्त शिक्षा की योजना है उसको पूरी दृढ़ता से लागू करना होगा।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अब अपनी बात को समाप्त करिये।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, बस थोड़ा सा और। कांग्रेस पार्टी के घोषणा-पत्र में था कि हम स्मार्ट फोन देंगे, स्कूटी देंगे। चुनाव के पहले सरकार के घोषणा-पत्र में आ गया कि हम लोग स्कूटी दे देंगे। बहुत-सी लड़कियां बाहर मिलती हैं, पूछती हैं सरकार तो बन गई स्कूटी कहां है तो आपने घोषणा-पत्र में स्कूटी की योजना लिखी थी उसको भी नहीं दिया। यू0पी0एस0सी0 समेत सभी भर्तियों में आपने घोषणा की थी कि महिलाओं की भागीदारी दुगुनी की जायेगी पर अभी-भी जब आप नौकरी नौजवानों को नहीं दे पा रहे हैं तो महिलाओं की बात तो छोड़ ही दीजिये। होमगार्ड की भर्ती में 20 प्रतिशत रिक्त पदों पर महिलाओं की भर्ती होने की बात कही थी सरकार ने। 25 हजार का वायदा किया था, आपने कन्या सुमंगला योजना में यह घोषणा की थी अभी-भी वह 15 हजार है बढ़ा नहीं है। मैं आज इस सदन में प्रस्ताव लाना चाहती हूँ जिसको मैंने कई बार इस सदन में उठाया है। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण नौकरी में मिलना चाहिए उसी वर्ग की महिला को जिस वर्ग का आरक्षण है, हॉरिजेंटल आरक्षण की बात कर रही हूँ और मैं सभी से अनुरोध करूँगी कि जो भी महिला सशक्तीकरण की बात करते हैं, महिलाओं के स्वावलम्बन की बात करते हैं आज इस सदन में क्या ये पास करेंगे कि 33 प्रतिशत का आरक्षण उसी वर्ग की महिलाओं को मिलना चाहिए। मैं अनुरोध करूँगी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की विधान सभा से जाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है माननीय सदस्य आप अपनी बात को समाप्त करिये।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, 2 मिनट का और समय दे दीजिये। आपने महिला सशक्तीकरण की बात करी। महिला सशक्त तभी हो सकती है जब उसके लिए जो कानून बन रहा हो उसमें उसको भागीदारी मिले और वह तभी हो सकता है जब वह इस सदन में चुन

करके आयें। आज 403 सदस्यों में केवल 47 महिला सदस्य हमारे बीच में हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आखिर इसके लिए क्या तैयारी की है इन्होंने कि महिला सदस्यों की संख्या बढ़े। पंचायत राजनीति की नर्सरी होती है। मैं भी ब्लाक प्रमुख 3 बार रही हूँ और उसके बाद विधान सभा सदस्य चुनकर आई हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अब अपनी बात समाप्त करिये।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, थोड़ा और समय दे दीजिये। 33 प्रतिशत आरक्षण पंचायत में स्वर्गीय राजीव गांधी जी ले करके आये थे और उसी की वजह से आज पंचायत में 33 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है। मैंने कई बार सदन में इसको उठाया है। हमारे नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने देश की संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव संसद में रखा था।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अब आप अपनी बात को समाप्त कर दें। अब मैं बुला रही हूँ, श्रीमती सरिता भदौरिया जी को।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, सिर्फ 2 मिनट का समय और लूंगी। क्या उत्तर प्रदेश सरकार विधान सभा के सदस्यों को चुनने के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सदन में लायेगी।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, केवल 1 मिनट का समय दे दीजिये। मैं यह सवाल पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा से यह प्रस्ताव यह सरकार भेजेगी या नहीं, अन्त में मैं सिर्फ इतना कहकर अपनी बात को समाप्त करती हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें, अब मैं अगली मा0 सदस्या का नाम पुकार रही हूँ। (सदस्या श्रीमती सरिता भदौरिया का नाम पुकारे जाने पर)

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, मैं केवल दो सुझाव देकर अपनी बात को समाप्त कर रही हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

मैडम 8 मिनट से 15 मिनट का समय हो गया है, अब मैंने मा0 सदस्या का नाम पुकार लिया है।

(सदस्या श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' एवं श्रीमती सरिता भदौरिया के एक साथ बोलने पर व्यवधान।)

***श्रीमती सरिता भदौरिया-**

माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं आपके माध्यम से आज विधान सभा अध्यक्ष को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने हम बहनों को सदन के अन्दर अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करने का काम किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी के आदेश से निश्चित ही आज इस ऐतिहासिक क्षण के अवसर पर हम सब अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं, सरकार की योजनाएं और अपनी कठिनाइयों के बारे में जिक्र जरूर करेंगे। सरकार वही सफल होती है, जो अपने देश और प्रदेश के वातावरण को बदलने का काम करती है। मैं यहीं से प्रारम्भ करती हूँ, हमारी सरकार ने जहां अपनी योजनाओं के माध्यम से सरकार के काम करने के तरीके विपक्ष के लोगों को सिखाने का काम किया है, वहीं सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के माध्यम से लोगों को बताने का काम भी किया है कि किस तरीके से हम बहनों की सुरक्षा करना जानते हैं और कानून-व्यवस्था के माध्यम से उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षित और संरक्षित करने का काम करना जानते हैं। हमारी सरकार ने बहनों को रक्षाबन्धन के अवसर पर फ्री बस सेवा देकर यह साबित करने का काम किया है कि हम उन गरीब बहनों के साथ खड़े हैं, जो रक्षाबन्धन के पर्व पर अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए अपने मायके जाना चाहती हैं। उन्होंने साबित किया है कि जहां उत्तर प्रदेश में धार्मिक वातावरण बना है, हमारी काशी, मथुरा और अयोध्या का उद्धार हो रहा है वहीं हम उत्तर प्रदेश की संस्कृति और संस्कारों के संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।

हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत् 1 करोड़ 70 लाख निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर हमारी गरीब बहनों के आंसू को पोंछने का काम किया है। कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से 13 लाख 67 हजार बेटियों को 15 हजार, 6 चरणों में देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। पहले भी विवाह, सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से होते थे, लेकिन आज जिस तरीके का वातावरण हम लोगों के क्षेत्रों में बनता है। विवाह की जो अनुपम छटा होती है, गरीब के चेहरों पर जो प्रसन्नता होती है, इस प्रकार से बेटियों के कन्यादान करने का अवसर जो हम सबको मिलता है वह सरकार की इच्छाशक्ति को जाहिर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करने का काम करता है। अभी हमारी बहन कह रही थीं कि हम जिस घर की सेवा करते हैं पूरे दिन उस घर के सामने हमारी नेम प्लेट तक नहीं होती है।

मैं बधाई देना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने घरौनी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की बहनों को घर के बाहर अपने नाम की तख्ती लगाने का अधिकार दिया है और यह सम्मान दिया है कि हम उस घर की मालकिन के रूप में घर में रहने का काम करेंगे। हमारी जो निराश्रित बहनें हुआ करती हैं उनकी भी पेंशन को सरकार ने बढ़ाकर 1 हजार रुपये करने का काम किया है। पी0एम0 स्वनिधि योजना के तहत दो लाख महिलाओं को लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया है। जहां हमारे थाने, हमारी महिला चौकियां, हमारी हेल्प डेस्क महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं वहीं एक अच्छा वातावरण हमारी सरकार ने हमारी बेटियों को अभ्युदय योजना के माध्यम से देने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि अब बेटी परिवार की व्यवस्था की मोहताज नहीं है, अगर उसके अन्दर क्षमता और काबिलियत है तो वह अभ्युदय योजना के माध्यम से कोचिंग प्राप्त करके अपनी प्रतिभा और क्षमता को प्रदर्शित कर सकती है और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकती है।

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, अब मैं बात करना चाहूंगी कानून-व्यवस्था के विषय पर पिछली सरकारों का जो आलम था। मैं किसी भी सरकार पर कटाक्ष नहीं करना चाहती, मैं इधर की बात पक्ष के रूप में और उधर की बात विपक्ष के रूप में नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगी कि भविष्य में कभी दसियों, बीसियों साल बाद ईश्वर इन्हें मौका दें तो इन्हें याद रखना चाहिए कि सरकारें कैसे चलायी जाती हैं और सरकार चलाने के बाद महिलाएं सुरक्षित कैसे रखी जाती हैं ? हमारी विधान सभा क्षेत्र में एक गांव इदगांव है, जहां पर प्रदीप तिवारी के परिवार की महिलाओं के मुंह में कालिख लगाकर, गले में जूता डालकर निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाने का कार्य किया गया था और आज वही लोग सदन में, इस सरकार में महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो सूरज पर थूकने का काम कर रहे हैं। महिलाएं किसी की मोहताज नहीं हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि 'मिटा सके जो हमको, जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं।' हम अपना अधिकार पाना जानते हैं, हम अपनी सुरक्षा प्राप्त करना जानते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, अब अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती सरिता भदौरिया-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं अपनी बहनों से केवल इतना कहना चाहती हूँ कि संघर्ष के माध्यम से अपने रास्ते को तय करने का काम करें। 'सीढ़ियां उनके लिए हैं, जिन्हें

मंजिल तक जाना है, और सितारे हैं जिनकी मंजिल, उन्हें तो पथ आप बनाना है, उन्हें पथ आप बनाना है।'

हम अपना रास्ता खुद तय करेंगे। कोई भी हमारा रास्ता तय नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरीके का वातावरण उ0प्र0 के मुख्यमंत्री एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लोगों को देने का काम किया है, वह निश्चित ही इस आधी आबादी के लिए बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है अन्त में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार के एक विधायक के रूप में काम करते हुए हम केवल इतना ही संकल्प लेते हैं कि 'कुरु क्षेत्र में खड़े पार्थ को हम समझाने निकलेंगे, घायल पड़े जटायु को हम गोद उठाने निकलेंगे, हम निकलेंगे सबरी की कुटिया में दीप जलाने को, और दीन-दुखी निर्धन, निर्बल को, उनका अधिकार दिलाने को।' हम अधिकार मांगने नहीं आये हैं।

श्री अधिष्ठाता-

धन्यवाद मा0 सदस्य, श्रीमती अलका सिंह जी।

श्रीमती सरिता भदौरिया-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, हम कर्तव्य की पराकाष्ठा तक ले जाकर, संघर्ष की पराकाष्ठा करते हुए उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार को संबल देने का काम करेंगे और हमारी सभी बहनें इस बात का संकल्प लेकर जाएंगी कि 'व्यर्थ है करना खुशामद रास्तों की, पांव अपने ही सफर में काम आयेंगे।' मैं अन्त में आपको केवल इतना कहना चाहती हूँ कि हम लोग 'भारत माता की जय' यूं ही नहीं बोलते, भारत कोई मिट्टी का बना हुआ टुकड़ा नहीं है। 'हम भारत माता की जय' इसलिए बोलते हैं कि हम माता के रूप में अपने देश को देखते हैं और जब हम जय बोलने का काम करते हैं, तो भारत के लिए सुख-समृद्धि, संस्कृति और संस्कारों की पराकाष्ठा तक संकल्प लेने का काम करते हुए भारत माता की जय बोलने का काम करते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

श्रीमती अलका सिंह जी। आपके पास चार मिनट का समय है। आदरणीय सदस्य, आप उसी में अपनी बात को समाप्त करिए।

***श्रीमती अलका सिंह-**

माननीय अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। महिला सशक्तीकरण की बात हो रही है, तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मा0 मुख्य मंत्री जी और अपने संगठन का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उस समाज से आती हूँ, जिसे 70 वर्ष लग गए इस सदन की यात्रा करने में। मैं अर्कवंशी समाज से आती हूँ, जिसकी पूरे प्रदेश में 65-70 लाख आबादी है। वो लोग जो इस सदन में बैठकर पिछड़ों की बात करते हैं, 70 साल लग गये उन्हें अपने भाई-बिरादरी को ढूंढ़ने में, उस अर्कवंशी समाज को ढूंढ़ने में और आज उस समाज की मैं पहली महिला हूँ, जो मैं यहां पर विधायक बनकर खड़ी हुई हूं। (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) इसके लिए अपने संगठन को धन्यवाद देती हूँ।

जो लोग मेरे मा0 मुख्यमंत्री जी पर उंगली उठाते थे, क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं। जन्म किसी का कहीं भी हो सकता है, उन्हीं क्षत्रिय और ठाकुरों ने एक ऐसे समाज को ढूंढ़ा, जो 70 साल तक अपने संघर्ष की लड़ाई स्वयं लड़ रहा था। मैं उस समाज से आयी हूँ और मा0 मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उस समाज को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया। उस समाज के करीब 65 से 70 लाख लोगों को एक पहचान दी कि अर्कवंशी उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं और बहुत बड़ी तादाद में निवास करते हैं। बात हो रही है पिछड़ों की, बात हो रही महिलाओं की, बात हो रही आरक्षण की।

मा0 महोदया, मैं कुछ चीजें लिखकर नहीं लाई हूँ, मैं यथार्थ की बात करना चाहती हूँ। यथार्थ ये है कि मैं पहली बार इस सदन में आई, यहां पर मा0 राज्यपाल महोदया बोल रही थीं। एक पिछड़ी बिरादरी की औरत, उत्तर प्रदेश में पिछड़ी सिर्फ एक बिरादरी को समझा गया, वो महिला जिस समय इसी सदन में बोल रही थीं, तमाम पुरुष उनका जिस तरह से विरोध कर रहे थे, उस समय मुझे बहुत रोना आ रहा था, मैं बहुत भावुक हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि शायद मैं जीतकर आई हूँ और मेरे साथ ये टिप्पणियां की जा रही हों। लगातार मा0 राज्यपाल जी का विरोध किया जा रहा था। आप उन्हें सुनते आरोप-प्रत्यारोप सभी के होने चाहिए। एक महिला जो कुछ बनकर अपने दम पर आयी थी जिसके पिता या जिसके पति कुछ नहीं थे वह महिला बहुत पिछड़े बिरादरी की थी। वह महिला गुजरात में जन्म लेती है और अपने कर्मों के सहारे यू0पी0 तक आती है और यू0पी0 की राज्यपाल बनती है। मैं कोई बड़े घर से नहीं हूं ना ही बड़ी राजनीतिज्ञ हूं। महोदया मैं उस दिन इतनी भावुक थी कि मैं अपने आपको कंट्रोल कर रही थी मुझे लगा कि मैं रो दूंगी, जिस तरह से हूटिंग हो रही थी एक महिला के लिए, लोग महिला सम्मान की बात करते हैं। आज एक मा0 महोदया ने एक बात कही कि 'उठो द्रोपदी शस्त्र उठा लो केशव ना अब आयेंगे' बहुत अच्छी बात कही गयी। सहस्त्रों वर्ष पूर्व एक शासक सत्ता के लिए कहता है अपने सगे संबंधियों से कि सुई के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी, यह सत्ता का मोह था, जो सहस्त्रों वर्ष पूर्व एक शासक कहता है कि लड़के हैं गलती हो जाती है। वह कहते हैं कि 'उठो द्रोपदी शस्त्र उठा लो', यह जिस कवि ने लिखा मैं उस कवि को नमन करना चाहती हूँ।

महोदया, जिस समय इस सृष्टि का रचयिता मानव रूप में आता है जन्म लेता है वह कुल को चुनता है जिसे यदुवंश कहा जाता है और जिसने यह कविता लिखी मैं उस कवि को प्रणाम करना चाहूंगी। उस कवि को पता था कि यदुवंश का जिसे पितामह कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी वह पितामह कहता है कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। महज सत्ता पाने के लिए, मा0 महोदया बेटियां सबके घर में, बहुएं सबके घर में हैं। अगर हवा भी चलती है तो एक माता-पिता का दिल धड़कता है अपनी बेटी के लिए, अपनी बहू के लिए, अपने घर में रहने वाली महिलाओं के लिए, वह आज कह रहे कि हमारे मुख्य मंत्री पर ताने कसे जा रहे कि आप महिला सुरक्षा की बात नहीं करते हैं। आज भी भरे सदन में मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आप लोग लिख कर मत लाइये, जो क्षेत्र की बातें वह आप बोलिये। यह बिल्कुल सच है कि तमाम जघन्य अपराध हुए हैं। लेकिन इस सरकार ने तुष्टीकरण नहीं किया, इस सरकार ने जातिवाद नहीं किया। ऐसी सजायें दी हैं कि रूह कांप गयी हैं उन आतताइयों की, उन स्त्री भक्षकों की, इसका परिणाम यह हुआ कि पहली बार उत्तर प्रदेश में जनता जनार्दन जो चाहे आई0ए0एस0 हो, आई0पी0एस0 हो, डॉक्टर हो, या देश का अन्नदाता कृषक हो, रिक्शा चलाने वाला हो या सब्जी रेहडी लगाने वाला हो उसने भारतीय जनता पार्टी को कहा कि आपकी नीतियां सही हैं। दुनियां के किसी भी देश में कोई भी सरकार का कर्म बनता है कि सरकार घटना होने के बाद कितनी कठोरता से निपटती है और मेरी सरकार ने, मेरे मुख्य मंत्री ने यह करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत इस बात की गवाह थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा किये गये कार्यों से उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण जनता संतुष्ट थी।

मा0 अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अब समाप्त करें। श्रीमती गीता शास्त्री जी आप अपनी बात रखें।

श्रीमती अलका सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं एक मिनट और चाहूंगी। आज यहां पर बात हो रही है सुशासन की, बात हो रही है कि आपकी सरकार ने क्या किया ? मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूँ वहां पर ग्राम सभा मलैया में विपक्ष के एम0एल0सी0 कुछ लड़कों को उठा ले जाते हैं।

मा0 अधिष्ठाता-

अब समाप्त करिये।

श्रीमती अलका सिंह-

और पूरा प्रशासन जब इन्वाल्व होता है तब वह बच्चे छूट करके आते हैं। यह इनकी स्थिति रही है और यह कहते हैं कि हमारी सरकार क्या कर रही है ? इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।

श्रीमती गीता शास्त्री-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदन में हम महिलाओं को बोलने का अवसर मिला, हम मा0 अध्यक्ष जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने मुझे टिकट देकर और गृहस्थ जीवन से उठा करके प्रदेश के सबसे बड़े सदन में पहुंचाने का काम किया। हमारे आदरणीय नेता जी ने भी महिलाओं को बहुत भागीदारी दी है। उन्होंने महिलाओं को 50 प्रतिशत भागीदारी देने का मामला लोक सभा में उठाया था। आज हम उन नारी शक्तियों को नमन करते हैं चाहे झलकारीबाई, वीरांगना ऊदादेवी जी, सावित्रीबाई फुले जी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी या अहिल्याबाई जी हों, जिन्होंने अपना बलिदान दे करके आज इस देश का नाम रोशन किया है। आज हम महंगाई पर बोलेंगे। आज इतनी महंगाई बढ़ गयी है कि हम महिलाओं को किचन संभालना बड़ा कठिन काम हो गया है। हमारी विधान सभा क्षेत्र में एक सरकारी कताई मिल थी जो दिनांक 10-08-2010 से बन्द है। उक्त मिल में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, बोनस एवं ग्रेच्युटी आदि देनदारियों से संबंधित रुपये 10.39 (दस करोड़ उनतालिस लाख) का बकाया शासन स्तर पर विचाराधीन है, जिसके संबंध में सहायक श्रमायुक्त प्रयागराज क्षेत्र, प्रयागराज द्वारा अपने पत्र दिनांक 13-06-2019 द्वारा श्रम आयुक्त, कानपुर को संदर्भित किया गया है। अतः आपके माध्यम से प्रार्थना है कि कृपया प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए उक्त बन्द कताई मिल को पुनः चालू करने तथा पूर्व में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं आश्रितों को उनके देयकों आदि का भुगतान करने की कृपा करें। आज जो कर्मचारी हैं, उनके घर की महिलायें हैं वह भूख से तड़प रही हैं, उनके घर में अन्न का दाना नहीं है। कताई मिल बन्द हो जाने से भुखमरी के कगार पर पहुंची हुई हैं और विधान सभा क्षेत्र फाफामऊ स्थित यू0पी0 जल निगम की टंकी के लिए पाइप लाइन बिछायी गयी है, परन्तु पेयजल की आपूर्ति विगत 6 माह से नहीं हो रही है जिस कारण से वहां के निवासियों में पेयजल का संकट बना हुआ है, जिसके संबंध में स्थानीय विभागीय अधिकारियों से सम्पर्क कर पेयजल जैसी समस्या का समाधान कराने का प्रयास किया गया है, परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। प्रार्थना है कि उक्त पानी की टंकी से पेयजल की आपूर्ति कराये जाने की कृपा करें।

बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा है, लेकिन गरीब परिवार में जब बेटी पैदा हो जाती है तो आज भी उन बेटियों के पैदा होने से उस परिवार में शादी करने की, पढ़ाई-लिखाई की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मान्यवर, जो योजनायें हैं, वह गरीब जनता तक नहीं पहुंचती हैं, इसके लिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगी कि गरीब परिवार की बेटियों को भी पढ़ाई-लिखाई की सुविधा उपलब्ध करायी जाए और जो भी योजनायें हैं, वह उनके घरों तक

पहुंचायी जायें। ज्यादा से ज्यादा जो अशिक्षित गरीब लोग हैं, उनके घरों तक योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनको उन योजनाओं की जानकारी नहीं होती है।

***श्रीमती अदिति सिंह-**

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आदरणीय महाराज जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय स्पीकर साहब को इस पहल के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ ही साथ मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहती हूँ, इतिहास में यह पहली बार हुआ है। यह पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है। मैं उस तरफ भी बैठी थी, उस तरफ से ही इस तरफ आयी हूँ। मैं दोनों तरफ रह चुकी हूँ। यह बहुत ही गौरवान्वित होने का अवसर है कि भारतवर्ष हमारा अपना भारत उस देश की इकॉनामी को पीछे छोड़ आयी है, जिसने सैंकड़ों साल हम पर गुलामी की है। यह कोई छोटी बात नहीं है, हमने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया है। यह हम सबके लिए गौरवान्वित होने की बात है। मेरे ख्याल से विपक्ष को भी इस पर ताली बजानी चाहिए और इसमें बहुत बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का है।

महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश सबसे हाईएस्ट जीडीपी देने वाला प्रदेश है। अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं की बात करें तो 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' योजना एक बहुत बेहतरीन योजना है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पिछले 5 सालों में जो ओ0डी0ओ0पी0 में एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ हुई है, वाया ओ0डी0ओ0पी0 वह 35,000 करोड़ की हुई है। मेकिंग आर एक्सपोर्ट्स हम उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट्स 1.57 लाख करोड़ पर आज की तारीख में स्टैंड कर रहे हैं। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत सारे जिलों में जहां उनकी जो विशेषता है, वह खत्म होती जा रही थी, बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक शहर हैं, जिनकी कलाकारी खत्म होती जा रही थी, चाहे रायबरेली का वुड वर्क लें, चाहे सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल लें, चाहे बनारस की जरदोजी लें, चाहे लखनऊ की चिकेनकारी लें यह सारी चीजें खत्म होती जा रही थीं, जब तक 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' ने इनको हाईलाइट नहीं किया। आज की तारीख में हमारा वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रोसिंग एक्सपोर्ट बना है और जो यह सारी कलाकारियां हैं, यह जो सारे क्राफ्ट हैं, चाहे चिकेनकारी हो, चाहे जरदोजी हो, चाहे टेबल वर्क हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वह ग्लास वर्क हो, चाहे वह लेदर फैक्ट्रीज हो, इनमें आधे से ज्यादा महिलायें हैं, जो यह सारी चीजें मुमकिन कर रही हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब बात बल की करते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में पहली बार ए0टी0एस0 यानि एन्टी टेरेरिस्ट एस्क्वायड में एक महिला टीम का गठन होने वाला है, जिसमें 35 महिलायें एन्टी टेरेरिस्ट एस्क्वायड की हिस्सा बनेंगी। टेरेरिस्ट से वह फाईट करेंगी। हमारे प्रदेश में पहली बार तीन और वुमेन बटालियन पी0ए0सी0 का गठन होने जा रहा है, जो हमारी फीमेल योद्धाओं के ऊपर उनको नाम दिया जा रहा है, जिनको रानी अवन्तीबाई लोधी जी, ऊदा देवी जी और झलकारी बाई जी के नाम से जाना जायेगा। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोग महिला सशक्तीकरण की बात करते हैं, पर यह एक उदाहरण है। एन0डी0ए0 में पहली बार 19 फीमेल कैडर की एंट्री हुई है। यह महिला सशक्तीकरण है जो हमारी सरकार ने मुमकिन किया है। मुझे पता है, समय बहुत कम है आपने 4 मिनट का समय दिया था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती नीलिमा कटियार-

मान्यवर, यह सही है कि हम मातृ शक्ति की दृष्टि से एक बहुत ही समृद्ध परम्परा के वाहक हैं, लेकिन बीच का कालखंड आक्रांताओं के कारण इस धरती पर शक्ति के सम्मान का नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए समर्पित कालखंड हो गया। शक्ति के सम्मान का समय ही भारत के गुरुत्व का समय था, पुनः जब हम विश्व में उस श्रेष्ठता को पाने की ओर अग्रसर हैं तो महिला सशक्तीकरण उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। सरकारों की व्यवस्थाओं का मुद्दा यह होता था कि हम महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन आज सुरक्षित माहौल के अन्दर इस प्रदेश की सुपोषित महिलाएं इस प्रदेश के विकास की मुख्य धारा में क्या योगदान दे रही हैं यह आज इस प्रदेश का मुद्दा है जिसके लिए इस प्रदेश के अन्दर सरकारों ने देने वाली भूमिका का निर्वहन किया। इसी प्रदेश के अन्दर उस वर्ग के साथ उस महिला के साथ उस मातृ शक्ति के साथ क्या योगदान प्रदेश के लिए जुड़ रहा है यह चर्चा हो रही है। जो परिवार की धुरी थी समाज की धुरी थीं वह हमारे प्रदेश के अर्थ-तंत्र की और विकास की धुरी कैसे बनीं, यही महिला सशक्तीकरण है और यही वास्तव में जब हम 75 वर्ष अपनी स्वतंत्रता के पूरे कर रहे हैं अमृत महोत्सव वर्ष में हैं अपनी पूरी की पूरी सामर्थ्य को समेट करके, सहेज करके आने वाले 25 वर्षों की योजना बना रहे हैं तो हम अपनी सामर्थ्य का सशक्तीकरण कैसे करते हैं, पूरा देश आज उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सभा मण्डप के माध्यम से देख रहा है।

जब महिला की बात आती है, उसके सशक्तीकरण की बात आती है, उसके सम्मान की बात आती है तो सबसे पहले उसके अस्तित्व और सुरक्षा की बात आती है। सरकारें इकबाल से चलती हैं। व्यवस्थाएं सरकारों की मंशा से चलती हैं। जिस सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक से एंटी रोमियो स्क्वायड का संदेश गया हो उस प्रदेश के अन्दर शोहदों की जो स्थिति है गली, मोहल्ले, कोनों के अन्दर जो परिस्थिति है वह महिलाओं के सुरक्षित

वातावरण में बदलेगी यह सुनिश्चित इस सरकार की पहली ही बैठक से तय हो गया था। 6 लाख स्थानों पर और 28 लाख से ज्यादा लोगों से बातचीत इस बारे में की गई कि आप शोहदों की तरह इस सड़क, गलियारे, कोनों पर मत खड़े होइए अपना काम करिए। हम सब जानते हैं आज क्राइम का स्वरूप बदला है। एक बहुत बड़ा क्राइम का हिस्सा साइबर क्राइम में बदल चुका है। 18 कमिश्नरी मुख्यालयों पर साइबर पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत महिला साइबर सेल इंटरनेट और जो सोशल मीडिया है उन पर जो साइबर बुलिंग होती है उस पर टाइट और एक्यूरेट मॉनिटरी इन सेल के माध्यम से प्रभावी कार्यवाही जो प्रदेश के अन्दर दूरस्थ तहसीलें हैं वहां पर रिपोर्टिंग पुलिस चौकियां जो केवल महिला संबंधित अपराधों की रिपोर्टिंग करेंगी। 1585 थानों में जो महिला हेल्प डेस्क हैं उस पर तीन लाख अट्ठानबे हजार बहनों की शिकायत आई और उसमें तीन लाख नवासी हजार शिकायतों का निराकरण सम्भव हुआ। 600 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट महिलाओं को न्याय मिले, इसलिए देश भर में खोली गईं तो 200 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट इस उत्तर प्रदेश की धरती पर महिलाओं के त्वरित न्याय के लिए खोली गईं। संस्थागत प्रसव अस्पताल में प्रसव 67 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में था, अब बढ़कर 83 प्रतिशत हो गया है। पहले 26.4 प्रतिशत महिलाएं प्रसव पूर्व जांच कराती थीं, अब 42 प्रतिशत से ज्यादा करा रही हैं। और जब तीन तलाक कानून आया तो हम सब जानते हैं कि पिछले तीन सालों के अन्दर इस प्रकार के तलाकों पर आज 80 प्रतिशत विराम लग चुका है। वह मेरी मुस्लिम बहन जिसकी इस तलाक से पूरी जिन्दगी तबाह होती थी, बच्चों को लेकर वह सड़क पर आती थीं, वह दृश्य समाज के अन्दर आना आज 80 प्रतिशत तक बन्द हो गये हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्या, अब आप संक्षेप करें।

श्रीमती नीलिमा कटियार-

मान्यवर, भ्रूण हत्या आज किसी भी सभ्य समाज के लिये बहुत बड़ा कलंक है, लेकिन किसी महिला के लिए इससे बड़ा कोई हीनता का भाव नहीं है कि वह जन्म भी नहीं ले पाती और गर्भ के अन्दर ही उसको समाप्त कर दिया जाता है। पहली बार किसी सरकार ने पूरे प्रदेश के अन्दर मुखबिर योजना के तहत अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों पर छापेमारी करके उस पर कार्यवाही करने का काम किया। आज दिल्ली जैसे जो डेवलॅप्ड शहर कहे जाते हैं उनके कम्पैरिजन में जो अनुपात है वह उत्तर प्रदेश में पांच साल पहले 1000 पर 995 बेटियों का था, लेकिन आज वह अनुपात 1000 पर 1017 बेटियों का है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धि है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, आप थोड़ा शीघ्रता से समाप्त करें। सभी के लिये 04 मिनट का समय है।

श्रीमती नीलिमा कटियार-

मा0 अधिष्ठाता महोदया, आज लड़कियों की विवाह की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष की गयी है। लड़कियों की विवाह की उम्र जब लड़कों के समान 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दी गयी तो सीधे-सीधे उन्हें दो-तीन वर्ष का और समय अपने व्यक्तित्व के डेवलपमेन्ट के लिये मिल गया है। आज चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की केन्द्र की सरकार हो, कुपोषण से लेकर आर्थिक आत्मनिर्भरता की दृष्टि से जो योजनाएं वहां से चली हैं और वह लखनऊ में आकर जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके सुरक्षित लॉ एण्ड आर्डर की परिस्थिति में फलीभूत हुयी हैं, आप देखें कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह और उसके माध्यम से 01 करोड़ बहनें सीधे आर्थिक स्वावलम्बन से टच हो गयी हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्या, अब आप समाप्त करें। मा0 जय देवी जी।

श्रीमती नीलिमा कटियार-

मा0 अधिष्ठाता महोदया, सारी वर्जनाओं को इस देश के अन्दर तोड़ दिया गया है, जो क्षेत्र महिलाओं के लिये वर्जित समझे जाते थे उन वर्जनाओं को आज तोड़ दिया गया है। आज सारा खुला आकाश महिलाओं के लिये छोड़ा गया है। लगभग हर क्षेत्र में आज फाईटर प्लेन अगर शिवांगी सिंह उड़ा रही हैं, बार्डर पर अगर महिलाएं तैनात हैं, तो महिलाओं का अस्तित्व आज लगभग सभी जगह है। हमारी कार्य प्रणाली जीवन को बदलने वाली है और उसकी क्षमता रखती है। इसके साथ-साथ योजनाओं का समग्रतापूर्ण नियोजन, समयबद्ध क्रियान्वयन, रोजगार सृजन, असमानता घटाने का प्रयास सफल हो रहा है। पिंक बूथ, पिंक बस, पिंक टॉयलेट, पिंक पुलिस स्टेशन, विशेष सम्मान अब महिलाओं में विश्वास जगाता है। राष्ट्रमण्डल में बेटियों का मेडल जीतना, पी0वी0 सिंधू द्वारा दल का नेतृत्व करना, सभी शैक्षिक बोर्डों, प्रतियोगी परीक्षाओं में बेटियों के अग्रिम श्रेणी में रहना, समाज के वातावरण में सुधार का परिचायक है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 जय देवी जी, आप बोलना आरम्भ करें।

***श्रीमती जय देवी-**

आदरणीया अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद है कि आपने आज मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगी कि महिला सशक्तीकरण को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तथा स्वरोजगार पर जो हमारी केन्द्र सरकार और राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको रोजगार और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वरोजगार देने के संकल्प के साथ मेरी सरकार आगे बढ़ रही है। मैं सदन से मांग करती हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिये मेरे विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड अनुसार एक-एक कन्या महाविद्यालय और एक-एक 100 बेड का अस्पताल और एक-एक गैर चिमनी आधारित उद्योग लगाया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल, मलिहाबाद और काकोरी में कन्या महाविद्यालय और 100 बेड का अस्पताल बनने से हर महिला को उच्च शिक्षा और अच्छा इलाज उपलब्ध होगा। गैर चिमनी आधारित उद्योग लगने से हमारे विधान सभा क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार मिलेगा। धन्यवाद।

(इसी समय सायं 05 बजकर 14 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष-

बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रीमती इन्द्राणी देवी।

श्रीमती इन्द्राणी देवी-

मा0 अध्यक्ष जी, आज आपने महिलाओं को बोलने का जो सम्मान दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। सदन में आये सभी सम्मानित सदस्यों का, बहनों का और दीर्घा में बैठे सभी सम्मानित सदस्यगणों का मैं अपनी तरफ से नमन एवं वंदन करती हूं। मा0 अध्यक्ष जी, हमारी समाजवादी पार्टी के संरक्षक मा0 मुलायम सिंह यादव जी की जब सरकार थी तो उन्होंने महिलाओं को बहुत सम्मान दिया, चाहे कन्या विद्या धन हो, चाहे पंचायत चुनाव में हो और चाहे पार्लियामेंट में हो, हर जगह महिलाओं को बैठाने का काम किया है। हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को मैं नमन करती हूं। मैं गरीब किसान की बेटी हूं और पटेल समाज से आती हूं। आज पूरा समाज, पूरा प्रदेश किसान समाज से आता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे दो बार सदन में भेजने का काम किया है इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत नमन करती हूं। आदरणीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो चाहे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 1090 की व्यवस्था हो, एम्बुलेंस देने का काम हो, बच्चियों को लैपटॉप देने का काम हो या फिर हमारी विधान सभा क्षेत्र भिनगा में कौशल मिशन योजना के अन्तर्गत थारू जाति के मोतीपुर कलां गांव को गोद लेने का काम हो उनके द्वारा बखूबी किया गया है। भिनगा विधान सभा क्षेत्र नेपाल बार्डर से सटी हुई है और हम उस विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आये हैं। जब से हम चुनाव जीते हैं तब से हमारी विधान सभा क्षेत्र में लो-वोल्टेज होने के कारण आये दिन धरना-प्रदर्शन होता रहता है और बिजली की कटौती बनी रहती है।

हम आपसे कहना चाहते हैं कि उस बिजली कटौती को सही कराया जाय और जमुनहां ब्लाक में बहराईच जिले से बिजली का संचालन होता है उस बिजली व्यवस्था को श्रावस्ती से संचालन कराने की व्यवस्था की जाय। मैं जिस क्षेत्र से आती हूं उसके अन्तर्गत सैंकड़ों गांव आते हैं जहां पर बलरामपुर और भिनगा का जंगल है जिससे तेंदुआ निकलकर बच्चियों को खा जाता है, मैं चाहती हूं कि उन लोगों को मुआवजा देने का काम किया जाय। इसके अलावा हमारे विधान सभा क्षेत्र में सिरसिया ब्लाक में मोतीपुर कला गांव है जहां पर जनजाति के लोग निवास करते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारे मोतीपुर कला गांव के मजरे में दो बच्चियां कौशल मिशन योजना से जुड़ी थीं और इस योजना के लोग उन दोनों बच्चियों को सिलाई कार्य कराने के लिए मध्य प्रदेश ले गये और वहां पर उनको भरपेट मजदूरी नहीं मिलती थी जिसके कारण वह घर वापस आ रही थीं और 20 मार्च, 2022 को रास्ते में उनकी हत्या कर दी गयी, जिसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई है। हम सदन के माध्यम से आपसे मांग करते हैं कि मोतीपुर कला विधान सभा क्षेत्र भिनगा जनपद श्रावस्ती की उन दोनों बच्चियों को मुआवजा दिया जाय, ताकि इस सदन से एक संदेश जाय कि महिला सशक्तीकरण से जनजाति की उन बच्चियों को मुआवजा दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका समय समाप्त हो गया है, अब आपका आगे नहीं लिखा जायेगा।

***श्रीमती केतकी सिंह-**

मा0 अध्यक्ष जी, धन्यवाद आपका कि मुझे बोलने का मौका दिया। वह ऊष्मा है, वह ऊर्जा है, वह प्रकृति है, पृथ्वी है, क्योंकि वही तो आधी दुनिया और हां वही पूरी स्त्री है। विधायक होने के नाते तो मैं कई बार बोली हूं लेकिन इस तरह का यह पहला अवसर है। मैं आज उत्तर प्रदेश की आधी आबादी की बात आपके समक्ष रख रही हूं। लेकिन कुछ लोग महिला विधायकों के बारे में बहुत कुछ गलत बोल रहे थे मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूं। परन्तु मैं आपको बताना चाहती हूं कि स्त्री और नारी साड़ी से नहीं होती है ये साड़ी हम पहनते हैं सिर को ढकने के लिए और बिंदी और सिंदूर लगाते हैं तो आप जैसे लोग जीवित रहते हैं और सांसें चलती रहती हैं। साड़ी से ऊपर उठ कर जब कोई अपने आयाम को पाता है तो वह स्त्री बनती है और राष्ट्र धर्म की पराकाष्ठा कोई स्त्री पाती है तो वह झांसी की रानी बनती है। महाराजा रतन सिंह जब अपनी पत्नी को छोड़ कर गये थे और बार-बार दूतों से मैसेज भिजवा रहे थे कि मुझे तुम्हारी याद आती है तब उस रानी ने अपने राष्ट्र धर्म को ऊपर रखते हुए अपना सिर थाली में सजाकर भेजा। यही नारी शक्ति व स्त्री की असली पहचान है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्त्री वह भी होती है जो यमराज से अपने पति के प्राण छीन कर लाती है। तब वह स्त्री बन जाती है जब रावण जैसे महाबली, महाविद्वानी, महाज्ञानी के सामने आत्मबल की पराकाष्ठा अपनाती है, तो वह राम की सीता बनती है। जब स्त्री अपने आत्म सम्मान पर आती है तो महाभारत में द्रौपदी बनकर आती है। तब वह स्त्री बनती है जब वह शौर्य रूप में आती है, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तब हम स्त्री बनते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया है, कृपया आप बैठ जाईये। अगला नाम श्रीमती सरोज सोनकर का है, लेकिन वह उपस्थित नहीं हैं। अब श्रीमती ओममणी वर्मा बोलेंगी।

श्रीमती केतकी सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, चार मिनट में मेरी पूरी बात नहीं आ पाई है। मैं अभी और बोलना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, बस मुझे एक मिनट का समय दे दीजिये। मैं इस सरकार का अभिन्न हिस्सा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सरकारें तो बहुत आई हैं परन्तु इस सरकार के समय में विधान सभा के अन्दर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका बोला हुआ लिखा नहीं जायेगा। आपको धन्यवाद। आप मुझे धन्यवाद तो दे दीजिये।

श्रीमती केतकी सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती ओममणी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आजादी के समय से महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति देश में अच्छी नहीं थी क्योंकि समाज में जागरूकता की कमी थी। महिलाओं के ऊपर तमाम तरह के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दबाव होते थे जिनके कारण देश की आधी आबादी देश के विकास में भागीदारी नहीं कर पाती थी। जब से देश में माननीय मोदी जी और प्रदेश में माननीय योगी जी ने बागडोर संभाली है तब से उन्होंने महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी बनाने के लिए कई क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं। मान्यवर, महिलाओं

के जीवन के सुधार हेतु स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश में 11.5 करोड़ शौचालय बनाये गये हैं। माननीय प्रधानमंत्री मातृ वन्दन योजना के तहत 52 लाख से अधिक माताओं को लाभान्वित किया गया है। वहीं तीन तलाक को गैर कानूनी करार देते हुए महिलाओं की गरिमा की रक्षा की गई है।

माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार उज्ज्वला योजना के तहत नौ करोड़ से अधिक एल0पी0जी0 गैस कनेक्शन महिलाओं को मुफ्त में दिए गए हैं। मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया। बीते तीन सालों में देश में छः करोड़ से ज्यादा घरों को 'हर घर नल योजना' के तहत कनेक्शन देकर महिलाओं के जीवन को सुगम बनाया गया है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जनधन योजना के अन्तर्गत बैंक खातों से जोड़ा गया तथा स्टैण्ड अप इण्डिया योजना के तहत महिलाओं को 81 प्रतिशत लोन दिया गया तथा मुद्रा योजना के तहत 68 प्रतिशत से अधिक महिला उद्यमियों को खाता धारक बनाते हुए महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाया गया। जम्मू-कश्मीर से धारा-35 ए समाप्त करके महिलाओं को वह अधिकार दिये गये जो उन्हें पहले कभी नहीं मिल सके थे। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में महिलाओं को कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण दिये जाने के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण भी दिया गया और आजीविका मिशन चलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व में स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय योगी जी के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। महिलाओं की पुलिस में अधिक भागीदारी हेतु तीन महिला पी0ए0सी0 बटालियन का गठन किया गया तथा अगस्त, 2020 में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन बनाया गया। महिलाओं को समर्थ बनाने हेतु महिला सामर्थ्य योजना बनाते हुए बहत्तर करोड़ पचास लाख रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के तहत प्रदेश की टापर छात्राओं को लैपटाप दिये गये। मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत सूक्ष्म और लघु क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तीकरण एवं कौशल विकास हेतु 20 करोड़ की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा व एक लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी दिए जाने का प्रबन्ध किया गया। मुख्य मत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 13,67,000 बेटियां लाभान्वित हुई हैं तथा मुख्य मंत्री विवाह योजना में 1,91,000 से अधिक कन्याओं का विवाह कराकर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान दिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए परिवार की महिला सदस्य के नाम पर घरौनी करते हुए अब तक 34 लाख से अधिक घरौनियां वितरित की गई हैं। महिलाओं के नाम पर प्रधानमंत्री आवास, राशनकार्ड देकर उनके भविष्य को सुरक्षित किया गया।

श्री अध्यक्ष-

बहुत-बहुत धन्यवाद ओममणी जी।

श्रीमती ओममणी वर्मा-

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्रीमती सरोज कुरील-**

भगवान बुद्ध जी का, संविधान निर्माता डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी, लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और अपना दल (एस) पार्टी के संस्थापक डॉ0 सोनेलाल पटेल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर उपस्थित हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को प्रणाम करती हूँ और इस विधान सभा के अध्यक्ष जी को भी मैं कोटि-कोटि आभार व्यक्त करती हूँ कि आज हम सभी महिलाओं की राय को सदन में एक दिन अपना पक्ष रखने का मौका दिया। अपना दल (एस) उन चुनिन्दा पार्टियों में से एक है जिनकी अध्यक्ष खुद एक महिला हैं। महिला सशक्तीकरण का श्रीमती अनुप्रिया पटेल खुद एक जीता-जागता उदाहरण हैं जिन्होंने सड़क से लेकर विधान सभा व लोक सभा तक परचम लहराया।

मान्यवर, मैं आपको बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे महिला सशक्तीकरण के विषय पर बोलने का शुभ अवसर प्रदान किया। मैं अपने विचारों को एक छोटी सी कविता के माध्यम से रखना चाहती हूँ। चूल्हा चौका करती हूँ, पर वहीं तक सीमित न रहना मुझे, चाहूं करना मैं नौकरी तो हक से कहना मुझे, मैं बोझ नहीं बनना चाहती, मैं सोच से आगे जाऊँगी, तुम तोड़ो तो जंजीर मेरी, मैं जग में नाम कमाऊँगी, राहों के कंकर कांटों को पार करके मैं आगे बढ़ सकती हूँ, नारी हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। नारी हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। इस कविता में बहुत कुछ सार छिपा हुआ है। एक महिला को सशक्त बनाने में परिवार के पुरुष मुखिया का बहुत बड़ा योगदान होता है।

महोदय, आज के समय में अधिक से अधिक महिलायें अपने घरों से बाहर निकल रही हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग पहचान बना रही हैं। महिलाओं के इतिहास को पलटा जाये तो पुरातन से लेकर आज तक महिलायें विशेष भूमिका में रही हैं। ऊदा देवी पासी ने 1857 की क्रांति की लड़ाई में पीपल के पेड़ पर बैठकर 36 अंग्रेज सैनिक और अफसरों को मौत के घाट उतार दिया था। ऊदा देवी पासी ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी थीं। इससे यह सिद्ध होता है कि देश की स्वतंत्रता में देश की महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। आज के समय में भारत की प्रथम महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो इस देश की राष्ट्रपति हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मदर टेरेसा जी और शिक्षा के क्षेत्र में माता सावित्रीबाई फूले जी के द्वारा बहुत कार्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महिला सशक्तीकरण के लिये किये गये। त्याग व बलिदान के क्षेत्र में रानी पद्मावती के इतिहास का बखान करना प्रकाश के पुंज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। परंतु आज हमारे देश में महिलाओं को काफी भेदभाव का शिकार होना पड़ा है। हमारी सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा के क्षेत्र में और अधिक सशक्त कदम उठाये हैं।

आज आवश्यकता है कि महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई स्वयंसेवी संगठन आगे आयें। हालांकि हमें समाज की मानसिकता को बदलने के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है। मैं ऐसे भारत का सपना देख रही हूँ जहां महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा प्राप्त हो। महिला सशक्तीकरण महिलाओं को वह मजबूती देता है जो उन्हें उनके हक के लिए लड़ने के लिए मदद करता है। जागरूकता भी महिला सशक्तीकरण का प्रबल हथियार है। महिला सशक्तीकरण को बेहद आसान शब्दों में समझा जा सकता है। इससे महिलायें शक्तिशाली बनती हैं जिससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए सक्षम बन सकती हैं। महिला सशक्तीकरण में आर्थिक स्वतंत्रता, महिला सशक्तीकरण में मुख्य उद्देश्य महिलाओं की प्रगति के लिए उनमें आत्मविश्वास का संचार करना है। आज हमारी सरकार ने महिला सशक्तीकरण के लिए बहुत सारी योजनायें दी हैं। मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन शक्ति का भी प्राविधान है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी का, मा0 अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करती हूँ।

श्री अध्यक्ष-

इनका माइक आफ करें। धन्यवाद। बस हो गया। श्रीमती रजनी तिवारी।

***उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती रजनी तिवारी)-**

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस सत्र में बोलने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं चौथी बार माननीय सदन के सदस्य के रूप में हूँ। लगभग 15 वर्षों का संसदीय कार्यकाल रहा और उसमें पहली बार इस तरह का अवसर मिला। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। उत्तर प्रदेश की विधान सभा में ही नहीं वरन यह देश का पहला सत्र रहा होगा जिसमें इस तरह की व्यवस्था दी गयी है। यह कोई छोटी बात नहीं, यह कोई साधारण बात नहीं, यह लोकतंत्र का मंदिर है। आपने लोकतंत्र के मंदिर में महिलाओं को अपनी बात रखने का अवसर दिया। आज इस अवसर पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुझे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सम्बोधन याद आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने लालकिले की प्राचीर से 15 अगस्त, 2022 को देश को सम्बोधित करते हुए कहा था कि महिलाओं का सम्मान देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण स्तम्भ है। कहा कि हमारे आचरण में विकृति आ गयी है, हम कभी-कभी महिलाओं का अपमान करते हैं। उन्होंने देश से सवाल किया कि क्या हम अपने व्यवहार में इससे छुटकारा पाने का संकल्प ले सकते हैं। मैं नारी की सामर्थ्य को देख रहा हूँ, इस अमृत काल में सपने पूरे करने में जो मेहनत लगने वाली है, अगर नारी शक्ति जुड़ जायेगी तो हमारी मेहनत कम हो जायेगी। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था वही महिलाओं के प्रति सम्मान, वही दृढ़ इच्छाशक्ति, वही संकल्प, आज इस सदन में दिखाई दे रहा है। बहुत खुशी की बात है कि आज इस विशेष सत्र में चाहे इधर की महिलाएं रही हों, चाहे विपक्ष की महिलाएं रही हों। सभी ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है और बहुत अच्छे ढंग से सदन में अपनी बात को रखा है।

मान्यवर, अगर आप यह मौका न देते, अगर आप यह विशेष सदन न रखते, आज की तारीख में विशेष सत्र न होता तो इतनी बड़ी संख्या में महिला विधायक अपनी बात नहीं रख सकती थीं। मैं इसके लिए हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। हमारी कुछ महिला सदस्य बोल रही थीं और हमको पता है कि वह मन से मोदी जी एवं योगी जी की नीतियों से प्रभावित हैं क्योंकि सरकार की नीतियां ही इस तरह की हैं। लेकिन विपक्ष में होने के कारण उनको अपनी बात कहनी पड़ रही थी, उनको विपक्ष का फर्ज पूरा करना पड़ रहा था। मैं सभी महिला सदस्यों के चेहरे देख रही थी, उनके मन में मोदी जी के प्रति स्नेह था, सरकार के प्रति स्नेह था। जो लोग महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के मुद्दे उठाते हैं। उनको चुनाव के समय महिलाओं के मुद्दे याद आते, उनको चुनाव में विषय रखने के लिए महिलाओं की याद आती, लेकिन जब वह सरकार में आते तब वह महिलाओं के मुद्दे से भटक जाते, उनकी महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता खत्म हो जाती, उनकी महिलाओं के प्रति योजनाएं खत्म हो जाती, उनकी महिलाओं के प्रति नीतियां खत्म हो जाती, उनकी महिलाओं के प्रति जवाबदेही नहीं रह जाती।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती रजनी तिवारी-

मान्यवर, मैं जब से यहां पर बैठी हूँ तब से बिल्कुल भी नहीं उठी हूँ। इंतजार का रही थी कि कब अध्यक्ष जी देखेंगे और मैं बोलने के लिए खड़ी होऊँगी। मान्यवर, महिला सशक्तीकरण के विषय में हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत विधि के समक्ष समान संरक्षण का मूल अधिकार प्रदान करता है। संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए यह मूल कर्तव्य

निर्धारित किया गया है कि वह महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रचलित अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करे। मान्यवर, संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को तब तक पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक संविधान का उचित तरीके से पालन करने वाली सरकार न हो। संविधान की बात तो सामने बैठने वाले लोग भी किया करते थे।

श्री अध्यक्ष-

बहुत-बहुत धन्यवाद, श्रीमती विजमा यादव जी आप बोलिए।

श्रीमती रजनी तिवारी-

लेकिन संविधान की बात मानते नहीं थे।

***श्रीमती विजमा यादव-**

मान्यवर, हम बहुत देर से शक्ति नारी, शक्ति नारी सुन रही थी। मैं भी चौथी बार आपके बीच में खड़ी हूँ....

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

शक्ति नारी कहां शक्ति नारी है ? कागज में है ? गांव में है ? या क्षेत्र में है ? कहां पर है ? एक शक्ति आपके सामने भी खड़ी है। शक्ति नारी के विषय में बोलने पर मुझे कोई गुरेज नहीं है कि ये शक्ति नारी केवल कागज पर है। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात की जाती है, जब बेटी के माँ पढ़ने के लिए बेटी को पढ़ाने के लिए निकालती है तो सड़क पर रेप हो जा रहा है। अभी आंगनबाड़ी की बात की जा रही थी लेकिन आंगनबाड़ी केवल कागज पर है, गांव में पंजीरी तक नहीं मिलती है, लोग भैंस और गाय को खाने के लिए देते हैं। आप शक्ति नारी की बात कर रहे हैं, नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया है। समाजवादी पार्टी के हमारे पूर्व मुख्य मंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव और हमारे पितातुल्य नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी ने नारी शक्ति को बढ़ाने का काम किया है। अगर वे नारी को न बढ़ाते तो नारी आज चूल्हे की रोटी बना रही होती। उन्होंने किसानों की बेटियों को आगे बढ़ाया, ऐसी हजारों बेटियों को बढ़ाने का काम किया है। चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे बी0डी0सी0 का चुनाव हो, चाहे ब्लाक प्रमुख का चुनाव हो, चाहे विधान सभा का चुनाव हो, नारी का सम्मान किया है तो मुलायम सिंह यादव जी ने किया है। आज आपने महिलाओं को बोलने का मौका दिया है। आपने स्कूलों में जो लैपटॉप दिया था उसे झुनझुना बोला जाता है।

समाजवादी पार्टी की सरकार में लैपटॉप दिया गया था उस लैपटॉप से गरीब की बेटी, दलित की बेटी, बैकवर्ड की बेटी, किसान की बेटी को मिला तो उनसे कहा धन्य है माननीय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अखिलेश यादव। उसे भरोसा है कि जब उसकी बेटी लैपटॉप से पढ़ेगी तब वह इंजीनियर बनेगी, दरोगा बनेगी, आई0ए0एस0 बनेगी, पी0सी0एस0 बनेगी वह माननीय अखिलेश यादव जी के दिये हुए लैपटॉप से बनेगी। मैं एक दिन तेरहवीं कार्यक्रम में अपने क्षेत्र में गयी थी तो वहां पर एक बेटी लैपटॉप देख रही थी, मैंने कहा कि बेटी अभी लैपटॉप चल रहा है तो उसने कहा कि हम तो इसको चलाएंगे ही, हमारे परिवार में जो भी पैदा होगा वह भी चलाएगा...

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

बहुत शक्ति नारी-शक्ति नारी की बात की जा रही है। एक नारी आपके भी सामने खड़ी है। मैं किसान की बेटी हूँ, मेरी भी मांग का सिंदूर मिटाया गया है, आज तक न्याय नहीं मिला है। (समाजवादी पार्टी के सदस्य शेम-शेम कहने लगे) नारी की बात आती है तो सुनिये, मैं भी एक नारी हूँ, मेरे साथ ही अत्याचार और अन्याय हो रहा है लेकिन मुझे भरोसा है कि इस सरकार में न्याय मिलेगा तो न्यायालय से मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा बोलीं। वैरी गुड।

श्रीमती मंजू त्यागी-

बोलिए, भारत माता की जय। भारत माता की जय।

श्री अध्यक्ष-

आप बोलिए, आपके 02 सेकेण्ड हो गए।

***श्रीमती मंजू त्यागी-**

धन्यवाद अध्यक्ष जी, आज नारी सशक्तीकरण के अवसर पर आपने हमें बोलने का अवसवर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ और सारी विधायक बहनों की तरफ से आपको हृदय से धन्यवाद करती हूँ और जितने पुरुष भाई हमारे विधायकगण बैठे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हम लोग आपको सुनते थे, लेकिन हम लोग अब बोल रहे हैं तो आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अन्दर से बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए आप सब को भी धन्यवाद। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है, 'बेटी है तो कल है', भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार इस एजेण्डे पर काम करती है। आपने देखा होगा, यह पक्ष-विपक्ष की बात नहीं है, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के पास अगर कोई महिला विधायक है और कोई काम लेकर जाती है तो वह निष्पक्ष भाव से काम करते हैं। यह सरकार चलाने का काम होता है, यह नारी को मजबूत करने का काम होता है....

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

अभी मा0 रजनी तिवारी जी कह रही थीं, बहुत अच्छा भी लग रहा था। वास्तव में हर एक बहन, हर एक माँ, नरेन्द्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है, मा0 योगी आदित्यनाथ जी को मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश देखना चाहती है। वास्तव में यह सच्चाई है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक विधायक अभी कह रही थीं कि सामूहिक विवाह जो होता था, उसको बन्द कर दिया गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, सरकार का काम क्या है ? वास्तव में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि गरीब की बेटी का भी विवाह आप गेस्ट हाउस में करेंगे। एक विधायक को गरीब आदमी कभी नहीं बुला सकता, लेकिन आज जब सामूहिक विवाह होता है तो वहां 7-7, 8-8 विधायक और 2-2 सांसद मौजूद होते हैं, डी0एम0, एस0डी0एम0 सभी मौजूद होते हैं और वहां खाने की व्यवस्था होती है। हो सकता है, आप कभी उनके घर जाकर कहें कि यह गरीब की बेटी है, लेकिन आज जब हम लोग जाते हैं तो सम्मान से उनको आशीर्वाद देते हैं और वह भी खुश होती है कि आज मेरी शादी में विधायक जी मेरे ही वास्ते आये हैं। वास्तव में यह सरकार का काम दिखता है, आप जमीन पर जाकर तो देखिए। मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ, 2014 में जब गाड़ी की फ्रंट सीट पर हम लोग बैठते थे, अगर कहीं शाम हो गयी, रात हो गयी तो सामने देखना खराब लगता था। जब आप लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी शौचालय की बात करते हैं। शौचालय छोटा हिस्सा नहीं है। रोड पर उस समय हमको भी शर्म आती थी। अगर हम सामने देखते थे तो अपने ड्राइवर के साथ मुझे शर्म आती थी कि मेरी बहन और बेटी बाहर बैठी है। आज वह दृश्य बदला है। मान्यवर, जब छोटे-छोटे लोगों के वहां सरकार शौचालय बना देती है तो बड़े-बड़े लोग शर्म से अपने आप शौचालय बना लेते हैं। आज आप जाइये, शर्म नहीं लगती है बाहर। आज आपने देखा होगा कि कहीं भी गली में चले जायें, कोई भी महिला, बेटी बाहर शौच के लिए नहीं जाती है। छोटा विषय नहीं है, इसको कहते हैं, नारी को सशक्त करना। (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) माननीय मुख्य मंत्री माननीय आदित्यनाथ जी की कोई भी बात झूठी नहीं होती।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद। अब पूनम संखवार जी।

श्रीमती मंजू त्यागी-

मा0 अध्यक्ष जी, केवल दो मिनट में हम अपनी बात कह लेंगे। हम अपनी विधान सभा की सारी बहनों को धन्यवाद देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

विधान सभा की सारी बहनों को हमारी तरफ से भी धन्यवाद। अब हमने पूनम संखवार जी को बुला लिया है, आप बैठिये।

***श्रीमती पूनम संखवार-**

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। नारी गौरव है, सम्मान है, आदिशक्ति का दूजा नाम है, नारी के द्वारा ही रचा यह विधान है, हे नारी शक्ति तुझे शत-शत प्रणाम है। मान्यवर, समाज में लिंगानुपात को संतुलित रखने के लिए तथा पहली बार गर्भवती होने वाली माताओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अन्तर्गत बच्चे के जन्म होने तक छः हजार रुपए की राशि तथा नये नियम के अनुसार यदि परिवार में दूसरी बेटी जन्म लेती है तब भी सरकार छः हजार रुपए की राशि प्रदान करती है। इसी क्रम में नारी सशक्तीकरण के प्रति हमारी सरकार प्रतिबद्धता दिखाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार भाग्य लक्ष्मी योजना संचालित कर रही है। जिसमें गरीब परिवार में जन्मी बेटियों पर परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पचास हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवार में जन्मी बालिकाओं को शैक्षिक रूप से मजबूत बनाना है। लाडली बिटिया जब से स्कूल जाने लगी है, हर खर्चे के कई ब्यौरे मां को समझाने लगी है।

सभापति महोदय जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे समाज में लिंगानुपात कितना चिंताजनक है इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से लिंग भेदभाव को समाप्त करने के लिए पूरी शक्ति से प्रयासरत है। इसमें विभिन्न विभागों के सम्मिलित प्रयासों से बेटियों के प्रति एक्शन मोड में जागरूकता उत्पन्न करने का भागीरथ प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से बेटियों की पढ़ाई व शादी के खर्च में मदद का उल्लेखनीय प्रयास किया जा रहा है। छोटी-छोटी बचत कर आज उत्तर प्रदेश इस योजना में सर्वाधिक खाता खोलकर लाभ देने में अग्रणी राज्य है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब तबके की माताओं व बहनों के स्वास्थ्य तथा भोजन निर्माण की जटिलताओं को दूर करने के लिए धुआंरहित मुफ्त एल0पी0जी0 कनेक्शन चूल्हा सहित सिलेण्डर उपलब्ध करा रही है। इस सघन योजना के परिणामस्वरूप गरीब परिवारों की महिलाओं के चेहरों में खुशी स्पष्ट देखी जा रही है। आज इस योजना का लाभ लेकर महिलाएं जो कभी स्वास्थ्य से संबंधित रोगों से आसानी से ग्रसित हो जाती थीं उनके स्वास्थ्य स्तर पर उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। मैं प्रधानमंत्री सामर्थ्य योजना को विशेषकर महिलाओं के कल्याण तथा सशक्तीकरण को केन्द्र में रखकर शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को रोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है जिससे कि वह स्वावलंबी तथा आत्मनिर्भर बनकर राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस योजना में राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को उनके आस-पास उपलब्ध स्थानीय संसाधनों के हिसाब से कुटीर उद्योगों के शुरुआत के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत ब्लाक स्तर पर महिला सम्मान सुविधा केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा उनके द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी सरकार उठा रही है। इसे कहते हैं कि 'मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता हौसले में उड़ान होती है।'

श्री अध्यक्ष-

मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि जब से चार मिनट का निर्णय हुआ है, क्योंकि उसके लिए समय की सीमा थी। जिन बहनों ने चार मिनट के बाद बोला है उनसे मेरा निवेदन है कि वह लिखित रूप से दे दें अगर उनका बोलने में कुछ छूट गया हो तो उसे हम कार्यवाही में सम्मिलित कर लेंगे।

***श्रीमती आशा मौर्य-**

मा0 अध्यक्ष जी, आपका और सदन का बहुत-बहुत आभार। आजादी के 75 वर्षों में आज पहली बार हम महिलाओं को इस सदन में बोलने का अधिकार मिला है। भारत के हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी के माध्यम से आज के समय में महिला सशक्तीकरण को काफी बढ़ावा मिला है जिसका प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण इस सदन में 47 बहनें जीतकर विधान सभा में पहुंची हैं और 6 बहनें हमारी विधान परिषद् में हैं। आज मैं भी एक महिला शक्ति के रूप एक उदाहरण के रूप में खड़ी हूँ क्योंकि 30 साल से उस क्षेत्र में जिसका वर्चस्व था उसे हराकर और अपने देश के उस क्षेत्र के भाइयों और मातृशक्ति के बीच में चुनकर आई हूँ।

(मेजों की थपथपाहट)।

आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तीकरण एक विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे आदि ग्रंथों में नारी के महत्व को मानते हुए यहाँ तक कहा गया है कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' अर्थात् जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। महिला सशक्तीकरण का अर्थ महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की तथा बराबरी के मौके मिल सकें, जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सकें। यह वह तरीका है जिसके द्वारा महिलायें भी पुरुषों की तरह अपनी हर महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकेंगी। आधुनिक युग में कई भारतीय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महिलायें, कई सारे महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं जिसमें से हमारे देश की गौरव महामहिम राष्ट्रपति व उत्तर प्रदेश की हमारी राज्यपाल जी भी हैं। शायद ही ऐसा कभी किसी सरकार में हुआ होगा।

पहले की सरकारों में जहां बहन-बेटियां घर से बाहर निकलने में खुद को सुरक्षित नहीं समझती थीं आज बिना डरे स्वतंत्र होकर निकल रही हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी तथा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय आदित्यनाथ महाराज जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हमारी सरकार जब से बनी है तब से नारी सशक्तीकरण को लेकर कई महत्वपूर्ण व विशेष कदम उठये जा रहे हैं जिसमें आज के दौर में काफी बदलाव भी आया है और महिलाओं को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है। सामान्य ग्रामीण महिलायें आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं उन्हें महिला सशक्तीकरण के अन्तर्गत समानता, स्वास्थ्य, न्याय, शिक्षा, रोजगार जैसी सुविधायें भी हमारी सरकार बड़े पैमाने पर देने का काम कर रही है। महिला सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्थानीय संसाधनों के आधार पर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का काम किया जा रहा है जिसके लिए हमारी सरकार बहुत ही ज्यादा बजट निर्धारित कर रही है जिससे महिलायें स्वयं अपना रोजगार कर सकती हैं। आज मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु प्रदेश के सभी थानों में शक्ति मोबाइल, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, महिला साइबर सेल जैसी काफी सारी योजनाओं का गठन हमारी इस सरकार के द्वारा किया गया है।

इसके लिए मैं पुनः माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह बनाकर रोजगार दिया जा रहा है। मा0 मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना में 1 लाख 91 हजार से अधिक कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराया गया है। इसमें अनुदान की राशि 35 हजार से बढ़ाकर 51 हजार कर दी गयी है। कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत 13 लाख से अधिक कन्यायें लाभान्वित हो चुकी हैं। अतः नारी शक्ति का असली अर्थ तब समझ में आयेगा जब एक-एक सामान्य ग्रामीण महिलाएं शिक्षित व समर्थ होंगी और उन्हें इस काबिल बनाया जायेगा कि वह हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर अपने फैसले कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्रीमती सलोना कुशवाहा-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने मुझे इस मानसून सत्र में बोलने का मौका दिया। जैसा कि हम सभी बहनें जानती हैं कि आज उत्तर प्रदेश विधान सभा का यह ऐतिहासिक दिन है। इससे पहले भी कई सरकारें आयीं और गईं लेकिन इतनी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गम्भीरता से हमारी बहनों के बारे में, हम लोगों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। यह दिन आने वाले इतिहास के पन्नों में लिखा जायेगा। जैसा कि स्त्री शति अपनी रचनात्मक व सृजनात्मक कौशल के रूप में सृष्टि का आधार रही है, सभ्य मानव समाज ने उसकी इस सृजन क्षमता के समक्ष नतमस्तक होकर उसमें देव का आरोपण करके उसे पूजनीय बनाया किंतु इसमें एक कमजोर पहलू यह है कि वास्तविक धरातल पर इसी समाज ने उसे पीड़ा व प्रताड़ना के साथ दलित भी बनाया। हमें वर्तमान समाज को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए अपना सहयोग एवं सद्भाव देना है। हमें महिलाओं से सम्बन्धित समाज में व्याप्त रूढ़िवादियों और कुरीतियों को नष्ट करना है। महिला सशक्तीकरण, महिलाओं की प्रगति और उनमें आत्मविश्वास का संचार हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। महिला सशक्ति देश और समाज के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाओं में रचनात्मक और सृजनात्मक शक्ति होती है।

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कई अवसरों पर अपने सम्बोधन में इस बात को बार-बार रेखांकित किया है कि आज मुद्दा महिलाओं के विकास का नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व के विकास का है। इसी क्रम को भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2019 के चुनावी घोषणा-पत्र में महिलाओं को राष्ट्र निर्माता के रूप में सम्बोधित किया था और अनेक महिलाओं से सम्बन्धित योजनाओं का प्रतिपादन किया था। चाहे वह तीन तलाक हो अथवा दुर्व्यवहार से सम्बन्धित कानून सभी में आमूल परिवर्तन कर महिलाओं के जीवन को गरिमामय एवं आनंदमय बनाने का कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। हमारी सरकार द्वारा हर समाज, हर वर्ग एवं हर आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं विस्तारित की हैं। चाहे वह उज्ज्वला योजना हो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ या सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना हो, महिला सशक्ति योजना या चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो केन्द्र सरकार के साथ हमारी प्रदेश की जनप्रिय योगी सरकार ने महिलाओं के सशक्तीकरण से सम्बन्धित विभिन्न योजनाएं एवं नये आयाम स्थापित किये हैं। जहां हमारी सरकार ने मिशन शक्ति योजना द्वारा महिला नेतृत्व वाले विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को स्वीकार किया अब उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह द्वारा ग्रामीण महिलाओं को भी सशक्त बनाया है। वह समय दूर नहीं जब भारत की ग्रामीण महिलाएं वैश्विक पटल पर कीर्तिमान स्थापित करेंगी। विश्व के मानचित्र पर भारतीय महिला 'अबला नहीं अब तू, सबला बनकर प्रकट होगी।' मैं माननीय अध्यक्ष जी से एक निवेदन भी करना चाहूंगी कि हम महिला विधायकों को कुछ विशेष अधिकार भी सदन की ओर से मिलें क्योंकि जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमारी वहां की बच्चियां और महिलाएं हमको खुशी से गले लगा लेती हैं।

अगर हमारे पास कुछ विशेष अधिकार होंगे तो हम उनके लिए उस विशेष अधिकार से कुछ अलग कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

वह अधिकार क्या चाहिए, आप लिखकर दे दीजिए। वह कार्यवाही का अंग बन जाएंगे। हम मा0 सरकार तक आपकी बात पहुंचा देंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सलोना कुशवाहा-

अध्यक्ष जी, 02 लाईन मुझे और बोलनी हैं।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा ठीक है, बोल लीजिये।

श्रीमती सलोना कुशवाहा-

'मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसले हैं तो फासला क्या है।' जय हिन्द, जय भारत।

***श्रीमती रेखा वर्मा-**

जय जवान, जय किसान, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका हृदय से बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ। आपने महिलाओं के लिए विशेष एक दिन रखा है। हम सभी महिलाओं ने महिला सशक्तीकरण पर अपने-अपने विचार रखे जिसे सबने सुना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी ने कहा था कि आप आमने-सामने बराबर नजर से देखेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया उसका जीता-जागता उदाहरण है, 19 तारीख। 19 तारीख को आपके सामने वाले विधायक आये नहीं आपने पता ही नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

हम देखते रहे, इंतजार करते रहे आप लोग नहीं आये।

श्रीमती रेखा वर्मा-

अध्यक्ष जी, हम लोगों ने सुना था कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सारी पार्टियां कहती थीं कि योगी-मोदी डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं। लेकिन वो 19 तारीख को ही जीता-जागता उदाहरण रहा। हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से अपने स्लोगन ले करके चले आ रहे थे लेकिन आपके पुलिस बल ने हम लोगों पर प्रहार किया, उन्होंने हम लोगों को रोका आगे नहीं बढ़ने दिया। हमारे सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहीं रोड पर जमीन पर बैठ गये, उनके साथ ही हम सभी महिला विधायकों और हमारे माननीय विधायकों को भी वहीं जमीन पर बैठना पड़ा। बताईये कैसे हम लोग समझें कि आप आमने-सामने बराबर देखते हैं। मेरी समझ में तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं आता कि आप आमने-सामने बराबर देखते हैं। अगर आप बराबर देखते होते तो आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कॉल करते कि आप माननीय विधायकों को ले करके हाउस में आईये लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान सरकार की एक सांसद थीं जो कि वर्ष, 2014 में जब 499 का सिलेण्डर था तब रोड पर बैठकर वह बोलती थीं, कि डायन महंगाई खाय जात, खाय जात। वही सिलेण्डर अब 1000-1100 का है। बताईये क्या अब महंगाई नहीं है, अब डायन नहीं खाय जा रही है। बताईये ये हम लोगों के साथ कितना दुर्व्यवहार है। आप लोग ये भी देखिये कि आप लोगों के पेपर पर अलग आंकड़े चलते हैं और जमीनी आंकड़े अलग होते हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम सब लोगों को बराबर नजर से देखा जाय। हम लोगों के जो स्लोगन लिखे हुए थे उसमें क्या था, उसमें यही तो था कि भ्रष्टाचार हटाओ, दूर भगाओ, महंगाई पर था और जो रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी के ऊपर था, बाकी तो हम लोगों ने ऐसा उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था जो कि आप लोगों ने डर कर पुलिस बल को आगे कर दिया और वहीं पर हम लोगों को रोक लिया।

दूसरी बात मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूँ कि जो डबल इंजन की सरकार है वह देश-प्रदेश को चलाने में बिल्कुल भी असमर्थ है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी जब मुख्य मंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया। किसी को पर्सनल नहीं कहना चाहिए लेकिन हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी अभी एक-दो दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए बोले थे कि आपको मुख्य मंत्री पद तो विरासत में मिला है इसलिए आपने तार-तार कर दिया, ऐसा किसी पर पर्सनल आरोप नहीं लगाना चाहिए। हम लोग चुनाव लड़कर जीतकर आये हैं। अध्यक्ष जी, जब से हमारा देश आजाद हुआ है उसके बाद मैं विधूना से पहली महिला विधायक हूँ। वहां अभी तक कोई महिला विधायक नहीं थी। मेरे क्षेत्र की तरफ से मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी जो आपने मुझे सुना और अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष-

आपको बहुत-बहुत बधाई कि आप पहली बार चुनकर आयीं।

***श्रीमती राजबाला सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस सम्मानित सदन में महिला सशक्तीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बोलने के लिए अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष जी, अभी-अभी सामने से हमारे एक माननीय सदस्य ने लैपटॉप और आई-फोन को झुनझुना बताया था।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर)

सुन लीजिए, सुनने में क्या बुराई है। मान्यवर, मैं बताना चाहती हूँ कि झुनझुना क्या होता है। झुनझुना पहले होता था और झुनझुना किसको थमाया जाता था। किसानों के हाथ में झुनझुना थमाया जाता था। बहन-बेटियों के हाथ में झुनझुना थमाया जाता था। गरीबों को योजनाओं के नाम पर झुनझुना थमाया जाता था। झुनझुना हर उस व्यक्ति को थमाया जाता था, जिसको उसका अधिकार मिलना चाहिए था। लेकिन अब जो हो रहा है, वह आप लोगों से देखा नहीं जा रहा है और वह झुनझुना बता रहे हैं। लेकिन क्षेत्र में जाकर देखिये झुनझुना क्या होता है और लैपटॉप-आईपैड क्या होता है।

माननीय अध्यक्ष जी, महिला सशक्तीकरण के बारे में हम तब तक सोच भी नहीं सकते, जब तक समाज में बहनों और बेटियों में सुरक्षा की भावना न हो और यह सुरक्षा की भावना देने का काम किसी ने किया है तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आदरणीय मुख्य मंत्री योगी जी ने किया है, क्योंकि उससे पहले का माहौल भी हम सब ने देखा था कि प्रदेश में कैसा माहौल था। बहन-बेटियां घरों से निकलने में डरती थीं, ट्यूशन जाते हुए डरती थीं, स्कूल जाते हुए डरती थीं और क्यों डरती थीं क्योंकि वह जानती थीं घर से निकलेंगी तो उनके साथ छेड़छाड़ होगी। कोई न कोई अभद्र व्यवहार या घटना हो सकती थी। लेकिन अब हमारी सरकार बनने के बाद, जब 2017 में सरकार बनी थी तो सबसे पहले आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एंटी रोमियो स्क्वॉड टीम का गठन किया था और वह इसलिए किया था क्योंकि पूर्व की सरकारों में जो गुण्डे-बदमाश, बहन-बेटियों को छेड़ते हुए फिरते थे, उनको सबक सिखाया जा सके और उन पर रोकथाम लगायी जा सके।

माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व की सरकारों में जो हुआ वह हम सबने देखा लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 2017 से ले करके अब तक के समय में हम देखेंगे बहनों के लिए, बेटियों के लिए हर चीज की व्यवस्था सरकार ने की है। बेटी जब जन्म लेती है तो उसके जन्म से लेकर उसके पालन-पोषण, टीकाकरण, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और उसके बाद उसके विवाह तक की जिम्मेदारी सरकार ले रही है और यह सब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के अच्छे शासन की वजह से हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, महिला सशक्तीकरण के लिए दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु शिक्षा है और इसकी शुरुआत हमारे प्रदेश में हो चुकी है। हमारी सरकार बनने के साथ ही साथ हमारी बेटियों के लिए उच्च शिक्षा, ग्रेजुएशन तक की शिक्षा फ्री कर दी गई थी। मान्यवर, 2017 में हमारी सरकार बनने के बाद बेटियों की स्नातक तक की शिक्षा को निःशुल्क किया गया। पढ़े-बेटी, बढ़े-बेटी की कल्पना को साकार

करने का काम किया गया है। प्रदेश में आज बेटियों की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार उठा रही है और इसके लिए योजनायें भी चल रही हैं जैसे कन्या सुमंगला योजना, मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना और मातृ वंदना योजना है। यह सब योजनायें बहन-बेटियों को देखते हुए बनाई गई हैं।

आज ऐसे क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है जिसको एक विशेष पार्टी का गढ़ माना जाता था और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं रामपुर जिले के मिलक विधान सभा क्षेत्र से आती हूँ। यह रामपुर लोक सभा की जीत बताती है कि प्रदेश में बहनों के लिए, बेटियों के लिए, किसानों के लिए कैसा शासन चल रहा है। हालांकि आज महिला सशक्तीकरण का कार्यक्रम है लेकिन मैं फिर भी बताना चाहती हूँ कि जब कोई भी लोक सभा या विधान सभा सीट की जीत होती है तो उसका श्रेय महिलाओं को ही जाता है क्योंकि हम आधी आबादी हैं और महिलाओं ने इस बार बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। मान्यवर, हमारी दो समस्याएं हैं, उसको सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

समस्याएं आप लिखकर दे दीजिएगा। हम उसको कार्यवाही में सम्मिलित कर लेंगे।

श्रीमती रेखा वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर मैंने पीठ के लिए कुछ अनुचित बोल दिया हो तो इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। आपने हम सारी बहनों से प्रॉमिस किया था जब हम लोगों ने आपको लूलू माल में राखी बांधी थी।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद रेखा जी, आप बहुत अच्छी बहन हैं। एक माननीय मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी जी ने सुबह बिल प्रस्तुत किये थे और पटल पर रखा था।

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार राज्य मंत्री (श्रीमती प्रतिभा शुक्ला)-

माननीय अध्यक्ष जी, कोई पदचिन्हों पर चलता है, कोई पदचिन्ह बनाता है। ऐसे हमारे मुख्य मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और हमारे अध्यक्ष जी के लिए आभार व्यक्त करती हूँ जो आपने नारी सशक्तीकरण को बहुत महत्व देते हुए हम सभी बहनों को आज बोलने का अवसर प्रदान किया है। यहां पक्ष और विपक्ष दोनों में जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं सभी प्रतिभा शुक्ला का प्रणाम स्वीकार करें क्योंकि नारी सशक्तीकरण एक नारी को सशक्त करने का मतलब पूरे परिवार को सशक्त करना होता है। नारी प्रेम, स्नेह, प्रेरणा देती है पुरुष को, हम समझते हैं समाज के दो पहिये हैं नारी और पुरुष, दोनों में एक पहिया लचर पचर होगा तो गाड़ी नहीं चल पायेगी, जब गहस्थी की गाड़ी नहीं चलती तो समाज कैसे चलेगा। नारी सशक्तीकरण है

तभी हम बहनें यहां पर बोल रही हैं। यह जरूर कहना चाहेंगे कि आत्मा हमारी शाश्वत है, न वह पुरुष है, न वह स्त्री है, जब पुरुष और स्त्री नहीं है तो जो अन्दर तत्व विराजमान है उसको समान अधिकार मिलना ही है और आज हम सभी यह कहेंगे कि हमारे मुख्य मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी महिलाओं को तो समान अधिकार देने की बात कर रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं हम कमजोर साबित हो रहे हैं।

हम अपनी बहनों से कहेंगे कि अपनी भागीदारी समान रूप से लेकर आयें कभी अपने आपको कमजोर साबित मत करो। अभी हमारी बहन ने कहा कि मुख्य मंत्री जी डरते हैं। सन्यासी भला क्या डरेगा किसी से, जिसका कोई घर नहीं, परिवार नहीं वह भला क्या डरेगा। एक सन्यासी कभी किसी से नहीं डरता। हम तो धर्म की बात कर रहे हैं, धार्मिक रूप को बता रहे हैं जिसने सारी चीजों को क्या से क्या कर दिया हो उसको किस बात का डर है। आप सम्मान से आयें यहां पर अपनी बात बोलें सबको बोलने का सामान्य अधिकार है। अभी बहन ने कहा पंजीरी बांटने वाला विभाग कहीं दिखाई नहीं दे रहा है।

हम यह बताना चाहेंगे कि यह विभाग पहले था अब नहीं है। आंगनबाड़ी केन्द्र को प्री नर्सरी स्कूल के रूप में बनाकर हमारे मुख्य मंत्री जी ने एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी केन्द्र अब प्री नर्सरी स्कूल के रूप में चलाये जायेंगे। बच्चों को संस्कार की शिक्षा दी जायेगी। वह बच्चा जो गरीब है, गांव से आता है, अच्छे नर्सरी स्कूल में नहीं जा सकता, उसकी पढ़ाई के लिए आंगनबाड़ी बहन हमारे संस्कारों की शिक्षा देगी। बहुत सारे लोगों ने यह प्रश्न किया मुझसे कि आंगनबाड़ी बहन बिना पढ़ी-लिखी होती है, वह भला क्या शिक्षा देगी, हमने कहा नहीं बिना पढ़ी-लिखी मां भी आई0ए0एस0 आफिसर बना कर तैयार कर देती है तो आंगनबाड़ी बहन एक अच्छा संस्कार दे सकती है वह यह बता सकती है कि आप एक अच्छे भाई, अच्छे पति, अच्छे सामाजिक कैसे बनेंगे। हमारे समाज में संस्कारों का अभाव है। अभी यह कहा जा रहा है कि बहुत सारे रेप हो रहे हैं, कहीं छेड़-छाड़ हो रही है, कहीं कुछ भी हो रहा है जो घटनायें घट रही हैं इसमें सरकार तो पूरी तरह से कटिबद्ध है। किसी भी तरह से किसी भी नारी के साथ कोई घटना न घटे ऐसी हमारे मुख्य मंत्री जी की मंशा है लेकिन जो घटनायें हो रही हैं इसमें कहीं-न-कहीं समाज उत्तरदायी है क्योंकि हमारे कहीं-न-कहीं संस्कार क्षीण हो रहे हैं। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं बेटियों को उत्तम चरित्र की शिक्षा दो हम कहते हैं कि बेटों को क्यों नहीं ? आप सब कह रहे थे कि यहां पर केवल नारियों का मामला है और बहनें बोलेंगी लेकिन जब बहन बोलें और भाई सुनें, न तो बात कहां पर बनती है। हम भाइयों से भी कहना चाहते हैं कि वह बेटों को भी उत्तम चरित्र की शिक्षा दें और यह समाज नारी को पुत्री, बहन, मां के रूप में देखे।

श्री अध्यक्ष-

कृपया समाप्त करें।

श्रीमती प्रतिभा शुक्ला-

केवल दो मिनट का समय दे दें। हम पूरे उत्तर प्रदेश की बहनों की ओर से कह रहे हैं कि बहनें हमारी जो दया और ममता का प्रतीक हैं उनकी तरफ से कह रहे हैं। मैं सारे पुरुषों को नहीं कह रही हूं लेकिन जो समाज में हिंसक और विकृत पुरुष हैं, जो समाज में घटनायें करते हैं उनके लिए कह रही हूं कि-

'दानवता को मानवता से बेपरवाह बदल देंगे, अगर आप भाइयों का और मा0 मुख्य मंत्री जी का साथ मिला तो उत्तर प्रदेश का इतिहास बदल देंगे।'

महिला सदस्यों के लिए आरक्षित विशेष उपवेशन पर सदन के प्रति आभार

श्री अध्यक्ष-

अभी नियम-56 में डॉ0 रागिनी जी ने कुछ विषय उठाये थे उसका जवाब माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी देंगे, जो औपचारिक काम बाकी है, नियम-51 की सूचनाएं हैं, वक्तव्य हैं, वह सभी लेंगे।

मैं आभारी हूं सभी माननीय सदस्यों का, पूरे सदन का कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग लगभग शाम के साढ़े 6 बजे इस सदन में बैठे हैं। पांच, साढ़े पांच घण्टे से ज्यादा समय तक इस महत्वपूर्ण चर्चा में सभी ने भागीदारी की है, इसके लिए सभी सम्मानित सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद। एक सोच थी मेरी, जिसके कारण इस सत्र को आहूत किया गया था, मुझे प्रसन्नता है कि इसका संदेश उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में गया है। जिस प्रकार से हमारी बहनों ने सुबह से अब तक बोला है, जैसे नेशनल मीडिया के लोग आपसे बातचीत करने के लिए उत्सुक थे और जितनी बढ़िया बातें आप लोगों ने नेशनल मीडिया में की हैं उसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। सभी ने पॉजिटिव चर्चा की उनको एक अवसर मिला और यह अवसर सब लोगों की वजह से है। हमारी महिला सदस्य तो बोली ही हैं लेकिन इसमें हमारे सभी सदस्यों का योगदान है।

मैंने एक बात प्रारम्भ में ही कही थी कि आज यह एक दिन का सदन नहीं है, आज शुरुआत है और मैं सभी महिला सदस्यों से इस बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि अगले सत्र से आपका बराबर का पार्टीसिपेशन होना चाहिए, आप क्वैश्चन्स लगायें, नोटिसेज दें और विभिन्न नियमों में अपनी बात को कहें, यह शुरुआत आज इसीलिए हुई है। शुरुआत इसलिए नहीं हुई है कि आप एक दिन बोल लें, शुरुआत इसलिए है कि जब मैंने विषय सूची देखी तो 20 में से सिर्फ एक महिला सदस्य ने अपना प्रश्न लगाया। आज शुरुआत इस आधार पर हुई

जब मैंने कहा कि आज महिला सदस्यों की नोटिसेज को प्राथमिकता देंगे तो भी सारी महिलाओं ने नोटिसेज नहीं लगाये। मैं क्षमा चाहता हूँ मैं अपने लिए यहां बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ आपकी कृपा से, पार्टी की मेहरबानी से, मेरे विधान सभा क्षेत्र की कृपा से, मेरे शहर की कृपा से मैं विगत 32 वर्षों से यहां पर लगातार बैठा हूँ।

यह सत्र मैंने अपने लिए आहूत नहीं किया था, यह मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यह सत्र इस प्रदेश में इस विधान सभा की जो गरिमा थी, उसको देश में ले जाने के लिए आहूत किया था। यहां उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का परसेप्शन था, मैंने पहली मीटिंग में कहा था, मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि कल का जब अखबार छपा था, न्यूज पेपर छपे थे चाहे प्रिंट मीडिया हो या न्यूज मीडिया हो, कल का अखबार उठाकर देखें, जो बीता हुआ कल था उत्तर प्रदेश विधान सभा की तस्वीर के नाते से उसमें कुछ आंकड़े दिये गये थे। उन आंकड़ों में था कि इतने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इतने एम0बी0ए0 हैं, इतने यंग एम0एल0एज0 हैं, इतने महिला एम0एल0एज0 हैं, इतने एग्रीकल्चरिस्ट हैं, इतने लॉ मेकर्स हैं, लॉ ग्रेजुएट्स हैं। मुझे लगता नहीं कि मैंने पिछले 32 साल में ऐसा पढ़ा हो। मैंने पढ़ा है कि इस-इस जाति के इतने-इतने लोग हैं और विधान सभा में इतने-इतने अपराधी हैं। सच क्या था और झूठ क्या था, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ।

मैं थोड़ा भावुकता के साथ आज इस बात को कह रहा हूं। जिस समय हम सब लोग यहां से जाते हैं, हो सकता है कि किसी ने कोई डिग्री प्राप्त कर ली हो, किसी ने कोई डिग्री न प्राप्त की हो, लेकिन जनता के बीच में काम करना सबसे दुरूह काम है, सबसे मुश्किल काम है, वो आप सब लोग यहां पर करके आये हैं। उसके बाद जब जाते हैं, तो कोई खराब निगाह से देखता है कि ये विधायक हैं और 1947 में जिस नेता को सम्मान के साथ देखा जाता था, उसके बाद जिसे नेता कहा जाता था, तो लोगों को लगता था कि ये मेरे से नाराज है। हमारे क्षेत्र की जनता हम लोगों को चुनकर यहां पर क्यों भेजती है ? मेरा कोई व्यक्तिगत एजेण्डा नहीं है।

मैं इस सदन से घोषणा करता हूँ कि अगर कोई भी एक सदस्य मेरे पर अविश्वास व्यक्त करेगा, मैं सदन छोड़कर चला जाऊँगा। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इस आधार पर यहां काम करने के लए बैठा हूं। इस आधार के ऊपर नहीं बैठा हूं कि मेरे को क्या चाहिए ? आरोप-प्रत्यारोप, राजनीति में नीतियों के आधार के ऊपर, अपने-अपने एजेण्डा के आधार के ऊपर लगते हैं। हम बहुत समय यहां पर बैठे। मैं सरकार में रहकर तीन बार और विपक्ष में रहकर पांच बार चुनाव जीता हूं। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष लोकतंत्र के दो सिक्के हैं। अगर उसका एक पक्ष भी खोटा हो जाता है, तो पूरा सिक्का खोटा हो जाता है। हमें इस आधार के ऊपर काम करना है।

आज जिस प्रकार का संदेश हमारी महिला सदस्यों के द्वारा सदन में दिया गया, मैं उससे बहुत प्रफुल्लित हूँ, प्रसन्न हूँ और ये बिना सबके सहयोग से नहीं सम्भव था। सब लोगों के सहयोग से यह सम्भव हो पाया है। मैं इस बात को फिर दोहराऊँगा कि अब यह सिलसिला चलते रहना चाहिए। आगे से कोई दिन रिजर्व हो, इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। किसी के लिए दिन रिजर्व करने की जरूरत क्यों पड़े ? हमारी बराबर की भागीदारी हमारे द्वारा स्वयं क्यों नहीं हो सकती है ? जिसमें हमारी भागीदारी हमारे द्वारा स्वयं होनी शुरू हो जाएगी, तो किसी प्रकार के दिन को रिजर्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

मेरे सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, आज इस अवसर पर मैंने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन मैंने जितना कुछ सोचा था, मा0 मुख्य मंत्री जी के सहयोग से, उन्होंने जिस प्रकार से मुझे बताया और बताते हए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैंने जिस वक्त नेता प्रतिपक्ष से बात-चीत की, तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया।

इसलिए पूरे सदन को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे को लगता था कि सभी की सभी 47 महिला सदस्यों को बुलाऊँ, लेकिन कुछ सदस्य किन्हीं कारणोंवश आज सदन में उपस्थित नहीं हो पाईं। मेरे को व्यक्तिगत रूप से जानकारी है। इधर भी जिन मा0 सदस्य का आज प्रश्न लगा था, वह भी हाउस में आज किन्हीं कारणों से नहीं थीं। हमारे बहुत सारे 2-3 महिला सदस्य इधर भी थीं। 47 में से 40 महिला सदस्य आज यहां पर उपस्थित थीं और 40 के 40 महिला सदस्यों ने आज बोला। इस मिथक को भी तोड़ना जरूरी था कि महिलाएं जो विधान सभा में आती हैं, उनको बोलना नहीं आता।

मैं इस विधान सभा की आवाज से पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में यह संदेश देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं अपने क्षेत्र की जानकारी करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए सक्षम है। वह सक्षम है, आज इस माध्यम से हम लोगों को दिखायी भी दिया।

मैंने कहा कि मैं कोई रिटेन स्पीच तैयार करके नहीं ला रहा हूँ। मन के अन्दर जो बातें होती हैं, मैं कह देता हूं। विधान सभा में बैठे-बैठे बहुत समय हो गया। अब इस बात का कोई तमगा मिलने वाला नहीं है कि आगे कितने साल तक बैठेंगे, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि कैसे बैठेंगे। (सदन के सभी सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) इस बात का ध्यान रखकर हम सभी लोग काम करेंगे ?

मुझे लगता है कि मेरी विधान सभा जो 403 सदस्यों से मिलकर बनती है, उस विधान सभा की गरिमा का हाथ आप सब लोगों के साथ है।

मैंने कहा बहुत सारी बातें मेरे मन में थीं मैं कहना चाहता था, लेकिन यदि मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को जो सुबह डॉ0 रागिनी के द्वारा नियम-56 में कुछ विषय उठाये गये थे, तब मंत्री जी ने कहा था कि शाम तक उनका जवाब दे देंगे।

[06:30] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

***संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस समय इस विषय के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। एक सूचना का जवाब मैंने दे दिया था और तीन सूचनाओं का जवाब मैं दे रहा हूं। बहुत अच्छे तरीके से डॉ0 रागिनी जी ने अपनी बात को रिप्रजेंट किया, मैंने तो इनको पहली बार पूणे में सुना था। वास्तव में जो आज हाउस का सीन देखने को मिला कि पुरुषों से ज्यादा अच्छी तरीके से महिलाएं प्रजेंट कर सकती हैं। यह मैंने आज महसूस किया। मा0 अध्यक्ष जी, आपको बहुत-बहुत बधाई कि आपने इस सत्र को आहूत किया और ये अपने आप में एक मील का पत्थर बनेगा, उत्तर प्रदेश विधान सभा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आपने एक नयी तरीके से परम्परा की शुरुआत की आपके आने से कई बदलाव विधान सभा में देखने को मिले और उसी में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर सभी महिलाओं को बोलने का अवसर दिया। यह निश्चित रूप से माइलस्टोन भी बनेगा और इतिहास भी, इसलिए आपको मैं फिर से बधाई देता हूँ।

और जो लखनऊ की घटना के संबंध में प्रश्न उठाया था, उसके संबंध में हम आपको जानकारी दे दें। कृष्णा नगर थाने की जो घटना है, उसमें अपराध संख्या 481/22 धारा-376 डी, 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता, इसमें हर्षित शुक्ला व उसके पिता प्रेमचंद शुक्ला, पुत्र राधे श्याम शुक्ला इसमें सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है और मैं समझता हूं कि जिस धारा में इनको निरुद्ध किया गया है उस प्रकार की धारा है कि बेल उसमें बहुत मुश्किल है और हम उम्मीद करते हैं हम इसमें सख्त से सख्त सजा दिलाने में सफल होंगे। यह मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को कहना चाहता हूँ। दूसरी घटना गोरखपुर की है इसमें क्राइम नंबर 206/22 धारा 376 डी0 आई0पी0सी0 थाना जी0आर0पी0 गोरखपुर में जो मुल्जिम प्रकाश में आये थे, एक का नाम था राजा अंशारी उर्फ इम्तियाज मो0 अंसारी पिता का नाम गुड्डू अंशारी दूसरे का नाम था संतोष चौहान तीसरे का नाम था अंकित पासवान तीनों व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं और जेल जा चुके हैं और इसमें चौथा व्यक्ति नील है उसकी गिरफ्तारी मान्यवर शेष है। इसमें विवेचना की वर्तमान स्थिति यह है कि आरोप संख्या ए 98 और 14-09-2022 है। आज जो कह रही थीं इस घटना के बारे में तो यह घटना 07-09-2022 की है और इसमें ए 98 आरोप-पत्र संख्या है और 14-09-2022 का आरोप-पत्र है। आप जो विवेचना की बात कल कर रहे थे मा0 अध्यक्ष जी अभी तक सम्मन तामील नहीं होते थे जो फोरेंसिक लैब की बात की जिसकी वजह से जांच नहीं आ पा रही थी, जो फार्मल विटनेस नहीं आ पाते थे, 8 जनपदों में ये क्रियाशील हो गयी और 04 में निर्माणाधीन है। हर तरह से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार ने कोशिश की है कि कानून-व्यवस्था से संबंधित, उसको मेनटेन करने से संबंधित जितने भी आयाम हैं उन सबके ऊपर प्रभावी कार्रवाई हो और परिणाम भी देखने को मिलें। तीसरी घटना पीलीभीत की है, मैं जौनपुर का भी डिटेल ले आया हूँ यह आपके पास भेज दूँगा क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, मैं आपको भेज दूँगा, आप देख लीजिएगा, जब से यह सरकार आयी है तब से लेकर अब तक का उसमें पूरा डिटेल है।

पीलीभीत की जो घटना है उसमें मु0अ0 संख्या 428/22, 452, 376, 307, 504, 506 आई0पी0सी0 एवं 3/4 पाकसो ऐक्ट, इसमें एस0सी0/एस0टी0 एक्ट भी लगा है। दिनांक 10-09-2022 को पीड़िता कु0 मानसी देवी का बयान अंकित किया गया था इसमें जो मुल्जिम है उसमें 11-09-2022 को अभियुक्त राजवीर व ताराचंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और इसमें एस0सी0/एस0टी0 को जो पैसा मिलना चाहिए था वह रु0 4,12,500/- दिनांक 19-09-2022 को पीड़िता के पिता वादी राम सनेही के खाते में यह राशि भेज दी गयी। यह केस भी 10-09-2022 का है। इसमें गिरफ्तारी भी हो गयी है। सरकार ने किसी मामले में कोई हीला-हवाली नहीं किया है। मान्यवर, जहां तक आज के इस प्रकरण का सवाल है हमारे कई माननीय सदस्यों ने, कांग्रेस की नेता और कई महिला सदस्यों ने महिला सुरक्षा का प्रश्न उठाया तो उस बारे में दो-तीन बातें जरूर कहना चाहूंगा कि हर स्तर पर इस बात का प्रयास किया गया कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सजा मिले।

उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में तो आप कई बातें कभी-कभी कह देते हैं जो नहीं कहनी चाहिए। लेकिन एन0सी0आर0 का जो रिकार्ड है वह अपने-आप में इस बात का साक्षी है कि हमने सजा दिलाने में कितना महत्वपूर्ण रोल अदा किया है और हर स्तर पर इस बात की कोशिश की है कि लोगों को सजा जरूर मिले। यह 2021 के नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो का आंकड़ा है। इसमें आई0पी0सी0 के और एस0एस0एल0, विशेष और स्थानीय कानून के सम्बन्ध में जो अपराध हुए जनपद एवं सत्र न्यायालय में मात्र एक माह में पूरे देश में सबसे अधिक 1310 मामलों में सजा उत्तर प्रदेश में हुई है जो पूरे देश में हुई सजा का 50 पतिशत है .....

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

दूसरे स्थान पर 803 सजा केरल में और तीसरे स्थान पर 224 सजा महाराष्ट्र में हुई है। इसी प्रकार से हमने 218 फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाये हैं, 81 मजिस्ट्रेट न्यायालय बनाये हैं, महिलाओं के लिए और 81 अपर सत्र न्यायालय बनाये हैं उनको भी महिलाओं के केसेस सुनने के लिए अधिकार दिये हैं। फास्ट-ट्रैक कोर्ट के द्वारा मात्र एक महीने में पूरे देश में सबसे अधिक 202 मामलों में सजा उत्तर प्रदेश में हुई है जो सजा का 67 प्रतिशत है, दूसरे स्थान पर आन्ध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। फास्ट-ट्रैक न्यायालयों द्वारा एक से तीन माह में सजा

कराने में उत्तर प्रदेश 417 मामलों में सजा कराकर पूरे देश में प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर आन्ध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पर 10 मामलों में तमिलनाडु में सजा हुई है।

इसी प्रकार साइबर क्राइम में भी उत्तर प्रदेश में सजा का रेट 83.2 प्रतिशत है। बाल अपराधों में 2397 मामलों में सजा उत्तर प्रदेश में हुई है, ऐसे मामलों में पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर पूरे देश में 65.6 प्रतिशत की दर उत्तर प्रदेश में है। मान्यवर, 25-03-2022 से लेकर 31-08-2022 तक इन 6 महीनों में 235 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 475 अभियुक्तों को 10 वर्ष से ज्यादा का कारावास, 1843 अभियुक्तों को 10 वर्ष से कम का कारावास दिया गया है। साथ ही साथ वर्ष 2017 से वर्ष 2021 तक हमारा जो नेट रिकार्ड है, हम भी कोई राजनीतिक भावना से बात नहीं करना चाहते हैं, हमारे पास वर्ष 2017 का भी आंकड़ा है और वर्ष 2021 का भी आंकड़ा है। बलात्कार में 33 प्रतिशत की कमी हुई है, अपहरण में 29 प्रतिशत की कमी हुई है, शीलभंग में 25 प्रतिशत की कमी हुई है और दहेज मृत्यु में 12 प्रतिशत की कमी हुई है। हमारे पास यह रिकार्ड है आप कहिये तो हम आपके पास भेज दें। हर हाल में जो भी सख्ती की गयी, जो भी इस दिशा में प्रयास किये गये, खासतौर से जो पुलिस बल है, उसमें 1 लाख 53,000 लोगों की नियुक्ति हुई है, वह सब यंग लोग हैं, बहुत ही उत्साही हैं, उनका मनोबल भी ऊंचा है, उनको जो बेसिक इम्युनिटीज हैं, वह भी मिल रही हैं, इसलिए काम करने की उनकी गति भी बढ़ी है और उत्साह भी बढ़ा है। हर तरीके से यह कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार की कोई शिकायत न हो।

महिला सदस्यों के लिए आरक्षित विशेष उपवेशन पर सदन के प्रति आभार (क्रमागत)

***संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मैं कहना चाहता हूँ कि आपने आज जो यहां पर ऐतिहासिक चर्चा करवाई है यह तो मील का पत्थर बनेगा ही, आखिरकार हमारा सामाजिक परिवेश कैसे बना ? यह महिलाओं की स्थिति क्यों बनी इसके बारे में यह बात जरूर आनी चाहिए चाहे अशिक्षा हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे सती प्रथा हो, चाहे पर्दा प्रथा हो, चाहे दहेज प्रथा हो यह सब हमको इस स्थिति में ले आये हैं कि आज हम इस पर चर्चा करने को मजबूर हैं, मिशन शक्ति और महिला सशक्तीकरण की बात कहने के लिए विवश हैं। इसके ऊपर जरूर विचार होना चाहिए। हमने कन्या भ्रूण हत्या का कानून 1994 में पास किया था, लेकिन क्या हुआ, 1961 में हमने विवाह में दहेज रोकथाम के संबंध में कानून पास किया था। आज जब कन्या पैदा होती है तो लोग उसको बोझ क्यों समझते हैं, क्योंकि कल को उसकी शादी करनी है। लड़का पैदा होने पर नहीं सोचते हैं। यह समाज की धारणा क्यों बनी। सबसे ज्यादा अगर बुराई किसी चीज में है तो वह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दहेज प्रथा में है। इस सदन में जितने लोग बैठे हैं सभी अपने-अपने मन में अगर इस बात का संकल्प ले लें कि हम दहेज वाली शादी में शामिल नहीं होंगे तो हो सकता है कि स्थिति में थोड़ा-बहुत सुधार हो सकेगा। आखिरकार समाज का वह ताना-बाना कब बनेगा।

सामाजिक व्यवस्था को जब तक हम नहीं सुधारेंगे अकेला कानून इस चीज को नहीं सुधार सकता है। सबसे ज्यादा प्रहार इस बात पर होना चाहिए कि हम अपनी शादी की जो परम्परायें हैं, उसका मूल्यांकन करें, उसको किस प्रकार से देखें। जब तक यह नहीं होगा तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा। हमने कन्या भ्रूण हत्या का कानून बनाया, लेकिन आज क्या स्थिति है, चोरी छिपकर लोग अल्ट्रासाउण्ड भी कराते हैं और एबार्शन भी कराते हैं, सजा कितने लोगों को मिलती है, कितने लोग पकड़े जाते हैं ? कुछ चीजें समाज की व्यवस्था से सुधरती हैं। सती प्रथा कैसी थी, हम इस बहस पर लम्बा नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति यह बनी है कि हमारे घर में जिस दिन से लड़की पैदा होती है, उसी दिन से यह कहा जाता है कि बेटा तुम्हें पराये घर जाना है, उसे परोपजीवी बना दिया जाता है। उसकी मानसिकता परोपजीवी बना दी जाती है कि तुम्हें पराये घर जाना है। तुम्हें एक तरह से जाकर अपने पति की सेवा करनी है। यह हमारे समाज की मानसिकता है। आखिरकार यह मानसिकता कब दूर होगी ? बराबरी का दर्जा जब पाने की बात करते हैं तो इनटोटल्टी भी देखना चाहिए। आखिरकार इनटोटल्टी कहां-कहां सुधार की आवश्यकता है। हम कुछ भी कानून बना दें। सुरक्षा के मामले में आज तक जितना योगी सरकार ने किया है, आप अकेले में बैठकर मूल्यांकन कर लीजिएगा।

आज हम इस बात पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं कि आखिरकार पिछली सरकारों से लेकर अब तक हम कुछ बढ़े हैं या घटे हैं। कहना तो बहुत आसान है। हमने यह कभी नहीं कहा कि अपराध जीरो हो जायेगा, लेकिन हां अपराध के लिए हमारा नजरिया क्या होगा, अपराधी के प्रति हमारा नजरिया क्या होगा, उसके प्रति सख्ती होगी या उसके प्रति कोई रियायत होगी, संवेदनशीलता होगी। मान्यवर, जितना सुरक्षा के ऊपर इस सरकार ने ध्यान दिया है हम समझते हैं कि पूरे हाउस को इस बात को महसूस जरूर करना चाहिए और अन्दर से महसूस करते भी होंगे लेकिन कहने की मजबूरी है तो कहिए लेकिन आज भी अगर हम इस बुराई को खास तौर से चिन्हित करके और इसके बारे में हम संकल्प लेंगे तभी मैं समझता हूँ कि जो पढ़ाई के लिए योगी सरकार ने पैदा होने से दो लाख से कम जिन परिवारों की आमदनी है उन परिवारों में जो कन्या पैदा होगी ऐसे तेरह लाख सड़सठ हजार लोगों को हम लाभान्वित कर चुके हैं कन्या सुमंगला योजना के तहत और उसके बाद जब लड़की पढ़ जाये तो हमने स्वयं सहायता समूह की व्यवस्था की। दस लाख स्वयं सहायता समूह बने हैं जिसमें एक करोड़ लोग शामिल हुए हैं जिसमें मानदेय भी मिल जाता है जो भी पैदा करते हैं उसके बाद सरकार

के द्वारा सहायता भी मिल जाती है। उसके बाद शादी की व्यवस्था होती है हर तरह से इस बात की कोशिश की है कि लड़की के पैदा होने से लेकर और लड़की की शादी तक कन्या बोझ न समझी जाये यह सरकार की व्यवस्था है हमने 25 हजार का वादा किया आपने कहा था वह 25 हजार दिया जायेगा वह हमारे संकल्प-पत्र में है हमने वादा किया है कन्या सुमंगला योजना के तहत कि जो 15 से 25 हजार का वादा किया है वह हम पूरा करेंगे। पैदा होने से लेकर विवाह तक की व्यवस्था इस सरकार ने हर स्तर पर की है।

आप ने पूछा कि नौकरियां कितनी थीं तो एक लाख सरकारी नौकरियां महिलाओं को दी गई हैं। तीन पी0ए0सी0 बटालियन बनी हैं जिसमें गोरखपुर, लखनऊ और बदायूँ तीन अकेली महिलाओं की बटालियन बनाई गई है। एक बात हम कह कर अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं कि यह कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे परिवार की कोई महिला राजनीति में आए अगर किसी पंचायत में चुन भी गई, किसी नगर पंचायत में, जिला पंचायत में, क्षेत्र पंचायत में, या ग्राम पंचायत में तो वहां उनके पति, उनके भाई, उनके पिता महिलाओं को इस बात का मौका ही नहीं देते हैं कि अगर चुनने के लिए दिया गया है तो कम से कम उनको काम करने दो और फिर वही लोग यह कहते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है। सवाल यह है कि जो चुना गया है उनको तो आगे आने दीजिये। कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारी बच्ची पैदा होकर राजनीति में जाये सोचेंगे सब भाषण भी देंगे लेकिन कितने लोग यह करेंगे तो जो कुछ व्यवस्था समाज की तरफ से होनी चाहिए वह तो कहीं न कहीं से शुरू होनी ही चाहिए हर चीज के लिए कानून नहीं बन सकता है और कानून 1985 से बना और उसके बाद सन चौरानबे में लागू हुआ। चौरानबे से लेकर आज अट्ठाइस वर्ष हो गए अभी तक या तो भाई नेतागिरी कर रहा है या पति कर रहा है या पिता कर रहा है यह सभी लोगों के लिए है।

अभी भी कोई भी परिवार अपनी कन्या को राजनीति में जाने के लिए अभिनन्दन नहीं करता है कि जाओ तुम जाकर राजनीति करो। जो लोग करते हैं वही तरक्की जरूर करते हैं। अगर समाज में चाहते हैं कि हमारे परिवार में रानी लक्ष्मीबाई पैदा हो, झलकारीबाई पैदा हो, अवंतीबाई पैदा हो, या ऊदा देवी पैदा हो तो कम से कम राजनीति में जाना ही पड़ेगा नहीं तो यह क्षमता कहाँ से आएगी यह आत्मविश्वास कहाँ से बनेगा पहले छोटी-मोटी लड़ाई देखेंगे, संघर्ष देखेंगे तब कहीं जाकर आत्मविश्वास बढ़ेगा लेकिन अगर हम पैदा होने से लेकर शादी तक की व्यवस्था सुधार देंगे तो हम समझते हैं कन्या को कभी भी बोझ नहीं माना जायेगा और जब तक यह सामाजिक व्यवस्था नहीं बनती तब तक समाज को झेलना पड़ेगा। राजा राम मोहन राय के समय क्या प्रथा थी कि अगर पति मर जाए तो महिला को झोंक दो ले जाकर हालांकि उस समय की जो सामाजिक परिस्थिति थी उसके ऊपर लम्बा नहीं जाना चाहते हैं लेकिन यह

भी था कि वह कितने दिन चली और आज उसको रोका भी गया और आज उसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अच्छी-खासी महिला को चिता में बैठा दिया जाता था। अच्छी-खासी महिला को चिता में बैठा दिया। तीन तलाक कैसी प्रथा थी ? दुनिया की जो माईनॉरिटी कंट्रीज थीं उनमे भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। हालांकि 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। वर्ष 2019 में जब तीन तलाक पर कानून पास हुआ तो 65000 मुकदमे थे, लेकिन तीन तलाक को समाप्त करके उनकी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने में सरकार ने कितनी बड़ी मदद की। कहने के लिए तो राजनीति कुछ भी करें, लेकिन जिस दिन से तीन तलाक खत्म हुआ, उनके परिवारों से पूछिये तो उस दिन से उन्हें नयी जिन्दगी मिल गयी। भारतीय जनता पार्टी की चाहे केन्द्र में मोदी जी की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, हर कदम इस बात के लिए उठाया गया और हर तरह से यह कोशिश की गयी कि आगे आने वाली हमारी जेनरेशन अच्छी हो। अभी तक हज पर महिलाएं अकेले नहीं जाती थीं। हमने किया है, अब अकेले जाने लगी हैं।

(इस मध्य समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर एक साथ कुछ बोलने का प्रयास करने लगे जिस कारण सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

बैठिये-बैठिये। मेरे मन की पीड़ा थी इसलिये मैंने यह बात कह दी। इसलिये अगर चाहते हैं कि हमारे समाज में भी और हमारे परिवार मे भी यह हो तो निश्चित रूप से अपनी बहन-बेटियों को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा।

(व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिये। अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं कह दूँगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, उनको राजनीति में आने के लिए प्रेरित भी करना पड़ेगा और कन्या भ्रूण हत्या से लेकर शिक्षा और शादी की व्यवस्था को हम सामाजिक परिवर्तन करके ही दूर कर सकते हैं और जब तक समाज में ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं होगा कि हम न तो दहेज वाली शादी में जायेंगे और न दहेज लेंगे और न दहेज देंगे तब तक यह समस्या दूर नहीं होगी। यह समस्या शनैः-शनैः दूर होगी। मा0 अध्यक्ष जी, हम आपको एक बार फिर से बधाई देते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से लोगों ने अपने विचार रखे, बहुत खुलकर बात की और मैं समझता हूँ कि आपने यह बहुत अच्छी बात कही कि यह चर्चा जारी रहनी चाहिये। वास्तव में पूरे देश की

मीडिया में सबसे ज्यादा यह समाचार ही प्रमुख होगा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा ने एक ऐतिहासिक काम किया है और जितना खुलकर लोग बोले हैं उसके लिए मैं एक बार सभी महिला सदस्यों को बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इसी मध्य समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्य अपने स्थानों पर खड़े रहे और अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण, आप लोग कृपया बैठ जाईये। आप लोग मेरी बात सुनिये। मैंने आपकी बात सुन ली है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो एक विषय कहा है कि महिलाएं हज पर जाती हैं कि नहीं जाती हैं। अगर वह जाती हैं और उन्होंने कहा है कि नहीं जाती हैं तो उसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा। यही तो आप चाहते हैं। आप लोग जो चाहते हैं उसी हिसाब से कर दिया जायेगा। आप जो चाहते हैं वह मैंने कह दिया। सौभाग्य से आज मा0 नेता सदन, विधान परिषद् जो हमारे मा0 उप मुख्य मंत्री जी हैं इन्होंने आज विधान परिषद् में भी महिलाओं को बोलने का एक विशेष कार्यक्रम रखा था तो विधान परिषद् के नेता होने के नाते से और मा0 उप मुख्य मंत्री होने के नाते से मैं मा0 उप मुख्य मंत्री श्री केशव जी से कहूँगा कि वह थोड़े शब्दों में अपनी बात रखें।

(सत्तापक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट)

उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि जिस दिन से आपने विधान सभा अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी सम्भाली है, अगर दोनों सदन मिलाकर गिना जाये तो मैं तीसरी बार उत्तर प्रदेश में हूँ, लेकिन आप सहित यहां कई लोग कई बार चुनकर आने वाले हैं, लेकिन आपके कार्यकाल में विधान सभा के अन्दर जो एक अलग प्रकार का दृश्य दिखायी दिया है मैं उसकी खुले मन से प्रशंसा करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ। जितनी प्रशंसा की जाये वह कम है और आप ही से प्रेरित हो करके आज उच्च सदन में भी आज का जो कार्यक्रम हुआ है उसकी भी जानकारी देते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तो यहां की बहनों को भी सुनने के लिये आया था, लेकिन वहां का कार्यक्रम देर तक चला इसलिए मैं यहां सभी बहनों को सुन नहीं पाया। एक निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहूँगा। विपक्ष में हमारे तमाम सभी वरिष्ठ सदस्य बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि आज का दिन तो महिला दिवस है, ऐतिहासिक दिन है, सभी बहनों का अभिनन्दन है, बधाई है। वह आगे बढ़ें ऐसी हम सबकी कामना है और भगवान से प्रार्थना है, लेकिन अभी जब मैं आया था तो पहली बार चुनकर आयीं हमारी बहन रेखा वर्मा जी बोल रही थीं तो मुझे लगा कि उन्होंने पीठ की ओर कुछ ऐसा

बोला, तो मेरा मानना है कि जो वरिष्ठ सदस्य विपक्ष में हैं, उनको कभी ऐसा, जो पहली बार आई हैं उनकी मैं कोई गलती नहीं मानता हूँ ....

(विपक्ष के किसी सदस्य के खड़े होकर बोलने का प्रयास किया गया)

मेरा अध्यक्ष जी के माध्यम से बस इतना ही कहना है कि कई सदस्य नहीं जानते होंगे, बहुत सारे सदस्य नहीं जानते होंगे शायद सदन में जितने लोग बैठे हैं, उनमें से बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि कभी पीठ को इंगित नहीं करना चाहिए, सरकार पर आप सवाल उठा सकती हैं। मैं निवेदन करूँगा कि अगर वह कार्यवाही का हिस्सा बना हो तो उसे निकाल कर बाहर कर दिया जाय। मैं एक बार फिर से आपको और पूरे सदन को मा0 मुख्य मंत्री जी को और सदस्यों को सबने बड़े ध्यान से सुना, सबको बहुत-बहुत बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद मा0 उप मुख्य मंत्री जी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से आज हम सभी मा0 सदस्यों की तरफ से और खासकर विपक्ष और समाजवादी पार्टी के सदस्यों की ओर से आपका हम लोग स्वागत भी करते हैं, अभिनन्दन भी करते हैं और बधाई भी देते हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए और मैं समझता हूँ कि देश के लिए भी आज यह विधान सभा एक नये आयाम और नये रास्ते पर चली है। भाषण बहुत होते थे आधी आबादी की बात होती थी, बहनों के अधिकार की बात होती थी, अधिकार दिलाने पर चर्चा होती थी लेकिन आज जो आपके नेतृत्व और संरक्षण में एक सार्थक चर्चा यहां पर हो सकी है मैं उसके लिए अपने दल की ओर से और सभी अपने विपक्ष के सदस्यों की ओर से आपका आभार प्रकट करता और धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद नेता सदन, संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष को भी देता हूँ जिन्होंने आज इस सार्थक चर्चा में भाग लिया। लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष एक सिक्के के दो पहलू हैं। हो सकता है कि तमाम चीजें हम लोगों से राजनीतिक निकले, लेकिन तमाम सदस्यों से वह बातें भी आती हैं जो वह जनता की समस्याओं को जमीन पर देखते हैं। अगर केवल सरकार यह देखेगी कि यह एक विपक्षी ने उठाया है और इसे दरकिनार करना है तो एक मजबूत उत्तर प्रदेश की राह पर शायद हम नहीं चल पायेंगे। लेकिन एक नई प्रथा, नई परम्परा का आज यहां जन्म हुआ है आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं और हमें उम्मीद है कि सत्ता पक्ष भी विपक्ष के इन सार्थक सवालों को पूरी गम्भीरता से लेती है और इस पर विचार करते हुए कि यह जनहित का मुद्दा है, उस पर जरूर सार्थक निर्णय लेंगे। हम पुनः आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं।

मान्यवर, रेखा जी वाला उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

रेखा जी वाला कौन सा उत्तर है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, रेखा जी ने खेद प्रकट कर दिया है और मैं अपने सदस्यों की ओर से भी खेद प्रकट करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

ये ऐसा कोई इश्यू नहीं है, इसमें खेद प्रकट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने रक्षा बन्धन पर एक प्रॉमिस किया था, उसको याद दिलाने के लिए बोला है। (सदन में हंसी) धन्यवाद।

[06:57] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-51 में 116 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से 17 मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकृत हुई हैं एवं शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, आज जो महिला सदस्य बोली हैं और किसी कारण से चली गयी हैं। मेरा निवेदन है कि उनकी सूचनाएं ले ली जायें।

श्री अध्यक्ष-

हां ठीक है, उनकी सूचनाएं मैंने ले ली हैं। जो लोग बोले नहीं हैं और उपस्थित नहीं हैं उनकी ही नहीं ली है। चूंकि आज महिला विशेष दिवस है तो मेरे द्वारा तो ज्यादती तो नहीं हो सकती। स्वीकार की गयी सूचनाएं संलग्न हैं।

पहली सूचना श्रीमती सरिता भदौरिया की जनपद इटावा की नगर पालिका इटावा क्षेत्र के अन्तर्गत जल भराव की समस्या के निदान के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्रीमती सरोज कुरील की विधान सभा क्षेत्र-घाटमपुर के ग्राम पारस के आयुर्वेदिक सरकारी अस्पताल की बाउण्ड्री वाल एवं गेट लगवाये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना डॉ0 सुरभी की जनपद-फर्रुखाबाद में कायमगंज विधान सभा क्षेत्र में खराब पड़े ट्यूबवेलों के मरम्मत के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना डॉ0 रागिनी की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र-मछलीशहर के ब्लाक बरसठी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्रीमती राजबाला सिंह की जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र-मिलक में पटवायी रोड के कार्य में तेजी लाये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्रीमती अंजुला सिंह माहौर की जनपद-हाथरस

में सर्किट हाउस के निर्माण के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्रीमती केतकी सिंह की जनपद-बलिया विधान सभा क्षेत्र बांसडीह में 100 बेड का अस्पताल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्रीमती सैय्यदा खातून की जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज-बस्ती के इन्दिरानगर वार्ड को जोड़ता है, के मार्ग को डुमरियागंज ब्लाक द्वारा अतिक्रमण करके चहारदीवारी निर्माण कराकर अवरुद्ध किये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्रीमती पूजा पाल की जनपद आजमगढ़ के मण्डलीय जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक के कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ में तहसील लालगंज में स्थित ट्रामा सेन्टर को क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्रीमती मीनाक्षी सिंह की जनपद बुलन्दशहर की खुर्जा विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्रीमती मंजू त्यागी की जनपद लखीमपुर की बजाज शुगर मिल खम्भार द्वारा पिछले वर्ष का किसानों का गन्ना भुगतान के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र बाह अन्तर्गत नन्दगवां पिनाहट मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्रीमती नीलिमा कटियार की जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र कल्याणपुर क्षेत्र के अन्तर्गत रतनपुर में छठ पूजा स्थल, नहर पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्रीमती इन्द्राणी देवी की जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र भिनगा में पौराणिक स्थल के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना डॉ0 मंजू शिवाच की जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर में सिखेड़ा से नेवाड़ी रोड तक नाले को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्रीमती जय देवी की जनपद मलिहाबाद के विकास खण्ड माल, मलिहाबाद में 100 बेड का हॉस्पिटल के निर्माण के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है :-

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री अजय सिंह, श्री गुरु प्रसाद मौर्य, श्री विपुल दुबे, श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सचिन यादव, श्री संग्राम सिंह, श्री अमिताभ बाजपेयी, श्री सन्दीप सिंह, श्री मो0 हसन (रूमी), श्री रत्नाकर मिश्र, डॉ0 मुकेश वर्मा, श्री विवेक कुमार वर्मा, श्री अशरफ अली खान, डॉ0 आर0 के0 वर्मा, श्री गणेश चन्द्र, हाजी इरफान सोलंकी, श्री विवेकानन्द पाण्डेय, श्री मनोज कुमार पारस, श्री बम्बालाल, श्री उमर अली खान, श्री कमलाकान्त राजभर, श्री बेदी, श्री बृजेश रावत, श्री प्रभूनरायण सिंह यादव, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री नफीस अहमद, श्री गौरव कुमार रावत, श्री अनिल प्रधान, श्री अखिलेश यादव, श्री पंकज पटेल, श्री दुर्गा प्रसाद, श्री जै किशन साहू, श्री मोहन वर्मा, श्री रामरतन कुशवाहा, श्री प्रदीप कुमार चौधरी, श्री बाबूलाल, श्री विक्रम सैनी, श्री राम दुलार, श्री मानवेन्द्र सिंह, श्री हरि प्रकाश वर्मा, श्री अशोक कुमार कोरी, श्री ज्ञान तिवारी, श्री पंचानन्द पाठक, डॉ0 डी0सी0 वर्मा, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री जियाउर्रहमान बर्क, श्री चन्दन चौहान, श्री ज्ञान

तिवारी, श्री राम कृष्ण भार्गव, श्री महेन्द्र नाथ यादव, श्री जाहिद बेग, श्री प्रेम नारायण सिंह, श्री रामचन्द्र यादव, श्री लक्ष्मीराज सिंह, श्री देवेन्द्र निम, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री कैलाश नाथ शुक्ला, प्रो0 श्याम बिहारी लाल, श्री संजय शर्मा, श्री राजेन्द्र सिह पटेल, श्री राजीव तरारा, श्री बृजभूषण राजपूत, श्री चन्द्रपाल सिंह, श्री तेजपाल सिंह नागर, श्री सत्यपाल सिंह राठौर, श्री वीरेन्द्र चौधरी, श्री अनिल पाराशर, श्री विशम्भर सिंह यादव, श्री वीरेन्द्र यादव, श्री श्याम सुन्दर, डॉ0 शिव प्रताप यादव, इं0 बृजेश कठेरिया, श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री अनिल कुमार, श्री प्रसन्न कुमार, श्री राजीव कुमार सिंह 'बब्बू भइया', श्री कमाल अख्तर, श्री रफीक अंसारी, इं0 सरवन कुमार निषाद, श्री अभय सिंह, कुं0 माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री ऋषि त्रिपाठी, श्री विनोद सरोज, श्री लाल जी वर्मा, श्री राम अचल राजभर, श्री बेचई सरोज, श्री उमाशंकर सिंह, श्री पंकज गुप्ता, श्री सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री रमेश चन्द्र मिश्र, श्री रमेश सिंह, डॉ0 नीरज बोरा, श्री अमित अग्रवाल, श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, डॉ0 पल्लवी पटेल, तथा श्रीमती गुड़िया कठेरिया।

[07:01] जनपद-फिरोजाबाद के राजकीय मेडिकल कालेज को पूर्ण क्षमता से संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री, (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत...

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[दी गयी सूचना में उल्लिखित है कि :-

''फिरोजाबाद में स्थित स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय को पूर्ण क्षमता से संचालित कराये जाने हेतु निम्न की आवश्यकता है।

1-स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में अनाविष्ट अस्पताल (कॉलेज परिसर), अस्पताल की लोकेशन में परिवर्तन, भूमि विवाद सामग्री/श्रमिक दरों में वृद्धि के एवं अन्य मद जो स्वीकृत आगणन में नहीं थे, के कारण पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति की प्रत्याशा में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शासन में लम्बित है। इसके कारण मेडिकल कालेज के महत्वपूर्ण कार्य अपूर्ण हैं, जिसमें रोगियों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

2-कांच चूड़ी एवं अन्य कांच उत्पादन के लिए प्रसिद्ध फिरोजाबाद में गर्म कांच की भट्टियों एवं बर्नरों पर बड़े पैमाने पर कार्य करने वाले श्रमिकों को दुर्घटनावश जलने पर इलाज हेतु "डेडीकेटेड बर्न यूनिट" न होने के कारण अन्यत्र रेफर करा जाता है, जिसके कारण अधिकांश गम्भीर रूप से जले श्रमिकों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है।

3-राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 पर अवस्थित 25 लाख से अधिक आबादी वाले औद्योगिक नगर फिरोजाबाद के मेडिकल कालेज के ट्रामा सेन्टर में एम0आर0आई0 मशीन की सुविधा नहीं होने के कारण गम्भीर रूप से घायल नागरिकों को आगरा आदि रेफर कर दिया जाता है, जिसके कारण अधिकांश को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ जाता है।

4-मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद में हृदय रोग की बीमारी के समुचित इलाज हेतु अनिवार्य रूप से आवश्यक ईको कार्डियोग्राफी मशीन एवं कैथलैब उपलब्ध नहीं होने के कारण मजबूरन अन्य महंगे अस्पतालों के लिये रेफर कर दिया जाता है, जिससे कम आय एवं साधन वाले नागरिकों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है।

5-मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद में पूर्व में स्थापित डायलिसिस मशीनों के सापेक्ष रोगियों की संख्या अधिक होने के कारण असाध्य रोग श्रेणी के रोगियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए फिरोजाबाद के स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति कराये जाने, डेडीकेटेड बर्न यूनिट की स्थापना कराये जाने, एम0आर0आई0 मशीन की स्थापना कराये जाने, ईको कार्डियोग्राफी मशीन एवं कैथलैब स्थापित कराये जाने तथा, 5 अतिरिक्त डायलिसिस मशीनों की स्थापना कराये जाने की महती आवश्यकता है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।''

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में बिन्दुवार टिप्पणी निम्नवत हैः-

क्रमांक	मा0 सदस्य द्वारा	टिप्पणी
1	2	3
1	"स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में अनाविष्ट अस्पताल (कॉलेज परिसर), अस्पताल की लोकेशन	(1)-शासनादेश दिनांक 26-07-2016 द्वारा मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद के निर्माण हेतु मूल लागत रु0 185.7333

1	2	3
	में परिवर्तन, भूमि विवाद सामग्री/श्रमिक दरों में वृद्धि के एवं अन्य मद जो स्वीकृत आगणन में नहीं थे, के कारण पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति की प्रत्याशा में शासन में लम्बित है। इसके कारण मेडिकल कालेज के महत्वपूर्ण कार्य अपूर्ण हैं, जिसमें रोगियों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।	करोड़ पर अनुमोदन प्रदान किया गया। (2)-उक्त के उपरान्त शासनादेश दिनांक 09-03-2019 द्वारा मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद के निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत रु0 193.2255 करोड़ (मूल लागत के सापेक्ष रु0 7.4922 करोड़ की वृद्धि) पर अनुमोदन प्रदान किया गया। (3) व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 07-12-2021 में प्रायोजना की द्वितीय पुनरीक्षित लागत रु0 227.1861 करोड़ पर सहमति दी गयी है, जिस पर मा0 मंत्रि परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। (4)-प्रायोजना की भौतिक प्रगति 94 प्रतिशत है। प्राथमिकता निर्धारित करते हुए अवशेष निर्माण कार्य कराया जायेगा।
2	कांच चूड़ी एवं अन्य कांच उत्पादन के लिए प्रसिद्ध फिरोजाबाद में गर्म कांच की भट्टियों एवं बर्नरों पर बड़े पैमाने पर कार्य करने वाले श्रमिकों को दुर्घटनावश जलने पर इलाज हेतु "डेडीकेटेड बर्न यूनिट" न होने के कारण अन्यत्र रेफर करा जाता है, जिसके कारण अधिकांश गम्भीर रूप से जले श्रमिकों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है।	(1)-जनपद फिरोजाबाद में जले हुये रोगियों (गम्भीर एवं सामान्य रोगी) का माहवार विवरण शासन के पत्र दिनांक 13-09-2022 द्वारा जिला फिरोजाबाद एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, फिरोजाबाद से मांगा गया है। (2)-जिला चिकित्सालय के उच्चीकरण के परिणाम स्वरूप संचालित स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में जिला चिकित्सालय द्वारा पूर्व में प्रदान की जा रही द्वितीयक चिकित्सा सुविधायें भी उपलब्ध करायी जा रही हैं।

1	2	3
		(3)-यह मेडिकल कालेज सतत् प्रक्रिया के अन्तर्गत निरन्तर विकसित हो रहा है। ऐसी स्थिति में गम्भीर रूप से जले हुए रोगियों को तृतीयक स्तरीय चिकित्सा सुविधा हेतु सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा संस्थानों को रिफर किया जाता है।
3	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 पर अवस्थित 25 लाख से अधिक आबादी वाले औद्योगिक नगर फिरोजाबाद के मेडिकल कालेज के ट्रामा सेन्टर में एम0आर0आई0 मशीन की सुविधा नहीं होने के कारण गम्भीर रूप से घायल नागरिकों को आगरा आदि रेफर कर दिया जाता है, जिसके कारण अधिकांश को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ जाता है।	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 23-04-2022 द्वारा ई0सी0आर0पी0-2 के अन्तर्गत स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद हेतु 01 एम0आर0आई0 मशीन धनराशि रु0 13.55 करोड़ की लागत से स्थापना की अनुमति प्रदान की गयी है, इसके क्रय हेतु उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन, लखनऊ को निर्देशित किया गया है।
4	मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद में हृदय रोग की बीमारी के समुचित इलाज हेतु अनिवार्य रूप से आवश्यक ईको कार्डियोग्राफी मशीन एवं कैथलैब उपलब्ध नहीं होने के कारण मजबूरन अन्य महंगे अस्पतालों के लिये रेफर कर दिया जाता है, जिससे कम आय एवं साधन वाले नागरिकों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है।	(1)-जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद को उच्चीकृत किया गया है, जो स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद के रूप में माह अप्रैल, 2019 से क्रियाशील है। (2)-मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद से सम्बद्ध जिला चिकित्सालय की वैकल्पिक व्यवस्था होने तक जिला चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जा रही द्वितीयक चिकित्सा सुविधाएं भी मेडिकल कालेज में उपलब्ध करायी जा रही हैं। (3)-स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में वर्तमान में

1	2	3
		एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में तृतीय बैच प्रवेशित है, जिसमें अध्ययन/अध्यापन हेतु ब्राड स्पेशियलिटी के विभाग स्थापित हैं एवं उस मानक के अनुसार उपकरण व जनशक्ति की व्यवस्था की गयी है। (4)-सुपर स्पेशियलिटी संस्थान एवं ऐसे मेडिकल कालेजों जिनमें डी0एम0 एवं एम0सी0एच0 का अध्ययन/अध्यापन होता है, में ही ईको कार्डियोग्राफी मशीन एवं कैथलैब का संचालन किया जाता है, क्योंकि मरीजों की देखभाल हेतु आवश्यक सीनियर रेजीडेन्ट के पद एन0एम0सी0 के मानकों के अनुसार अभी अनुमन्य नहीं हैं। (5)- ऐसी स्थिति में स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में तृतीयक स्तरीय सुविधाएं यथा-कैथलैब एवं इको-कार्डियोग्राफी आदि की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का अभी कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर नहीं है।
5	मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद में पूर्व में स्थापित डायलिसिस मशीनों के सापेक्ष रोगियों की संख्या अधिक होने के कारण असाध्य रोग श्रेणी के रोगियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।	(1)-स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में पीपीपी मोड पर डायलिसिस की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है, जिसकी प्रतिपूर्ति एनएचएम द्वारा की जाती है। (2)-वर्तमान में डायलिसिस यूनिट में 15 बेड/15 मशीनें संचालित हैं। रोगियों की संख्या में वृद्धि के दृष्टिगत मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पत्र दिनांक 16-05-2022 द्वारा महाप्रबन्धक प्रोक्योरमेन्ट, राष्ट्रीय

1	2	3
		स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ से 05 अतिरिक्त डायलिसिस मशीनें बढ़ाये जाने के लिए अनुरोध किया गया है।]

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, इस वक्तव्य में अन्तर्ग्रस्त विषय प्रक्रियाधीन है और इसमें जिसे पूर्ण कराने की आवश्यकता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसको हम करा देंगे।

जनपद-जौनपुर व जनपद-वाराणसी के सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 रागिनी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

इसमें डॉ0 रागिनी को जवाब नहीं गया है।

डॉ0 रागिनी-

मान्यवर, इसमें जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

जब इसमें जवाब नहीं आया है तो यह स्वीकृत सूची में क्यों आया है। ये अब कार्य-सूची में आया है और जिस विभाग से और जिस अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है, इसके बारे में कल तक इस सदन में जानकारी स्पष्ट रूप से दे दी जाये। उसके लिए जो दण्ड निर्धारित करूंगा, वह मैं करूंगा। पूरे स्पष्टीकरण के साथ।

जनपद-लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र-सरोजनी नगर में जल भराव की समस्या के निदान हेतु नालों की सफाई एवं सीवेज पम्पों को संचालित कराने के सम्बन्ध में डॉ0 राजेश्वर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय, सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत...

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाये।

(नगर विकास मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[दिनांक 20-09-2022 को दी गयी सूचना में निम्न तथ्यों का उल्लेख करते हुए वक्तव्य की मांग की गयी है:-

"मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के शहरी क्षेत्रों में नालों की समुचित व्यवस्था न होने एवं बारिश के समय पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, जिससे घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। यह शहरी क्षेत्र आशियाना कॉलोनी, एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड, मानसरोवर योजना, वृन्दावन कॉलोनी आदि का क्षेत्र है जो आवास विकास परिषद तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी है। उक्त क्षेत्र की जल निकासी हेतु बने नालों की समुचित निकासी न होने एवं नालों की कनेक्टिविटी समुचित न होने तथा नालों की समुचित सफाई के अतिरिक्त बने सीवेज पम्पों के संचालित न होने के कारण बनी हुई है। इन क्षेत्रों में नालों एवं निकासी हेतु बनी नालियों में दूषित जल भराव से संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। अतएव, इस पूरे क्षेत्र का जल निकासी हेतु सर्वे कराकर नालों को ठीक कराने, कनेक्टिविटी सुनश्चित करने के साथ-साथ बने सीवेज पम्पों को चालू कराने की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में क्षेत्र की जल निकासी की योजना बनाकर समस्या से निजात मिल सकती है।

अतः विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के शहरी क्षेत्र के जल भराव की समस्या के निस्तारण हेतु सदन में वक्तव्य कराये जाने की मांग करता हूँ।"

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में सरोजनीनगर विधान सभा क्षेत्र के 27 गांव विस्तारित क्षेत्र के अन्तर्गत नगर निगम में सम्मिलित हुये हैं जिनमें जनसुविधाओं का अभाव है। नगर निगम, लखनऊ द्वारा इन क्षेत्रों में सड़क एवं जल निकासी की व्यवस्था हेतु 'मुख्य मंत्री नगर सृजन योजना' के अन्तर्गत प्रथम चरण में 23 कार्यों हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये हैं जो परीक्षण की प्रक्रिया में है। ज्ञात हो कि यह नवीन योजना इसी वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में प्रस्तुत हुई है, उक्त योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त शासनादेश दिनांक 08-08-2022 द्वारा निर्गत किये गये हैं। शीघ्र ही आगे की कार्यवाही हो सकेगी।

उल्लिखित क्षेत्रों आशियाना, वृन्दावन, मानसरोवर, एल0डी0ए0 कालोनी का विकास आवास विकास परिषद एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया था एवं विगत वर्षों में नगर निगम को हस्तान्तरित किया गया था। तद्समय ही एल0डी0ए0 कालोनी के अन्तर्गत

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सेक्टर-एच का लेवल नीचा होने के कारण जल भराव की समस्या रहती थी। नगर निगम द्वारा यहां 10 एच0पी0 के दो एवं 35 एच0पी0 का एक कुल तीन पम्प स्थापित कर वर्षा की स्थिति में जल भराव की समस्या का निराकरण कराया जाता है। इसी तरह चिल्लावां गांव में 35 एच0पी0 का पम्प स्थापित किया गया है। एल0डी0ए0 कालोनी, आशियाना, मानसरोवर क्षेत्रों की जल निकासी किला मोहम्मदी ड्रेन से होती है, जो लगभग 54 कि0मी0 की लम्बाई में है एवं सई नदी तक जाता है। इस मुख्य ड्रेन के कच्चे भाग को एल0डी0ए0 द्वारा शहीद पथ तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण करा दिया गया है। ओमेक्स की ओर लगभग 2.50 कि0मी0 की लम्बाई में भी आर0सी0सी0 निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव एल0डी0ए0 द्वारा तैयार किया गया है।

यह भी अवगत कराना है कि किला मोहम्मदी ड्रेन से ही जोन-5 के आजाद नगर, मधुवन नगर, गोपाल नगर, चित्रगुप्त नगर, विजय नगर आदि क्षेत्रों की जल निकासी होती है। किला मोहम्मदी ड्रेन की सफाई शहरी सीमा तक नगर निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष करायी जाती है। शहीद पथ के आगे किला ड्रेन में लगभग 1 कि0मी0 तक अतिक्रमण के कारण जल निकासी की समस्या हो रही है जिसके निस्तारण हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ को दिनांक 26-07-2022 को पत्र भेजा गया है एवं इस पर सिंचाई विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण भी किया जा चुका है। शीघ्र ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी जिससे नाले में सुचारु रूप से प्रवाह हो सकेगा।

वर्षा ऋतु के दौरान उपरोक्त क्षेत्र से सम्बन्धित समस्त 37 नालों की सफाई करा दी गयी थी। अभी भी जहां नालों का प्रवाह बाधित होता है, उसकी सफाई करायी जाती है। इसके अतिरिक्त बड़े नालों की सफाई मशीनों द्वारा नगर निगम के आर0आर0 विभाग के माध्यम से एवं नालियों की सफाई कर्मियों द्वारा सफाई करायी जाती है।

सीवेज निस्तारण हेतु जलकल विभाग, नगर निगम द्वारा सरोजनीनगर विधान सभा क्षेत्र में एल0डी0ए0 कालोनी, सेक्टर-एन0, एम0 व एम0-1 क्षेत्र में 50 एच0पी0 के 6 पम्प स्थापित किये गये हैं जिसका संचालन जलकल द्वारा शिफ्टवार किया जाता है इसमें जेनरेटर की भी व्यवस्था है।]

जनपद-रायबरेली की नगर पालिका सीमा क्षेत्र में मार्ग की मरम्मत में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

आपका काम तो हो गया है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, यह हमारे जिले रायबरेली का प्रकरण है, रायबरेली के नगर पालिका क्षेत्र में कहारों के अड्डे किले बाजार तक का यह मार्ग है, इसमें निविदा हो चुकी है, टेण्डर स्वीकृत हो चुका है, वर्क आर्डर हो चुका है और जवाब में मा0 मंत्री जी ने दिया है कि बरसात से पहले बनवा देंगे। मेरा केवल मा0 मंत्री जी से आग्रह है कि यह जनहित का बहुत बड़ा मुद्दा है। करीब दस हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, इसमें यह आदेश जरूर दे दीजिये। जब सारी औपचारिकता पूर्ण है तो कल से इसमें काम प्रारम्भ हो जाये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, जवाब दीजिये।

नगर विकास, शहरी समग्र विकास, ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मा0 अध्यक्ष जी, सुबह मैं जैसे ही मा0 मनोज पाण्डेय जी, महिला टीम के लीडर बनाये गये, वैसे ही मैंने इनको एक गिफ्ट भेजा है। मैंने रात में ही फोन करके वहां के शासनाधिकारी को निर्देशित कर दिया कि कल सुबह से मिट्टी पड़नी चाहिए। आज सुबह से काम शुरू होने का फोटो मैंने इनको भेज दिया है।

(नगर विकास मंत्री का वक्तव्य उन्होंने ही दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[श्री मनोज कुमार पाण्डेय मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 20-09-2022 को दी गयी सूचना में निम्न तथ्यों का उल्लेख करते हुए वक्तव्य की मांग की गयी है:-

"अवगत कराना है कि रायबरेली क्षेत्र के नगर पालिका के सीमा क्षेत्र में कहारों के अड्डे चौराहे से लेकर किला बाजार को जाने वाला मार्ग अत्यन्त खराब हो गया है। 02-02 फिट के गड्ढे हो गये हैं जबकि इस मार्ग से मो0 नदी तीर खतराना, सय्यदराजा, खली शहर, शहीद एक दर्जन मोहल्लों के लगभग 10,000 लोगों का आना-जाना है। आये दिन दुर्घटनायें भी हो रही हैं। कई बार इस समस्या को लेकर जन आन्दोलन की स्थिति पैदा हुई है। इस प्रकरण को मेरे द्वारा 10 दिन पूर्व अनुश्रवण समिति की बैठक में उठाया गया था जहां पर अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रायबरेली व जिलाधिकारी रायबरेली द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मार्ग के निर्माण/मरम्मत की निविदा होकर सारी औपचारिकतायें पूर्ण हो चुकी हैं। 10 दिन के अन्दर कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। परन्तु आज तक कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपसे आग्रह है कि जनहित के इस महत्वपूर्ण विषय को नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य में स्वीकार कर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।"

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि कहारों के अड्डे चौराहे से लेकर किला बाजार को जाने वाले मार्ग पर सड़क निर्माण के क्रम में चैम्बर ऊंचा करने का कार्य समाप्त हो चुका है। डामरीकरण का कार्य बरसात प्रारम्भ हो जाने के कारण नहीं कराया जा पा रहा है। बरसात समाप्त होने के उपरान्त सड़क का निर्माण कार्य जल्द ही पूर्ण करा दिया जायेगा।]

जनपद-अमेठी के तहसील-गौरीगंज के ग्राम सभा चितई के आवासीय पट्टों में हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जनपद-अमेठी की तहसील-गौरीगंज अन्तर्गत पूरे चितई ग्राम सभा में वर्ष 2018 में हुए 57 आवासीय पट्टों में से प्राक्कलन समिति की उप समिति द्वारा स्थानीय अधिकारियों ...

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्यमंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[के साथ दिनांक 05 जनवरी, 2021 को स्थलीय निरीक्षण किया गया और अधिकारियों की एक टीम गठित करने के निर्देश दिया गया, जिसमें लगभग 45 लोग पात्र पाये गये, परन्तु तहसील प्रशासन ने पात्र पट्टा धारक व्यक्तियों को अभी तक समिति के निर्देश के बाद भी कब्जा नहीं दिलवाया है, जबकि उक्त पात्र व्यक्ति तहसील का चक्कर लगा रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गरीब व्यक्ति खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। स्थानीय प्रशासन की इस प्रकार की कार्यप्रणाली से उनमें भारी रोष एवं असन्तोष व्याप्त है जो कभी भी उग्र रूप ले सकता है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न को संज्ञान में लाते हुए पात्र व्यक्तियों को दिये गये आवासीय पट्टा पर कब्जा दिलाये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य की मांग की गयी है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आख्याः-

प्रकरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अमेठी के पत्र दिनांक 21-09-2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार अवगत कराना है कि उ0प्र0 विधान सभा के मा0 प्राक्कलन समिति (2019-20) की प्रथम उप समिति की प्रथम अध्ययन दल दिनांक 05-01-2021 को मा0 सभापति महोदय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में जांच के निम्नवत आदेश दिये गये थेः-

''ग्राम पूरे चिताई, परगना गौरा जामो, तहसील गौरीगंज, जनपद अमेठी में हुए आवास आवन्टन की पुनः एक कमेटी बनाकर जांच कराकर पात्र आवास आवन्टियों को एक माह के अन्दर कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही कराये।''

मा0 समिति द्वारा दिये गये उक्त निर्देश के अनुपालन में अनुमोदित आवास आवन्टन पत्रावली दिनांक 05-02-2018 जिसमें 56 व्यक्तियों के आवास आवन्टन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, कि अभिलेखीय/स्थलीय परीक्षण हेतु जिलाधिकारी, अमेठी द्वारा दिनांक 06-01-2021 को त्रि-सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। उक्त गठित कमेटी द्वारा प्रकरण की विस्तृत जांच कर दिनांक 18-02-2021 को अपनी आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें 56 आवास आवन्टियों के पक्ष में स्वीकृत आवन्टन में से कुल 43 आवास आवन्टी पात्र पाये गये। नियमानुसार पात्र पाये गये उपरोक्त आवन्टियों को मौके पर आवन्टित भूमि चिन्हित करके राजस्व टीम तथा पुलिस बल के साथ तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्रामीणों की उपस्थिति में दिनांक 10-03-2021 को कब्जा दिलाया जा चुका है। सभी कब्जा/दखल प्राप्त आवन्टियों को दखलनामा दिया जा चुका है। सभी आवन्टियों का मौके पर कब्जा है। शेष कुल 13 अपात्र पाये गये आवन्टियों के विरुद्ध आवास आवन्टन निरस्त किये जाने हेतु उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-66 के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), जनपद-अमेठी के न्यायालय में वाद का अन्तिम निस्तारण कर दिया गया है तथा सभी 13 अपात्र आवन्टियों के आवास आवन्टन न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिये गये हैं।]

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने 17वीं विधान सभा में दिनांक 18-10-2021 को नियम-51 की सूचना के अन्तर्गत सरकार से वक्तव्य मांगा था जिस पर तत्कालीन माननीय मंत्री श्री छत्रपाल सिंह गंगवार की ओर से मेरे पास उत्तर आया कि इसमें इतने लोग पात्र पाये गये और इतने लोग अपात्र पाये गये और इतने लोगों को कब्जा दिला दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

पहले वाले को छोड़िये, इसमें आज क्या जवाब आया है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

जो पिछली बार माननीय मंत्री जी का जवाब आया था वही जवाब आज माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से दिया गया है। हू-ब-हू वही उत्तर उतारकर भेज दिया गया है। इसमें 56 लोगों का पट्टा हुआ था। प्राक्कलन समिति गांव में निरीक्षण करने गयी थी जिसमें समिति के माननीय सभापति जी थे और हम सदस्य थे। प्राक्कलन समिति के निर्देश पर अधिकारियों ने इसमें त्रि-स्तरीय समिति गठित की थी जिसमें एक आई0ए0एस0, दो पी0सी0एस0 की कमेटी गठित हुई जिन्होंने जांच की। इसमें 56 में 43 लोग पात्र पाये गये। 43 लोगों में से किसी भी पट्टाधारक को आज तक कब्जा नहीं दिलाया गया है और दो बार से सदन को गलत उत्तर भेज दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

जो सूचना दी गई है, उसमें क्या अन्तर है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसमें दो बार से गलत जवाब दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आप उसको नियम में दीजिये।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, आप मेरी बात तो सुन लीजिये। इसमें 43 लोगों को लोहिया आवास मिला और प्रधानमंत्री आवास मिला जमीन ना होने की वजह से। माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी सामने बैठे हैं। मैं जिस ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ उसकी ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि कुछ घर माननीय मंत्री जी की विधान सभा क्षेत्र में हैं और कुछ घर मेरी विधान सभा क्षेत्र में हैं। आप केवल इन्हीं से जांच करा लीजिये कि क्या इन 43 लोगों को कब्जा मिल गया है। अगर इसमें गलत जवाब लगातार आ रहा है तो इसमें कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

गलत जवाब के सम्बन्ध में नियम है, जिसके अन्तर्गत आप पत्र दीजिये। उसको मैं दिखवाता हूँ।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें सरकार की तरफ से जांच का आश्वासन तो आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

मैं जब कह रहा हूँ कि हम उससे भी आगे का करेंगे तो आप अपनी बात नियम के अन्तर्गत कहिये तो।

जनपद-बलिया में मेडिकल कालेज न होने से हो रही जनसमस्या के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद बलिया में ...

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[कोई भी मेडिकल कालेज या उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था न होने के कारण प्रतिदिन गम्भीर रोगों से जूझ रहे गरीब मरीजों एवं दुर्घटनायें आदि कारित होने पर घायल व्यक्तियों की लगातार मौतें हो रही हैं क्योंकि जो भी उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था है वह यहां से 200 कि0मी0 की दूरी पर स्थित वाराणसी अथवा गोरखपुर में ही मौजूद है जहां पर गम्भीर रोगों से जूझ रहे गरीब मरीज पैसे के अभाव में तथा दुर्घटना आदि में घायल मरीज अधिक दूरी होने के कारण समय से नहीं पहुंच पाता और उसकी अकारण ही असमय मृत्यु हो जाया करती है।

चूंकि जनपद बलिया जोकि एक बहुत बड़ी आबादी वाला जिला है पर माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के बावजूद अभी तक कोई भी प्रगति नहीं हुई है इसलिए यदि घोषणा के अनुरूप जल्द से जल्द मेडिकल कालेज अथवा उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था हो जाती है तो इसका लाभ जनपद बलिया के साथ ही साथ बलिया से सटे जनपदों जैसे गाजीपुर, देवरिया, मऊ आदि के एक बड़े भू-भाग की आबादी को इसका लाभ मिल जायेगा।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर जनपद बलिया में जल्द से जल्द एक मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने हेतु शासन से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूँ।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सूचना पर कृत कार्यवाही-

उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश के 75 जनपदों में से 59 जनपद में कम से कम एक मेडिकल कालेज निजी अथवा राजकीय अथवा दोनों संचालित हैं। वर्तमान में प्रदेश के सिर्फ 16 ऐसे जनपद बागपत, बलिया, भदोही, चित्रकूट, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, रामपुर, सम्भल, संतकबीरनगर, शामली एवं श्रावस्ती हैं, जहां राजकीय अथवा निजी क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी मेडिकल कालेज स्थापित नहीं है।

2-शासन की नीति है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक मेडिकल कालेज का निर्माण हो। शासन की नीति के अनुरूप प्रदेश के उक्त 16 असेवित जनपदों में पी0पी0पी0 (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड के अन्तर्गत मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-28/2021/1/98702/2021/71-4099/1045/2021, दिनांक 17-09-2021 द्वारा पालिसी निर्गत की गयी है।

3-उल्लेखनीय है कि जनपद महाराजगंज एवं जनपद सम्भल में मोड-ए के अन्तर्गत मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने हेतु दिनांक 29-12-2021 को एल0ओ0आई0 (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) निर्गत किया जा चुका है तथा दिनांक 07-04-2022 को मा0 मुख्य मंत्री जी के गरिमामयी उपस्थिति में कन्सेशन एग्रीमेन्ट भी हस्ताक्षरित किया गया है। मोड-ए के अन्तर्गत ही जनपद-मऊ तथा जनपद शामली में चिन्हित पब्लिक प्राइवेट पार्टनर को लेटर ऑफ इन्टेन्ट निर्गत किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

4-इस प्रकार पी0पी0पी0 (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड के अन्तर्गत मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में जनपद बलिया भी सम्मिलित है।]

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से केवल यह जानना चाहता हूँ कि अभी पूरे उत्तर प्रदेश के 16 जनपदों में मेडिकल कालेज खोलने के लिए बाकी हैं और यह पी0पी0पी0 मॉडल पर खोले जायेंगे। यह जवाब मैं वर्ष 2020 से सुन रहा हूँ। इसमें केवल सरकार एक तिथि तय कर दे और हमें बता दे कि हमारे बलिया का नम्बर कब आयेगा। मुझे लगता है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आज बहुत उत्साह में हैं और यह सदन में कोई एक डेट बतायेंगे कि इस तिथि को बलिया में मेडिकल कालेज चालू कर दिया जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने सैद्धान्तिक रूप से तो सहमति दे ही दी है। यह जवाब माननीय सदस्य को लिखित रूप से भी दे दिया गया है कि जो भी मेडिकल कालेज पी0पी0पी0 मॉडल पर बनने हैं उनमें बलिया भी सम्मिलित है। माननीय सदस्य को अच्छे तरीके से मालूम है कि अगर जगह मिल गई होती तो बलिया में अब तक मेडिकल कालेज बन गया होता। सवाल यह है कि सैद्धान्तिक रूप से तो हम सहमत हैं ही।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

माननीय अध्यक्ष जी, बलिया में भूमि उपलब्ध होने की सूचना और प्रस्ताव कलेक्टर से शासन में आ गया है। अब इसको करा दीजिये।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि बलिया में मेडिकल कालेज शीघ्र बनवा दिया जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपकी जानकारी में ला दें कि पहले यह विभाग हम ही देखते थे। जनपद बलिया में मेडिकल कालेज अब तक बन गया होता लेकिन बलिया में उस समय जगह नहीं मिली। अब निश्चित रूप से जो परिस्थिति है उसमें सैद्धान्तिक रूप से सहमति है कि यह बनेगा।

जनपद-बलिया के ग्राम-ककरघट्टा, पोस्ट-मानिकपुर में पौराणिक स्थल का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती केतकी सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यटन मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

श्रीमती केतकी सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20-09-2022 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह केवल वक्तव्य है। कृपया इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(पर्यटन मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[निम्नवत् है-

"अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-362, बांसडीह, जनपद बलिया के ग्राम ककरघट्टा, पो0-मानिकपुर में राम जानकी मन्दिर स्थित है। इस मन्दिर पर हजारों श्रद्धालुओं का आना-जाना रहता है। ऐसी स्थिति में इस मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराकर वक्तव्य की मांग करती हूँ।"

2-उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों से सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण/सृजन किया जाता है। मन्दिर एवं अन्य धार्मिक भवनों के जीर्णोद्धार का कार्य पर्यटन विभाग द्वारा किया जाना अनुमन्य नहीं है।]

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भिटारा, बिहार, प्रतापगढ़ के निर्माणाधीन भवन को ध्वस्त कर पुनः निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद सरोज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर व्यावसायिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भिटारा, बिहार, प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन आई0टी0आई0 का निर्माण कार्य 2007-08 में प्रारम्भ हुआ था परन्तु आधी-अधूरी...

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह केवल वक्तव्य है। कृपया इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(व्यावसायिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[बिल्डिंग बनने के बाद निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया जिसकी सूचना इसके पूर्व सरकार को दी गयी जिस पर जांच हो जाने के उपरान्त पाया गया कि निर्माण कार्य बहुत ही निम्न स्तरीय (घटिया) है, जिस पर आगे भी निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता है। अतः निर्माण को ध्वस्त कर पुनः नये भवन का निर्माण कराया जाना होगा जिसके लिए शासन द्वारा धन भी अवमुक्त किया जा चुका है। जिस पर आवास विकास परिषद, प्रतापगढ़ को निर्माण हेतु टेण्डर दिया गया है परन्तु लगभग दो वर्ष बीत जाने के बाद न तो पुरानी बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया और न ही नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया जिसके कारण उपरोक्त

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश पाये छात्रों को जिला मुख्यालय से सम्बद्ध किया गया है जिस कारण छात्रों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अतः आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भिटारा, बिहार, प्रतापगढ़ के भवन का पुनः निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूँ।

सूचना पर कृत कार्यवाही-

1-प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भिटारा, बिहार, प्रतापगढ़ के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति मानकीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में निर्गत की गयी थी। प्रश्नगत संस्थान के भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-915/26-ब0प्र0-2010-78(एम)/2010, दिनांक 09-12-2010 द्वारा धनराशि को निर्गत करते हुए निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (लैकफेड) को आवन्टित किया गया। कालान्तर में विभाग द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता व वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में कतिपय शिकायतों के प्राप्त होने के क्रम में प्रथमतः धनराशि के अग्रेतर आवंटन व व्यय पर रोक लगाते हुए निर्माण कार्य की टी0ए0सी0 जांच कराने का निर्णय लिया गया। टी0ए0सी0 जांच में प्राप्त हुये परिणामों के आधार पर कार्यदायी संस्था को परिवर्तित करते हुए उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को नवीन कार्यदायी संस्था नामित किया गया तथा उन्हें वर्क डन एवं वर्क टू बी डन के आधार पर आगणन को गठित कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। नवीन नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तुत किये गये वर्क डन एवं वर्क टू बी डन के आधार पर गठित आगणन को मूल्यांकित कराये जाने के उपरान्त शासनादेश संख्या-127/2018/3175/89-व्या0शि0 एवं कौ0वि0वि0-2018-194(एम)/2014 टी0सी0, दिनांक 08-10-2018 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रु0 200.00 लाख की धनराशि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को निर्गत की गयी।

2-नवीन नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व अधोनिर्मित भवन की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की जांच मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रयागराज से करायी, जिसमें अधोनिर्मित भवन को अग्रेतर निर्माण व उपयोग किये जाने के दृष्टिगत असुरक्षित पाया गया, जिसके उपरान्त शासन के पत्र संख्या-2247/89-व्या0शि0 एवं कौ0वि0वि0-2019-194(एम)/14 टी0सी0, दिनांक 04 नवम्बर, 2019 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिहार, प्रतापगढ़ के पूर्व निर्मित अधोमानक अनावासीय भवन को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की जांच रिपोर्ट में अग्रेतर निर्माण योग्य नहीं पाये जाने के कारण असुरक्षित भवन को तोड़कर नये सिरे से नवीन कार्य कराये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

3-पूर्व के अधोमानक ढांचे को तोड़कर नये सिरे से भवन निर्माण को करने के लिए नवीन नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2020 की दर सूची के अनुरूप रु0 1364.82 लाख के आगणन को प्रस्तुत किया गया है, जिसकी लागत पी0एफ0ए0डी0 द्वारा रु0 1331.99 लाख मूल्यांकित की गयी है।

4-भवन को तोड़कर नये निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। नवीन कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रेषित पुनरीक्षित आगणन की पुनरीक्षित लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने आज दिनांक 22 सितम्बर, 2022 की बैठक में सिफारिश की है कि दिनांक 23 सितम्बर, 2022 को निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण कर लिया जाये :-

1-उ0प्र0 लोक तथा निज सम्पत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022

2-दण्ड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2022

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

मा0 सदस्यों के लिए टेबलेट वितरण के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष-

आज सदस्यों के टेबलेट के परिपत्र सर्कुलर वाले कॉलम में देख सकते हैं। मैंने पिछली विधान सभा में जिस समय मा0 सदस्यों से एक सुझाव आया था कि सभी सदस्यों को एक-एक टेबलेट दे दिया जाये तो मैंने घोषणा की थी कि सभी सदस्यों को एक-एक टेबलेट उपलब्ध करा दिया जायेगा। वह ई-विधान का पार्ट है और उन टेबलेट को वितरित कराने का आज से शुभ दिन और कोई नहीं हो सकता था जिस समय महिला सदस्यों ने यहां पर अपनी बात रखी।

महिला सदस्यों को महिला विश्रामालय कक्ष में टेबलेट मिलेगा। बाकी सारे सदस्यों को अलग-अलग क्षेत्र वाइज बना दिया गया है कि उनको कहां पर मिलेगा। जहां पर ई-विधान की ट्रेनिंग होती थी, नेवा सेवा में, वहां पर सभी सदस्यों को मिलेगा। सब लोग एक साथ जायेंगे तो सीरियलवाइज देना कठिन हो जायेगा। आज से लेकर कल तक मिलता रहेगा। सुबह तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। (सदन में हंसी)। यह मिलता रहेगा। चूंकि आज महिला दिवस है तो महिला सदस्यों को मैं उनके कक्ष आकर टेबलेट दूंगा।

अब हम कल सुबह 11:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 07 बजकर 12 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक : 22 सितम्बर, 2022 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-16 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-40 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2022 के 1-गुरूवार हेतु निर्धारित श्री प्रसन्न कुमार, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूँछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-16 के संबंध में मद्यनिषेध विभाग से संबंधित अनुपूरक सामग्री-

- मद्यनिषेध विभाग भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्त की धारा-47 के तहत प्रदेश की वर्तमान नीति के अनुरूप प्रशासनिक स्तर पर समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन से सम्बद्ध रहकर सर्वसाधारण में मद्यपान एवं नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों को प्रचारित कर राज्य में मद्यनिषेध के लिए स्वस्थ एवं प्रभावी वातावरण बनाने के निमित्त उपलब्ध संसाधनों की सीमा में शिक्षात्मक प्रचार-प्रसार का कार्य करता है।
- वर्तमान में बढ़ रही मद्यपान की प्रवृत्ति के विरूद्ध जनमानस में संचेतना जागृत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण दिवसों यथा 26 जनवरी-"गणतंत्र दिवस", 15 अगस्त-"स्वतंत्रता दिवस", 02 अक्टूबर-"गाँधी जयन्ती", 26 जून-"मादक पदार्थों का दुरूपयोग एवं अवैध व्यापार विरोधी अन्तर्राष्ट्रीय दिवस" के अवसर पर विशेष रूप से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त वर्ष पर्यन्त मद्यनिषेध गोष्ठियों, ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद प्रतियोगिताओं, शिक्षण संस्थाओं में छात्र-छात्राओं के मध्य विभिन्न शिक्षात्मक, रचनात्मक एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन, चलचित्र प्रदर्शन, होर्डिंग्स व वालपेंन्टिग, बस पैनल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स व ट्री गार्ड्स व आकाशवाणी के माध्यम से प्रचार संदेश, रैलियों, मोबाइल वेन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षात्मक प्रचार-प्रसार के कार्यक्रम किये जाते हैं।
- प्रदेश में सामाजिक स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित नशा निर्व्यसन केन्द्र जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से अनुदानित हैं, में मद्यपान एवं अन्य मादक पदार्थों से ग्रसित व्यसनियों को उपचार कराये जाने हेतु भर्ती होने के लिए प्रेरित करने का कार्य भी किया जाता है।
- जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान समितियों द्वारा मद्यनिषेध के कार्यक्रमों को सक्रियता से चलाया जा रहा है।
- मद्यपान एवं नशीले पदार्थों के सेवन के दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 व वर्ष 2022-23 में रू0 45,50,000 (रू0 पैंतालीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गयी है। उक्त धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 में कराये गये विभागीय कार्यकलापों के आँकड़े परिशिष्ट-1 पर, वर्ष 2022-23 के माह अगस्त 2022 तक कराये गये विभागीय कार्यकलापों के ऑकड़े परिशिष्ट-2 तथा मद्यनिषेध विभाग की कार्ययोजना परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

भौतिक क्रियाकलाप मद्यनिषेध विभाग वर्ष 2021-22

क्रमांक	कार्यकलापों के विषय	निर्धारित वार्षिक लक्ष्य	कृत कार्यक्रमों की संख्या
1	मद्यनिषेध डाक्यूमेन्ट्री/चलचित्र प्रदर्शन की संख्या	1260	380
2	मद्यनिषेध शिक्षात्मक एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं की संख्या	1260	1267
3	मद्यनिषेध शिक्षात्मक एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत छात्र/छात्राओं की संख्या	5040	5068
4	मद्यनिषेध वालपेटिंग की संख्या	1260	1221
5	मद्यनिषेध होर्डिंग्स की संख्या	21	21
6	मद्यनिषेध गोष्ठियों की संख्या	1680	1644
7	मद्यनिषेध प्रदर्शनियों की संख्या	336	354
8	सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मद्यनिषेध के शिक्षात्मक कार्यों की संख्या	252	250
9	प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से मद्यनिषेध शिक्षात्मक/प्रचारात्मक कार्यों की संख्या	35	34
10	नशा छोड़ने/उपचार हेतु प्रेरित किये गये व्यसनियों की संख्या	3024	3012

परिशिष्ट-2

भौतिक क्रियाकलाप मद्यनिषेध विभाग वर्ष 2022-23

क्रमांक	कार्यकलापों के विषय	निर्धारित वार्षिक लक्ष्य	वर्ष 2022-23 के माह अगस्त 2022 तक कराये गये कार्यक्रमों की संख्या
1	मद्यनिषेध डाक्यूमेन्ट्री/चलचित्र प्रदर्शन की संख्या	480	200
2	मद्यनिषेध शिक्षात्मक एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं की संख्या	1260	530
3	मद्यनिषेध शिक्षात्मक एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत छात्र/छात्राओं की संख्या	5040	2120
4	मद्यनिषेध वालपेटिंग की संख्या	1260	420
5	मद्यनिषेध होर्डिंग्स की संख्या	21	7
6	मद्यनिषेध रैलियों की संख्या	252	115
7	मद्यनिषेध गोष्ठियों की संख्या	1680	708
8	मद्यनिषेध प्रदर्शनियों की संख्या	336	149
9	सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मद्यनिषेध के शिक्षात्मक कार्यों की संख्या	252	111
10	प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से मद्यनिषेध शिक्षात्मक/प्रचारात्मक कार्यों की संख्या	35	19
11	नशा छोड़ने/उपचार हेतु प्रेरित किये गये व्यसनियों की संख्या	3024	1264

परिशिष्ट-3

मद्यनिषेध विभाग की एक वर्ष, दो वर्ष एवं पांच वर्ष की कार्ययोजना (विभाग का कार्य नशे के दुष्परिणामों को प्रचारित कर जन सामान्य को नशे से दूर रहने हेतु प्रेरित करना है। उक्त कार्य 07 क्षेत्रीय क्षेत्रीय मद्यनिषेध कार्यालयों में कार्यरत जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारियों, उप क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारियों एवं प्राविधिक पर्यवेक्षकों के माध्यम से विभिनन स्थानों यथा विद्यालयों, कालेजों, उच्च शिक्षण संस्थानों, ग्रामों इत्यादित में सम्पादित कराये जायेंगे।)

क्र0सं0	कार्यकलाप	एक वर्ष की कार्ययोजना	दो वर्ष की कार्ययोजना	पांच वर्ष की कार्ययोजना
1	डाक्यूमेन्ट्री/चलचित्र प्रदर्शन की संख्या	480	960	2400
2	शिक्षात्मक एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं की संख्या	1260	2520	6300
3	शिक्षात्मक एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत छात्र/छात्राओं की संख्या	5040	10080	25200
4	वालपेटिंग की संख्या	1260	2520	6300
5	होर्डिंग्स की संख्या	21	42	105
6	रैलियों की संख्या	252	504	1260
7	गोष्ठियों की संख्या	1680	3360	8400
8	प्रदर्शनियों की संख्या	336	672	1680
9	सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षात्मक एवं जागरूकता के कार्यों की संख्या	252	504	1260
10	प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से शिक्षात्मक/प्रचारात्मक कार्यों की संख्या	35	70	175
11	नशा छोड़ने/उपचार हेतु प्रेरित किये गये व्यसनियों की संख्या	3024	6048	15120

उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्यालय स्तर से बजट प्राविधान के अनुसार बस पैनल्स, ट्री-गार्ड्स, बैनर, मोबाईल वैन, एफ0एम0 रेनबो (आकाशवाणी) तथा कियास्क (इलेक्ट्रिक पोल्स) के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों का प्रचार कराया जायेगा।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-28 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-58 पर)

संख्या 22/16/92 का-2/1996-टी०सी०-III

प्रेषक,

कालिका प्रसाद,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 5 जनवरी, 1996

विषय: राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण-पत्र।

महोदय,

कंडिका अनुच्छेद-2

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषयक शासनादेश सं०484/का-1/94-1/1/1995, दिनांक 29 मार्च, 1994 की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसके प्रस्तर-3 में शासन द्वारा "उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994" की धारा 9 के अधीन लिये गये निर्णय से अवगत कराया गया था कि भविष्य में आरक्षण का दावा करने के लिये वांछित "जाति प्रमाण-पत्र" जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/तहसीलदार, जिसके क्षेत्र में सम्बन्धित व्यक्ति निवास करता है अथवा वहां उसका जन्म हुआ हो, द्वारा जारी किया जायेगा। परन्तु अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए ऐसा प्रमाण-पत्र किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या संबंधित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भी प्रदान किया जा सकता है। उक्त शासनादेश के साथ शासन द्वारा निर्धारित जाति प्रमाण-पत्र के प्रपत्र भी संलग्न कर जारी किये गये थे, जिनमें से "उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र" शासनादेश संख्या 22/16/92 का-2 95 टी०सी० दिनांक [illegible] 1995 के साथ [illegible] द्वारा संशोधित किया जा चुका है।

2. [illegible] के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "1995(2)एस सी सी 241 कुमारी माधुरी पाटिल बनाम एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल" वाले वाद में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 2 सितम्बर, 1994 को पारित निर्णय तथा उसके क्रम में रिट याचिका संख्या: 2884(एम०बी०) आफ 1995- "डा० आनन्द प्रताप सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य" में मा० उच्च न्यायालय लखनऊ, पीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27 अक्टूबर, 1995 के अनुपालन में उपरोक्त अधिनियम की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, शासन द्वारा नीति निर्धारित करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:

आवेदन-पत्र का प्रस्तुतीकरण व जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जाना

(1) आरक्षण की अनुमन्यता हेतु जाति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्र उस क्षेत्र, जिसमें संबंधित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा जहां उसका जन्म हुआ हो, के जिलाधिकारी या अतिरिक्त जिलाधिकारी या सिटी मजिस्ट्रेट या परगना मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार को, संबंधित अभ्यर्थी द्वारा यदि वह वयस्क हो, अथवा उसके माता-पिता या अभिभावक द्वारा, यदि वह अवयस्क हो, प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक शपथ-पत्र के साथ अभ्यर्थी की जाति, उपजाति, जनजाति, जनजातीय-समुदाय, या जनजातीय-समुदाय के वर्ग या भाग व अभ्यर्थी के मूल निवास आदि से संबंधित ऐसे विवरण प्रस्तुत किये जायेंगे, जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के संबंध में निदेशक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण उत्तर प्रदेश, तथा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा विहित किये जाय।

(2) उपरोक्तानुसार जिस अधिकारी को जाति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, संतुष्ट होने पर, उस अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।

जाति प्रमाण-पत्र सदस्य का सत्यापन

(3) उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार निर्गत किये गये जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर आरक्षण का दावा शासन द्वारा गठित की गयी निम्नलिखित स्क्रूटनी कमेटी द्वारा किये जाने वाले "जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन" के अधीन अनुमन्य होगा, जिसके लिए उक्त स्क्रूटनी कमेटी को यथास्थिति स्वयं अभ्यर्थी, उसके माता-पिता या अभिभावक द्वारा, शैक्षिक आदि संस्थाओं में प्रवेश अथवा किसी पद/सेवा में नियुक्ति के यथासम्भव 6 मास पूर्व आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा—

(1) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। — अध्यक्ष

(2) निदेशक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण, उत्तर प्रदेश (अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के संबंध में) — सदस्य

या

निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण उ०प्र०

(नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में)

(3) अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग द्वारा नामित अधिकारी, जिन्हें संबंधित विषय का अत्यधिक ज्ञान हो, — अतिरिक्त सदस्य

अथवा

अनुसूचित जनजाति के संबंध में, जनजाति, जनजातीय-समुदाय, जनजातीय समुदाय के वर्ग/भाग के चिन्हीकरण से संबंधित शोध कार्य में लगे, प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा नामित, एक अधिकारी

टिप्पणी:—जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन की कार्यवाही पूरी होने के पूर्व ही यदि अभ्यर्थी को, आरक्षण कोटे में, शैक्षिक आदि संस्था में प्रवेश या यथास्थिति सेवा में नियुक्ति दी जानी हो तो सशर्त (प्राविजनली) प्रवेश/नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी, जो जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन के अधीन होगी।

(4) उ०प्र० अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण निदेशालय तथा उ०प्र० पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय के अधीन एक-एक सतर्कता-कोष्ठक कार्य करेगा तथा प्रत्येक कोष्ठक में पुलिस अधीक्षक स्तर के एक अधिकारी जो "सतर्कता अधिकारी" पदनामित किये जायेंगे तथा अपेक्षित संख्या में पुलिस निरीक्षक होंगे, जिनकी सेवाऐं पदों सहित शासन के गृह (पुलिस) विभाग द्वारा उक्त कोष्ठकों के लिए उपलब्ध कराई जायेंगी।

(5) जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु स्क्रूटनी कमेटी को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर वे यथाशीघ्र उसे संबंधित निदेशालय को प्रेषित करेंगे, जो उसे अपने अधीन कार्यरत सतर्कता-कोष्ठक को सौंपेगे। सतर्कता-कोष्ठक के संबंधित पुलिस निरीक्षक अभ्यर्थी के निवास स्थान, उसके मूल निवास व सामान्यतः निवास किये जाने के स्थानों आदि पर जाकर जाति प्रमाण-पत्र की जांच करेंगे तथा उसकी जांच के पश्चात् सतर्कता अधिकारी व्यक्तिगत रूप से तथ्यों का सत्यापन करेंगे तथा संबंधित तथ्यों को एकत्र करेंगे। वे शैक्षिक संस्थाओं के अभिलेखों, जन्म पंजीयन आदि का परीक्षण कर सकेंगे तथा अभ्यर्थी, उसके माता-पिता या अभिभावक अथवा अभ्यर्थी के सामाजिक स्तर की जानकारी रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति का परीक्षण कर सकेंगे तथा परीक्षणोपरान्त विस्तृत विवरणी सहित निर्धारित प्रपत्र पर अपनी आख्या संबंधित निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे।

(6) यदि संबंधित सतर्कता-कोष्ठक की जांच पड़ताल के अनुसार जाति प्रमाण-पत्र सत्यापित हो जाता है तो संबंधित निदेशक द्वारा "जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन" कर दिया

जायेगा, परन्तु जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापित न होने की दशा में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी

(1) संबंधित निदेशक द्वारा सतर्कता अधिकारी की आख्या की प्रति भेजते हुए अभ्यर्थी को एक कारण बताओ नोटिस पावती पंजीकृत डाक द्वारा अथवा संबंधित संस्था, जहां वह अध्ययनरत् हो या सेवारत हो, के अध्यक्ष (हेड) के माध्यम से दी जायेगी, जिसमें नोटिस की प्राप्ति से दो सप्ताह के भीतर अभ्यर्थी से अभ्यावेदन या उत्तर, यदि वह देना चाहें, दिये जाने की अपेक्षा की जायेगी।

(2) ऐसा अभ्यावेदन या उत्तर देने के लिए अभ्यर्थी के अनुरोध पर अधिक से अधिक नोटिस की प्राप्ति के 30 दिन का समय दिया जा सकता है, से अधिक नहीं।

(3) समयान्तर्गत प्रस्तुत अपने अभ्यावेदन या उत्तर में यदि अभ्यर्थी सुनवाई का अवसर प्रदान करने या इस विषय मे अन्वेषण (इन्क्वायरी) कराने का अनुरोध करता है तो अभ्यावेदन/उत्तर प्राप्त होने पर संबंधित निदेशक स्क्रूटनी-कमेटी और उसके अध्यक्ष को अवगत करायेंगे, जो अभ्यर्थी या यथास्थिति उसके माता-पिता या अभिभावक को उक्त जाति प्रमाण-पत्र की सत्यता के पक्ष में समस्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करेंगे और संबंधित गांव या आबादी मे उद्घोषणा द्वारा या अन्य सुलभ रीति से एक सार्वजनिक सूचना प्रसारित करेंगे और ऐसी सार्वजनिक सूचना पर यदि उक्त जाति प्रमाण-पत्र की सत्यता का कोई व्यक्ति या संगठन, स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विरोध करता है तो उसे अपने विरोध के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। इस अवसर पर अभ्यर्थी भी अपने पक्ष को अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा।

(4) स्क्रूटनी-कमेटी, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व विपक्षियों द्वारा उठाई गई आपत्तियां आदि के प्रकाश में, विचारोपरान्त समुचित आदेश पारित करेगी, जिसमें कमेटी के निष्कर्षों के समर्थन में संक्षिप्त कारणों का भी उल्लेख किया जायेगा।

(5) उपरोक्त कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र दिन प्रतिदिन के आधार पर इस प्रकार की जायेगी कि अनाधिक 2 मास की अवधि मे पूरी हो जाय।

(6) कमेटी के निर्णयों से अभ्यर्थी या यथास्थिति उसके माता-पिता या अभिभावक को निर्णय लेने के एक माह के भीतर अवगत कराया जायेगा।

जाति प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने का परिणाम

(7) यदि स्क्रूटनी-कमेटी के निर्णयानुसार जाति प्रमाण-पत्र असत्य पाया जाता है तो:-

(क) कमेटी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र को निरस्त करने के आदेश पारित किये जायेंगे व उक्त जाति प्रमाण-पत्र को जब्त कर लिया जायेगा।

(ख) यथास्थिति, संबंधित शैक्षिक आदि संस्था या नियुक्ति प्राधिकारी से, पंजीकृत डाक से अनुरोध किया जायेगा कि यथास्थिति संबंधित अभ्यर्थी के प्रवेश/ नियुक्ति को बिना कोई नोटिस दिये तत्काल निरस्त कर दें और तदनुसार आगे अध्ययनरत या यथास्थिति उसे पद/सेवा पर बने रहने से वंचित कर दिया जायेगा।

(ग) संबंधित अभ्यर्थी या यथास्थिति उसके माता-पिता या अभिभावक के विरुद्ध झूठा दावा करने के लिए अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

3- अनुरोध है कि कृपया शासन के उपरोक्त निर्णय का तात्कालिक प्रभाव से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4

संख्या 22/16/92(1)/का-2/1996टी०सी०-III, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उ०प्र०।

(2) प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) प्रमुख सचिव/सचिव शिक्षा विभाग/प्राविधिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(5) निदेशक, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, उ०प्र०/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ०प्र०।

(6) सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(7) सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(8) सचिव, नगर विकास/आवास विभाग/पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(9) निबन्धक, उ०प्र० सहकारी समितियां, लखनऊ।

(10) निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ।

(11) निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्रौढ़ शिक्षा, लखनऊ।

(12) निबन्धक, हाई कोर्ट, इलाहाबाद/लखनऊ बैंच, लखनऊ।

(13) निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ०प्र०।

(14) निदेशक, उ०प्र० प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।

(15) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(16) सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(17) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

(18) राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(19) प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर) के निबन्धक।

(20) समस्त अध्यक्ष जिला परिषद/नगर महापालिका/नगरपालिका/टाउन एरिया, उत्तर प्रदेश।

(21) समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उ०प्र०।

(22) समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।

(23) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतरांकित प्रश्न संख्या-79 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-79 पर)

संख्या- 100/2020/1741/26-3-2020

प्रेषक,

मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
3. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 30 जुलाई, 2020

विषयः- जाति सत्यापन हेतु की गयी व्यवस्था के विपरीत एकल अधिकारी अथवा जाति प्रमाण पत्र निर्गत अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्रों को निरस्त कर अभियोजन की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश में निवासरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों को निर्गत जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु शासन द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के विपरीत एकल अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर जाति प्रमाण पत्रों को निरस्त करते हुए अभियोजन की कार्यवाही की जा रही है, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद-341 के अन्तर्गत जाति, उप-जाति (मूलवंश), जनजाति, जनजातीय समुदाय, या जनजातीय समुदाय के वर्ग या भाग को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किये जाने की व्यवस्था है।

2- उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या-1994(6) एस0सी0सी0-241, कु0 माधुरी पाटिल बनाम एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल में दिनांक 02.09.1994 को पारित आदेश में जाति, उप-जाति, जनजाति, जनजातीय समुदाय, या जनजातीय समुदाय के वर्ग या भाग (Castes, Sub-castes, tribe, tribal comunity, part or groups of tribes or tribal communities) के आधार पर अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उनके मूल निवास (The Place from which he originally hails) से स्थलीय पूछताछ/जांच पड़ताल उपरान्त जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के आदेश दिये गये है।

इसी प्रकार रिट याचिका संख्या-2884(एम.बी.)/1995 डा0 आनन्द प्रताप सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 27.10.1995 को पारित आदेश के अनुपालन में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु नीति निर्धारित करते हुए प्रमुख सचिव, समाज कल्याण की अध्यक्षता में शासनादेश संख्या-22/16/92-का-2/1996-टी.सी.-।।। दिनांक 05.01.1996 द्वारा राज्य स्तरीय जाति सत्यापन समिति का गठन किया गया है। इसी क्रम में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-1611(एम.बी.)/2008 तारामुनि थारू बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 23.09.2010 को पारित आदेश के अनुपालन में शासनादेश संख्या-428/26-3-2011 दिनांक 27.01.2011 द्वारा जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन/जांच हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तर पर अपीलीय फोरम का गठन किया गया है, तथा मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ, लखनऊ में योजित पी. आई.एल. संख्या-1396/2011 थारू शक्ति समिति, महराजगंज व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 12.01.2011 को पारित आदेश के अनुपालन मे शासनादेश संख्या-685/26-3-2011 दिनांक 28.02.2011 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर जिला जाति सत्यापन समिति का गठन किया गया, जिसमें समिति को समयबद्ध तरीके से मामले को निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

साथ ही इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या–33529/2017 प्रतिभा सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 01.08.2017 को पारित आदेश में जिलाधिकारी (एकल अधिकारी) को भी जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने के लिए नियमानुसार अधिकृत नहीं माना हैं। उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–292सीएम/26–3–2017 दिनांक 08.11.2017 द्वारा समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को निर्देश दिये जा चुके है। इस प्रकार एकल अधिकारी अथवा जाति प्रमाण पत्र निर्गत अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन कर जाति प्रमाण पत्र निरस्त करते हुए अभ्यर्थी या उसके माता–पिता/अभिभावक के विरूद्ध की जा रही अभियोजन की कार्यवाही शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के विरूद्ध तथा विधिसंगत नही है। अभ्यर्थी की जाति, उप–जाति, जनजाति, जनजातीय समुदाय या जनजातीय समुदाय के वर्ग या भाग के आधार पर मूल निवास के स्थान से स्थलीय पूछताछ/जांच पड़ताल उपरान्त जाति प्रमाण पत्र फर्जी अथवा झूठा पाया जाता है तो अभियोजन की कार्यवाही राज्य स्तरीय जाति सत्यापन समिति के अन्तिम आदेश/निर्णयानुसार ही की जायें।

3– इस प्रकार किसी भी अभ्यर्थी की जाति अथवा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन का अधिकार राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय जाति सत्यापन समिति, मण्डल स्तर पर मण्डलीय सत्यापन समिति तथा जनपद स्तर पर जिला स्क्रूटनी कमेटी को है,न कि किसी एकल अधिकारी अथवा जाति प्रमाण पत्र निर्गत अधिकारी को है। उपर्युक्त व्यवस्था के विपरीत किसी एकल अधिकारी द्वारा किसी अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करना अथवा जाति सत्यापन समिति द्वारा किसी अभ्यर्थी की जाति सत्यापन करने के उपरान्त किसी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जानबूझ कर उल्लंघन करना अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत न करना अथवा जाति प्रमाण पत्र को सत्यापित करने के उपरान्त एन. आई.सी. के वेबसाइट (www.edistrict.up.nic.in) पर अपलोड न करना उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा–5(1) का दोषी समझा जायेगा।

4– अतएव उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु जारी उक्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप ही जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन/निरस्त किया जायें तथा फर्जी पाये जाने पर तदनुसार अभियोजन की कार्यवाही की जायें।

भवदीय,

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 100/2020/1741 (1)/26–3–2020 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह/न्याय/पिछड़ा वर्ग कल्याण/राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
3– निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
4– निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5– निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-103 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-101 पर)

क्र. स.	जनपद का नाम	ओ.डी.ओ.पी. उत्पाद का नाम
1	आगरा	चमड़े के उत्पाद एवं संगमरमर पर जड़ना कार्य
2	मथुरा	स्वच्छता सम्बन्धी उपकरण तथा ठाकुर जी की पोशाक, श्रृंगार मूर्ति एवं कण्ठी माला उत्पाद
3	मैनपुरी	तारकशी कला तथा वस्त्र सिलाई एवं कढ़ाई (ज़री-ज़रदोज़ी)
4	फिरोजाबाद	कांच उत्पाद
5	अलीगढ़	ताले एवं हार्डवेयर, धातु शिल्पकला
6	कासगंज	ज़री-ज़रदोज़ी
7	एटा	घुंघरू घंटी एवं पीतल उत्पाद
8	हाथरस	हींग प्रंसस्करण, सिले सिलाये वस्त्र
9	अयोध्या	गुड़ उत्पाद
10	सुल्तानपुर	मूंज उत्पाद तथा आयरन एण्ड स्टील फैब्रीकेशन
11	बाराबंकी	हथकरघा एवं वस्त्र उत्पाद
12	अम्बेडकरनगर	वस्त्र उत्पाद
13	अमेठी	मूंज उत्पाद एवं खाद्य प्रसंस्करण
14	आजमगढ़	काली मिट्टी की कलाकृतियों एवं वस्त्र उत्पाद (रेशमी साड़ी)
15	बलिया	बिंदी
16	मऊ	वस्त्र उत्पाद
17	बरेली	ज़री-ज़रदोज़ी एवं बांस के उत्पाद/सुनारी उद्योग
18	बदायूं	ज़री-ज़रदोज़ी
19	पीलीभीत	बांसुरी, काष्ठ उत्पाद
20	शाहजहाँपुर	ज़री-ज़रदोज़ी
21	बस्ती	काष्ठ शिल्प (वुड कापट) एवं सिरका उत्पाद
22	संतकबीर नगर	पीतल के बर्तन एवं होजरी उत्पाद
23	सिद्धार्थनगर	खाद्य प्रंसस्करण (काला नमक चावल)
24	चित्रकूट	लकड़ी के खिलौने एवं काष्ठ कला उत्पाद
25	बांदा	शजर पत्थर शिल्प
26	हमीरपुर	जूती
27	महोबा	गौरा पत्थर शिल्प एवं धातु शिल्प
28	गोंडा	खाद्य प्रसंस्करण
29	बहराइच	गेहूँ के डंठल की कलाकृतियाँ एवं खाद्य प्रसंस्करण
30	श्रावस्ती	जनजातीय शिल्प (ट्राइबल कापट) एवं फर्नीचर
31	बलरामपुर	खाद्य प्रंसस्करण (दाल)
32	गोरखपुर	मिट्टी के बर्तन (टेराकोटा) तथा रेडीमेट गारमेंट्स उत्पाद
33	कुशीनगर	केले के रेशे से बने उत्पाद तथा केले के उत्पाद
34	देवरिया	सजावटी उत्पाद तथा कढ़ाई, बुनाई सम्बन्धी उत्पाद एवं रेडीमेड गारमेंट्स
35	महाराजगंज	फर्नीचर
36	झांसी	कोमल खिलोने (सॉफ्ट ट्वॉयज) एवं वस्त्र उत्पाद
37	ललितपुर	ज़री-सिल्क साड़ी तथा खाद्य प्रसंस्करण, स्कूल ड्रेस (रेडीमेड गारमेन्ट्स/होजरी)

38	जालौन	हस्तनिर्मित कागज एवं गत्ता प्रसंस्करण
39	कानपुर नगर	चमड़े के उत्पाद तथा होजरी एवं टेक्सटाइल उत्पाद
40	कानपुर देहात	अल्युमीनियम के बर्तन एवं प्लास्टिक उत्पाद
41	इटावा	वस्त्र उत्पाद तथा सिलाई (टेलरिंग) तथा वस्त्र फाड़ाई
42	औरैया	देशी घी एवं दुग्ध उत्पाद
43	फर्रूखाबाद	वस्त्र छपाई (टेक्सटाइल प्रिंटिंग) तथा जरी-जरदोजी
44	कन्नौज	इत्र उत्पाद तथा अगरबत्ती व धूप बत्ती उत्पाद
45	लखनऊ	चिकनकारी एवं जरी-जरदोजी
46	रायबरेली	काष्ठ कला (वुड वर्क)
47	उन्नाव	जरी-जरदोजी तथा चर्म उत्पाद
48	हरदोई	हथकरघा एवं वस्त्र उत्पाद
49	सीतापुर	दरी
50	लखीमपुर खीरी	जनजातीय शिल्प (ट्राइबल कापट) एवं गुड़ उत्पाद
51	मेरठ	खेल का सामान
52	बागपत	घरेलू सजावटी सामान
53	गाजियाबाद	यांत्रिकी उत्पाद
54	बुलंदशहर	सिरेमिक्स उत्पाद
55	गौतमबुद्धनगर	सिले-सिलाए वस्त्र एवं वस्त्र उत्पाद
56	हापुड़	घरेलू सजावटी सामान
57	मुरादाबाद	धातु शिल्प
58	रामपुर	पैचवर्क के साथ एप्लिक वर्क, जरी पैचवर्क तथा मैथा
59	बिजनौर	काष्ठ शिल्प (वुड कापट)
60	अमरोहा	वाद्य यंत्र (ढोलक) एवं रेडीमेड गारमेंट्स
61	संभल	सींघ एवं अस्थि उत्पाद
62	मिर्जापुर	कालीन तथा मेटल उद्योग (ब्रास)
63	सोनभद्र	कालीन
64	संत रविदास नगर (भदोई)	कालीन
65	प्रयागराज	मूंज उत्पाद एवं फूड प्रोसेसिंग
66	फतेहपुर	बेडशीट एवं आयरन फैब्रीकेशन वर्क्स
67	प्रतापगढ़	खाद्य प्रसंस्करण (आँवला)
68	कौशाम्बी	खाद्य प्रसंस्करण (केला एवं अमरूद)
69	सहारनपुर	काष्ठ शिल्प (वुड कार्विंग)
70	मुजफ्फरनगर	गुड़ उत्पाद
71	शामली	लौहकला
72	वाराणसी	रेशम उत्पाद तथा गुलाबी मीनाकारी, वूडेन लेकर वेयर व ट्वॉयज
73	गाजीपुर	जूट वॉल हैंगिंग्स
74	जौनपुर	ऊनी दरी
75	चंदौली	ज़री-ज़रदोज़ी, काला नमक चावल

एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 की प्रगति रिपोर्ट

क्रम संख्या	मंडल का नाम	जनपद का नाम	2019-20		2020-21		2021-22	
			प्रशिक्षण	टूल किट वितरण	प्रशिक्षण	टूल किट वितरण	प्रशिक्षण	टूल किट वितरण
1	आगरा मण्डल	आगरा	350	350	300	300	400	300
2		मथुरा	133	133	300	300	400	400
3		मैनपुरी	200	200	200	200	250	250
4		फिरोजाबाद	250	250	200	200	200	200
5	अलीगढ़	अलीगढ़	346	346	199	199	350	200
6		कासगंज	250	250	200	200	250	250
7		एटा	250	250	200	200	250	250
8		हाथरस	200	200	150	150	250	125
9	अयोध्या	अयोध्या	300	300	250	250	250	250
10		सुल्तानपुर	200	200	200	200	200	200
11		बाराबंकी	300	300	200	200	300	300
12		अम्बेडकरनगर	350	350	250	250	400	400
13		अमेठी	200	200	200	200	200	200
14	आजमगढ़	आजमगढ़	200	200	200	200	250	250
15		बलिया	300	300	300	300	300	300
16		मऊ	300	300	250	250	400	400
17	बरेली	बरेली	350	350	300	300	400	400
18		बदायूं	250	250	200	200	300	300
19		पीलीभीत	150	150	100	100	150	75
20		शाहजहाँपुर	300	300	200	200	250	250
21	बस्ती	बस्ती	300	300	150	150	200	200
22		संतकबीर नगर	200	200	150	150	200	200
23		सिद्धार्थनगर	200	0	150	0	150	0
24	चित्रकूट	चित्रकूट	200	200	200	200	200	200
25		बांदा	200	200	100	100	150	150

क्रम संख्या	मंडल का नाम	जनपद का नाम	2019-20		2020-21		2021-22	
			प्रशिक्षण	टूल किट वितरण	प्रशिक्षण	टूल किट वितरण	प्रशिक्षण	टूल किट वितरण
26		हमीरपुर	300	300	100	100	100	100
27		महोबा	200	200	200	200	200	200
28	देवीपाटन	गोंडा	200	0	250	150	250	175
29		बहराइच	150	150	200	200	300	300
30		श्रावस्ती	200	200	200	200	200	200
31		बलरामपुर	200	0	200	0	150	0
32	गोरखपुर	गोरखपुर	250	250	150	150	400	100
33		कशीनगर	200	200	200	200	150	150
34		देवरिया	250	250	200	200	200	200
35		महाराजगंज	300	300	150	150	200	200
36	झाँसी	झांसी	300	300	250	250	300	300
37		ललितपुर	250	250	250	250	300	100
38		जालौन	200	200	150	150	150	150
39	कानपुर	कानपुर नगर	350	350	300	300	400	400
40		कानपुर देहात	250	250	250	250	250	250
41		इटावा	300	300	250	250	250	125
42		औरैया	200	200	150	150	250	250
43		फर्रुखाबाद	200	200	150	150	300	150
44		कन्नौज	50	50	100	100	200	100
45	लखनऊ	लखनऊ	350	350	300	300	400	400
46		रायबरेली	300	300	250	250	250	250
47		उन्नाव	350	350	300	300	300	175
48		हरदोई	300	300	200	200	250	250
49		सीतापुर	300	300	250	250	300	300
50		लखीमपुर खीरी	200	200	200	200	300	300

क्रम संख्या	मंडल का नाम	प्रवचन का नाम	2019-20		2020-21		2021-22	
			प्रशिक्षण	टूल किट वितरण	प्रशिक्षण	टूल किट वितरण	प्रशिक्षण	टूल किट वितरण
51	मेरठ	मेरठ	350	350	300	300	400	400
52		बागपत	200	200	100	100	150	150
53		गाजियाबाद	300	300	300	300	400	400
54		बुलंदशहर	300	300	150	150	300	300
55		गौतमबुद्धनगर	350	350	300	300	400	400
56		हापुड़	200	200	150	150	200	200
57	मुरादाबाद	मुरादाबाद	350	350	300	300	400	400
58		रामपुर	300	300	200	200	300	275
59		बिजनौर	300	300	250	250	400	400
60		अमरोहा	200	200	200	200	250	250
61		संभल	200	200	150	150	250	250
62	मीरजापुर	मीरजापुर	300	300	250	250	300	150
63		सोनभद्र	250	250	200	200	200	200
64		संत रविदास नगर	350	350	300	300	400	200
65	प्रयागराज	प्रयागराज	300	300	300	300	400	400
66		फतेहपुर	300	300	100	100	400	0
67		प्रतापगढ़	300	300	200	200	400	400
68		कौशाम्बी	250	250	250	250	250	0
69	सहारनपुर	सहारनपुर	350	350	300	300	400	400
70		मुजफ्फरनगर	300	300	250	250	400	400
71		शामली	300	300	200	200	250	250
72	वाराणसी	वाराणसी	350	350	300	300	400	300
73		गाजीपुर	200	200	150	150	200	200
74		जौनपुर	250	250	250	250	250	250
75		चंदौली	250	250	200	200	300	200
	योग		19529	18929	15999	15549	21000	17950

नोट :–

1. प्रदेश में विगत 03 वर्ष में योजनान्तर्गत कुल प्रशिक्षित लाभार्थी–66526

2. प्रदेश में विगत 03 वर्ष में योजनान्तर्गत कुल वितरित टूलकिट–52428

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-125 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-113 पर)

Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana(PMAGY) Ministry of Social Justice and

S.No.	District	Block	Gram Panchayat	Village
1	MORADABAD [171]	DILARI [1418]	CHANDUPUR [80538]	Sultanpur Khadder (M.S.T) [114732]
2	MORADABAD [171]	BILARI [1416]	NIYAMATPUR [80286]	Niyamatpur [115513]
3	MORADABAD [171]	KUNDARKI [1419]	PITPUR [80675]	Naya Khera [115478]
4	MORADABAD [171]	KUNDARKI [1419]	CHANDUR MANGOL [80621]	Mousampur [115468]
5	MORADABAD [171]	BILARI [1416]	NASEERPUR [245731]	Mithanpur Mahesh [115634]
6	MORADABAD [171]	BILARI [1416]	HATHIPUR BAHAUDDIN [80407]	Mirapur Mafi [115562]
7	MORADABAD [171]	BILARI [1416]	ABHANPUR NARAULI [80226]	Kua Khera [115499]
8	MORADABAD [171]	BILARI [1416]	SIHARI LADDA [80443]	Koori Manak [115584]
9	MORADABAD [171]	KUNDARKI [1419]	CHAK HABIBPUR [80620]	Khitabpur Urf Khanupura [115481]
10	MORADABAD [171]	KUNDARKI [1419]	ALINAGAR [80605]	Janakpur [115376]
11	MORADABAD [171]	KUNDARKI [1419]	CHAK HABIBPUR [80620]	Chak Habibpur [115479]
12	MORADABAD [171]	BILARI [1416]	AHEMDABAD KASORA [80228]	Ahemdabad Kasora [115524]
13	MORADABAD [171]	BILARI [1416]	HAJIPUR [80405]	Hajipur [115630]
14	MORADABAD [171]	KUNDARKI [1419]	CHANDUR MANGOL [80621]	Chandur Mangol [115465]
15	MORADABAD [171]	KUNDARKI [1419]	BHADARPUR RAJPOOT [80615]	Bhadarpur Rajpoot [115320]
16	MORADABAD [171]	KUNDARKI [1419]	CHITTOOPUR [80624]	Raib Nagla [115406]
17	MORADABAD [171]	BILARI [1416]	SAIFPUR JAGNA [80298]	Saifpur Jagna [115535]
18	MORADABAD [171]	DILARI [1418]	SAIJNI (M.S.T) [80586]	Honspura [114702]
19	MORADABAD [171]	THAKURDWARA [1424]	MADARPUR [81011]	Bhagiawala [114522]
20	MORADABAD [171]	DILARI [1418]	DAULAWALA [80541]	Allahpur [114664]
21	MORADABAD [171]	BHAGATPUR TANDA [1415]	KUKAR JHUNDI [80337]	Lalpur Prohit [115009]
22	MORADABAD [171]	MORADABAD [1420]	GINDORA [80707]	Gindora [115174]
23	MORADABAD [171]	MUNDA PANDEY [1421]	GHAUNDA MUSTAHKAM [80769]	Ghaunda Ahatmali [115270]

S.No.	District	Block	Gram Panchayat	Village
24	MORADABAD [171]	BHAGATPUR TANDA [1415]	UDHOPURA [80369]	Firozpur [115027]
25	MORADABAD [171]	MUNDA PANDEY [1421]	BIKANPUR [80749]	Bikanpur [115257]
26	MORADABAD [171]	BHAGATPUR TANDA [1415]	NAKETPURI KHURD [80347]	Baru Bhura [115068]
27	MORADABAD [171]	CHHAJLET [1417]	SULTANPUR FALEDA ESHAPUR [80523]	Sultanpur Faleda Eshapur [114978]
28	MORADABAD [171]	CHHAJLET [1417]	KURA MEERPUR [80484]	Shukla Urf Sumla [114957]
29	MORADABAD [171]	CHHAJLET [1417]	MOHAMMADPUR MAPHY [80494]	Peli Bisnoi [114862]
30	MORADABAD [171]	CHHAJLET [1417]	KURA MEERPUR [80484]	Kishanpur [114958]
31	MORADABAD [171]	CHHAJLET [1417]	PAHAR MAU [80502]	Dudēla [114860]
32	MORADABAD [171]	BILARI [1416]	AKBARPUR [80371]	Akbarpur [115597]
33	MORADABAD [171]	BILARI [1416]	KHANDUA [80413]	Abupur Khurd [115586]
34	MORADABAD [171]	KUNDARKI [1419]	MALI PUR [80659]	Mali Pur [115318]
35	MORADABAD [171]	KUNDARKI [1419]	KADARPUR MASTI [80646]	Sarai Panjoo [115395]
36	MORADABAD [171]	KUNDARKI [1419]	JIGANIA [80645]	Fatehpur Salawatnagar [115373]
37	MORADABAD [171]	CHHAJLET [1417]	ANYARI URF ALINAGAR [80454]	Anyari Urf Alinagar [114961]
38	MORADABAD [171]	MORADABAD [1420]	RASULPUR SUNWATI [80730]	Rasulpur Sunwati [115184]
39	MORADABAD [171]	BILARI [1416]	NAGALIA JAT [80428]	Nagalia Jat [115578]
40	MORADABAD [171]	BILARI [1416]	MANKOOLA [80424]	Mankoola [115594]
41	MORADABAD [171]	MORADABAD [1420]	MAHLAKPUR NIZAMPUR [80720]	Mahlakpur Nizampur [115121]
42	MORADABAD [171]	MORADABAD [1420]	HASHAMPUR GOPAL [80712]	Hashampur Gopal [115180]
43	MORADABAD [171]	MORADABAD [1420]	DIDAURI [80705]	Didauri [115185]
44	MORADABAD [171]	MORADABAD [1420]	DIDAURA [80704]	Didaura [115183]
45	MORADABAD [171]	CHHAJLET [1417]	LADAWALI [80485]	Ladawali [114969]
46	MORADABAD [171]	CHHAJLET [1417]	BARKHERA BASANTPUR URF DAYANAT [80458]	Barkhera Basantpur Urf Dayanat [114989]
47	MORADABAD [171]	KUNDARKI [1419]	SONAKPUR [80686]	Sonakpur [115377]

S.No.	District	Block	Gram Panchayat	Village
48	MORADABAD [171]	KUNDARKI [1419]	NAGLA KAMAL [80670]	Nagla Kamal [115415]
49	MORADABAD [171]	BHAGATPUR TANDA [1415]	KHABARYA GHAT [80334]	Khabarya Ghat [115053]
50	MORADABAD [171]	DILARI [1418]	SAIJNI (M.S.T) [80586]	Saijni (M.S.T) [114704]
51	MORADABAD [171]	BILARI [1416]	NAMENI GADDI [80283]	Sujanpur [115515]
52	MORADABAD [171]	BILARI [1416]	SHIYAM SINGHPUR URF BHOORI [80303]	Shiyam Singhpur Urf Bhoori [115517]
53	MORADABAD [171]	KUNDARKI [1419]	DOMGHAR [80627]	Nagla Hasha [115422]
54	MORADABAD [171]	BILARI [1416]	NAGLA GOOJAR [80280]	Nagla Goojar [115532]
55	MORADABAD [171]	KUNDARKI [1419]	MADHPURI [80656]	Madhpuri [115343]
56	MORADABAD [171]	BILARI [1416]	JASRATHPUR [80410]	Jasrathpur [115639]
57	MORADABAD [171]	MORADABAD [1420]	TILOKPUR [80741]	Tilokpur [115140]
58	MORADABAD [171]	MUNDA PANDEY [1421]	DILRA RAIPUR [80764]	Rafatpur [115236]
59	MORADABAD [171]	MUNDA PANDEY [1421]	LALPUR TITRI [80782]	Jagrampura [115305]
60	MORADABAD [171]	MORADABAD [1420]	GANNOR DEYA MAFI [80706]	Gajgola Nanak Bari [115190]
61	MORADABAD [171]	BILARI [1416]	CHIRIA BHAWAN [80249]	Nooruddinpur Urf Ganj [115543]
62	MORADABAD [171]	BILARI [1416]	BILARI (DEHAT) [80387]	Bilari (Dehat) [115579]
63	MORADABAD [171]	BILARI [1416]	ALLAHDADPUR KHEM URF RAIPUR [80373]	Sherpur Madho Urf Dhania Khera [115571]
64	MORADABAD [171]	MORADABAD [1420]	UTTAMPUR BAHLOLPUR [80743]	Uttampur Bahlolpur [115167]

Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana(PMAGY) Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India

S.No	District	Block	Gram Panchayat	Village
1	SAMBHAL [659]	PANWASA [1422]	KARELI [80848]	Thakari [116041]
2	SAMBHAL [659]	RAJPURA [1010]	SIRSA [56391]	Nariya Wali [127127]
3	SAMBHAL [659]	RAJPURA [1010]	KAHROLA GARVI [56359]	Kahrola Garvi [127121]
4	SAMBHAL [659]	JUNAWAI [1007]	HAIDARABAD [56191]	Humayunpur [127359]
5	SAMBHAL [659]	RAJPURA [1010]	HARDASPUR [56350]	Hardaspur [127130]
6	SAMBHAL [659]	RAJPURA [1010]	DUPTA KHURD [56347]	Dupta Khurd Patti Ramsahai
7	SAMBHAL [659]	GUNNAUR [1004]	AFJALPUR [55990]	Bichpuri Bhur [127298]
8	SAMBHAL [659]	RAJPURA [1010]	DUPTA KALAN [56346]	Bhopatpur [127078]
9	SAMBHAL [659]	PANWASA [1422]	NAGALIA BALLU [80862]	Kuketa [116062]
10	SAMBHAL [659]	BANIYAKHERA	KHETATA [80267]	Kanthri [116230]
11	SAMBHAL [659]	PANWASA [1422]	TAHARPUR SIMRAUA	Kaneta Nikat Dehli [116055]
12	SAMBHAL [659]	PANWASA [1422]	NAGALIA BALLU [80862]	Kadarpur [116063]
13	SAMBHAL [659]	PANWASA [1422]	TAHARPUR SIMRAUA	Fazalpur Nikat Hindoli
14	SAMBHAL [659]	BANIYAKHERA	DHARAMPUR KURAIYA	Dharampur Kuraiya
15	SAMBHAL [659]	BAHJOI [1413]	DHAKARI NIKAT BAHJOI	Dhakari Nikat Bahjoi
16	SAMBHAL [659]	BANIYAKHERA	BAQARPUR BEHTRI [80240]	Baqarpur Behtri [116204]
17	SAMBHAL [659]	JUNAWAI [1007]	JUNAWAI [56196]	Sarai Brahman [127361]
18	SAMBHAL [659]	SAMBHAL [1423]	AKHTYARPUR DILPUR	Akhtyarpur Taga [115860]
19	SAMBHAL [659]	ASMAULI [1412]	SELMI [80158]	Selmi [115665]
20	SAMBHAL [659]	SAMBHAL [1423]	GYANPUR SISAUNA [80921]	Nagaliya Kamgar [115772]
21	SAMBHAL [659]	ASMAULI [1412]	SIROLI [80165]	Murtala [115729]
22	SAMBHAL [659]	ASMAULI [1412]	MACHARYA [80125]	Macharya [115654]
23	SAMBHAL [659]	ASMAULI [1412]	NAGLA NIDAR [80137]	Khempur [115702]
24	SAMBHAL [659]	PANWASA [1422]	GONHANT [80840]	Karanpur Kayast [115937]
25	SAMBHAL [659]	SAMBHAL [1423]	BHIRWARA [80908]	Gulalpur [115793]
26	SAMBHAL [659]	SAMBHAL [1423]	BHARTAL MADAPUR	Esapur Sani [115922]
27	SAMBHAL [659]	ASMAULI [1412]	ASRAFPUR [80098]	Dharangur [115746]
28	SAMBHAL [659]	ASMAULI [1412]	KAMALPUR KAFOORPUR	Dhak Shahid [115708]
29	SAMBHAL [659]	ASMAULI [1412]	DULAHPUR BAND URF	Daryapur Band [115679]
30	SAMBHAL [659]	ASMAULI [1412]	BHURA BEGAMPUR [80102]	Bhura Begampur [115738]
31	SAMBHAL [659]	SAMBHAL [1423]	ATAURA [80897]	Atauri [115901]
32	SAMBHAL [659]	PANWASA [1422]	ANJR [80820]	Anjr [116040]
33	SAMBHAL [659]	SAMBHAL [1423]	CHITAWLI [80912]	Allipur Near Manni Khera
34	SAMBHAL [659]	JUNAWAI [1007]	HARGOVINDPUR [56192]	Hargovindpur [127363]
35	SAMBHAL [659]	PANWASA [1422]	QASAMPUR JAGRUP	Qasampur Jagrup [116072]
36	SAMBHAL [659]	PANWASA [1422]	AFZALPUR DARAWLI	Paheladpur [116074]
37	SAMBHAL [659]	SAMBHAL [1423]	JALAB SARAI [80925]	Rasoolpur Sarai [115834]
38	SAMBHAL [659]	PANWASA [1422]	TAHARPUR SIMRAUA	Taharpur Simraua [116057]
39	SAMBHAL [659]	BANIYAKHERA	RASULPUR KAILI [80296]	Rasulpur Kaili [116184]

S.No	District	Block	Gram Panchayat	Village
40	SAMBHAL [659]	BANIYAKHERA	MUNDIAKHERA [80427]	Mundiakhera [116281]
41	SAMBHAL [659]	BANIYAKHERA	KHETATA [80267]	Khetata [116229]
42	SAMBHAL [659]	BAHJOI [1413]	DHAKARI NIKAT BAHJOI	Bahjoi Dehat [116122]
43	SAMBHAL [659]	BANIYAKHERA	SARAI SIKANDAR [80300]	Sarai Sikandar [116174]
44	SAMBHAL [659]	BANIYAKHERA	PATRAUWA [80291]	Patrauwa [116214]
45	SAMBHAL [659]	BANIYAKHERA	PATHRA [80290]	Pathra [116205]
46	SAMBHAL [659]	BANIYAKHERA	PACHAK [80287]	Pachak [116179]
47	SAMBHAL [659]	BANIYAKHERA	DARNI [80391]	Darni [116261]
48	SAMBHAL [659]	BANIYAKHERA	BEHTA SAHU [80243]	Behta Sahu [116176]
49	SAMBHAL [659]	BANIYAKHERA	AKBARPUR CHITERI [80229]	Akbarpur Chiteri [116203]
50	SAMBHAL [659]	SAMBHAL [1423]	ESAPUR SUNWARI [80917]	Esapur Sunwari [115814]
51	SAMBHAL [659]	SAMBHAL [1423]	POTA [80957]	Pota [115908]
52	SAMBHAL [659]	SAMBHAL [1423]	RITHALI [80960]	Rithali [115804]
53	SAMBHAL [659]	SAMBHAL [1423]	WAJIDPUR SARAI [80976]	Kamalpur Sarai [115846]
54	SAMBHAL [659]	BAHJOI [1413]	MANDANPUR [80207]	Mandanpur [116165]
55	SAMBHAL [659]	BANIYAKHERA	ALAWALPURI [80232]	Bhataur [116175]
56	SAMBHAL [659]	BANIYAKHERA	ALAMPUR KUDEYA [80231]	Alampur Kudeya [116225]
57	SAMBHAL [659]	BANIYAKHERA	ADAMPUR [80227]	Adampur [116219]
58	SAMBHAL [659]	SAMBHAL [1423]	KHABRI BHOLA [80930]	Khabri Bhola [115897]
59	SAMBHAL [659]	SAMBHAL [1423]	ECHOWARA DINGAR	Echowara Dingar [115779]
60	SAMBHAL [659]	ASMAULI [1412]	DUGAWAR [80108]	Dugawar [115758]
61	SAMBHAL [659]	SAMBHAL [1423]	SISOTA [80971]	Bahauddinpur [115902]
62	SAMBHAL [659]	RAJPURA [1010]	MALIKPUR [56368]	Malakpur [127109]
63	SAMBHAL [659]	SAMBHAL [1423]	TATARPUR ROAD [80974]	Tatarpur Road [115777]
64	SAMBHAL [659]	SAMBHAL [1423]	TATARPUR MAJRA BATAUA	Tatarpur Majra Bataua
65	SAMBHAL [659]	ASMAULI [1412]	SEVAPUR [80159]	Sevapur [115706]
66	SAMBHAL [659]	SAMBHAL [1423]	BARAHI [80899]	Razakpur [115907]
67	SAMBHAL [659]	PANWASA [1422]	HINDOLI [80844]	Hindoli [116021]
68	SAMBHAL [659]	PANWASA [1422]	AFZALPUR DARAWLI	Afzalpur Darawli [116075]
69	SAMBHAL [659]	SAMBHAL [1423]	KHAGUPURA [80931]	Khagupura [115828]

नत्थी 'च'

(माननीय सदस्यों के लिखित भाषण)

श्रीमती सरिता भदौरिया-

सैफई एस0जी0पी0जी0आई0 की व्यवस्था बेहद खराब है। डॉ0 रमाकान्त यादव पूरे वातावरण को खराब किये हैं।

महिला आपरेशन एवं इलाज बिना पैसे के नहीं होता है और रमाकान्त यादव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वहां पर अन्य समस्त स्टाफ का शोषण करता है, ऐसी भी जानकारी मिलती है।

हमारी विधान सभा क्षेत्र में यमुना के घाटों का निर्माण करवाने की मांग करती हूँ और एक इलेक्ट्रिक शवदाह बनवाने की भी मांग करती हूँ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने विधान सभा के इस मानसून सत्र में आज हम महिलाओं के लिए ही बोलने का शुभ अवसर प्रदान किया। बड़ी हर्ष की बात है कि हमारी सरकार ने हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। जिससे महिलाएं भी पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को जो हम सभी महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहा है, सदन को बताना चाहूंगी।

मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना-

यह बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गयी है। इसके अन्तर्गत बालिकाओं को पन्द्रह हजार (15,000/-) रुपये की आर्थिक सहायता छह चरणों में प्रदान की जाती है। इस योजना में 13.67 लाख बेटियां लाभान्वित हो चुकी हैं।

निराश्रित महिला पेंशन योजना-

इसके अन्तर्गत पति के मृत्युपरान्त पात्र निराश्रित महिला को प्रति लाभार्थी 1000 रुपये की पेंशन दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 31.50 लाख महिलाएं (उत्तर प्रदेश) लाभान्वित हो चुकी हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन-

महिलाओं को संगठित, सशक्त, स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया है। इसके अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को आवश्यकतानुसार कम ब्याज पर ऋण

उपलब्ध कराया जाता है। 2.35 लाख स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को आजीविका की दिशा में दो हजार तीन सौ तिरपन करोड़ रुपये (2353 करोड़ रुपये) के ऋण उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

महिला स्वयं सहायता समूहों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 1840 उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन किया गया है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वितरित होने वाला पोषाहार अब स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किया जा रहा है।

अब तक 6.34 लाख स्वयं सहायता समूहों से 66 लाख महिलाएं जुड़ी हैं।

बैंकिंग कारेस्पॉन्डेंट सखी-

जनकल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में ग्रामवासियों को प्रोत्साहित एवं लाभान्वित करने के लिए प्रदेश की सभी 58000 (अट्ठावन हजार) ग्राम पंचायतों में विभिन्न बैंकों के माध्यम से बी0सी0 सखी को पदस्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। बी0सी0 सखी को प्रतिमाह 4000 रुपये प्रदान किये जायेंगे। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी।

राष्ट्रीय पोषण मिशन-

इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना है। इसका लाभ उन परिवारों को मिलेगा जो अपने बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को पोषित भोजन देने में सक्षम नहीं हैं।

मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना-

यह निर्धन परिवार की बेटियों के लिए है। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ ही सामान्य वर्ग के निर्धन परिवार भी आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ विधवा और तलाकशुदा भी उठा सकते हैं। इसमें एक जोड़े के विवाह पर कुल 51000/- रुपये की धनराशि की व्यवस्था है। मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 191686 (एक लाख इक्यानबे हजार छः सौ छियासी) जोड़े लाभान्वित हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना-

इसके तहत जननी एवं उसके बच्चे की देखभाल के लिए 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना में अब तक 5255129 माताएं (बावन लाख पचपन हजार एक सौ उन्तीस) लाभान्वित हो चुकी हैं।

शक्ति मोबाइल-

महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु प्रदेश के सभी 1535 थानों में शक्ति मोबाइल का गठन किया गया है। अपराधियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाती है।

महिला हेल्प डेस्क-

सभी 1584 (जी0आर0पी0 सहित) महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है। महिला हेल्पडेस्क पर शिकायतकर्ता को एक टोकन दिया जाता है, जिस पर समस्त जानकारी दर्ज होती है।

महिला पुलिस बीट व महिला बीट पुलिस अधिकारी-

इनके द्वारा बीट के गांव में महिलाओं से संवाद स्थापित कर अपराध एवं अपराधियों पर लगाम लगाने का कार्य किया जाता है, महिलाओं को जागरूक किया जाता है।

सभी 1535 थानों पर 10,417 महिला पुलिस बीट का गठन किया गया है। इन बीटों में 20,740 (बीस हजार सात सौ चालीस) महिला बीट पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।

महिला साइबर सेल-

सभी 18 परिक्षेत्र मुख्यालयों पर कार्यरत साइबर पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत महिला साइबर सेल का गठन किया गया है।

महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र-

सभी जनपदों की दूरस्थ तहसीलों में कुल 61 महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र/महिला थाना का गठन किया गया है। दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, तीन तलाक।

मिशन शक्ति कक्ष-

प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत भवनों में मिशन शक्ति कक्ष की स्थापना की गयी है। इनमें एन0जी0ओ0, आशा बहू, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का पूर्ण समन्वय स्थापित रहता है।

बेटी बचाओ-

बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत 1 करोड़ 90 लाख बेटियों को जागरूक किया गया है।

घरौनी-

परिवार की महिला सदस्य के नाम होगी। अब तक 34 लाख से अधिक घरौनी वितरित की गयी हैं।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गोदभराई एवं अन्नप्राशन का आयोजन किया जा रहा है।

सुकन्या समृद्धि योजना-

छोटी बच्चियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसके माध्यम से 10 साल से छोटी बच्ची को शिक्षा दिया जायेगा और उनकी शादी की आयु में उन्हें आर्थिक सहायता दिया जायेगा।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-

इसके तहत महिलाओं को आंसू मुक्त रसोई की सुविधा देने के लिए गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराया जाता है।

प्रधानमंत्री समर्थ योजना-

इसके माध्यम से महिलाओं को कार्यों के बारे में नई-नई जानकारी दिया जाता है, जिससे महिलाएं खुद व्यवसाय कर सकें, बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ें और आत्मनिर्भर बन सकें।

फ्री सिलाई मशीन योजना-

इसके तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जिनकी आयु 20 वर्ष से अधिक हो, को आवेदन करने पर फ्री में सिलाई मशीन दिया जाता है, जिससे वे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई करके अपना जीवन चला सकें और आत्मनिर्भर बनें।

इस प्रकार महिलाओं को सशक्त, स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी भरतीय जनता पार्टी की सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी एवं यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में लगातार पूरी तत्परता से कार्य कर रही है।

अब अन्त में मैं इस सन्देश के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ-

आओ मिलकर करें उन्हें नमन,

जिन्होंने दिया मानवता को जीवन।'

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।

जय हिन्द, जय भारत।

अधिष्ठाता महोदया, मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूं कि आपने मुझे महिला सशक्तिकरण के विषय पर बोलने का शुभ अवसर दिया है।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की के बराबरी के मौके मिल सकें, जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सकें। यह वह तरीका है, जिसके द्वारा महिलाएं भी पुरुषों की तरह अपनी हर आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। भले ही आज के समाज में कई भारतीय महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, वकील आदि बन चुकी हों, लेकिन फिर भी काफी सारी महिलाओं को आज भी सहयोग और सहायता की आवश्यकता है। उन्हें शिक्षा और आजादीपूर्वक कार्य करने, सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित कार्य और सामाजिक आजादी में अभी भी और सहयोग की आवश्यकता है।

महिला सशक्तिकरण का यह कार्य काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की सामाजिक-आर्थिक प्रगति उसके महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रगति पर ही निर्भर करती है। बदलते समय के साथ आधुनिक युग की नारी पढ़-लिख कर स्वतंत्र है। वह अपने अधिकारों के प्रति सजग है तथा स्वयं अपना निर्णय लेती है। अब वह चारदीवारी से बाहर निकलकर देश के लिए विशेष महत्वपूर्ण कार्य करती है। महिलाएं हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं। इसी वजह से राष्ट्र के विकास के महान काम में महिलाओं की भूमिका और योगदान को पूरी तरह और सही परिप्रेक्ष्य में रख कर ही राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को वह मजबूती प्रदान करता है, जो उन्हें उनके हक के लिए लड़ने में मदद करता है। हम सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। इक्कीसवीं सदी नारी जीवन में सुखद सम्भावनाओं की सदी है।

महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे आने लगी हैं। आज की नारी अब जागृत और सक्रिय हो चुकी हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है 'नारी जब अपने ऊपर थोपी हुई बेड़ियों एवं कड़ियों को तोड़ने लगेगी, तो विश्व की कोई शक्ति उसे नहीं रोक पायेगी'।

मैं इस क्रम में अपने कुछ सुझाव इस सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहती हूँ।

1-महिलाओं के प्रति अपराध के सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने में किसी भी तरह का विलम्ब नहीं होना चाहिए।

2-प्राथमिकी में नामित सभी अभियुक्तों को पकड़ने के पूरे प्रयास किये जाने चाहिए, ताकि पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों में विश्वास पैदा किया जा सके।

3-राज्य पुलिस बल में व्यापक रूप से महिला पुलिस पदाधिकारियों की भर्ती की जानी चाहिए।

4-महिलाओं के हित सम्बन्धी कार्य करने वाली पुलिस और गैर सरकारी संस्थान के बीच निकट समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

5-महिलाओं के प्रति अत्याचार से सम्बन्धित मामलों पर कार्यवाही न करने वाले पुलिस कार्मिकों को विशेष कानूनों में दण्डित करना चाहिए।

महिलाओं के प्रति अत्याचार-

1-थाना भवानीगंज के ग्राम धौरहरा धरमपुर में दलित युवती के साथ गैंगरेप।

2-चित्रकूट के कर्वी कोतवाली क्षेत्र में दलित युवती से रेप।

3-अयोध्या में झाड़-फूंक के बहाने दलित युवती से रेप।

4-बलिया में 18 साल की दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार।

5-लखीमपुर खीरी में दलित युवती के साथ सामूहिक बलात्कार।

6-फतेहपुर में नाबालिग दलित लड़की से रेप, पीड़िता ने जहर खाकर जान दी।

7-मथुरा में दलित महिला से गैंगरेप।

8-पीलीभीत में दुष्कर्म के बाद दलित युवती को जिन्दा जलाया, इलाज के दौरान मौत।

9-डुमरियागंज क्षेत्र में बाढ़ की समस्या।

10-मेडिकल कालेज, सिद्धार्थनर में चिकित्सकों, प्रोफेसरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की कमी।

11-डुमरियागंज क्षेत्र में जर्जर तारों का बदला जाना एवं ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाना।

12-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लटेरा में डॉक्टर उपस्थित नहीं, निर्माणाधीन कोविड वार्ड के निर्माण में अनियमितता, मानक के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा।

13-विश्वविद्यालय के अधीन कालेजों द्वारा अलग-अलग सेमेस्टर की परीक्षा शुल्क अलग-अलग धनराशि के रूप में लिया जाना।

श्रीमती कृष्णा पासवान-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमें बोलने का मौका दिया, मैं आपकी आभारी हूँ।

महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के प्रति संवेदनशील उत्तर प्रदेश सरकार 'मिशन शक्ति' के नाम से योजना का संचालन कर रही है। मिशन शक्ति के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन से देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है।

विगत साढ़े पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान को सुनिश्चित करते हुए उन्हें स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर कार्य किये हैं। मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना, सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी, स्वरोजगारपरक् योजनाओं आदि से व्यापक स्तर पर जोड़कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किये गये हैं।

मिशन शक्ति के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा किये गये प्रयासों एवं उपलब्धियों पर केन्द्रित सामग्री आपके अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है। इससे आपको विषय को समझने में सुविधा होगी।

सद्भावनाओं सहित।

बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी-

जनकल्याण की योजनाओं के सम्बन्ध में ग्रामवासियों को प्रोत्साहित एवं लाभान्वित करने हेतु प्रदेश की सभी 58000 ग्राम पंचायतों में विभिन्न बैंकों के माध्यम से बी0सी0 सखी को पदस्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।

बी0सी0 सखी को प्रतिमाह 4000 रुपये प्रदान किये जायेंगे। अच्छा काम करने पर प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। समूह से जुड़ी महिलाओं को स्टाइपेंड भी कर दिया जायेगा। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी।

बी0सी0 सखी योजना की पात्रता-

महिलाओं को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

महिला आवेदक दसवीं पास होनी चाहिए।

उम्मीदवार महिलाएं पैसों का लेन-देन करने में सक्षम होनी चाहिए।

नियुक्त महिला को इलेक्ट्रानिक डिवाइस चलाने की समझ होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश बी0सी0 सखी योजना के अन्तर्गत उन महिलाओं को नियुक्त किया जायेगा, जो बैंकिंग काम-काज को समझ सकें और पढ़-लिख सकें।

योजना का उद्देश्य-

छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में कुपोषण और एनीमिया को कम करना मिशन का लक्ष्य है।

योजनान्तर्गत 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चों को पोषक भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

योजना का लाभ उन बच्चों को मिलता है, जो बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हों यानि कम वजन या कुपोषण का शिकार होने की सम्भावना हो।

शक्ति मोबाइल-

महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम प्रदेश के सभी 1535 थानों में शक्ति मोबाइल का गठन किया गया है।

महिला सम्बन्धी अपराधों में संलिप्त पाये गये अपराधियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाती है। दोस्तों व परिजनों की काउंसिलिंग की जाती है।

महिला हेल्प डेस्क-

सभी 1584 थाने में (जी0आर0पी0 सहित) महिला हेल्पडेस्क की स्थापना। आधुनिक रिसेप्शन पर ही आगन्तुक/शिकायतकर्ता पीड़ित को उससे सम्बन्धित सारी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। महिला हेल्प डेस्क पर शिकायतकर्ता को एक टोकन दिया जाता है, जिस पर समस्त जानकारी दर्ज है।

महिला हेल्पलाइन 181 से 4.84 लाख महिलाओं को सहायता।

महिला पुलिस बीट व महिला पुलिस अधिकारी-

सभी 1535 थानों में 10,417 महिला पुलिस बीट का गठन किया गया है। इन नवगठित महिला पुलिस वीडियो में 20,740 महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

इनके द्वारा बीट के गांव में महिलाओं से संवाद स्थापित कर अपराध एवं अपराधियों पर लगाम लगाने का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त महिला कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सम्बन्ध में भी महिलाओं को जागरूक किया जाता है।

महिला साइबर सेल-

सभी 18 परिक्षेत्र मुख्यालयों पर कार्यरत साइबर सेल, पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत महिला साइबर सेल का गठन किया गया है।

महिला साइबर सेल, इण्टरनेट तथा अन्य सोशल मीडिया एप पर साइबर स्टॉकिंग एवं साइबर बुलिंग शिकायतों पर त्वरित व प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र-

सभी जनपदों की दूरस्थ तहसीलों में कुल 61 महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र/महिला थाना का गठन।

ग्रामीण अंचलों में खुले इन नये महिला थाने/रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों में महिला सम्बन्धी अपराध/घरेलू हिंसा के मामले में पीड़ित महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।

इन केन्द्रों पर महिलाओं की शिकायतों और दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और तीन तलाक जैसे प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो रहा है।

मिशन शक्ति कक्ष-

प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत भवनों में मिशन शक्ति की स्थापना की गई है। मिशन शक्ति कक्षों में एन0जी0ओ0, आशा बहू, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों में पूर्ण समन्वय स्थापित रहता है। इनके माध्यम से भी महिलाओं को उनकी समस्याओं, उनकी एवं उनके अधिकारों के सम्बन्ध में जागरूक कर विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है।

महिला अपराधों पर त्वरित कार्रवाई-

महिला एवं बाल अपराधों में प्रभावी अभियोजन के फलस्वरूप 32 अपराधियों को मृत्युदण्ड, 1191 अपराधियों को 10 वर्ष से अधिक तथा 3420 अपराधियों को 10 वर्ष से कम की सजा, 1431 अपराधियों को अर्थदण्ड, 1323 अपराधियों को आजीवन कारावास तथा 4751 अपराधी जिलाबदर हुए। 26,771 मामलों में जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई।

मुझे खुशी है कि आजादी के बाद खास कर भाजपा शासनकाल से, बेटियों एवं महिलाओं के प्रति समाज का नजरिया बदला है और बदलना भी चाहिए। बेटियां भी अथक प्रयास कर सभी क्षेत्रों में कीर्तिमान हासिल कर रही हैं। इस सन्दर्भ में चार लाइन प्रस्तुत हैं।

अब तो विधान सभा का मान बढ़ाने लगी हैं बेटियां।

हवाई जहाज उड़ाकर आसमां तक जाने लगी हैं बेटियां।

अब तो भारतीय सेना की कमान संभालने लगी हैं बेटियां।

मां-बाप की अर्थी को कन्धा लगाकर, श्मशान तक जाने लगी हैं बेटियां।

मिशन शक्ति अभियान के तीनों चरणों में प्रदेश के 1584 थानों में स्थापित महिला हेल्प डेस्क पर कुल 3,98,686 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 389417 शिकायत का निस्तारण इसी प्रकार महिला बुलेट के माध्यम से 1114269 अभियुक्त के विरुद्ध कुल 45855 अभियोग इनमें से 3,89,417 शिकायतों का निस्तारण। इसी प्रकार महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से 11,14,269 अभियुक्तों के विरुद्ध कुल 47,855 अभियोग पंजीकृत किये गये, जिसमें कुल 81,011 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। साथ ही 3,55,519 मामलों में थानों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा महिलाओं का फीडबैक लिया गया।

महिला हेल्पलाइन 1090 सेवा में 98.80 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण।

प्रदेश में 3195 एण्टी रोमियो स्क्वायड गठित। इनके द्वारा 6,75,143 स्थानों पर 28,33,893 व्यक्तियों की चेकिंग।

उ0प्र0 की महामहिम राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल हैं।

देश की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू जी जो कि अनसूचित जनजाति की हैं।

श्रीमती सरोज कुरील-

मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण

सबसे पहले मैं भगवान बुद्ध जी व संविधान निर्माता डॉ0 भीमराव अम्बेडकर, लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल और अपना दल एस पार्टी के संस्थापक डॉ0 सोनेलाल पटेल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहां पर उपस्थित हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को प्रणाम करती हूँ और इस सदन के विधान सभा अध्यक्ष जी को कोटि-कोटि आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम सभी महिला विधायकों को सदन में एक दिन अपना पक्ष रखने का मौका दिया। अपना दल एस उन चुनिन्दा पार्टियों में से एक है जिसकी अध्यक्ष खुद एक महिला है। महिला सशक्तिकरण का श्रीमती अनुप्रिया पटेल एक खुद जीता-जागता उदाहरण हैं, जिन्होंने सड़क से लेकर विधान सभा व लोक सभा तक परचम लहराया है।

अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे महिला सशक्तिकरण के विषय पर बोलने का शुभ अवसर दिया है। मैं अपने विचारों को इस छोटी सी कविता के माध्यम से रखना चाहूंगी।

चूल्हा-चौका करती हूँ पर वहीं तक सीमित न रहना मुझे।
चाहूं करना मैं नौकरी तो हक से है कहना मुझे।।
मैं बोझ नहीं बनना चाहती मैं सोच से आगे जाउँगी।
तुम तोड़ो तो जंजीर मेरी मैं जग में नाम कमाउँगी।।
तुम तोड़ो तो जंजीर मेरी मैं जग में नाम कमाउँगी।।
राहों के कंकड़ कांटों को पार करके मैं आगे बढ़ सकती हूँ।।
नारी हूँ मैं लड़ सकती हूँ हाँ नारी हूँ मैं लड़ सकती हूँ।।

इस कविता में बहुत कुछ सार छिपा है। एक महिला को सशक्त बनाने में परिवार के पुरुष मुखिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं बाबा साहब का भी धन्यवाद दूंगी जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाया। समान अधिकार दिया।

महोदय, आज के समय में अधिक से अधिक महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल रही हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में अलग पहचान बना रही हैं। महिलाओं के इतिहास को पलटा जाये तो परतंत्रता से लेकर आज तक स्वतंत्रता के समय में भी महिलाएं विशेष भूमिका निभा चुकी हैं और निभा रही हैं। परतंत्रता के समय खूब लड़ी मरदानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे वीर रस से रानी लक्ष्मीबाई व झलकारीबाई कोरी, वीरांगना ऊदा देवी पासी को उद्बोधित किया जाता है। ऊदा देवी पासी 1857 की क्रान्ति के दौरान पीपल के पेड़ पर बैठ कर 36 अंग्रेज सैनिक

और अफसरों को मौत के घाट उतार दिया था। ऊदा देवी पासी ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी थीं। इससे यह सिद्ध होता है कि देश की स्वतंत्रता में महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। ऐसी वीरांगनाओं के इतिहास को बताने की महती आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्रता यानि आज के समय पर भारत की प्रथम महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जोकि इस देश की राष्ट्रपति हैं। आज हर क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मदर टेरेसा जो महिला थीं, उनकी सेवा को कौन नहीं जानता व शिक्षा के क्षेत्र में माता सावित्री बाई फूले के द्वारा बहुत कार्य महिला सशक्तिकरण के लिये किये गये थे। त्याग व बलिदान के क्षेत्र में रानी पद्मावती के इतिहास का बखान करना प्रकाश के पुंज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। परन्तु आज हमारे देश में महिलाओं को काफी भेद-भाव का शिकार होना पड़ता है। कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा आदि जैसे कई अभिशाप थे। हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर दहेज एवं कन्या भ्रूण हत्या के विषय में और अधिक सशक्त कदम उठाये हैं। आवश्यकता है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई गैर स्वयंसेवी संगठन भी आगे आए हैं। हालांकि हमें समाज की मानसिकता को बदलने के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है, मैं ऐसे भारत का सपना देख रही हूँ जहां महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा प्राप्त हो। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को वो मजबूती देता है जो उन्हें उनके हक के लिए लड़ने में मदद करता है। जागरूकता ही महिला सशक्तिकरण का प्रबल हथियार है। महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में समझा जा सकता है कि इससे महिलाएं शक्तिशाली बनती हैं, जिससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार व समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनना ही महिला सशक्तिकरण है।

महिला सशक्तिकरण में आर्थिक स्वच्छन्दता महिला सशक्तिकरण के प्रमुख उद्देश्य महिलाओं की प्रगति के लिए उनमें आत्म विश्वास का संचार करना है। महिलाओं को अगर आप जागरूक, सशक्त करें, यह उनके लिए गर्व का विषय होगा। वर्तमान की सरकार ने अनेकों कार्य महिला सशक्तिकरण के लिये किये हैं-

मुख्य मंत्री सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना, महिला समूह के माध्यम से संचालित योजना, बैंकिंग क्षेत्र में बी0सी0 सखी योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना, मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना, महिलाओं को सुरक्षा की दृष्टि से कई कदम वर्तमान सरकार द्वारा उठाये गये हैं, महिला हेल्प डेस्क, महिला साइबर सेल, महिला रिपोर्टिंग पुलिस थाना परामर्श केन्द्र, शक्ति मोबाइल।

आंगनबाड़ी कार्यकत्री को पूर्ण रूप से महिलाओं से समन्वय स्थापित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन शक्ति कक्ष बनाये गये हैं।

महोदय, मैं अपनी पार्टी अपना दल एस की तरफ से इस सदन के जरिये मांग करती हूँ कि महान वीरागनाओं की शौर्य गाथा भी स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किये जायें ताकि आने वाली पीढ़ी इन वीरांगनाओं के बारे में जान कर और उनसे प्रेरित हो।

मैं अध्यक्ष जी एवं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में इस वर्ष पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है।

अन्त में मैं अपनी घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र एवं सभी महिलाओं का बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि जो अपनी वर्चस्व की लड़ाई आज भी लड़ रही हैं और मैं पूर्ण रूप से उनके साथ हूँ।

'महिला क्या कर सकती है।

ये जनता जानती सारी है।

वो आज की नारी है।

वो सभी पर भारी है।'

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।

जय हिन्द, जय भारत।

जय अपना दल एस।

महोदय, मेरी घाटमपुर विधान सभा की कुछ समस्यायें हैं जो निम्न हैं :-

1-घाटमपुर नगर की जल निकासी एवं सीवर निकासी।

2-तिरहर के 16 गांवों में बाढ़ का प्रकोप हर साल आता है जिसके लिये विशेष पैकेज।

3-घाटमपुर को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना।

4-3 बड़ी गौशाला जिसकी क्षमता 1000 के लगभग हो हमारे गांवों में हो।

श्रीमती रजनी तिवारी-

मान्यवर, आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ।

मैं चौथी बार विधान सभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। लगभग 15 वर्षों के मेरे संसदीय जीवन में पहली बार यह ऐतिहासिक, अविस्मरणीय अवसर आया है कि आज का दिन केवल महिला के बोलने के लिए नियत किया गया है। यह हमारे लिए कोई सामान्य बात नहीं है। यह समस्त महिलाओं के लिए गौरव का दिन है। जहां तक मेरे संज्ञान में है कि देश में पहली बार किसी सदन में एक दिन केवल महिला सदस्यों के लिए नियत किया गया हो।

मान्यवर, महिलाओं की स्थिति को लेकर चिन्ता करना, उनके नाम पर राजनीति करना तमाम राजनीतिक दलों के लिए आम बात है, परन्तु ऐसे राजनीतिक दल महिलाओं की स्थिति को केवल मुद्दा बनाते हैं और चुनाव प्रचार का विषय बनाते हैं, परन्तु जब सत्ता में थे तब इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया, यह जगजाहिर है। मुझे गर्व है अपने दल पर, अपने प्रधानमंत्री पर, अपने मुख्य मंत्री पर जिनकी सार्थक नीतियों व ईमानदार प्रयासों के चलते महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन के साथ महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। यह परिवर्तन शिक्षा में, स्वास्थ्य तक के आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की जारी रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। एक दशक पहले हुए सर्वेक्षण में शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी 64.4 प्रतिशत थी जो आज बढ़कर 70.3 प्रतिशत तक पहुंच गयी है। 2019-20 में भारत में उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिए जी0ई0आर0 (सकल नामांकन दर) 27.3 प्रतिशत थी, जोकि 2015-16 की अपेक्षा 18 प्रतिशत अधिक है। नई शिक्षा नीति लागू होने के पश्चात् 2035 तक 50 प्रतिशत जी0ई0आर0 का लक्ष्य रखा गया है।

मान्यवर, महिला सशक्तिकरण के विषय में हमारा संविधान अनुच्छेद-15 के अन्तर्गत लिंग के आधार पर भेद-भाव नहीं किये जाने व अनुच्छेद-14 के अन्तर्गत विधि के समक्ष समान संरक्षण का मूल अधिकार प्रदान करता है। संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए यह मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रचलित अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करें।

मान्यवर, संविधान में प्रदत्त अधिकारों को तब तक पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, जब तक संविधान का उचित तरीके से पालन करने वाली सरकार न हो तथा जनता के प्रति ईमानदार सरकारी तंत्र न हो। कानून व्यवस्था सरकार की रीढ़ होती है और कानून व्यवस्था में सुधार कैसे किया जाता है यह हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने करके दिखा दिया। कानून व्यवस्था पर यदि वास्तविक सर्वेक्षण कराना हो तो सबसे पहले महिलाओं की राय जानना आवश्यक होता है। महिलाओं की स्थिति जानने का आधर मुख्य रूप से उनका सामाजिक

आदर, शिक्षा व्यवस्था, परिवार में स्थान, लैंगिक भेद-भाव का न होना, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण, निर्णय लेने की क्षमता का प्रयोग एवं स्वतंत्रता आदि में निहित होता है। हमारी सरकार में महिलाएं बिना भय के अपने घरों से निकल रही हैं, उनके अन्दर निडरता का भाव माननीय मुख्य मंत्री जी की जनता के प्रति ईमानदार सोच और अपराधियों के प्रति कठोर नीति के कारण आया है। आज अपराधी अपराध करने से पहले एक बार तो जरूर सोचता होगा कि कानून व्यवस्था तोड़ेंगे, अपराध करेंगे तो बाबा का बुल्डोजर जरूर आयेगा। अपराधियों का सामाजिक बहिष्कार करने की नीति हमारी सरकार द्वारा अपनायी जा रही है। कोई अपराधी अपराध करने के बाद समाज में अपनी आपराधिक पहचान नहीं छिपा पायेगा। हमारी सरकार अपराधी को संरक्षण नहीं देती। हमारी सरकार ने अपराधी और अपराध पर नियंत्रण करके यह दिखा दिया है कि कानून व्यवस्था में कैसे सुधार किया जा सकता है। नहीं तो कभी कहा जाता था कि 'लड़के हैं गलती हो जाती है' और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था तो ऐसी स्थिति में महिलाएं अपने अधिकारों एवं सुरक्षा की आशा कैसे कर सकती थीं। गैर भाजपा सरकारों की अपराधियों को संरक्षण देने की नीति के कारण 2017 से पूर्व प्रदेश में जंगलराज हो गया था। जंगलराज को समाप्त करने के लिए जनता ने सही निर्णय लिया, 2017 में भाजपा सरकार आयी और पांच वर्ष के शासन के पश्चात् 2022 में जनता ने योगी सरकार को पुनः जनादेश देकर यह सिद्ध कर दिया कि ईमानदार सोच और दमदार काम हमारे दल का सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि यह संकल्प है और यह जनता के प्रति हमारा भाव है, हमारी निष्ठा है।

माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार महिलाओं को प्राथमिकता पर लेकर विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है। इनमें से महिलाओं के सम्मान, अधिकार एवं सामाजिक उत्थान के लिए महत्वाकांक्षी योजना है 'मिशन शक्ति'। निःसन्देह मिशन शक्ति योजना से महिलाओं में अपने अधिकार एवं कानून के प्रति जागरूकता आ रही है, जिससे महिला अपराधों पर भी अंकुश लगा है।

माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशन में इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रथम चरण में महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के सम्बन्ध में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आरम्भ किये गये तथा दूसरे चरण में अभियान को ऑपरेशन के रूप में संचालित किया गया। इस तरह से मिशन शक्ति को चरणों में बांटकर हमारी सरकार ने काम शुरू किया।

मिशन शक्ति के आरम्भ के बाद से ही इसके लाभकारी परिणाम सामने आ रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभियान के तीसरे चरण में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि महिलाओं व बेटियों से जुड़ी अपराधिक घटनाओं को संवेदनशीलता से लिया जाये और ऐसी घटनाओं के संज्ञान में आने पर त्वरित कार्यवाही की जाये।

मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करना है। उन्हें स्वावलम्बी बनाना है। महिलाओं के प्रति हिंसा करने वाले व्यक्तियों की पहचान उजागर करना है। राज्य में महिलाओं को सुरक्षा का अनुभव कराना है। मिशन के अन्तर्गत महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित मुद्दों पर जागरूकता लाने के लक्ष्य का निर्धारण भी किया गया है।

प्रदेश में बालिकाओं व महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है। ससम्मान महिलाओं की शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है। इनसे महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है।

प्रदेश के जनपदों में 2740 महिला पुलिस कर्मियों को 10370 महिला बीटों का आवंटन किया गया है। साथ ही यू0पी0-112 की सेवाओं को और अच्छा बनाने के लिए 730 करोड़ 88 लाख रुपये बजट का आवंटन किया गया है।

महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए तीन महिला पी0ए0सी0 बटालियन लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूं का गठन किया जा रहा है।

महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का क्रियान्वयन अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है।

प्रदेश के सभी जनपदों में जनपद स्तर पर महिला सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है।

माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार किसी भी महिला कर्मचारी को उसकी सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

मिशन शक्ति अभियान से सम्बन्धित सभी विभागों को एक साथ जोड़ना ताकि महिलाओं को कोई परेशानी न हो।

महिलाओं एवं बच्चियों से सम्बन्धित जो भी केस कोर्ट में जायेंगे, उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट भेजकर शीघ्र निस्तारण करवाना। 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गयी है। रेप केस जो सबसे पहले प्राथमिकता देकर दोषियों को कड़ी सजा दिलवाना।

अभियान में प्रदेश के 24 विभाग चुने गये हैं जो सरकार या स्थानीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं।

प्रदेश सरकार राज्य की उच्च शिक्षण संस्थाओं में गुणवत्तापरक् शिक्षा प्रदान किये जाने के प्रति गम्भीर है।

महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगारपरक् स्किल पाठ्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं। प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थाओं में छात्राओं की संख्या शैक्षणिक सत्र 2016-17 में 50.61 प्रतिशत थी, जबकि 2020-21 में यह संख्या बढ़कर 62.95 प्रतिशत हो गयी। इससे स्पष्ट है कि महिलाओं में गुणवत्तायुक्त शिक्षा के प्रति रुचि में वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 की जनगणना में देश में महिला साक्षरता दर 64.46 प्रतिशत है। इस दर में वृद्धि के लिए राज्य सरकार उत्तरोत्तर प्रयासरत् है।

मान्यवर, उ0प्र0 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार में शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हुए जिसके दूरगामी परिणाम बहुत ही सुखद होंगे।

अन्त में महिला सशक्तिकरण के इस विशेष सत्र में मैं कहना चाहूंगी कि सदन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नहीं वूमेन डेवलपमेन्ट का नहीं बल्कि वूमेन-लेड-डेवलपमेन्ट के लिए है।

आदरणीय मुख्य मंत्री जी का संकल्प है कि उ0प्र0 एक ऐसा राज्य बने जहां पर स्त्री पर अत्याचार, स्त्री का अपमान, स्त्री का शोषण करने की सोच भर से कलेजा कांप जाये।

बालिका अहं बालिका नव युग जनिता अहं बालिका,

नाद्मवता दुर्बला आदिशक्ति अहम्बिका।

मैं आधुनिक युग की नारी हूँ, मैं शक्तिहीन नहीं हूँ, मैं अम्बिका हूँ, स्त्री में इसी भाव को जगाने का अभियान मिशन शक्ति माननीय मुख्य मंत्री जी की इस अतुलनीय सोच ने स्त्रियों को सम्बल और साहस दिया। सभी मातृ शक्ति को प्रणाम।

धन्यवाद।

श्रीमती ओममणी वर्मा-

महोदय, महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया है कि विश्व का जो भी बदलाव देखना चाहते हैं, उसकी शुरुआत खुद से करिये। इसका मतलब यह है कि सरकार चाहे जितनी भी योजना बना ले, वास्तविक बदलाव तभी आयेगा, जब हम खुद में बदलाव लायेंगे। जब हम महिलाओं के प्रति समाज अपने विचारों और कार्यशैली में बदलाव लायेगा। तभी महिला सशक्तिकरण के विषय में सार्थक बदलाव देखने को मिलेगा।

अपमान मत करना नारियों का,
इनके बल पर जग चलता है।
पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय महिला सशक्तिकरण के हित में निम्नलिखित सुझाव हैं :-

नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय, ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों के पढ़ने हेतु ज्यादा से ज्यादा बालिका इण्टर कालेज खोले जायें, शासकीय व अर्द्धशासकीय संस्थानों में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किये गये उत्पादों को खरीदने हेतु अनिवार्य किया जाय तथा उनके द्वारा तैयार किये गये उत्पादों की बिक्री हेतु 'हुनर हाट' के नाम से ग्रामीण क्षेत्र में बाजार बनाये जायें।

मैं माननीय मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनके द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं लायी गयी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय आप द्वारा महत्वपूर्ण समय देने के लिए और मेरी बातों को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी मा0 सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ और अब मैं इस उम्मीद के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ कि एक दिन हम वाकई समाज में वह बदलाव ला पायेंगे जिसे हम देखना चाहते हैं।

पी0एस0यू0पी0-एल0-249 विधान सभा (473)-22-02-2023-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।